खण्ड-391, अंक-2
मंगलवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(14 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–98
श्री जयदीप सिंह बरार एवं श्री अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन का आरोप विषयक व्यवस्था का प्रश्न ..... (जारी)	98
जनपद बलिया के स्थाई खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनपद में बनाये जाने वाले मार्गों में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जिला झांसी के गरौठा क्षेत्र में मसनेह एवं समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग को डायरी कृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जिला गाजीपुर के विरनों ब्लाक में हैदरा से नखतपर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में महेशपुर से रसूलपुर तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, तिलकनगर, दारागंज आदि क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते अपराधों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जिला बलिया के विकास खंड रसड़ा के ग्राम मुडेरा में पूर्व स्वीकृत अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	103
श्री जयदीप सिंह बरार एवं अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन का आरोप सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न .. (जारी)	103
मुस्लिम वक्फ अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 4221/बावन/88-188-83, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गई) ..	106
श्री जयदीप सिंह बरार एवं अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन का आरोप सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न	107
उत्तर प्रदेश में पहली बार सोना मिलने विषयक नियम 110 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञा की मांग	109
आगरा के पर्यटन विभाग कार्यालय में लाखों रुपये के गबन से सम्बन्धित प्रश्न पर नियम-349 के अन्तर्गत चर्चा की मांग	109
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1985–86 (सदन के पटल पर रखा गया)	110
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक द्वितीय विवरण पत्र 1989-90 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1989 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	110
उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 1989 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	111
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	111

	पृष्ठ संख्या
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	111
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	112
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग .. .. (जारी) ..	133
बजट चर्चा का समय बढ़ाने की मांग .. (अस्वीकृत) ..	171
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-10-ऊर्जा विभाग .. .. (स्वीकृत)	171
अपट्रान के अधिकारियों द्वारा सरकार की अनुमति के बिना विदेशी कम्पनियों से कथित दलाली एवं कमीशन लेने के फलस्वरूप निगम को करोड़ों रुपयों की क्षति होने के संबंध में एवं वन विभाग द्वारा नैनीताल में लालकुआं स्थित बिरला उद्योग समूह की सैन्चुरी पेपर मिल को बाजार भाव से सस्ती दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने के विषय में होने वाली चर्चाओं का स्थगन ..	196
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	196
जनपद बलिया में बलिया शहर के पास कदम दुबहर मार्ग को कई वर्षों से पूरा न किये जाने के विषय में चर्चा	197
जनपद वाराणसी के विभिन्न महाविद्यालयों की गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं में लगभग शत प्रतिशत छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से छात्रों में व्याप्त असंन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	197
दिनांक 25 फरवरी, 1989 को फिरोजाबाद के मोहल्ला रामनगर में श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के मकान पर बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट में पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	203
जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में स्थित हड्डी मिलों से गैस रिसाव होने के फलस्वरूप लोगों में व्याप्त भय एवं सैकड़ों लोगों के बेहोश हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	205
प्रदेश में मोटे सूत के दामों में वृद्धि से दरी उद्योग में लगे हजारों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने और बुनकरों के द्वारा पावरलूम एवं हथकरघा उद्योग हेतु लिये गये ऋण की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	207
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	210
उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती के बारे में उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई एक याचिका विषयक औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	210
श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य विधान सभा द्वारा 30 मार्च, 1988 को प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	211
नत्थियां	212

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
गंगा स्वरूप भटनगार, श्री	सीतापुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राम सजीवन, श्री	बांदा
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
नानक चन्द्र आजाद, श्री	मेरठ	श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
फूल कुंवर, श्री	मुरादाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर		
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद		

جميع الحقوق محفوظة

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एक विद्यालय खोलने की मांग

****1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्पेक्टर स्तर तक के पुलिस कर्मियों के बच्चों हेतु कम से कम हाईस्कूल तक शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय की तरह अलग से विद्यालय खोले जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्या एसी योजना शासन बनायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस विषय में विचार कर यथावश्यक प्रस्ताव भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा जा रहा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जिस प्रकार से सेना एवं एयर फोर्स के लोगों के बच्चों के लिए सेन्ट्रल स्कूल की व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार से पुलिस बल के बच्चों के लिए भी क्या यह व्यवस्था की जायेगी क्योंकि जब इन लोगों का ट्रान्सफर होता है। तब इनके बच्चों को बड़ी असुविधा होती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के तीसरे पैराग्राफ में कहा है कि इस विषय में विचार कर यथावश्यक प्रस्ताव भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय को किन-किन बिन्दुओं पर प्रस्ताव भेजने के लिए सरकार ने लिखा है और पत्र कब भेजा गया है?

श्री सईदुज्जमा–

इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। जब कार्यवाही पूरी हो जायेगी और जब कोई प्रस्ताव बनकर सामने आयेगा तभी कुछ उसमें बताया जा सकेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं जानना यह चाहता हूं कि जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, प्रश्न विचाराधीन है, अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता है उसमें कौन-कौन से बिन्दु विचाराधीन हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पुलिस बल के लिए उनके बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था, दवा एवं आवास की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है, प्रदेश भर में पुलिस बल में इसलिए बड़ा असंतोष है कि उनको इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। इस सदन में यह प्रश्न पहली बार आया है जबकि हम पुलिस बल के पक्ष में विचार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके लिए शिक्षा, आवास एवं दवा आदि की क्या-क्या सुविधायें यह सरकार देने में समर्थ है। मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसमें जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है पुलिस कर्मियों के लड़कों के लिये, इसके लिए नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर काम किया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस समय कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है। मान्यवर, इसको आप गम्भीरता से लें। अगर इस समय यहां पर कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री बैठा होता तो कम से कम ज्वाइन्ट रिसपान्सबिलिटी के तहत इस प्रश्न का उत्तर दे पाता।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी मामला है, इस प्रश्न पर कैबिनेट स्तर के विचार-विमर्श की आवश्यकता है, इसका उत्तर राज्य मंत्री जी दे नहीं पा रहे हैं इसलिए कैबिनेट स्तर के मंत्री का यहां इसका जवाब देने के लिए उपस्थित होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लीजिये।

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन इस बात पर सिद्धान्ततः सहमत है कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में जो कठिनाई हो रही है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या उनके लिए सेन्ट्रल स्कूल की स्थापना की जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मुहम्मद आजम खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवाइये। मैंने पूछा है कि क्या शासन सिद्धान्ततः उनके लिए सेन्ट्रल स्कूल खोलने के लिए सहमत है? इसका उत्तर मा0 मंत्री जी 'हां' या 'नहीं' में दे दें।

श्री सईदुज्जमा–

इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

रोज तो पुलिस के पीछे विपक्ष लगा रहता था, आज हाल यह है कि उनसे बहुत हमदर्दी हो गई है, कुछ नक्शा बदला हुआ मालूम होता है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने सिद्धान्त की बात पूछी है कि मा0 मंत्री जी पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए सेन्ट्रल स्कूल की स्थापना करेंगे?

श्री सईदुज्जमा–

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा साहेब, प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी प्रश्न के सम्बन्ध में ही व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि मा0 मंत्री जी इसके लिए सिद्धान्ततः सहमत हैं या नहीं?

(उत्तर देने के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सूचना तो सदन को मिल ही गयी है कि इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इस पक्ष से भी पुलिस बल की हिमायत हो रही है। पुलिस और पी0 ए0 सी0 का कैरेक्टर कैसा हो, हम उनकी आने वाली नस्ल को कैसी बनायें जिससे कि उनकी अगली नस्ल में सुधार हो, क्या मा0 मंत्री जी उनके बच्चों के लिए माडल स्कूल को कायम करने पर जोर देंगे ताकि वे अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर न चल सकें?

श्री अध्यक्ष–

इसका जब वक्त आयेगा, तब देखा जायेगा।

श्री पूरन सिंह माहरा–

इस प्रश्न के सन्दर्भ में ठीक है कि स्कूल खुल जायं, साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि बहुत से लोग अकबर अहमद (डम्पी) की तरह न हो जायं, इसे भी सम्भालना पड़ेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि आपने अभी माननीय मंत्री जी से कहा कि आज नक्शा कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, यह इसलिए मान्यवर, कि हम लोग भी जन

सहयोग की भावना से काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम यह चाहते हैं कि इस संबंध में शासन की क्या नीति है और सुविधाओं संबंधी किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है और कौन-कौन से बिन्दु हैं, जिन पर विचार मांगें जा रहे हैं, अगर सरकार वास्तव में साफ नियत के साथ कुछ विचार करना चाहती है तो विपक्ष भी और जनता भी इनको अपना सहयोग देगी।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इनके सम्बन्ध में अब व्यय होने वाली राशि के संबंध में, जमीन व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर तदर्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

**2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग की परिधि में रखे गये पदों पर तदर्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी सेवायें 3 वर्ष से अधिक की हो गयी हैं, उनके नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासनादेश कब तक निर्गत हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर हुई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु पहले ही क्रमशः दिनांक 22-3-84 तथा दिनांक 3-11-88 को निम्नलिखित नियमावलियां जारी की जा चुकी हैं :–

(1) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984

(2) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 ।

उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बात कुछ और है और माननीय मंत्री जी जवाब कुछ दे रहे हैं। हमारा प्रश्न मान्यवर यह था कि तदर्थ नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी सेवाएं 3 वर्ष से अधिक की हो गयी है, उनके विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? इस पर माननीय मंत्री जी ने 22-3-84 को जो संशोधित नियमावली बनी है, उसका जिक्र कर दिया है, मैं मान्यवर माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि 22-3-84 का जो जिक्र किया है, यह तो मई, 84 तक जिन लोगों के तीन साल पूरे हो गये हैं, उन पर यह नियमावली लागू हो जाती है, परन्तु जो अधिकारी व कर्मचारी 83 और 84 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में क्या प्राविधान किये गये हैं, कृपया यह बता दें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जब तक नींव नहीं बनती है, तब तक उस पर मकान नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए अभी यही कहा गया है और जब इनके लिए बात आयेगी तो यथासमय उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के संबंध में और माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में होता यह है कि बड़े-बड़े अधिकारी व मंत्रीगण अपने प्रभाव से लोगों की नियुक्तियां करा लेते हैं, परन्तु सामान्य जनता को इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई विनियमतीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे कि चाहे कोई हो छोटा हो या बड़ा हर एक के जब तीन साल पूरे हो जाएं तो उनका विनियमतीकरण कर दिया जाए, जिससे बड़े लोगों के प्रभाव से छोटे लोगों का शोषण न हो सके? इसलिए माननीय मंत्री जी क्या इन तदर्थ नियुक्तियों पर कोई बंधन लगाने की कृपा करेंगे और यदि इस पर भी कोई अधिकारी तदर्थ नियुक्ति कर ले तो क्या उसका वेतन उस अधिकारी के वेतन से देने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किसी भी अधिकारी द्वारा यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि वह तदर्थ नियुक्ति अपेक्षित अर्हता न रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर ले, इसलिए किसी का वेतन काटने की आवश्यकता नहीं है। साधारणतया शासन की नीति मान्यवर यही है कि जो अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हता रखने वाले हैं, उनकी ही नियुक्ति तदर्थ रूप में की जायेगी, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जैसे लोक सेवा आयोग को तमाम पदों की नियुक्ति का अध्याचन भेजा जा चुका है और वहां से स्वीकृति आने में देर हो रही होती है तो ऐसी स्थिति में जनहित का ध्यान रखते हुए, कुछ करना पड़ जाता है, परन्तु इस स्थिति में भी प्रयास यही किया जाता है कि अर्हता रखने वाले लोगों की ही नियुक्ति की जाय . . .

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नींव को मजबूत कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले से ही लोक सेवा आयोग बना है। लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों को प्रतिवर्ष विज्ञापन के द्वारा भरे जाने का प्राविधान है, तो इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता है, इसकी उपेक्षा क्यों की जाती है। तदर्थ नियुक्तियां करके अपात्र व्यक्तियों को रखा जाता है और फिर उनका विनियमतीकरण किया जाता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नियम हैं, उसी के अन्तर्गत प्रतिवर्ष क्यों नहीं नियुक्तियां की जाती हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने राणा जी के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि शासन की नीति है कि तदर्थ नियुक्तियां न की जायें और लोक सेवा आयोग की परिधि में जो पद आते हैं,

लोक सेवा आयोग पर अधिक भार होने के कारण वहां से नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, तो जनहित में कार्य करना होता है, उसी को ध्यान में रखकर तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर एक सबार्डीनेंट सर्विस कमीशन बनाया गया है, जिससे लोक सेवा आयोग का भार कम हो जाये।

श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि हर नियुक्ति के प्रकरण में आता है कि लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए भेजा गया है और यह भी आता है कि लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति नहीं किया है, तो क्या सरकार इसको ध्यान में रखते हुए विचार करेगी कि जितने भी रिक्त पद हैं, अगर वह 3 महीने के अन्दर लोक सेवा आयोग से नहीं आते हैं, तो उन पदों पर तदर्थ नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

वह तो कह ही रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अंचल जी की इच्छा है, उसी का तो हम पालन कर रहे हैं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी करना चाहता हूं कि टेहरी बांध के क्षेत्र में शासन का आदेश है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सेवा का मौका दिया जायेगा । कुछ जे0 ईज0 ज सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं उनको एक एक साल की नियुक्ति दी गयी है और फिर उनकी सर्विस ब्रेक कर दी गयी है। टेहरी बांध तो लम्बी योजना है और एक एक साल के लिए जो नियुक्ति दी जा रही है, क्या उसको तदर्थ नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

टेहरी बांध तो बहुत वजनी है, उसके सम्बन्ध का प्रश्न इस छोटे से प्रश्न में कहां समा पायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो कोर्ट में चले गये हैं और उनको स्टे मिल गया है, तो उनको लोक सेवा आयोग के जरिये परमानेन्ट करने का तरीका अख्तयार करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विनियमतीकरण करने में किन-किन बातों को आप देखते हैं और दूसरी बात यह है कि जो लोग तदर्थ नियुक्त हैं उनकी आयु भी समाप्त होती जा रही है तो क्या ऐसे लोगों के विनियमिती-करण के बारे में शासन विचार करने के लिए तैयार है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हम जब भी तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो लोग नियुक्त हो गये हैं। उनकी उम्र भी निकल जाती है दूसरे पदों के लिए उनकी आयु नहीं रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सन् 1983 में जो किया था उसके पीछे यही कारण था। उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और सन् 70 से सन् 83 तक लगभग 8270 हो चुकी थी। उनकी उम्र भी निकल जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हम विचार कर रहे हैं और सूचना एकत्र कर रहे हैं। उसके आने के बाद इन बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखा जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री देवता दीन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आग्नेयास्त्र धारकों हेतु लाइसेन्स में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री दिनांक 25-2-88 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या एक के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें आग्नेयास्त्र रखना नितान्त आवश्यक है उन्हें प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान कर लाइसेन्स दिये जाने के अधिकार, बिना शासन से अनुमति लिए, जिलाधिकारी को ही प्रदान करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार नये आग्नेयास्त्र लाइसेन्स जारी करने पर दिसम्बर, 1985 से लगी रोक को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री सईदुज्जमा–

इस समय लोक हित में प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान करना उचित नहीं है। शासन द्वारा प्रत्येक केस में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है और जिनको आयुद्ध की नितान्त आवश्यकता समझी जाती है उन्हें प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान कर लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने अपने इस उत्तर में नहीं दिया है। जो उन्होंने उत्तर दिया है। वह मेरे पिछले प्रश्न के संदर्भ में दिया है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि शासन द्वारा प्रत्येक केस में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है और जिनको आयुध की नितान्त आवश्यकता समझी जाती है उन्हें प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान कर लायसेंस प्रदान किया जाता है। यह मेरे पहले के प्रश्न का उत्तर था। आज का मेरा प्रश्न यह है कि जिन्हें आग्नेयास्त्र रखना नितान्त आवश्यक है उन्हें प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान कर लायसेंस दिये जाने के अधिकार बिना शासन से

अनुमति लिये जिलाधिकारी को ही प्रदान करने पर विचार करेंगे । मान्यवर, होता यह है कि जिलाधिकारी की संस्तुति पर लायसेंस दिया जाता है और यह शासन से पूछ-कर दिया जाता है जिसमें महीनों का समय लग जाता है । जिलाधिकारी को तो यह अधिकार था . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मानवेन्द्र सिंह जी, जब छूट दी जायेगी तो आतंकवादी वहां से यहां आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, प्रशासकीय आधार पर ऐसी व्यवस्था की गई है । उसमें आप देखें कि लाइसेन्स शासन से, जो लोग मर गये हैं उनके स्थान पर उन्हें देने के लिए अधिकृत किया गया है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह शासन की नीति थी कि जिन घरों में डकैतियां होंगी और मर्डर भी होंगे तो उनके लिये शासन ने यह व्यवस्था की है और यहां पर सदन में इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया गया है कि उनके लिये डी0 एम0 द्वारा लाइसेन्स दिये जायेंगे। ऐसे मामलात में डी0 एम0 को आप अथोराइज कर दें और स्पसिफिक पीरियड निश्चित कर दें कि 1 महीने, दो महीने या 6 महीने के अन्दर उनको लाइसेन्स मिल जाय ।

श्री सईदुज्जमा–

ऐसे मामलों में डी0 एम0 को अधिकृत किया गया है लेकिन शासन से पूछकर वह यहां से मंजूरी ले लेते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

ऐसा नहीं होता ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि गुणावगुण के आधार पर छूट दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि वह गुणवगुण का आधार क्या है, मानक क्या है । किस आधार पर किन लोगों को लाइसेन्स देने के लिये छूट है इस प्रतिबन्ध के बावजूद भी ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, ऐसे लोग जिनसे समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है और जिनके खिलाफ आपराधिक इतिहास है, यह सब चीजें हैं जिनकी वजह से लाइसेन्स देना मुना-सिब नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसमें मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है मेरा क्या प्रश्न था और क्या उत्तर दे रहे हैं मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने पूछा था कि गुणावगुण का क्या आधार है ? अगर इस तरह से जवाब आयेगा तो बड़ी दयनीय स्थिति होगी।

श्री सइदुज्जमा–

मान्यवर, जो छूट प्रदान की जाती है वह इस प्रकार है– मृतक लाइसेंसी के उत्तराधिकारियों को, विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों एवं संसद सदस्यों को जिनका अपराधिक इतिहास न हो, कस्टम्स एवं सेण्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारियों (इन्सपेक्टर आदि) जो छापे डालने तथा तस्करों आदि को पकड़ने के कार्य से सम्बद्ध हों और गुणावगुण के आधार पर अन्य वर्गों के लोगों को भी शासन द्वारा छूट प्रदान की जाती रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं कि डकैती पड़ी या मर्डर हो गया और उसमें मौजूदा प्रशासन के जिलाधिकारी यह समझते हैं कि सुरक्षा के लिए इस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाना चाहिए। डी0 एम0 इस तरह की संस्तुति भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से सहमत है कि इस गांव के इस परिवार को सुरक्षा के लिए लाइसेंस देना आवश्यक है तो क्या ऐसे मामलों में जिलाधिकारी को पूरी छूट देने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी स्वयं पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात् अपने स्तर से लाइसेंस दे दें। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सइदुज्जमा–

मान्यवर, यह बात बिलकुल साफ है ऐसे मामलों में वह शासन की अनुमति के लिए भेज देते हैं और उनको हम दे देते हैं जहां डकैती आदि के मामले होते हैं डी0 एम0 रिकमेंड करते हैं हम शासन से स्वीकृति दे देते हैं। (व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । उसके बाद भी जो प्रश्न हुए उनके जवाब नहीं आये।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी आपको दीन दुनियां का कोई पता नहीं है आप तो पुलिस स्कार्ट के साथ जीप में घूमते हो। चार-पांच पुलिस के लोग और इंस्पेक्टर आपके साथ चलते हैं। आप जो यह कह रहे हो बिलकुल गलत कह रहे हो जिन लोगों के लिए कलेक्टर ने सिफारिश कर दी उनको दे दिया जाता है । मैं बताना चाहता हूं 6–6 महीने और साल-साल हो जाता है शासन में फाइल आये कोई पूछता नहीं ऐसे मामले मेरी स्वयं की नालेज में है, आप क्या बोल रहे हो।

मान्यवर, आप इस सरकार को निर्देशित कीजिए । लोग परेशान है या तो आप सबको गोली मरवा दो या फिर लाइसेंस खुलवा दो, कलेक्टर को अधिकृत कर दो । हमें सिर्फ अपने गांव के लिए लाइसेंस दे दो दूसरे गांव में भी नहीं जायेंगे, जिला हेड-क्वार्टर में नहीं जायेंगे, अस्त्र लेकर। लोग इस वक्त मर रहे हैं गुण्डे कट्टा लेकर घूम रहे हैं और यह भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप इनको निर्देशित कीजिये कि तुरन्त लाइसेंस खुलवायें जैसा दूसरे प्रदेशों में खुले हुए हैं हम लोगों की जान खतरे में है, पूरा प्रदेश खतरे में है । यह तो पुलिस स्कार्ट के साथ घूम रहे हैं ।

आप [xxx] के साथ हंस रहे हैं। मुख्य मंत्री का पता नहीं क्योंकि वह [xxx] के साथ इधर उधर हवाई जहाज से घूम रहे हैं। गृह मंत्री बीमार हैं और हाउस में कई दिनों से आ नहीं रही हैं। इसलिए इनको क्या पता है कि जनता की जान कब और कहां खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऐसे राज्य गृह मंत्री को हटा देना चाहिए चूंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

प्रश्न सं0–3, श्री महेन्द्र भाटी।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, स्थगित करने से क्या फायदा । (व्यवधान) सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। मेरा आरोप है कि प्रश्न को स्थगित करके सरकार को जवाब देने से बचा लिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रश्न स्थगित हो, इसलिए इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

स्थगित इसलिए किया है कि अध्ययन कर लिया जाये। इसको देख लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जो केन्द्र सरकार का नया परिपत्र आया है जिसमें लाइसेन्सों को दिये जाने की व्यवस्था के संबंध में जिक्र किया गया है, यह प्रश्न पहले भी उठा था तो आपकी पीठ से व्यवस्था हुई थी कि नियम 52 में दो घंटे की चर्चा होगी, मेरा निवेदन है कि वह एक सीमित सवाल के लिए चर्चा लगी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर जिलाधिकारियों को क्यों न अधिकार दिये जायं यह बिन्दु भी उसी चर्चा में जोड़ दिया जाये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा लगी हुई है तो देखकर जोड़ दिया जायेगा।

बिक्रीकर कार्यालय परिक्षेत्र लखनऊ तथा इलाहाबाद में स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत लिपिकीय वर्ग पर नियुक्ति

*3–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बिक्रीकर के लखनऊ तथा इलाहाबाद परिक्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 1988 में स्पोर्ट्स कोटा अन्तर्गत लिपिकीय वर्ग में तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं? क्या इस सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था? यदि नहीं, तो स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत नियुक्तियां करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

वर्ष 1988 में लखनऊ तथा इलाहाबाद परिक्षेत्रीय कार्यालयों में स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत किसी भी लिपिक वर्ग कर्मचारी की कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद और लखनऊ परिक्षेत्र में जिन लोगों की स्पोर्ट्स कोटा में नियुक्ति हुई है क्या उनके नाम रोजगार कार्यालय से प्राप्त किये गये हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने कहा है कि स्पोर्ट्स कोटे में किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नियुक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गये हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जैसा निवेदन किया, कोई भी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तो बेरोजगारों का रोजगार दफ्तर से नाम मांगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री महेन्द्र भाटी–

क्या भविष्य में ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि नियुक्तियों के लिए रोजगार दफ्तर से नाम लेने के बाद ही आप उन पर विचार करेंगे?

(उत्तर नहीं दिलाया गया)

श्री अशोक बाजपेयी–

क्या माननीय मंत्री जी भाटी जी की सूचना को सत्य मानते हुए पूरे बिक्रीकर कार्यालय में हुई नियुक्तियों की जांच कराने की कृपा करेंगे और इस नये तथ्य के आधार पर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अभी तथ्य नया तो कोई भाटी जी ने दिया नहीं है। मैंने निवेदन किया कि 1988 में इलाहाबाद और लखनऊ परिक्षेत्र में किसी प्रकार की कोई नियुक्ति की ही नहीं गई है?

श्री महेन्द्र भाटी–

मेरी निश्चित जानकारी है कि स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर नियुक्तियां हुई हैं और यदि हां, तो क्या उनकी जांच आप कराकर सदन को बतायेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यदि आप नाम दे देंगे कि स्पोर्ट्स कोटे में इनकी नियुक्ति की गई है, तो हम जांच करा लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में अपराध बढ़ने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-8-88 का पत्र तथा मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित दिनांक 26-8-88 का पत्र जिसमें फैजाबाद में बढ़ रहे अपराधों की शिकायत की गयी है और हत्या, बलात्कार आदि घटनाओं पर चिन्ता प्रकट की गयी है, सरकार को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री सईदुज्जमा–

जी हां । दोनों पत्रों पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 212 पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, जितनी भी हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हुई, मंत्री जी ने स्वीकार किया है, लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि ग्राम गौरा बसन्तपुर, थाना गोसाईगंज में ग्राम सभा चुनाव के अवसर पर सवर्णों और हरिजनों में आपस में कहा सुनी हो गई थी । किन्तु जिस समय यह घटना हुई मैं वहां पर मौजूद था, जिलाधिकारी भी मौजूद थे और हरिजन जो खड़ा था और 26 वोटों से हार गया था, जो जुलूस खिलाफ निकाला गया उन लोगों ने उनके बच्चों पर आग डाली थी और चारपाई से उठा लिया गया था और जब वह हमारे पास आये और लिखित शिकायत जिलाधिकारी को दी, तो उन्होंने एक सिपाही और एक सब इन्सपेक्टर के साथ वहां पर भेजा था । इतना सब होने के बावजूद मंत्री जी कह रहे हैं कि केवल कहा सुनी हुई थी और उनमें जबानी समझौता करा दिया गया था । इसी प्रकार की एक और घटना रामबोध हरिजन की है । उनको मारा-पीटा गया और उनका पैसा छीन लिया गया था, किन्तु इस पर भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी । इस पर मैंने सी0 ओ0 से कहा तब जाकर उसकी रिपोर्ट किसी तरह लिखी गयी, किन्तु फिर भी इसमें एक महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उसका उत्पीड़न करके मनमाफिक उससे रिपोर्ट लिखा ली जाए । मेरे पत्र लिखने का परपज ही यह था कि इसकी जांच और किसी से करा ली जाए । लेकिन मंत्री जी ने मेरी सूचना को गलत मानकर और पुलिस वालों की सूचना को सही मानकर यहां पर अपना जवाब दे दिया है । तो क्या यहां से किसी उच्चाधिकारी को भेजकर इस मामले की जांच कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ? और यदि नहीं, तो जिनके खिलाफ हमारी शिकायत थी उन्हीं पर विश्वास करने का क्या कारण है ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसमें आपस में झगड़े की बात कही है, इसमें दोनों पक्षों में वहां फैसला हो गया था और जो रामबोध की घटना के बारे में जिक्र किया है, इसमें मुकदमा कायम हुआ है . . . इसके बाद विवेचना हुई उसके बाद चार्जशीट से मुकदमे कोर्ट में चले गए, उनको छोड़कर जो रह गए हैं उनको तत्काल दिखवा देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मेरा कहना सत्य है कि पुलिस ने कार्यवाही तभी की जब पुलिस ने मारे पीटे गए हरिजन से हलफनामा दाखिल कर लिया । डी0 आई0 जी0 स्तर तक इन सारी बातों की कोई जानकारी नहीं थी, अगर थी तो इतने विलम्ब से कार्यवाही क्यों हुई ?

श्री सईदुज्जमा–

जब उन्होंने दरख्वास्त दिया तो उस पर जांच हुई जांच के बाद इसमें जब कार्यवाही की गई तो पहले तो कह दिया गया कि हमसे दरख्वास्त गलत दिलाई गई अब इस मामले में फिर से जांच हो रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, देवेन्द्र कुमार पाण्डेय की हत्या हो गई है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 302 और 323 के मुकदमें कायम है इसका सगा भाई प्रधान है । उसने बन्दूक के लिए दरख्वास्त दिया है और वह दरख्वास्त 6 महीने से ऊपर हो गई गृह सचिव के पास पड़ी है । इस तरह से जानबूझकर विलम्ब हो रहा है । इस पर सरकार कोई कदम उठायेगी अगर नहीं उठायेगी तो वह कौन सी परिस्थितियां है जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

श्री सईदुज्जमा–

इस संबंध में दिखवा लिया जायेगा और इसमें शीघ्र कार्यवाही कर ली जायेगी ।

प्रदेश के कतिपय विभागों में जिप्सी जीपों की खरीद विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि उन्हें माह दिसम्बर, 1988 में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा खर्चीली एवं विकास कार्यों के लिए अनुपयुक्त जिप्सी जीप खरीदने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था व जिसे सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव वित्त को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो वित्त सचिव की रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

जिप्सी जीपों की उपयुक्तता और खर्चीलेपन का पुनरीक्षण कराया जा रहा है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई चीज खरीद ली गई और परीक्षण बाद में कराया जा रहा है । यह पहला मौका है । जब टेक्निकल एडवाइज विपरीत आई है कि गाड़ियां न खरीदी जाएं, लेकिन उसके बाद भी जिप्सी जीप खरीदी जा रही है और अधिकारी उस जिप्सी जीप का दुरुपयोग अपने परिवार को घुमाने के लिए कर रहे हैं । पहाड़ से तो जिप्सी जीप को लौटा दिया गया है । डी0 आई0 जी0 की विपरीत राय होने पर भी 200 जिप्सी जीप खरीदी गई यह पुलिस वालों के घर की शोभा बढ़ा रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि मैंने एक शिकायती पत्र भी प्रथम सप्ताह में दिया था कि इसका परीक्षण न कराने के क्या कारण है और अगर परीक्षण विपरीत आया तो इन खरीदी हुई जिप्सी जीपों का क्या होगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो प्रश्न दिया था जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न में ही निहित है उसे वित्त सचिव के पास भेज दिया गया अब वित्त सचिव कोई एक्सपर्ट तो हैं नहीं, उन्होंने इसको परिवहन विभाग को भेज दिया, हम इसका परीक्षण करा रहे हैं, मेरा विभाग परीक्षण कर रहा है तो इस पर मेरा बोलना उचित नहीं है । वैसे जो जिप्सी जीप है फास्ट मूविंग वेहिकिल है और महेन्द्र जीप बहुत ड्यूरेबुल है तो जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में अभी जांच कराई जा रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह जो मारुति जिप्सी जीपें खरीदी गई हैं तो जब इनका कोई टेक्निकल परीक्षण नहीं कराया गया तो इनके खरीदने का औचित्य क्या है और इनके खरीदने की आवश्यकता क्या थी ? किस अधिकारी ने इन जीपों को खरीदने की संस्तुति की यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर वह भारतीय जलवायु में चलने के लायक न होतीं या सड़कों पर चलने के लायक न होतीं तो लाइसेंस उनको क्यों दिया गया होता ? निश्चित रूप से वह भारतीय जलवायु में चलने लायक हैं ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जब कोई कम्पनी कोई वाहन सप्लाई करती है तो वह पूना का एक प्रमाण पत्र देती है । जब कोई मशीनरी या इंजिन आदि बेचा जाता है तो कम्पनी टेक्निकल इक्जामिनेशन का प्रमाण पत्र देती है कि यह मशीनरी फिट है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रमाण पत्र इस कम्पनी को पूना से मिला है । जिन्होंने जीपें खरीदी हैं क्या उन्होंने यह फिटनेस प्रमाण-पत्र देखा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जिप्सी जीपें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग ने खरीदी हैं । यह उस समय खरीदी गयी थीं जब आतंकवादी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही थीं । उस समय एक फास्ट मूविंग वेहिकिल की, तेज गति से चलने वाले वाहन की आवश्यकता थी । इसलिए ज्यादा तेज चलने वाले वाहन के रूप में खरीदी गयीं । ड्यूरोबिलिटी

की बात मैं नहीं कर रहा हूं । दूसरी बात, जो आपने कही तो पुनः निर्देश दे दिए जायेंगे कि जब तक परीक्षण न हो जाय तब तक इनको न खरीदा जाय ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस के डी0 आई0 जी0 (टेक्निकल) हैं क्या उनकी राय इसके विपरीत थी लेकिन फिर भी यह खरीदी गयीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पुलिस विभाग की, टेक्निकल राय क्या थी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, परिवहन विभाग में बैठकर । लेकिन मैं उनकी राय लेकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

[मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ईंट भट्ठों पर से बिक्री कर समाप्त करने पर विचार

*1–श्री मित्रसेन–

क्या सरकार ईंट भट्ठों से बिक्रीकर समाप्त कर बिक्रीकर कम्पाउण्ड लेवी के रूप में लिए जाने पर विचार कर रही है जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके ? यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

ईंट भट्ठा व्यापारियों पर भट्ठा सीजन अक्टूबर, 1988 से सितम्बर, 1989 तक एक वर्ष के लिए बिक्रीकर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू की जा चुकी है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की है, मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के लागू होने के बाद इस प्रदेश में एकमुश्त समाधान राशि योजना में भट्ठे वालों से कितनी धनराशि आनी है और जब यह योजना लागू नहीं थी तो प्रतिवर्ष कितना राजस्व वित्त विभाग को मिलता था ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो भट्ठे वालों का संघ था उन्होंने कहा था कि यदि यह योजना लागू की जायेगी तो वह 20 करोड़ रुपया की समाधान राशि शासन को देंगे । 1986-87 में जो कलकुलेशन किया गया था तो उस समय 15 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी । 1987–88 में लगभग साढ़े 16 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई होगी । उन्होंने जो प्रस्ताव किया है कि 20 करोड़ रुपए की समाधान राशि देंगे उसको शासन ने स्वीकार कर लिया है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, स्वाभाविक जो आंकड़े हैं, मंत्री जी ने दिए हैं, इससे गवर्नमेंट को लाभ ही हो रहा है । तो सरकार ने जो एक वर्ष के लिए कम्पाउण्ड टैक्स की योजना लागू की थी, क्या आगे आने वाले वर्षों में भी यह योजना लागू करने जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अगर इससे लाभ होगा, तो आगे जाने पर विचार किया जायगा ।

श्री अशोक बाजपेयी–

प्रदेश का निर्माण कार्य बाधित न हो सके, इसलिए ईंटों के बढ़ते हुए दामों को सरकार निर्धारित करने जा रही है ? क्या सरकार इनके ऊपर कोई लेवी मूल्य निर्धारित करके ऐसा कोई मूल्य निर्धारित करने जा रही है, जिससे निर्माण कार्य हो सकें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह विषय उससे संबंधित नहीं है । मेरा संबंध कर वसूलने से है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस साल 20 करोड़ रुपए इस योजना के अन्तर्गत मिलने हैं । मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं । एक तो यह है कि जो राशि बढ़ती है, इससे बहुत से भट्ठे वाले इसमें शामिल होने से कतरा रहे हैं । दूसरी बात यह है कि मान्यवर, भट्ठा उद्योग को ग्रामीण उद्योग, या लघु उद्योग मानते हैं । कौन सा उद्योग मानते हैं, लघु उद्योग की सीमा में रहते हुए जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, वही सुविधाएं इस उद्योग को भी देने के लिए तैयार हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें जो ईंटा-भट्ठा संघ था, उसके हिसाब से लगभग 9 हजार आदमी ईंटा-भट्ठा उद्योग में लगे हुए हैं । इस योजना को स्वीकार करने वालों की संख्या 8,269 है । इसको लोगों ने बहुत तेजी से स्वीकार किया है । यह लघु उद्योग में श्रीमन् आता है ।

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी इसे लघु उद्योग मानते हैं, तो लघु उद्योग में जो और सुविधाएं प्राप्त हैं, तो क्या शासन उन सुविधाओं को उनको दिलाने का प्रयास करेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् मैंने बाजपेयी जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि मेरा सीधा कर से संबंध है ।

सहकारी गन्ना मिलों में अंशधारी कृषकों को लाभांश वितरण की मांग

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना मिलों में अंश-धारी कृषकों को उनके अंश के अनुपात में लाभांश देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कब-कब तथा किस-किस सहकारी चीनी मिल ने अंशधारी कृषक सदस्यों को किस दर से लाभांश वितरित किया है ? क्या मंत्री जी इस संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित करके सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां ।

पिछले पांच वर्षों में संचित शुद्ध हानि एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाये अवशेष होने के कारण किसी भी सहकारी चीनी मिल द्वारा अंशधारी कृषक सदस्यों को लाभांश वितरित नहीं किया जा सका है ।

लाभांश वितरण की स्पष्ट नीति सहकारी चीनी मिल समितियों के उपविधि में पहले ही निर्धारित की जा चुकी है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि अंशधारी कृषक सदस्यों को लाभांश वितरित नहीं किया जा सका है । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 86-87 के पेराई सत्र में बाजपुर चीनी मिल ने लाभांश तो नहीं, बोनस के नाम पर वहां के कृषकों को 4 रु0 प्रति कुन्टल के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया था ? यदि हां, तो क्या वजह है कि 87-88, 88-89 में अब वहां पर बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह बतानें की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने लाभांश वितरण के सिलसिले में यह सवाल किया है। अब दूसरा सवाल यह कर रहे हैं, बोनस के सिलसिले में अलग से यह सवाल होना चाहिए । . . . (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सहकारी चीनी मिलों में घाटा है, लाभ नहीं है इसलिए किसानों को लाभांश देने की स्थिति नहीं आई । मान्यवर, यह किसानों के हित में योजना चलाई गई किसान स्वावलम्बी हो और चीनी मिलों से उनको लाभांश और हिस्सा मिल पाये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सहकारी चीनी मिलें जो घाटे में चल रही हैं उनको लाभ में लाने की दृष्टि से कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इसमें तो अगर गन्ना उत्पादन अधिक होगा तो जो क्षमता चीनी मिलों की निर्धारित की गयी है उस क्षमता भर का गन्ना मिलेगा तो चीनी मिल चलेगी और अगर बराबर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी तो निश्चित रूप से लाभ होगा और लाभांश मिलेगा । यह सही नहीं है कि सभी चीनी मिलें लाभ की स्थिति में हो गयी हैं । मान्यवर, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि गन्ना उत्पादन करिये और उनको शासन की तरफ से जो संभव सुविधा है वह उपलब्ध कराई जा रही है उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है, व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से यह प्रयास है कि अधिक से अधिक गन्ना उत्पादित करें जिससे किसानों को लाश मिले ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं सभी घाटे में हैं या कोई काभ में भी है और दूसरा सवाल यह है कि गन्ना तो ज्यादा है और यह कह रहे हैं कि गन्ना कम रहता है तो मान्यवर, गन्ना तो

ज्यादा है कोई फैक्ट्री गन्ने की कमी से तो बन्द है नहीं प्रदेश की, तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी सकारी चीनी मिलों में फायदा हुआ है पिछले कई सालों में उनमें लाभांश बंटवाने में क्या दिक्कत आ रही है, इनके सामने बतायें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, लाभांश प्रतिवर्ष को देखकर कोई निर्णय नहीं किया जाता है । चीनी मिल चलती है पिछले साल घाटे में हो गयी या इस साल थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ तो ऐसी स्थिति में उसको मुनाफा तो मान नहीं लेंगे, मुनाफा तो तभी मानेंगे जब पिछले साल का घाटा और इस साल का मुनाफा दोनों मिलाकर देख लें कि घाटे में है या मुनाफे में । जब मुनाफे की स्थिति में हों तो लाभांश देंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जितनी भी सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं पूरी चीनी मिलों के बारे में अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं कि कौन मुनाफे में है और कौन घाटे में है । तो जब लाभ हुआ ही नहीं तो लाभांश देने का सवाल ही नहीं है ।

श्री राम शरण दास –

मान्यवर, यह फिर असत्य बोल रहे हैं हमारे सहारनपुर जिले में सरसावां, ननौला चीनी मिलें हैं और पिछले 3 साल में फायदे में चल रही हैं । एक आपसे निवेदन करूंगा, अगर हमारी बात मान ले और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं मान्यवर, आप उनसे सलाह करें कि हे मुख्यमंत्री जी इन ऐसे-ऐसे मंत्रियों से पिन्ड छुड़ा दें क्योंकि इन्हें गन्ने का ज्ञान तो है नहीं कुछ जानते तो हैं नहीं । ऐसे-ऐसे लोगों को विभाग दे दिए हैं जिनको कुछ अता पता नहीं है अभी तक पुलिस विभाग की दुर्गति हो रही थी और अब गन्ना विभाग की दुर्गति कर रहे हैं । इनको दूसरा विभाग कोई और दे दें और गन्ना किसी और दे दें जो गन्ने की खेती करता हो जिसको गन्ने के बारे में पता हो । मान्यवर, इनका बड़ा ज्वलंत सवाल था और यह कुछ और कह रहे हैं, इनसे पूछें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मंत्री जी को अपनी जानकारी के मुताबिक कहना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में गजरौला सहकारी चीनी मिल काला-खेड़ा रामपुर में चल रही है और वह लाभ में चल रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस फैक्ट्री में आने वाले जो काश्तकार हैं उनको लाभांश न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मा0 विधायक जी ने बताया कि इधर 2-3 साल से लाभ में चल रही है, तो लाभांश देने का सवाल केवल एक दो साल में ही नहीं बनता । अगर पिछले साल घाटा हुआ और इस साल लाभ हुआ तो इस साल के लाभ पर लाभांश नहीं दिया जाता है अगर पिछले वर्षों को देखते हुए इस साल भी शुद्ध लाभ होता है, तभी लाभांश देने की व्यवस्था की गयी है । अभी तक कोई भी चीनी मिल शुद्ध लाभ में नहीं है, इसलिए लाभांश देने का सवाल नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने जो बोनस का प्रश्न किया था, वह लेबर के बोनस का प्रश्न नहीं था । वह कृषकों को गन्ने के मूल्य के साथ बोनस के रूप में दे दें या लाभांश के रूप में दे दें एक ही बात है । मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि 1986-87 में बाजपुर चीनी मिल में 4 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में लाभांश किसानों को दिया गया था और मा0 मंत्री जी कहते हैं संचित शुद्ध हानि को देखते हुए नहीं दे सकते हैं तो जब हानि थी तो 4 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस गन्ना मूल्य पर क्यों दिया, क्या यह सही है कि फरवरी में बोनस बैक डेट में बांटा गया क्योंकि मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री उस समय अकबर अहमद डम्पी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो जब उस समय 4 रुपये प्रति क्विंटल बांटा गया तो उसके बाद डेढ़ गुना प्राफिट होने के बावजूद आज बोनस नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो यह लाभांश अंशधारी कृषकों को देने का सवाल किया है कि दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता है तो दिया है कि नहीं, जिस बोनस की बात कह रहे हैं कि दिया गया था, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने कहा था कि क्या पिछले सालों में हुए फायदे को देखते हुए अब भी बैंक डेट से दिलवायेंगे ।

प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस समय कितनी कुल मिलें घाटे में चल रही हैं और क्या यह सही है कि सरकारी मिलें अधिकतर चीनी मिलें चल रही हैं तो इसका क्या कारण है । दूसरे गन्ना काफी पड़ा है, क्या बतायेंगे कि पूरे क्षेत्र में कितने परसेंट गन्ना लिया जाता है । तैंतीस परसेंट से ज्यादा गन्ना नहीं खरीद पाते हैं, इसकी बर्बादी होती है और यह कहते हैं कि गन्ना कम है, मेरे सवाल का जवाब दे दें ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, और भी सदस्य इस पर प्रश्न करना चाहेंगे । हम भी कुछ पूछना चाहेंगे । इस पर एक प्रश्न मैं भी करना चाहूंगा । क्या आपने बरार साहब वाला प्रश्न समाप्त कर दिया ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूं । क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्या यह प्रश्न समाप्त हो गया, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आगे बढ़ गया हूं ।

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[दि0 21-2-89 को अता0 प्र0 सं0 84 द्वारा उत्तरित]

*4–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*5–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[दि0 14-3-86 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

बिक्रीकर एवं आयकर अधिनियम में प्रथम एवं द्वितीय अपील हेतु देय फीस में अन्तर

*6–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री कर एक्ट के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय अपील दायर करते समय क्रमश: कम से कम दो प्रतिशत या अधिकतम दो सौ पचास रुपये तथा साढ़े सात प्रतिशत कम से कम या अधिकतम पांच सौ रुपये कोर्ट फीस के लिये जाते हैं जबकि आयकर अधिनियम में प्रथम अपील में शून्य तथा द्वितीय अपील में दो सौ रुपये फीस जमा करना पड़ती है ? क्या शासन बिक्री कर की प्रथम अपील के लिए कम से कम एक प्रतिशत या अधिकतम पचास रुपये तथा दूसरी अपील के लिए कम से कम ढ़ाई प्रतिशत या अधिकतम दो सौ रुपया फीस निर्धारित करने पर विचार करेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

बिक्रीकर अधिनियम और आय कर अधिनियम में प्रथम और द्वितीय अपील के सम्बन्ध में देय फीस में अन्तर अवश्य है । तथापि शासन का ऐसा कोई विचार नहीं है कि बिक्रीकर की प्रथम और द्वितीय अपील में फीस में फिलहाल कोई कमी की जाए ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देने में उत्तर को टाल दिया है । मूल जो प्रश्न था उसका सही उत्तर नहीं आ पाया है । मैंने बताया कि आयकर और बिक्रीकर ये दो विभाग हैं . . .।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

तो मान्यवर, बिक्रीकर के संबंध में मैंने लिखित प्रश्न किया था । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम अपील दायर करते समय कम से कम दो प्रतिशत और अधिकतम दो सौ पचास रुपये लगता है तथा द्वितीय अपील करते समय कम से कम साढ़े सात प्रतिशत या अधिकतम पांच सौ रुपये कोर्ट फीस के लिये जाते हैं, व्यापारियों से । मान्यवर, इसमें यह भी दिक्कत है कि यह फीस केवल व्यापारियों से ली जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि व्यापारियों की ही भांति यह कोर्ट फीस विभागीय अपीलों पर भी लागू हुआ करेगी । दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि आयकर की तरह अपील करने समय जितनी फीस लगती है, उस स्तर तक इसको भी कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा है कि आयकर के बराबर जो आयकर विभाग में फीस लगती है, उसके बराबर करने का कोई विचार शासन में नहीं है । मई, 1976 से यह दरें लागू हैं और वर्ष 1976 से यह दरें बढ़ायी नहीं गयी हैं, वही पुरानी दरें आज भी लागू हैं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, दिक्कत यह होती है कि यह कोर्ट फीस केवल व्यापारियों से ही ली जाती है, इससे व्यापारी परेशान रहता है । मैंने पूछा था कि अपील करते समय जो कोर्ट फीस व्यापारियों से ली जाती है, उसे विभागीय अपीलों पर विभाग से भी लिया करेंगे । विभाग से कोर्ट फीस न लिये जाने का परिणाम यह होता है कि वह लोग तमाम फर्जी अपीलें दायर कर देते हैं : क्या इस बात पर विचार करते हुये जो अपीलकर्ता से कोर्ट फीस लेते हैं, वह कोर्ट फीस विभागीय अपीलों में भी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसका श्रीमन् विधिक परीक्षण करवा लेंगे और यदि सम्भव होगा, तो करवा देंगे ।

*7–श्री राज किशोर सिंह–

[नियम 28(7) के अन्तर्गत निरस्त]

जनपद बाराबंकी, थाना जैदपुर, के उप निरीक्षकों के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच एवं स्थानान्तरण

*8–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–148, 149/87 थाना-जैदपुर जनपद बाराबंकी में जांच के लिये नियुक्त सी0 आई0 डी0 द्वारा कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को दी गई है ? क्या यह सही है कि निष्पक्ष जांच के लिये सी0 आई0 डी0 द्वारा जैदपुर थाना के पुलिस अधिकारियों के थाना से स्थानान्तरण के लिये लिखा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण निम्नवत् किया गया:–

1–श्री दिग्विजय सिंह-बहराइच प्रस्थान तिथि 22-11-88

2–श्री इन्द्रवीर सिंह-सुल्तानपुर प्रस्थान तिथि 30-11-88

3–श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी-गोण्डा प्रस्थान तिथि 19-11-88

4–श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा-लखनऊ प्रस्थान तिथि 09-11-88

5–श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय,-जोकि आर0 एस0 आई0 कोर्स करने गये थे, का जनपद से बाहर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

*9–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दि0 21-2-89 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0–2 द्वारा उत्तरित]

बरेली व मुरादाबाद में इन्जीनियरिंग कालेज खोलने हेतु कृत कार्यवाही

*10–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बरेली व मुरादाबाद इन्जीनियरिंग कालेज हेतु भूमि क्रय करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में 3 ½ करोड़ रुपया स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो यह जमीन कब तक क्रय कर ली जायेगी व इन दोनों कालेजों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने बरेली नगर में घोषणा की थी कि बरेली और मुरादाबाद के लिये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये साढ़े 3 करोड रुपये जमीन खरीदने के लिये स्वीकृत किया गया है । पिछले वर्ष भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना सरकार की है तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, वह गलत थी और क्या अब भी बरेली, मुरादाबाद में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के संबंध में सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ इंजीनियरिंग कालेज खोलने का उत्तर प्रदेश शासन ने विचार बनाया था, इसमें बरेली और मुरादाबाद भी थे। इसके लिये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहमति भी प्राप्त की जाती है । बाद में संसाधनों की कमी के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में फिर इसे शामिल कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कितने इंजीनियरिंग कालेज खोलने जा रही है तथा यह भी जानना चाहता हूं कि जहां-जहां इंजीनियरिंग कालेज खोले जायेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा ? क्या यह बैकवर्ड सिटीज में खोले जायेंगे अथवा बड़े शहरों में खोले जायेंगे, यह बता दें ताकि उसका सही फायदा जनता को पहुंच सके ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें श्रीमन्, हम आवश्यकता को देखते हैं, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से । ऐसे दूरदराज के स्थानों में जहां लोगों को दिक्कत होती थी, हमने वहां इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये हैं, जैसे अल्मोड़ा, पांड़ी गढ़वाल तथा बुन्देलखण्ड आदि को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है और उसके लिये धन आवंटित किया गया है और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, बरेली में 500 बेड अस्पताल बनने की बात थी और आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कक्ष में बुलाया था, आज तक वह नहीं आये । बरेली व मुरादाबाद में इंजीनियरिंग कालेज खोलने को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार था । आज जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि विचार किया जायेगा क्या वह यह घोषणा करेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो अगले साल से शुरू हो रही है, उसमें बरेली व मुरादाबाद में इंजीनियरिंग कालेज खोलने को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वह अपने आप वरीयता में आ रहे हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5 पर विचार किया गया था, उसमें से ये दो रह गये हैं । उसमें हम इन दोनों का प्रस्ताव कर देंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बरेली व मुरादाबाद में इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुल सका । मेरी जानकारी में कुछ जगह इंजीनियरिंग कालेज खोले गये हैं, उसमें से एक झांसी को भी इंजीनियरिंग कालेज है । पिछले वर्ष से आप कहते आ रहे हैं कि झांसी में इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया गया है, किन्तु अभी तक वहां पर प्रवेश प्रारम्भ नहीं किया गया है । जिस तरह से अन्य मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश कर दिया जाता है, किन्तु एक वर्ष के लिए किसी अन्य इंजीनियरिंग कालेज में उन्हें पढ़ाया जाता है और इस बीच भवन आदि बन जाते हैं और फिर पढ़ाई वहीं शुरू हो जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी झांसी इंजीनियरिंग कालेज में भी छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश देकर किसी अन्य कालेज में एक वर्ष पढ़ाने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, झांसी इंजीनियरिंग कालेज को इस वर्ष भवन निर्माण के लिये 2 करोड़ 82 लाख रुपये दे दिये गये हैं । इस सत्र में वहां पर छात्रों का प्रवेश शुरू कर दिया जायेगा ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बरेली में अगले साल इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया जायेगा। अभी तो 2-3 साल जमीन ढूंढने में टाइम लगेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी अभी से जिलाधिकारी को उक्त कालेज हेतु जमीन ढूंढने के लिए निर्देश देंगे ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अलावा सारे प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी दूसरे प्रदेशों की पोलिसी को सामने रखते हुए यहां पर भी प्राइवेट मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खोलने की इजाजत देगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, डा0 जौहरी जी ने जो प्रश्न किया, उसके सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि अगले वर्ष खोला जायेगा । मैंने तो यह कहा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसे विचारार्थ रखेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी पहले आश्वासन दिया कि दोनों जगह के कालेजों का आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखेंगे, अब वह कह रहे हैं विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं ।

राजकीय पालीटेकनिक गोरखपुर एवं लखनऊ कर्मशाला प्रशिक्षकों के वेतनमान अन्य जनपदों के कार्यशाला प्रशिक्षकों के समान करने की मांग

*11–श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजकीय पालीटेकनिक गोरखपुर एवं लखनऊ के कार्यशाला प्रशिक्षकों के वेतनमान अन्य जनपदों के वेतनमान (राजकीय पालीटेकनिक कार्यशाला प्रशिक्षकों) में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में राजकीय पालीटेकनिक कार्यशाला प्रशिक्षकों का वेतन समान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक समान वेतन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां ।

समान समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

बौद्ध तीर्थ स्थल कुसीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती आदि पर्यटकों को विकसित करने की योजना

*12–श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुसीनगर, सारनाथ श्रावस्ती आदि को पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिये उन्हें विकसित करने की कोई योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसको कब तक लागू किया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन तीर्थ स्थलों पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये तथा बौद्ध तीर्थ यात्रियों के भारी संख्या को देखते हुए क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास उसे विकसित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

पर्यटन एवं पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (भी गुलाब सिंह)–

जी हां ।

योजनाओं की सूची संलग्न है।

(सूची "अ")

सूची (अ) के अंश "क" में अंकित योजनाएं निर्माणाधीन हैं । अंश "ख" में अंकित योजनाओं में क्रमांक 1 व 2 हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही चल रही है । क्रमांक 3 पर अंकित योजना का मानचित्र व आगणन तैयार कराया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्थित बौद्ध पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु रु0 23,644.66 लाख की एक वृहत् परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी है । परियोजना का विवरण संलग्न है (सूची "ब") ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 214 पर)

*13–श्री हरेन्द्र सिंह–

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*14–श्री कुशल पाल सिंह–

[दि0 21-2-89 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

सिविल पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में असमानता

*15–श्री शारदा प्रताप–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सिविल पुलिस के जवानों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की अपेक्षा होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में असमानता है जैसे चिकित्सा सुविधा से वंचित होना, पौष्टिक आहार भत्ते से रहित होना एवं परिवार की जीविका के लिए निर्धारित वेतन का कम होना, वर्दी की अव्यवस्था आदि ? यदि हां, तो क्या इस असमानता को दूर करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुज्जमा–

जी हां ।

सिविल पुलिस के जवान पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित वेतन मिलता है जबकि होमगार्ड के जवान अवैतनिक स्वयंसेवक हैं । अतः सिविल पुलिस के जवानों एवं होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में समानता का प्रश्न ही नहीं है । डियूटी एवं प्रशिक्षण के दौरान आहत एवं बीमार होने वाले होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु उन्हें सिविल पुलिस के जवानों की भांति कोई पौष्टिक आहार भत्ता नहीं दिया जाता

है । होमगार्ड्स संगठन एवं स्वयंसेवी संस्था है जिसके सदस्य ड्यिूटी के दिनों में "पारिश्रमिक" पाते हैं, वेतन नहीं । इन स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक की दर दिनांक 1-1-89 से रु0 15 से बढ़ाकर रु0 22 प्रतिदिन कर दी गई है । जनपद के बाहर ड्यूटियों के लिये भी पारिश्रमिक रु0 23.50 से बढ़ाकर रु0 30.50 प्रतिदिन कर दिया गया है । होमगार्ड्स के जवानों को ड्यूटी एवं प्रशिक्षण के दौरान मौसम के अनुसार वर्दी उपलब्ध कराई जाती है।

(मूल उत्तर के स्थान पर)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसमें सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा सवाल है उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" जबकि मेरे पास पूरा उत्तर आया हुआ है।

श्री सईदुज्जमा–

इसमें पूरी सूचना प्राप्त नहीं थी इसलिये मैंने दोबारा सूचना के लिये कहा ।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देख लें मैंने प्रश्न किया था कि क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सिविल पुलिस के जवानों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की अपेक्षा होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में असमानता है जैसे चिकित्सा सुविधा से वंचित होना, पौष्टिक आहार भत्ते से रहित होना एवं परिवार की जीविका के लिए निर्धारित वेतन का कम होना, वर्दी की अव्यवस्था आदि ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि "जी हां" इसके बाद मैंने पूछा था...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब तो मैंने स्थगित कर दिया है।

श्री मानपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है, अब आप लोग बैठें ।

सतर्कता विभाग के निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की मांग

*16–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता विभाग में कार्यरत निरीक्षक एवं उससे नीचे कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन, ग्राम्य विकास एवं प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं ।

सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि "क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता विभाग में कार्यरत निरीक्षक एवं उससे नीचे कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गयी ?" माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है, "जी नहीं," मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, उनको आवास के लिए किसी प्रकार का भत्ता देते हैं ?

श्री गौरी शंकर–

जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, उसके अनुरूप इस समय वर्तमान रेट में जो दिया जा रहा है, वह स्थिति आपके समक्ष रख रहा हूं। वर्तमान में निरीक्षक को न्यूनतम 250 रु0 अधिकतम 400 रु0, उप निरीक्षक को न्यूनतम 250 रु0 अधिकतम 400 रु0, हैड कान्सटेबिल को न्यूनतम 150 रु0 और अधिकतम 250 रु0, कांस्टेबिल को न्यूनतम 150 रु0 और अधिकतम 250 रु0 निरीक्षक (एम) को 400 रु0, डी0 आई0 (एम) को 250 रु0 और अधिकतम 250, एस0 आई0 (एम) 250, अधिकतम 250 रु0, एस0 आई0 एम0 250, अधिकतम 250 ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन अव्यवस्थित है । कल आपके कक्ष में इस माननीय सदन के दो सदस्यों ने जाकर के अपने को एक दल विशेष से सम्बद्ध घोषित करते हुए मान्यवर, आपको सूचना दी है।

(घोर व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

आप यह जो अभी प्रश्न हुआ, अनुपूरक नहीं करने देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया पाण्डेय जी ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, उसमें पूरी जानकारी नहीं आ पायी ।

श्री गौरी शंकर––

विस्तृत जवाब तो दे ही दिया ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरा भी नहीं हो पाया था कि आपने घोषणा कर दी कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । मान्यवर, यह परिपाटी रही है कि अगर आप किसी प्रश्न को ले लेते हैं, तो भले ही समय खत्म हो जाय, जब तक उसका उत्तर पूरा नहीं आ जाता, उसका समाधान नहीं हो जाता, तब तक आप मौका दे देते हैं । मान्यवर, इस प्रश्न में एक बहुत बड़े वर्ग का हित निहित है और सरकारी पक्ष का घोटाला सम्मिलित है । ऐसी परिस्थिति में अनुरोध करूंगा कि जो प्रश्न लिया गया था उसका पूरा उत्तर दिलवा दें या उसे स्थगित कर दें । मान्यवर, वह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, उसमें मौका दें, ताकि सारी बातें सदन के समक्ष आ सकें ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा मांग लीजिये, देखूंगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, ठीक है।

*17–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नन्दगंज सिहौरी चीनी मिल लि0 नन्दगंज, गाजीपुर की तालाबन्दी के कारणों की जांच एवं कृत कार्यवाही

*18–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री की जानकारी में है कि नन्दगंज सिहोरी शुगर कारपोरेशन, नन्दगंज सिहौरी चीनी मिल लि0 नन्दगंज, जनपद गाजीपुर दिनांक 17 दिसम्बर, 87 से 29-12-87 तक बन्द रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तालाबन्दी के कारणों की जांच करायी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस बन्दी से गन्ना उत्पादकों एवं मालिकों को कितने-कितने रुपये की हानि हुई ? क्या सरकार बन्दी के लिये उत्तरदायी अधिकारी को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :––नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । मिल तालाबंदी नहीं अपितु तकनीकी खराबी के कारण प्रश्नगत अवधि में नहीं चलायी जा सकी ।

मेन पैनल बोर्ड का क्षतिग्रस्त होना । गन्ना उत्पादकों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई क्योंकि मिल, क्षेत्र का सम्पूर्ण गन्ना पेराई करने के पश्चात ही बन्द की गयी । चीनी मिल को लगभग 9 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी दण्डित किये जा चुके हैं।

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही

*19–श्री अचल सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को चलाने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन की अनुमति देने की क्या प्रक्रिया सरकार द्वारा तैयार की गयी है ? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्पादन की सहमति प्रदान न किये जाने के बाद भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री उत्पादन कर सकती है ? यदि नहीं, तो उत्पादन कर रही फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदूषणकारी उद्योगों को अपना उत्सर्जन अथवा उत्प्रवाह प्रवाहित करने के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उत्पादन की सहमति विचारणीय नहीं होती है परन्तु उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत उद्योगों को अपना उत्प्रवाह अथवा उत्सर्जन प्रवाहित करने के पूर्व जल तथा वायु सहमति लिया जाना आवश्यक होता है ।

उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था न होने की दशा में उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अथवा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है ।

निबन्धन विभाग में मुख्य लिबन्धन लिपिकों का स्थायीकरण

*20–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबंधन विभाग में कितने ऐसे मुख्य निबंधन लिपिक हैं जिनको उक्त पद पर कार्य करते हुए दस वर्ष से भी अधिक बीत गये परन्तु अभी तक उनको उक्त पद पर स्थान रिक्त होते हुए भी स्थायी नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि मुख्य निबंधन लिपिक के पद पर स्थायीकरण हेतु 10 वर्षों से अधिक समय से उक्त पद पर कार्यरत लिपिकों की सूची निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय न लेने का क्या कारण है और निर्माण कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

निबन्धन विभाग में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत समस्त मुख्य निबन्धन लिपिकों का स्थायीकरण हो चुका है। ऐसे किसी मुख्य निबन्धन लिपिक के स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन नहीं है जिसे उक्त पद पर कार्य करते हुये 10 वर्ष हो गये हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

बिक्रीकर से सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

1–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के छठे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–114 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–952 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 30-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय सदस्य द्वारा पत्र उपलब्ध कराये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

2–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 121 द्वारा उत्तरित]

कानपुर की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी पर बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा छापा मारने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र की जानकारी

3–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–88 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–908 मुख्य मंत्री को दिनांक 18-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित मा0 सदस्य के पत्र संख्या–1471 से सम्बन्धित सूचना विधान सभा के प्रथम सत्र, 1988 के पहले मंगल हेतु निर्धारित मा0 सदस्य के अता0 प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में सुलभ कराई जा चुकी है ।

4–श्री सुखपाल पाण्डे–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर मंडल के जनपद बस्ती के मृत चालकों की विधवाओं को सेवा में लेने का प्रस्ताव

5–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर मण्डल के जनपद बस्ती में ड्यूटी पर मृत चालकों की विधवाओं को कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी विधवायें हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी हेतु आवेदन दिये हैं ? इनको कब तक नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर मण्डल के जनपद बस्ती में मृत चालकों की विधवाओं को रिक्तियों के अभाव में अभी तक सेवायोजित नहीं किया जा सका है ।

मृत चालकों की ऐसी चार विधवाएं हैं जो सभी अशिक्षित हैं जिन्होंने आवेदन पत्र दे रखे हैं । चतुर्थ श्रेणी में मानक से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है । रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही उन्हें क्रमवार नियुक्त किया जाना संभव होगा ।

जनपद मथुरा में लेखपालों की कमी के कारण कार्य की असुविधा दूर करने हेतु कृत कार्यवाही

6–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद की प्रत्येक तहसील में लेखपालों की कमी के कारण अनेक गांवों में लेखपाल नहीं है जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में कितने लेखपाल कम हैं ? क्या सरकार जनता की परेशानी को दूर करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा में 13, छाता में 26, मांट में 11 तथा सादाबाद में 22 लेखपालों के पद प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं । जनता की असुविधा को दूर करने के लिए पास के क्षेत्रों के लेखपालों से कार्य कराया जा रहा है । रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चयन के निर्देश भेज दिये गये हैं ।

थाना सुरीर जनपद मथुरा की बाउन्ड्री निर्माण विषयक शिकायती पत्र पर जांच

7–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने थाना सुरीर मथुरा की बाउन्ड्री में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने तथा पुरानी बाउन्ड्री को ही नयी दिखाने के बारे में दिनांक 11-4-88 को एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की और जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या शासन सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी, छाता, मथुरा द्वारा की गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत कार्य नये निर्माण कार्य नहीं थे बल्कि विशेष मरम्मत के कार्य थे । इन कार्यों का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के साथ किया था और कई जगहों के प्लास्टर तोड़कर जांचने पर पाया कि इनमें निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है और कार्य संतोषजनक है ।

जांच में कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, अतएव किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा में बाढ़ राहत कार्य न कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री आसान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का एक पत्र विधूना तहसील जनपद इटावा में बाढ़ राहत कार्य न कराये जाने सम्बन्धित दिनांक 16-10-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व मंत्री को यह भी जानकारी है कि मुख्य मंत्री के निर्देशों के उपरान्त भी जिलाधिकारी इटावा ने कोई बाढ़ राहत कार्य विधूना तहसील में नहीं कराया और न ही प्रश्नकर्ता को कोई जानकारी दी गई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इटावा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है ।

जनपद इटावा की तहसील विधूना में जो बाढ़ राहत कार्य कराये गये हैं, उनका विवरण निम्नलिखित है :–

स्थापित बाढ़ चौकिया–18

सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये व्यक्ति–800 माचिस, मिट्टी का तेल, गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय की गयी धनराशि :–

रु0 10,562·50

लगाई गयी नावों की संख्या–3

प्रभावित व्यक्तियों की संख्या–87

गृह अनुदान की धनराशि
रु0 2,60,00,00

मृत व्यक्तियों की संख्या-19

अनुग्रह अनुदान की धनराशि
रु0 95,000,00

मृत पशुओं की संख्या-8

रु0 2,300.00

श्री एस0 एन0 सिंह कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड अयोध्या फैजाबाद के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच तथा प्रोन्नति का औचित्य

9–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के 2रे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0–157 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 एन0 सिंह कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड अयोध्या फैजाबाद के विरुद्ध 16 आरोपों की जांच किस अधिकारी से कराई गई, कौन-कौन आरोप सत्य पाए गये ? शिकायतकर्ता तथा साक्ष्यों से पूछताछ हेतु तथा तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ? यदि हां, तो पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गम्भीर आरोपों की जांच पूरी हुए बगैर ही उन्हें प्रोन्नत कर दिया गया है और प्रोन्नत कर उन्हें डिवीजन कमाण्डेण्ट तथा फैजाबाद का भी कमाण्डेण्ट का चार्ज दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है?

जेल एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री (श्री भान पाल सिंह)–

श्री एस0 एन0 सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच तत्कालीन मंडलीय कमाण्डेन्ट, होम गार्डस, फैजाबाद, श्री राम लौटन द्वारा करायी गयी थी । जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 4, 5 व 13 के संबंध में विशेष सम्परीक्षा कराने तथा आरोप संख्या 10 व 11 के संबंध में संबंधित लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की थी। शेष आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये थे ।

शिकायतकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया गया था परन्तु निर्धारित तिथि को 12 बजे तक उनके न आने पर जांच अधिकारी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोरखपुर चले गये थे । जांच रिपोर्ट माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं । श्री एस0 एन0 सिंह को नियमानुसार उनकी ज्येष्ठता एवं उपर्युक्तता के आधार पर मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होम गार्ड्स के पद पर प्रोन्नत किया गया है। जांच में उनके विरुद्ध कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये थे जिनके आधार पर उनकी प्रोन्नति नियमानुसार बाधित होती । फैजाबाद मंडल में रिक्ति होने के कारण उन्हें मंडलीय कमाण्डेन्ट, फैजाबाद नियुक्त किया गया था । वह जिला कमाण्डेन्ट, फैजाबाद के पद का भी कार्य अतिरिक्त रूप से देख रहे हैं क्योंकि वहां कोई जिला कमाण्डेन्ट अभी तक भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

श्री सिंह ने मण्डलीय कमाण्डेन्ट, फैजाबाद के पद कर कार्यभार दिनांक 5-7-1988 को ही ग्रहण किया है । उक्त पद पर उनकी कार्य अवधि तीन वर्ष पूरी नहीं हुई है । अतः उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी की मांग

10–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना-जहूराबाद तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर अंतर्गत ग्राम बंका, शिउरा रसुलपुर सतना फरीदनपुर, बहादुरगंज एवं सवना की चकबन्दी कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11–श्री राम आसरे वर्मा–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद मथुरा की वृन्दावन कोतवाली में बम फेके जाने के सम्बन्ध में श्री गोकुल प्रसाद द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद मथुरा की वृन्दावन कोतवाली में दिनांक 4-5-88 को बम फेंकने से सम्बन्धित एक रिपोर्ट श्री गोकुल प्रसाद द्वारा दर्ज कराई गई और उसमें प्रमोद वगैरह को नामजद किया गया ? यदि हां, तो नामजद मुल्जिमों को अब तक गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि प्रमोद वगैरह जो उक्त मामले में नामजद हैं, का अपराधिक इतिहास रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि इस अपराधी गिरोह की सुरक्षा में पुलिस गार्ड भी रखी गई है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

अब तक की विवेचना से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिसके आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सके ।

नामजद अभियुक्तों में से केवल अभियुक्त प्रमोद का पूर्ण अपराधिक इतिहास रहा है, जो संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 215 पर)

राजकीय पालिटेक्निक, गाजीपुर के भवन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

13–श्री अमिताभ अनिल दूबे–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर राजकीय पालिटेक्निक के भवन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। राजकीय पालीटेक्निक गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु भूमिअधिग्रहण के लिए अधिसूचना संख्याः 1787/प्रा0 शि0-3-88-29-(बी)/78 दिनांक 17 अगस्त 1988 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3215/प्रा0 शि0-3-88-29 (बी)/79 दिनांक 26-12-88 द्वारा जारी कर दी गई है ।

श्री सत्येन्द्र अवस्थी एडवोकेट को जालौन थाने में गिरफ्तारी तथा उनकी पिटाई विषयक पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

14–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 7 जून, 1987 को श्री सत्येन्द्र अवस्थी, एडवोकेट की गिरफ्तारी के बाद कोंच (जालौन) थाने में उनकी की गई पिटाई आदि के संबंध में श्री अवस्थी द्वारा की गई शिकायत की जो जांच क्षेत्राधिकारी (श्री रविशंकर मिश्रा) ने की थी, इस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार क्षेत्राधिकारी की जांच से निरीक्षक, कोंच, श्री अनार सिंह द्वारा श्री सत्येन्द्र अवस्थी, एडवोकेट व श्री केसरीमल तरसौलिया को धारा 151/107/166 सी0 आर0 पी0 सी0 में गिरफ्तार कर न्यायालय में हथकड़ी लगाकर भेजने की कार्यवाही अविवेकपूर्ण पायी गई, जिसके सम्बन्ध में उन्हें व्यक्तिगत पत्रावली पर भविष्य में सचेष्ट रहने के लिए चेतावनी प्रदान की गई।

जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं है।

15–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या तथा इनको स्थाई करने की मांग

16–श्री फूल सिंह सैदाई–

क्या मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर गत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या बताने का कष्ट करेंगे? ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को प्रवर वर्ग सहायक के सैकड़ों स्थायी पदों के उपलब्ध होने के बावजूद भी अभी तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं? इन अस्थायी कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर गत तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या 301 है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–669/82 में पारित अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त कर्मियों को स्थाई किये जाने में विवशता है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में निःसंवर्गीय स्थायी व अस्थाई प्रवर वर्ग सहायकों के पदों की संख्या एवं निःसंवर्गीय पदों का चयन

17–श्री फूल सिंह सैदाई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर वदेश सचिवालय में 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पदों में संवर्गीय एवं निःसंवर्गीय स्थायी व अस्थायी तथा अस्थगित पदों की संख्या अलग-अलग क्या है ? संवर्गीय पदों के होते हुए निःसंवर्गीय पदों का सृजन किन कारणों से किया गया है तथा निःसंवर्गीय पदों को बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या प्रवर वर्ग सहायक के संवर्ग में प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पद भी सम्मिलित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 30 नवम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के संवर्गीय, निःसंवर्गीय, स्थाई, अस्थाई तथा आस्थगित पदों की संख्या क्रमशः 1355, 20, 1218, 157 तथा 32 थी । निः संवर्गीय पदों का सृजन प्रायः सेवा निवृत्त कार्मिकों को पुनर्योजित किये जाने के लिए किया जाता है । प्रवर वर्ग सहायक के संवर्ग में प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पद भी सम्मिलित हैं ।

18–श्री फूल सिंह सैदाई–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा भर्ती कर्मियों की संख्या

19–श्री फूल सिंह सैदाई तथा श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत कर्मियों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की प्रतिचयन वर्ष के अनुसार अलग-अलग संख्या क्या है ? विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को आयोग द्वारा उन्हें जिस वर्ष की रिक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है उसके अनुसार उनकी वर्षवार अलग-अलग संख्या क्या है ? स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कर्मियों की उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग संख्या क्या है तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न अत्यन्त विस्तृत है ।

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत गैर अनुमोदित कर्मियों से प्रोन्नति में अपनाया गया मापदण्ड

20—श्री फूल सिंह सौदाई तथा श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर वर्ष 1978 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उक्त पदों पर कार्यरत गैर-अनुमोदित कर्मियों की कुल संख्या कितनी थी ? इन गैर-अनुमोदित कर्मियों की प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति में कौन सा मापदण्ड अपनाया गया था ? क्या यह सत्य है कि अनुवर्ती अवधि में प्रवर सहायक के पदों पर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर भी उक्त पदों पर कार्यरत गैर-अनुमोदित कर्मियों को कभी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया और वे कर्मी अनवरत रूप से आज भी उन पदों पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त गैर-अनुमोदित कर्मचारियों की प्रवर वर्ग सहायक के पद पर अनवरत रूप से कार्यरत रहने की सबसे लम्बी अवधि कितने वर्षों की है और ऐसे गैर-अनुमोदित कर्मचारियों को प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर किन कारणों से अब तक कार्यरत बनाये रखा गया है ? दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत गैर-अनुमोदित कर्मचारियों की संख्या उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग कितनी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न अत्यन्त विस्तृत है ।

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उभाव थाना, बेल्थरा रोड, जनपद बलिया में सामूहिक बलात्कार की घटना विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

21—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के उभाव थाना अन्तर्गत बेल्थरा रोड में सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच में विलम्ब से मुकदमा दर्ज करने तथा साक्ष्य छिपाने की गरज से डाक्टरी जांच विलम्ब से कराने एवं रक्त रंजित कपड़े को धुलवाकर साक्ष्य मिटवाने के साथ-साथ अपराधियों को संरक्षण देने सम्बन्धी मामले में आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित लड़की के भाई श्री शशि-कांत गुप्ता के पत्र दिनांक 11-8-88 के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र सं0—सी0 एम0, वि0 को0 एम0-1-व/172-40/88 दिनांक अगस्त, 26-1-88 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी है, पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए किन्तु दो पुलिस आरक्षियों का आचरण संदिग्ध पाया गया अतः उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है । प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत कराए गए अभियोग अंतर्गत धारा 376/342/323/504/506 भा0 दं0 वि0 में विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

22–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

23–कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री राम दुलारे, ग्राम जोगिनवा, जनपद वाराणसी की हत्या के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

24–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद वाराणसी के अंतर्गत थाना गोपीगंज के गांव जोगिनिका के निवासी श्री राम दुलार सिंह की हत्या 1987 में की गयी तथा धारा 304 से पुनः 302 में मुकदमा संशोधित किया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित हत्याकाण्ड में नामजद अभियुक्त कौन-कौन थे और उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राम दुलार सिंह साकिन उपरौठ, थाना औराई, जनपद वाराणसी की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना गोपीगंज में दिनांक 22-2-87 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 279-304-ए भा0 दं0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जो बाद में धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । उक्त अभियोग में लाल साहब मिश्र, विजय कुमार मिश्र, राज कुमार मिश्र व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति नामजद थे । विवेचनोपरांत उक्त अभियोग में साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई ।

मथुरा जनपद के कतिपय थानों में फर्नीचर व्यवस्था

25–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के थाना सुरीर मांट नौहझील, शेरगढ़ में स्टाफ व जनता के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की भारी कमी है ? यदि हां, तो शासन कब तक उक्त थानों में फर्नीचर की उचित व्यवस्था करेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं । प्रात सूचना के अनुसार प्रश्नगत थानों में फर्नीचर की व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार ही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद में यात्रियों को डूबने से बचाने हेतु रिवर पुलिस एवं नाव की मांग

26–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद एक धार्मिक स्थान है जहां आये दिन बड़े-बड़े मेला व यमुना जमुना स्नान के पर्व होते रहते हैं ? ऐसे अवसरों पर प्रतिवर्ष जमुना के यात्रियों के डूबने की घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था हेतु मथुरा के लिए पुलिस अधीक्षक मथुरा ने शासन से रिवर पुलिस व नाव की व्यवस्था की मांग की है ? यदि हां, तो रिवर पुलिस की व्यवस्था मथुरा में कराने पर शासन, विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया गया किन्तु प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसे अस्वीकृत कर दिया गया ।

मथुरा जनपद के चौकियों हेतु पुलिस फोर्स बढ़ाने की मांग

27–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में पुलिस की बीस चौकियां कार्य कर रही हैं जिन पर पुलिस फोर्स की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक मथुरा ने उक्त चौकियों के लिए पुलिस फोर्स बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उक्त चौकियों के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्से देने पर शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद/मथुरा में 35 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं, जिन पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है ।

उक्त चौकियों के लिए पुलिस फोर्स बढ़ाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद व शासन को नहीं भेजा गया है ।

थानाध्यक्ष हजारा जनपद पीलीभीत के श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच

28–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री व गृह राज्य मंत्री को संबोधित, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को पृष्ठांकित श्री कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम–पो0-मोरनियां गांधीनगर कालोनी नं0–3 (सम्पूर्णानगर) थाना हजारा जनपद-पीलीभीत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-88 जो थाना स्थानीय के थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के स्थानान्तरण जनशिकायतों की उच्च स्तरीय जांच व जांचोपरांत दण्ड दिये जाने के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । जांच से थानाध्यक्ष हजारा जनपद पीलीभीत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा मकान पंजीयन तथा जीप निर्माण हेतु बैंक से निकाले धन विषयक पत्र पर जांच

29–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1976 में आयुक्त बिक्रीकर ने मकानों के पंजीयन फीस व जीप के निर्माण हेतु रुपया बैंक से निकाला था जिसकी जांच के लिए प्रश्नकर्ता ने पत्र सं0–1339, मुख्य मंत्री को भेजा था जो उनके कार्यालय में दिनांक 19-10-84 को प्राप्त हुआ था और पत्र संख्या–4098 सचिव संस्थागत वित्त को भेजा था, जो उनके कार्यालय में 20-12-86 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय सदस्य का पत्र संख्या 1339 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । पत्र संख्या–4098 के संदर्भ में बिक्रीकर आयुक्त से आख्या प्राप्त की जा रही है ।

30–श्री राज किशोर सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिलाधिकारी गोरखपुर की सरकारी कार द्वारा दिल्ली यात्रा

31–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में जून माह से लेकर नवम्बर, 1988 तक जिलाधिकारी, गोरखपुर ने सरकारी कार से कितनी बार दिल्ली यात्रा की है और इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत अवधि में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सरकारी कार से दिल्ली की कोई यात्रा नहीं की गयी है ।

जनपद उन्नाव तथा पुरवा विधान सभा क्षेत्र में जनकल्याण विषयक फिल्म शो कार्यक्रमों की संख्या

32–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से मेलों आदि में जब कल्याण विषयक फिल्म शो आदि कराने के कार्यक्रम निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कैलेन्डर वर्ष, 1988 में कितने फिल्म शो उन्नाव जिले में हुए ? कितने विधान सभा क्षेत्र पुरवा में हुए हैं ?

नगर विकास, सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

जी नहीं ।

कैलेण्डर वर्ष 1980 में उन्नाव जिले में 54 फिल्म शो किये गये ।

विधान सभा क्षेत्र पुरवा में तीन फिल्म शो हुये ।

क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, आगरा के भवन की मरम्मत तथा भवन की खरीद खारिज दाखिल की कार्यवाही

33–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री के संज्ञान में है कि आगरा जैसे भारत के ख्याति प्राप्त नगर और पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात ताज नगरी का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय जो 64 ताज रोड आगरा पर स्थापित है, का भवन पूर्णतः जीर्णशीर्ण और गिरने की स्थिति में है ? यदि हां, तो उसके भवन की मरम्मत तथा रख-रखाव की कोई व्यवस्था शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह भवन विभाग द्वारा कब खरीदा गया, उसका दाखिल खारिज हुआ अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब ? और नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या कार्यालय की भूमि तथा भवन पर सरकारी राजस्व अभिलेखों में पर्यटन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है ? यदि हां, तो छावनी क्षेत्र में यह कैसे सम्भव हुआ और यदि नहीं, तो भूमि व भवन क्रय किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री गुलाब सिंह–

जी हां ।

मरम्मत आदि के प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है । कथित भवन 22-4-1980 को क्रय किया गया था । चूंकि कथित भवन/भूमि आगरा छावनी में स्थित है अतः राजस्व विभाग के अभिलेखों में पर्यटन विभाग का स्वामित्व होने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा इसका क्रय विभाग के हित में किया गया था ।

वाराणसी जनपद के एक हनुमान मंदिर को सुरक्षा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

34–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी रोडवेज बस स्टेशन और के0 राय प्राइवेट लिमिटेड (फैक्ट्री) के बीच से होकर जाने वाली सड़क के अन्त में हाता नं0 एस 14/74-7अ पर प्राचीन हनुमान मंदिर एवं सार्वजनिक अखाड़ा स्थित है ? यदि हां, तो क्या पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अंतर्गत यह मंदिर पंजीकृत है ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति वाराणसी ने अपने पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1988 द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी से इस हनुमान मंदिर एवं उसमें स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है ? यदि हां, तो संबंधित मंदिर एवं मूर्ति को सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की

गयी है ? क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय नागरिकों की ओर से दिनांक 22-10-88 को उनके पास कोई पत्र भेजा गया है जिसमें हनुमान मंदिर एवं मूर्ति की सुरक्षा के साथ पूजा, पाठ एवं दर्शनार्थ मंदिर को खोलने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार मकान सं0 एस 14/74-7 अ में मंदिर अथवा सार्वजनिक अखाड़ा स्थित नहीं है बल्कि हनुमान जी की मात्र एक छोटी मूर्ति रखी है । प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में श्री गणेश खटिक एवं श्रीमती अजीजुन्निशां पत्नी मो0 शमी के बीच एक वाद न्यायालय में चला था । न्यायालय से अजीजुन्निशां के पक्ष में निर्णय हो चुका है ।

हनुमान जी की यह मूर्ति पंजीकृत है । रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति विभाग द्वारा सुरक्षा की मांग की गई है ।

उपरोक्त मूर्ति की सुरक्षा हेतु नहीं अपितु साम्प्रदायिकता की रोक-थाम हेतु गार्ड लगाई गई है ।

दिनांक 22-10-88 को क्षेत्रीय नागरिकों का कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती तथा प्रमोशन द्वारा कार्यरत उप पुलिस अधीक्षकों की संख्या तथा अधीक्षक के पद पर प्रमोशन की मांग

35–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 दिसम्बर 1988 को कितने उप पुलिस अधीक्षक सीधी भर्ती वाले और कितने उप पुलिस अधीक्षक प्रमोशन द्वारा कार्यरत हैं ? सीधी भर्ती वाले कितने उप पुलिस अधीक्षक प्रमोशन पाकर अब पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या शासन सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों के पद पर लम्बे समय से कार्य कर रहे इन अधिकारियों में प्रमोशन न मिलने के कारण व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन में कुछ प्रतिशत आरक्षण इन अधिकारियों के लिए करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 दिसम्बर, 1988 को सीधी भर्ती के 293 तथा प्रमोशन द्वारा 533 उप पुलिस अधीक्षक कार्यरत थे । इस समय सीधी भरती के 37 पुलिस उपाधीक्षक प्रमोशन पाकर पुलिस अधीक्षक के पद पर राज्य में कार्यकर रहे हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि सीधी भरती के पुलिस उपाधीक्षकों में प्रमोशन पाकर 12 अधिकारी इस समय राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक तथा 2 अधिकारी राज्य के बाहर पुलिस अधीक्षक अथवा उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं । भारत सरकार द्वारा उप पुलिस अधीक्षकों को पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ कार्य पर तथा केन्द्रीय प्रति-नियुक्ति के पदों के निमत्त योग का 33-1/3 प्रतिशत का प्रावधान पहले से निमत है तो 94 हैं । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस निरीक्षकों की संख्या एवं आवासीय सुविधा

36–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान में कितने पुलिस निरीक्षक नियुक्त हैं ? क्या इनके आवास के लिए विभाग द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह निरीक्षक फ्री आवास सुविधा पाने के पात्र हैं ? यदि हां, तो क्या इनको आवास के लिए कोई किराया प्रतिमाह दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना तथा क्या इस महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सतर्कता विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत आवासीय भवन उपलब्ध नहीं हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षकों को कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, नैनीताल व मंसूरी में न्यूनतम 250 रुपये तथा अधिकतम 400 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है । जिला मुख्यालय के अन्य नगरों या ढ़ाई लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में न्यूनतम 150 रुपये तथा अधिकतम 250 रुपये प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है । इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वाराणसी सेवापुरी मार्ग हेतु भूमि अध्याप्ति विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

37–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सेवापुरी मार्ग हेतु वाराणसी जनपद के ग्राम मडुवाडीह स्थित नर्सरी की जमीन, कुंआ आदि की अध्याप्ति के एवार्ड दिनांक 19-1-73 तथा भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी व उनके पेशकार तथा जिलाधिकारी, वाराणसी के बारे में श्री बृज मोहन नाथ पुत्र श्री भोला नाथ नि0 ग्राम मडुवाडीह परगना हवेली अमानत वाराणसी का शिकायती पत्र दिनांक 9-12-87 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच करके शिकायतकर्ता की परेशानियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 9-12-1987 का न होकर दिनांक 10-12-1987 का है, जो प्राप्त हुआ है । चूंकि प्रार्थी ने प्रश्न में उल्लिखित अपनी अधिग्रहीत भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का प्रतिकर भुगतान, राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके प्राप्त कर लिया है । अतः प्रार्थी का रिफरेन्स निग्रसानुसार न्यायालय में भेजना संभव नहीं है । प्रार्थी यदि चाहे तो प्रश्नगत अभिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय में स्वयं वाद दाखिल कर सकता है ।

ग्राम तालगांव, परगना रुदौली जनपद बाराबंकी के पुनः सर्वे एवं पैमाईश कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

38–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें ग्राम तालगांव परगना रुदौली तहसील राम सनेही घाट बाराबंकी में पुनः सर्वे एवं पैमाइश कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-10-88 को प्राप्त हो गया है जिसकी प्राप्ति की सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या–421/बी0 आई0पी0/एम0 आर0/8, दिनांक 7-10-88 द्वारा आयुक्त चकबन्दी को पृष्ठांकित की गयी है ? यदि हां, तो अनियमितताओं के बिन्दु क्या थे तथा उनके परीक्षणोपरान्त विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? क्या अनियमितताओं का सुधार कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसके दोषी कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

आख्या प्रतीक्षित है ।

ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली जनपद बाराबंकी की चकबन्दी हेतु प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

39–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री राम खेलावन व अन्य निवासी ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली, जनपद बाराबंकी का चक-बन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत नक्शा दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा माह दिसम्बर, 1988 में जिला अधिकारी एवं उपसंचालक चकबन्दी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुखलाल पुत्र बचू आदि जनपद बाराबंकी की सुरक्षा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भ संख्या–817 तथा सन्दर्भ संख्या-977 उपसंचालक चकबन्दी बाराबंकी के क्रमशः आदेश दिनांक 8-9-88 तथा दिनांक 18-9-88 के अनुसार सभी कागजी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उपयुक्त आदेश के अनुपालन में मौके पर भी पैमाइश करके प्रश्नगत रकबा संबंधित काश्तकारों को दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम तिपरा तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ के जलाये गये भू-राजस्व अभिलेखों को पुनः तैयार कर सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने विषयक कार्यवाही

41–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा तिपरा के भू राजस्व अभिलेखों को साजिसन कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा वर्ष 1978 में जला दिया गया था जिससे उक्त गांव के भूराजस्व अभिलेख अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों एकड़ ग्राम समाज की भूमि सार्वजनिक भूमि का गांव के सरकश लोगों तथा भूमिचोरों द्वारा जबरिया कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी ग्राम समाज की भूमि पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? कब तक अवैध कब्जा की भूमि, भूमिहीनों में वितरित कर राजस्व अभिलेख तैयार कर लिए जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

यह सही नहीं है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा तिपरा के भू-अभिलेखों को साजिशन कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा वर्ष 1978 में जला दिया गया था । वास्तव में संबंधित लेखपाल के यहां दिनांक 8-8-83 को पड़ी डकैती में अन्य सामानों के साथ भू-अभिलेख भी लूट लिया गया था । भू-अभिलेखों को पुनः तैयार करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति मांगी गयी है ।

अभिलेखों के अभाव में गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में सही विवरण उपलब्ध नहीं हैं । पुराने अभिलेखों के आधार पर विवरण तैयार कर अवैध कब्जों को समाप्त करने और गांव सभा की भूमि को नियमानुसार पात्र व्यक्तियों में आवंटन के लिए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं । भू-अभिलेखों के पुनर्निर्माण के लिए भी आवश्यक निर्देश भेजे जा रहे हैं ।

ग्राम चिरैयाकोट मेहनाजपुर सम्पर्क मार्ग हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

42–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में स्थित ग्राम चिरैयाकोट मेहनाजपुर सम्पर्क मार्ग में किसानों की अधिगृहीत जमीनों का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक किसानों को उनकी अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत योजना में 8 ग्रामों की कुल 16.407 एकड़ भूमि अधिगृहीत करके प्रभावित काश्तकारों को कुल मूल्य 1,67,478.85 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

तहसीलदार सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

43–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18-5-88 जो तहसीलदार सगड़ी, आजमगढ़ के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित है और जिसकी प्राप्ति उनके पत्र सं0-1567/वी0 आई0 पी0/88 , दिनांक 24 मई, 88 द्वारा स्वीकार की गयी है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? संलग्न शिकायती पत्र में किन-किन बिन्दुओं की जांच किसके द्वारा कब करायी गयी ? शिकायतकर्ता से जांच कार्यवाही में पूछताछ की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

शिकायती पत्र के सभी बिन्दुओं पर परगनाधिकारी सगड़ी से जांच कराई गई । जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 30-12-1988 के अनुसार आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में यह कहा है कि शिकायती प्रार्थना-पत्र में शिकायतकर्ता का पता न अंकित होने के कारण उनको सुनना सम्भव न हो सका ।

44–श्री मित्रसेन–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री आर0 के0 पाण्डेय बन्दोबस्त अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध आरोपों की जांच की कार्यवाही

45–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन राजस्व मंत्री के पत्रांक संख्या–157/वी0 आई0 पी0-88, दिनांक 7-7-88 के तारतम्य में शासन द्वारा संयुक्त सचिव श्री एम0 पी0 जैन के पत्रांक–15/21/88-841–राजस्व–8 दिनांक 26 जुलाई, 1988 द्वारा आदेश हुआ था कि अपर आयुक्त चकबन्दी स्वयं बहराइच जाकर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी श्री आर0 के0 पाण्डेय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच-कर दो सप्ताह में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करें ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो शासन की आज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में अपर आयुक्त चकबन्दी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच श्री तिलकराज शर्मा संयुक्त संचालक चकबन्दी मुख्यालय द्वारा की गई जिसे अपर आयुक्त चकबन्दी के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया । जांच पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय कर्मचारियों का अनुशासनहीनता, सरकारी कार्य में उदासीनता, अवांछनीय कार्य एवं आचरण आदि के कारण प्रशासनिक आधार पर जनहित में स्थानान्तरण किया गया था व कार्यवाही की गयी थी । इस पर उन्होंने आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया व शिकायतें की तथा जिलाधिकारी को गुमराह कर हस्ताक्षर कराकर फर्जी समझौता प्रस्तुत किया ।

शासन ने जांच में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई, अतः अपर आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबू लाल अस्थायी लेखपाल, ट्वास सेवानिवृत्त के पश्चात् पेंशन की मांग

46–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूलाल लेखपाल, तहसील मोहन लाल गंज, जिला लखनऊ से जुलाई, 1969 में सेवानिवृत्त हुए ? यदि हां, तो क्या सही है कि फरवरी, 1988 तक श्री बाबूलाल तत्कालीन लेखपाल को पेंशन भुगतान नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने श्री बाबूलाल लेखपाल के पेंशन भुगतान कराने के लिए माह जनवरी, 1986 में आदेश दिया था ? यदि हां, तो मा0 मुख्य मंत्री के आदेश का अब तक पालन न होने के क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार श्री बाबूलाल की पेंशन भुगतान कराने तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबूलाल अस्थाई लेखपाल थे जिन्हें पेंशन देय नहीं है, अतः पेंशन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है और किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

बिक्रीकर अधिकारी खण्ड–1 अलीगढ़ के कार्यालय में चोरी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

47–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–134 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या–548 मुख्य मंत्री जी को तारीख 28-5-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गयी । जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि चोरी हुए 300 फार्म बिक्रीकर अधिकारी खण्ड–1 अलीगढ़ के कार्यालय कक्ष में उनकी अल्मारी में रखे गये थे अल्मारी की चाबी उन्हीं के पास थी चोरी होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल जांच चौकियों को फार्मों का दुरुपयोग रोकने हेतु सूचित किया गया था । चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने तक चोरी हुए फार्मों का दुरुपयोग प्रकाश में नहीं आया था अतएव राजस्व की हानि का बतलाया जाना सम्भव न था ।

मेरठ बिक्रीकर कार्यालय की जीप दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच

48–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या–41 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या–547 मुख्य मंत्री जी को तारीख 28-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी गई । जांचोपरान्त दुर्घटना के लिए किसी विभागीय कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया ।

दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई थी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है ।

49–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

50–श्रीमती उमा त्रिपाठी–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

51–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बाढ़ से त्रस्त लोगों को राहत विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

52–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि बाढ़ से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-8-88 प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति की सूचना प्रश्नकर्ता को मंत्री जी के पत्र दिनांक 29-8-88 द्वारा दी गई है तथा जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु राहत आयुक्त उ0 प्र0 को भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक पीड़ित लोगों को क्या राहत दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

इस संबंध में जिलाधिकारी बलिया को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु बलिया जनपद को रु0 22.05 लाख का आवंटन किया गया है ।

गन्ना समिति सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

53–श्री नंगाराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कब से सेवारत हैं व ऐसे कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जा रहा है एवं अब तक नियमित न किए जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

गन्ना समिति सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी में तृतीय श्रेणी के तेरह तथा चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं जिनमें तृतीय श्रेणी के तीन कर्मचारी जनवरी 1983 से, एक कर्मचारी नवम्बर 1985 से तीन कर्मचारी जनवरी, 1986 से तथा छह कर्मचारी फरवरी 1986 से और चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी जनवरी 1985 से तथा एक कर्मचारी 1987 से कार्य पर लगाये गये । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवसहाय सिंह एडवोकेट मौरनियां गांधीनगर कालोनी, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत का स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादती विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

54–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय पुलिस ज्यादती से संबंधित श्री शिवसहाय सिंह, एडवोकेट निवासी मौरनियां गांधीनगर कालोनी नं0–3, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-1-88 जो पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को सम्बोधित व पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, मुख्य सचिव, गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री को पृष्ठांकित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । जांच से शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं ।

55–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उन्नाव जनपद में बाढ़ के समय लगाये गये नाविकों के किराए का भुगतान

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष गंगा नदी उन्नाव में बाढ़ के समय नाविकों की नावें कार्य हेतु लगाई गई थीं ? यदि हां, तो उनका किराया/मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ ऐसे भी नाविक हैं जिन्हें पूर्ण भुगतान न करके आधा भुगतान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर नाविकों को मजदूरी/किराया सम्पूर्ण भुगतान कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

नाविकों के किराए/मजदूरी के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया है ।

शेष धनराशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बस्ती में राजस्व संग्रह योजना में कृषि विभाग के कार्यरत सीजनल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्त चैनमैनों के पदों पर नियुक्ति की मांग

57–श्री सरजू प्रसाद सरोज–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में राजस्व संग्रह योजना में अनेकों ऐसे कृषि विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी हैं जो अभी तक सीजनल रूप में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं ? क्या यह सच है कि इस समय उक्त जनपद में चैनमैनों की लगभग 15 जगहें रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर सीजनल रूप से कार्यरत उक्त कर्मचारियों को नियमित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद बस्ती के राजस्व संग्रह योजना में चतुर्थ श्रेणी पद पर सीजनल/स्थानापन्न संग्रह चपरासी के रूप में कृषि विभाग के भूतपूर्व 22 चपरासी कार्यरत हैं ।

इस समय चैनमैनों के 15 नहीं अपितु 11 पद रिक्त हैं जिनमें नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर की रिक्तियां भी शामिल हैं । समूह "घ" कर्मचारी सेवा भर्ती नियमावली, 1986 में छटनीशुदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के चयन में महत्व दिए जाने का प्राविधान है । चैनमैन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के समय उक्त सीजनल रूप से कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जरवल रोड शुगर मिल के कुछ कर्मचारियों का गबन के आरोप में निलम्बन

58–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड शुगर मिल (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन) के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या संबंधित कर्मचारियों को चीनी निगम द्वारा निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी अधिकारी खेतासराय, जनपद जौनपुर को मेहरावा ग्राम के चक न काटने के आदेश

59–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के मेहरावां ग्राम में उपसंचालक चकबन्दी ने भूदान समिति के पट्टाधारियों के प्रार्थना-पत्र पर 17 फरवरी, 1983 को मेहरावां ग्राम के चक न काटने का आदेश चकबन्दी अधिकारी, खेतासराय को दिया था, क्या उसका पालन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिव किशोर पाण्डेय पत्रकार महोबा, जनपद हमीरपुर को उत्पीड़ित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

60–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का श्री शिव किशोर पाण्डेय, पत्रकार महोबा को जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के संबंध में, दिनांक 2 दिसम्बर, 87 का संलग्नक सहित, मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां ।

श्री शिव किशोर पाण्डेय, प्रतिनिधि हिन्दुस्तान समाचार संवाद समिति को प्रेस मान्यता कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है ।

61–श्री कनक सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्रीमती किरन पुत्री श्री पंचम दास मवइंया, लखनऊ का दहेज के कारण उत्पीड़न विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

62–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती किरन पुत्री श्री पंचम दास निवासी–291/356 बी, मवइंया, लखनऊ का प्रार्थना पत्र दिनांक 7-12-1988 सदस्य, विधान सभा श्री राम सेवक तथा श्री शारदानन्द अंचल के उपरिपत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जो उसकी ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण परेशान करने तथा जान से मारने की कोशिश किये जाने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो क्या उस पत्र की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी पाये गये लोगों को अब तक दण्डित न करने के क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच महिला सहायता प्रकोष्ठ, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है, जो प्रचलित है।

ग्राम सभा मानापार बहोरिया, तह0 अतरौला, जनपद गोण्डा में जमीन का आवंटन तथा जांच

63–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मानापार बहोरिया, परगना व तहसील अतरौला, जनपद गोण्डा के भूमिहीन हरिजनों एवं गरीब वर्ग के पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि आवंटन न कर फर्जी नसबन्दी के आधार पर कुपात्रों एवं बड़े लोगों को सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि का अवैध आवंटन वर्ष 1985-86, 87-88 में बड़े पैमाने पर कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

संदर्भाधीन वर्षों में कृषि प्रयोजन हेतु प्रश्नगत ग्राम सभा को भूमि का आवंटन पात्रता के आधार पर किया गया है । सीलिंग भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है । फर्जी नसबन्दी के आधार पर कोई भी पट्टा अपात्र व्यक्तियों को नहीं किया गया है ।

इसलिए शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

64–श्री मित्रसेन–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेकों अभिलेखीय प्रमाणों के साथ मा0 श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, एम0 एल0 ए0 का मुख्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 3-8-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

इस संबंध में प्रारम्भिक जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी थी, नियुक्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ।

श्री नन्दराम की हत्या विषयक पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कृत कार्यवाही

65–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनय मोहन मधवाल, संयुक्त सचिव, गृह के अर्ध शा0 प0 सं0 60/71/88 गो0–7 गोपन अनु0–7 लखनऊ दि0 17 मई, 1988 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 26-4-88 जो श्री नन्द राम की हत्या विषयक था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अपराध शाखा द्वारा जांच अभी प्रचलित है ।

कानपुर के डिप्टी कलेक्टर (बिक्रीकर) संग्रह द्वारा एक फर्म के वाहनों को कुर्क करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

66–श्री यदुनाथ सिंह–

दया राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के डिप्टी कलेक्टर (बिक्रीकर) संग्रह ने अशोक नगर, कानपुर स्थित एक फर्म के बकाया के लिए दूसरी फर्म के वाहनों को वर्ष 87 में कुर्क कर लिया और इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 688 सचिव, राजस्व विभाग को ता0 22-6-88 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र संख्या–688 उपलब्ध नहीं है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । मा0 सदस्य से उल्लिखित पत्र की प्रतिलिपि की मांग की गई है।

फर्म माधुरी दास नरायन दास इलाहाबाद पर सेल्स टैक्स के विषय में उच्च न्यायालय के निर्णय विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

67–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दि0 11-11-87 सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 689/1986 फर्म माधुरी दास नरायन दास इलाहाबाद में दिया है और इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 690 मुख्य सचिव को ता0 20-6-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में बिक्रीकर आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । प्रश्नगत मामले में व्यापारी पर मूल कर-निर्धारण आदेश में गलत दर से कर लगाया गया था, जिसे बाद में धारा 21 के अधीन कार्यवाही करके सही दर से कर लगा दिया गया । धारा 21 के अधीन पारित आदेश की पुष्टि प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील में हुई किन्तु उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि धारा 21 की कार्यवाही मत परिवर्तन के आधार पर की गयी थी, व्यापारी का पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया । उच्च न्यायालय का निर्णय उचित नहीं समझा गया और फलतः मामले में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के आदेश जारी कर दिए गये थे । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि कोई राजस्व हानि हुई है और फलतः किसी अधिकारी पर दोष निर्धारण का प्रश्न भी नहीं उठता ।

68–श्री यदुनाथ सिंह–

[7वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण, लखनऊ द्वारा सहायक आयुक्त (अपील) व उपायुक्त (अपील) को अधिकरण के नियंत्रण में करने के प्रस्ताव का निरस्तीकरण

69–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान अध्यक्ष, बिक्री-कर अधिकरण, लखनऊ ने सहायक आयुक्त (अपील) व उपायुक्त (अपील) को अधिकरण के नियंत्रण में करने का प्रस्ताव शासन में भेजा है ? क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 717 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 27-6-88 को व प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 765 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-7-88 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? अध्यक्ष के प्रस्ताव पर शासन का क्या निर्णय हुआ ? सहायक आयुक्त (न्याय) व उपायुक्त (न्याय) को कब तक अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण के नियंत्रण में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है।

जौनपुर जनपद के कतिपय ग्रामों से भूदान समिति को दान में मिली जमीन का ब्योरा

70–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील में बरगांव, सरायख्वाजा, मेहरावां हड़ही, सोनिकपुर, सन्दहा तथा जमदहां गांव में

भूदान समिति को प्रत्येक गांव में कितने-कितने एकड़ जमीन दान में मिली ? क्या दान प्राप्त जमीन पर भूदान समिति का नाम अंकित हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? दान प्राप्त जमीन पर भूदान समिति का नाम कब अंकित होगा ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम बरगांव में 26-66, मेहरांवा में 91-45, हड़ही में 57-73, सोनिकपुर में 37-84, जमदहा में 46-08 अर्थात कुल 259-76 एकड़ भूमि भूदान समिति को दान में मिली थी । ग्राम सरायख्वाजा तथा सन्दहा में भूदान समिति को कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई । उक्त प्राप्त भूमि का नामान्तरण नहीं किया जा सका, क्योंकि भूदान समिति ने ग्रामवार व गाटावार ब्योरा नामान्तरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया । भूदान समिति द्वारा ब्योरा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के बरगांव आदि गांव के लोगों को भूदान समिति का पट्टा एवं पट्टाधारी जमीन पर कब्जा

71–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद, शाहगंज तहसील के ग्राम बरगांव, धोरइल, सरायख्वाजा, मेहरावां, हड़ही सोनिकपुर, सन्दहा तथा जमदहां गांव में कितने लोगों को भूदान समिति का पट्टा दिया गया ? कितने पट्टाधारी जमीन पर कब्जा पा चुके हैं ? जो पट्टाधारी जमीन पर कब्जा नहीं पाये हैं सरकार उन्हें कब तक कब्जा दिलायेगी ? अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री धरमुआ, ग्राम टोड़ी, थाना बार, जनपद ललितपुर का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न, विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

72–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद ललितपुर के थाना बार के अन्तर्गत ग्राम टोड़ी के श्री धरमुआ पुत्र गिरधारी चमार (हरिजन) ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी, ललितपुर को 14-8-88 व 15-9-88 व 4-10-88 व 6-11-88 को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायतें की थीं कि पुलिस द्वारा उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? हरिजन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में श्री धरमुआ पुत्र श्री गिरधारी (हरिजन) निवासी ग्राम टोडी, थाना बार, ललितपुर के प्रार्थना पत्र प्रश्न में संदर्भित मात्र एक

तिथि 15-9-88 एवं क्रमश: दिनांक 4-8-88, 11-8-88, 25-8-88 व 29-8-88 जिला प्रशासन को प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में करायी गयी जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई फिर भी प्रार्थी की शिकायतों को देखते हुए उसकी सुरक्षार्थ विपक्षी रूप सिंह आदि के विरुद्ध धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत एकतरफा कार्यवाही की गयी । प्रार्थी व विपक्षी विजयभान का एक दूसरे के प्रति पेड़ काटने संबंधी एक इश्तगासा न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी धरमुआ के विरुद्ध भी एक चोरी का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी ने अपने लिखित बयान में अंकित किया है कि उसे अब कोई परेशानी नहीं है एवं वह अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहता है । अत: मामले में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

श्री रवीकरण, ग्राम रानीपुर, थाना पहाड़ी, जनपद बांदा के पुत्र की हत्या की जांच, सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की मांग

73–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले के पहाड़ी थाना के ग्राम रानीपुर के मजरा शिव-रतन का पुरवा निवासी रवीकरण पुत्र बहादुर ने 21-5-88 व 28-10-88 को प्रार्थना पत्र देकर गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक व अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायतें की थीं कि उनके पुत्र ओमप्रकाश की हत्या पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से 4-3-88 को कर दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मामले की जांच के लिए सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच की कोई अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि नहीं तो उस संबंध में अभी तक कोई प्रभाव कार्यवाही नही करने के क्या कारण हैं ? जांच रिपोर्ट कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । मामले का चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग से कराया गया । जांच से यह बात प्रकाश में आयी कि ओम प्रकाश व राम प्रसाद जो पुलिस दल के साथ थे , की मृत्यु मुठभेड़ में डकैतो की गोली से हुई है ।

इस संबंध में अ0 सं0 34/88 धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 थाना पहाड़ी पर पंजीकृत हुआ जिसमें सन्तोष , ददुआ, केदार , बछराव, शिवपूजन, फूल उर्फ फुलवा व मुस्तरी उर्फ राममूरत नामांकित अभियुक्त हैं । स्थानीय पुलिस की जांच से भी यही अभियुक्त प्रकाश में आये । उक्त सभी फरार अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 9-3-88 को ही धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है । अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान की जांच अभी प्रचलित है जिसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

74–श्री राम सजीवन–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ में आन्तरिक व बाह्य यात्री बस सेवा हेतु बसों की संख्या

75–श्री काशी सिंह ऐरी–

विधान सभा की कार्यवाही 23 मार्च , 88 को पूछे गये अता0 प्र0 सं0 10 के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में आन्तरिक व वाह्य यात्री बस सेवा के लिए उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम की कुल कितने बसों की आवश्यकता दिनांक 30 नवम्बर, 88 को थी ? इन बसों के आकलन में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? इसी प्रकार जनपद में कच्चे पक्के मार्गों पर यात्री बस की आवश्यकता को जानने के लिए कौन-कौन से मानक अपनाये जाते हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

विधान सभा की कार्यवाही 23 मार्च, 88 को पूछे गये अता0 प्र0 सं0–10 के संदर्भ में अवगत कराया गया था कि धारचूला-पिथौरागढ़-टनकपुर मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना पूर्णरूपेण लागू होने पर पूर्ण मार्ग पर निगम को पर्याप्त सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं ।

टनकपुर क्षेत्र द्वारा फरवरी, 86 एवं जनवरी, 89 में संचालित ट्रिपों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है :–

	फरवरी 1986	जनवरी 1989
1. पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत सचालित सेवायें	2210	2192
2. पिथौरागढ़ जनपद से पड़ोसी जिलों में टनकपूर क्षेत्र द्वारा संचालित सेवायें	1288	2110
3. पिथौरागढ़ जनपद एवं अन्य पर्बतीय स्थलों से मैदानी मुख्य नगरों को जोड़नें वाली सीधी सेवायें	336	580
योग ..	3834	4832

फरवरी, 86 में टनकपुर क्षेत्र से 123 हिल बसें सम्बद्ध थीं जो जनवरी, 89 में बढ़कर 139 हो गयीं । इस प्रकार 16 बसों की वृद्धि की गयी एवं पुरानी बसों को नई बसों से प्रतिस्थापित कर बस बेड़े को सुदृढ़ किया गया है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित सेवाओं के प्रतिफलों को आधार मानकर अग्रिम समय सारिणियां बनायी जाती हैं । साथ ही समय-समय पर जनता एवं जन प्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन से प्राप्त सुझाव आदि के आधार पर सर्वे कराकर समय-सारिणी में परिवर्तन या अतिरिक्त ट्रिपों के विषय में निर्णय लिया जाता है, तद्नुसार ही समय-समय पर अतिरिक्त बसें बढ़ाई जाती है ।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्यतः अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम सेवाओं का संचालन नहीं किया जाता है, परन्तु जनसुविधाओं एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीयकृत मार्गों से जुड़ने वाले अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित मुख्य स्थानों आदि से सीधी यात्रा सुविधा देने के प्रयोजन से परमिट लेकर सेवायें संचालित की जा रही हैं ।

76–श्री राज किशोर सिंह–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्री अब्दुल बारी, भूतपूर्व राजकीय बस चालक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, आजमगढ़ की सेवा समाप्ति

77–श्री राज किशोर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब्दुल वारी, भूतपूर्व राजकीय बस चालक, दिनांक 22-6-78 को दुर्घटना के शिकार हो गये थे, जिसमें उनके दोनों पैर क्षतिग्रस्त होकर बेकार हो गये थे ? इस दुर्घटना के पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक आजमगढ़ के पत्र संख्या–क्षे0 प्र0/आजमगढ़/स्थापना-781 दिनांक 23-12-78 द्वारा पैसेन्जर गाइड की हल्की ड्यूटी पर उन्हें कार्यरत किया गया पुनः क्षेत्रीय प्रबन्धक के आजमगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या–क्षे0 प्र0 8 (आजमगढ़) स्थापना 121 (85) 3006 दिनांक 11-6-85 द्वारा श्री अब्दुल बारी को दोहरीघाट डिपो में ड्यूटी आफिस में स्थानान्तरित कर दिया गया और दोनों ही स्थानों पर वह सुचारु रूप से अपना कार्य करते रहे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री जी0 बी0 भारती क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ के पत्र 2598 (आज0) क्षे0 प्र0 स्थापना 87 दिनांक 19-8-87 द्वारा श्री अब्दुल वारी की सेवायें समाप्त कर दी गईं जबकि चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें चालक के अलावा अन्य कार्य के लिए उपयुक्त घोषित किया जा चुका था ? यदि हां, तो क्या श्री बारी के अनुचित सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर उन्हें उपर्युक्त कार्य पर लगाये जाने का शासन द्वारा निर्देश जारी करने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

जी हां ।

आदेश सं0-स0 क्षे0 प्र0/आजमगढ़/स्था0/121/85/3006, दि0 11-6-85 द्वारा श्री बारी को दोहरीघाट डिपो में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा श्री बारी उसी प्रकार का कार्य करते रहे ।

श्री जी0 पी0 भारती, क्षे0 प्र0, आजमगढ़ द्वारा श्री अब्दुल बारी की सेवायें समाप्त कर दी गयी । यह भी सत्य है कि सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें चालक के अलावा अन्य कार्य के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था ।

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में हुई भीषण बस दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन ने बस चालकों का नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण तुरन्त कराने का निर्णय लिया । सेवा नियमावली 81 (अधिकारियों से भिन्न) के नियम–17 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अक्षम पाये गये चालकों की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार निगम प्रशासन को प्रदत्त है । ऐसी स्थिति में जो चालक चिकित्साधिकारी द्वारा परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये, उन चालकों को सेवा से उपरोक्तानुसार हटा दिया गया । तदनुसार श्री बारी की सेवा समाप्ति का आदेश अनुचित नहीं था ।

श्री अब्दुल बारी की सेवाएं दिनांक 19-8-87 को समाप्त की गयी थीं । श्री बारी ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध याचिका शून्य/87-अब्दुल बारी बनाम परिवहन निगम मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया था । मा0 उच्च न्यायालय ने श्री बारी को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश जारी किया । फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्री बारी को क्षतिपूर्ति के रूप में रु0 3,417.90 पैसा का भुगतान कर दिया गया है ।

अतर्रा नगर तथा लखनऊ के मध्य बस चलाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

78–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-10-86 को प्रेषित पत्र जो जनपद के अतर्रा नगर तथा लखनऊ के मध्य लखनऊ में 5 बजे शाम को अतर्रा के लिए रोडवेज की बस चलाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और कब से शाम को 5 बजे, लखनऊ से अतर्रा बस चलने लगेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

उपरोक्त पत्र में प्रातः 5 बजे अतर्रा से लखनऊ के लिए तथा शाम को 5 बजे लखनऊ से अतर्रा के लिए बस चलाने का अनुरोध किया गया है । उपरोक्तानुसार बस चलाने का सुझाव निगम द्वारा व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

लखनऊ से अतर्रा सेवा का संचालन समय लगभग 8 घन्टे का होगा । सायंकाल 5 बजे लखनऊ से बस चलाये जाने पर सेवा रात्रि 1 बजे अतर्रा पहुंचेगी, जो व्यावहारिक नहीं होगा ।

बांदा-अतर्रा के मध्य प्रतिदिन 16 फेरे तथा बांदा-लखनऊ के मध्य प्रतिदिन 3 अप-3 डाउन फेरे संचालित हैं । इस प्रकार अतर्रा से लखनऊ के यात्रियों को बांदा से लिंक सेवा की सुविधा उपलब्ध है ।

ग्राम रौली (कल्यानपुर) जनपद बांदा में बस स्टाप खोलने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

79–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री छोटे लाल तिवारी, ग्राम प्रधान रौली (कल्यानपुर) तहसील नरैनी, जनपद बांदा का पत्र दिनांक

13 नवम्बर, 86 जो ग्राम रौली कल्यानपुर में बस स्टाफ खोलने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम रौली (कल्यानपुर) में बस स्टाफ खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

रौली (कल्यानपुर) स्थान बांदा कर्वी–इलाहाबाद मार्ग पर स्थित है । यह स्थान सभी पैसेन्जर गाड़ियों का फेयर स्टाप है तथा बसें वहां रुककर यात्री उतारती/चढ़ाती हैं । निगम की सभी शटल सेवाओं को रौली में रोकने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कर दिए गये हैं ।

रौली पूर्व से फेयर स्टाफ है अतएव प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद में कुल बसों एवं खराब पड़ी बसों की संख्या तथा उसका निस्तारण

80–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में बांदा डिपो में कुल कितने परिवहन निगम की बसें हैं, उनमें से कितनी बसें ऐसी हैं जो खराब पड़ी हैं जो चलने के काबिल नहीं है और कितनी बसें रोड पर चल रही हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खराब पड़ी बसों का कब तक निस्तारण हो जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

वर्तमान में बांदा डिपो से 23 बसें सम्बद्ध हैं ।

इनमें से एक बस नीलाम हेतु खड़ी कर दी गई हैं, 3 बसें (एलेन फारेस्ट कार्यशाला) कानपुर में रिनोवेशन हेतु भेजी गई हैं तथा एक बस क्षेत्रीय कार्यशाला में एक लाख किमी0 स्तर पर मेन्टीनेन्स हेतु है । शेष 78 बसों में से 8 बसें दैनिक मरम्मत हेतु कार्यशाला में हैं ।

मरम्मत हेतु खड़ी इन समस्त बसों को माह मार्च में मरम्मत के उपरान्त आन रोड करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री बद्री धोबी, ग्राम दहिनी, थाना बदौसा, जिला बांदा की हत्या तथा इनके आश्रितों की सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता की मांग

81–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले में थाना बदौसा के अन्तर्गत ग्राम दहिनी में बद्री धोबी (हरिजन) की हत्या 26-7-88 को हो गई थी जिसकी रिपोर्ट 27-7-88 को बदौसा थाने में कर दी गई थी ? रिपोर्ट में कितने मुलजिम थे ? उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण न किये जाने का क्या कारण था ? मृतक के परिवारजनों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किये गये ? उत्पीड़ित हरिजन परिवार के आश्रितों को प्रशासन की ओर से क्या और कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार मृतक के पुत्र श्री होरी लाल की दिनांक 27-7-88 की सूचना पर थाना बदौसा में मु0 अ0 सं0 196/88 अन्तर्गत धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध 1–घनश्याम पुत्र महयादीन, 2–हनुमान पुत्र ददुली, 3–लखन पुत्र देवीदीन, 4–शिवकुमार पुत्र ददुली, 5–राम सजीवन आरख, 6–चुनवाद पुत्र राम सिया, 7–सन्ता पुत्र राम अधार निवासीगण ग्राम दहिनी थाना बदौसा पंजीकृत किया गया ।

सातों अभियुक्तों ने घटना के एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया । विवेचना से सातों नामजद अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध होने पर दिनांक 18-8-88 को न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा गया । मामला न्यायालय में विचाराधीन है । पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं मृतक के परिवारजनों की सुरक्षा के लिये पुलिस गश्त तेज कर दी गयी एवं थानाध्यक्ष को भी कड़े निर्देश दिये गये । मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिये कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री उमाकान्त मिश्र नायब नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट बस्ती के विरुद्ध अंकित अपराध एवं उनका निलम्बन

82–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नायब नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट बस्ती के पद पर कार्यरत श्री उमाकान्त मिश्र के विरुद्ध धारा 498(ए) के अन्तर्गत कोई अपराध अंकित है ? जिसमें सी0 जी0 एम0 कलेक्ट्रेट, बस्ती न्यायालय से निलम्बन के आदेश पारित हुए हैं ? यदि हां, तो उसके परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां, श्री उमाकांत मिश्र के विरुद्ध धारा–498 (ए) भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत है परन्तु सी0 जे0 एम0 बस्ती के न्यायालय द्वारा उनके निलम्बन का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है बल्कि इस आशय का सुझाव उनके पत्र दिनांक 27-8-87 में किया गया है जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की राय लेने पर यह पाया गया कि धारा 498 (ए) के अंतर्गत अपराध केवल स्त्री के उत्पीड़न से संबंधित है और इसके साथ धारा 302 या 304, भा0 दं0 वि0 का अपराध सम्मिलित नहीं है । श्री मिश्र जेल भी नहीं गये अतएव उन्हें निलंबित किया जाना नियमानुसार न्यायोचित नहीं पाया गया ।

83–श्री मित्रसेन–

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सेवा निवृत्त श्री लईक अहमद, हेड कान्सटेबिल की पत्नी को पेंशन भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

84–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री लईक अहमद 1967 में हेड कानिस्टेबिल के पद से सेवा निवृत्त हुए और शासनादेश दि0 18-4-87 के अन्तर्गत उनकी पत्नी श्रीमती खलीमुन निशा पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं ? क्या इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां सं0 519 मुख्य मंत्री कार्यालय में ता0 23-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

श्री लईक अहमद वर्ष 1967 में जनपद देवरिया से हैड कान्स0 के पद से सेवानिवृत हुए और उनकी मृत्यु दिनांक 13-12-76 को हो गई । स्व0 अहमद की पत्नी श्रीमती खलीमुन निशा को 60/- प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतानादेश पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा जारी किया जा चुका है ।

सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का प्रश्नगत पत्र शासन को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति जांच हेतु पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय को भेजी गई । चूंकि मामले की जांच महालेखाकार के स्तर से की जानी है अतः पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा उसे महालेखाकार को भेज दिया गया ।

वित्त बिक्रीकर जांच चौकी कोटवन मथुरा में गोदाम निर्माण की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वित्त बिक्रीकर जांच चौकी कोटवन मथुरा में स्वीकृति से पूर्व गोदाम के निर्माण की जांच के लिए सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 566 मुख्य सचिव को ता0 8-9-87 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय विधायक का पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती तह0 हरैया के कतिपय व्यक्तियों के भूमि पट्टे का प्रस्ताव तथा प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियां

86–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बडोरिया बाबू तथा सिकन्दरपुर तह0 हरैया, जनपद बस्ती के श्री दुर्गा प्रसाद, सूर्य प्रसाद व रामदेव के नाम से आवासीय पट्टा

भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 21-6-87 को प्रस्ताव पारित करके लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से तहसीलदार हरैया को भेजा है और तहसीलदार हरैया ने अपनी संस्तुति के साथ परगनाधिकारी हरैया को अनुमोदन हेतु दिनांक 7-8-87 को भेजा है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने उक्त पट्टे पर किन-किन तारीखों में कौन-कौन सी आपत्तियां लगायीं ? सभी प्रकार की आपत्तियां परगनाधिकारी द्वारा एक साथ न लगाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

पट्टे के प्रस्ताव पर दिनांक 13-8-87 को आवन्टियों की पात्रता के सम्बन्ध में तथा 12-1-88 को उनके भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य होने के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी थी । एक बार में सभी बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त न होने के कारण पुनः पृच्छा करनी पड़ी ।

87–श्री शारदा नन्द अंचल–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के आवास के चारों ओर लगी कृषि योग्य भूमि से आय/आमदनी के विवरण की मांग

88–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निवास के साथ लगी चारो ओर कृषि योग्य भूमि कितनी है एवं उस पर होने वाली आय/आमदनी को सरकारी खजाने में जमा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के निवास के साथ चारों ओर लगी भूमि में लगभग 20 एकड़ कृषि योग्य है । मकान मालिक द्वारा बंगला तथा उससे सम्बद्ध भूमि पुलिस अधीक्षक को किराये पर दी गयी है । चूंकि बंगले के साथ भूमि सम्बद्ध है और पुलिस अधीक्षक द्वारा बंगले का किराया दिया जाता है अतः इस भूमि से होने वाली आय/आमदनी सरकारी खजाने में जमा नहीं की जाती है ।

ब्यांही बिजहरी डूने मथुरा के लिए अधिगृहित भूमि व मुआवजा

89–श्री सरदार सिंह–

विधान सभा के 88 के प्रथम सत्र के पहले शुक्रवार के तारा0 प्रश्न सं0 5 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिकर विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि के बाजार भाव निर्धारित किया जायेगा अथवा विस्थापितों को प्रतिकर दिये जाने वाली तारीख के बाजार भाव से ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-23 में प्राविधान है कि अध्याप्त भूमि का प्रतिकर धारा–4 (1) की विज्ञप्ति के दिनांक के बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जायेगा ।

ग्राम भिटहा तप्पा फिदाईपुर, तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण

90—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भिटहा तप्पा फिदाईपुर, परगना महूली पूरब, तहसील-खलीलाबाद जिला-बस्ती में ग्राम सभा भूमि नं0 33 पर गोमती प्रसाद चतुर्वेदी आदि द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया है ? क्या गोमती प्रसाद चतुर्वेदी पर जुर्माने आदि की जो रकम लगाई गई थी, वसूल कर ली गई तथा उनको उक्त भूमि नं0 से बेदखल करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत भूमि नं0 33 पर श्री गोमती प्रसाद चतुर्वेदी आदि द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया था ।

जिलाधिकारी न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण जुर्माने की रकम वसूल नहीं की जा सकी है परन्तु उन्हें उक्त भूमि नम्बर से बेदखल कर दिया गया है ।

91-92—श्री यदुनाथ सिंह—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सूचना निदेशालय द्वारा छापी जाने वाली साप्ताहिक पत्रिकाओं का विलम्ब से छपना एवं डाक टिकट पर व्यय विवरण

93—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना निदेशालय द्वारा कौन-कौन सी मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें छापी जाती हैं? क्या वे समय से छप रही हैं ? क्या यह सही है कि ये पत्रिकायें वर्षों से बराबर देर से छप रही हैं और इस देरी के कारण भारी धनराशि डाक टिकट के रूप में देनी पड़ रही है ? यदि हां, तो कितना धन डाक टिकट के रूप में अधिक व्यय वर्ष 1986-87, 1987-88 में किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र—

सूचना निदेशालय द्वारा तीन मासिक पत्रिकायें :—

1—उत्तर प्रदेश (हिन्दी)

2—उत्तर प्रदेश मासिक समाचार दर्शन (हिन्दी)

3—नया दौर (उर्दू) छपाई जाती है । कोई पाक्षिक, साप्ताहिक पत्र-पत्रिका नहीं छपवायी जाती ।

प्रश्नगत पत्रिकायें कुछ कारणवश विलम्ब से छप रही थीं परन्तु अब इनका प्रकाशन लगभग समय से होने लगा है । साथ ही यह निर्देश दे दिये गये है कि इनका प्रकाशन सही समय से हो और यथा सम्भव समय से डिस्पैच भी कर दिया जाय ।

वर्ष 1986-87, 1987-88 में शासन को डाक टिकट के रूप में प्रश्नगत मासिक पत्रिकाओं पर किये गये अधिक डाक टिकट व्यय का विवरण निम्नवत है:-

	1986-87	1987-88
1-उ0 प्र0 मासिक हिन्दी	37,572·21	50,028·59
2-उ0 प्र0 मासिक समाचार दर्शन हिन्दी	2,734·95	906·20
3-नया दौर उर्दू मासिक	32,696·61	50,527·56

चीनी निगम की जरबलरोड इकाई में कार्यरत दैनिक मजदूरों को नियमित करने की मांग

94-श्री उमेश्वर प्रताप सिंह-

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम की जरबल रोड इकाई में कितने मजदूर विगत पांच वर्षों से दैनिक मजदूरी पर, कार्य कर रहे हैं ? उनको अब तक नियमित न किये जाने का क्या कारण है तथा इस प्रकार के मजदूरों की संख्या कितनी है तथा उनकी मजदूरी की दर क्या है ? क्या उ0 प्र0 शासन के उपरोक्त मजदूरों को अब तक नियमित न किये जाने पर चीनी निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

शून्य

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी

95-श्री उमेश्वर प्रताप सिंह-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के कर्नलगंज एवं तरबगंज तहसील के ग्राम पसका एवम् सौनौली मुहम्मदपुर को चकबन्दी योजना के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद-

जी नहीं । उक्त दोनों ग्रामों के अभिलेख पंचसाला बन्दोवस्त के अन्तर्गत थे । अब चकबन्दी प्रसार हेतु आंकड़े तैयार कराने का कार्य हस्तगत है जिसके पूरा हो जाने पर ही चकबन्दी सम्भव है ।

रुदौली जनपद बाराबंकी के कतिपय व्यक्तियों के चकों की पैमाइश की मांग

96—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमनी पुत्र राम सुन्दर तथा श्री चन्द्रिका व श्री राजेन्द्र पुत्रगण रामबली आदि के चक की पैमाइश किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 5/6-8-88 चकबन्दी अधिकारी रुदौली तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 17-11-88 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी बाराबंकी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

स्थल पर चकों की पुनः नाप कराई गई । चकों के रकबे में कमी पाई गई । इसकी दुरुस्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

एटा जनपद में राहत कार्य में विलम्ब हेतु दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

97—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राहत सहायता वितरण में हुए विलम्ब के लिए कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक कौन सी विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद—

राहत सहायता वितरण में विभिन्न स्तरों पर हुए विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई । विभागीय कार्यवाही में सर्व श्री लाला राम व रघुनाथ प्रसाद भू-लेख निरीक्षकों को घटनाओं की जांच में अनावश्यक विलम्ब करने तथा श्री राम सिंह नायब तहसीलदार को राहत वितरित कर अभिलेख कार्यालय में विलम्ब से प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया दण्ड स्वरूप उन समस्त कर्मचारियों की भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की गई । तत्कालीन तहसीलदार पटियाली श्री बृजेन्द्र कुमार यादव को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर शिथिल नियंत्रण के कारण लिखित चेतावनी दी गई है ।

जनपद गोण्डा हेतु प्रस्तावित चचरी का कार्य प्रारम्भ करने की मांग

98—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के लिए प्रस्तावित थाना चचरी का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ होने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला सहतगी—

जनपद गोण्डा के ग्राम चचरी में थाना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पुलिस महा-निरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकेगा ।

जनपद गोण्डा के ग्राम पसका में पुलिस चौकी खोलने की मांग

99—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के ग्राम पसका सूकर क्षेत्र जहां तीर्थ स्थल हैं और वहां पर्यटक सदैव आते रहते हैं वहां पर नियमित पुलिस चौकी कायम करने का शासन का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

गोण्डा जनपद के ग्राम पसका में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

100—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री आदि कुमार जैन जनपद बाराबंकी के सीलिंग की कार्यवाही हेतु विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

101—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में श्री आदि कुमार जैन पुत्र श्री पाटनदीन के मामले में सीलिंग की कार्यवाही वर्ष 1981 में की जानी थी किन्तु अब तक सीलिंग की कार्यवाही नहीं की गयी? लगभग 7 वर्ष तक इस प्रकरण को दबाये रहने के पीछे कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या मामले में विस्तृत जांच की जायेगी तथा दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर शासन विचार करेगा?

श्री माता प्रसाद—

प्रकरण में सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। सीलिंग पत्रावली न बनाये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये लेखपाल सर्वश्री जगदीश प्रसाद, श्री हामिद अली, गुलाब चन्द्र तथा तत्कालीन भू-लेख निरीक्षक श्री राम प्रसाद, श्री मनोहर लाल तथा वर्तमान भू-लेख निरीक्षक श्री गिरीश मोहन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

कोषाधिकारी हरदोई द्वारा बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मानदेय का वितरण

102—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कोषाधिकारी हरदोई द्वारा वित्तीय वर्ष 87-88 का मानदेय बिना जिलाधिकारी की अनुमति के दिनांक 21-5-88 को अनियमित रूप से वितरित किया गया और इस सम्बन्ध में कार्यालय के संघ के शिकायती पत्र पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पास कोई जांच दिनांक 20-6-88 तक लम्बित है? यदि हां, तो जांच कराकर कोषाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वित्तीय वर्ष 1987-88 में वितरित मानदेय के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। भूतपूर्व कोषाधिकारी द्वारा कुछ अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। तत्कालीन कोषाधिकारी से सभी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण ग्रहनगत मामले में अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा जांच पूर्ण नहीं हो पायी है। अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करने तथा जांच के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील है।

ग्राम गोपालपुर जनपद सुल्तानपुर को थाना चांदा से हटाकर थाना लम्भुआ अन्तर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

103–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कुछ दिनों पूर्व मा0 सदस्यों द्वारा कोई पत्र गोपालपुर मधैया ग्राम सभा जनपद सुल्तानपुर को थाना चांदा से बदलकर लम्भुआ थाना अन्तर्गत जनता के हितों को देखते हुए गजट किये जाने के लिए शासन व प्रशासन से अनुरोध किया था? यदि हां, तो ग्राम सभा गोपालपुर मधैया को, थाना चांदा, सुल्तानपुर के स्थान पर गोपालपुर मधैया, थाना लम्भुआ (पूर्ववत) गजट कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त आदेश सरकार द्वारा कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

ग्राम गोपालपुर जनपद सुल्तानपुर को थाना चांदा से हटाकर थाना लम्भुआ के अन्तर्गत किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है और इसकी अधिसूचना जारी किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

104–श्री मित्रसेन–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

राज्य अर्थ एवं नियोजन संस्था प्रभाग लखनऊ द्वारा क्लर्क/टाईपिस्ट पद हेतु ली गयी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने की मांग

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि राज्य अर्थ एवं नियोजन संस्था प्रभाग, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा क्लर्क/टाईपिस्ट पद पर भर्ती हेतु एक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 6 जुलाई, 1988 को आयोजित की गई थी? यदि हां, तो अभी तक परिणाम घोषित न किये जाने के क्या कारण है तथा कब तक परिणाम घोषित करके इनकी नियुक्ति कर दी जायेगी?

नियोजन मंत्री (श्री रघुबीर सिंह यादव)–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्था, उ0 प्र0 में क्लर्क/टाईपिस्ट के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार दिनांक 6 से 10 जून, 15 से 18 जून व 27 जून, 1988 को आयोजित हुई थी एवं श्रेष्ठता के आधार पर चयन करके प्रभाग में रिक्त कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभाग के कार्यालय स्मृति पत्र संख्या–3440/जी-31/86, दिनांक 6 जुलाई, 1988 द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी हैं।

106–श्री आसान सिंह–

[दि0 8-3-89 को अता0 प्र0 सं0 69 द्वारा उत्तरित]

उप रजिस्ट्रार पद हेतु चयन में मुख्यालय सम्वर्ग में कार्यरत लिपिकों की आरक्षण नीति का अनुपालन

107–श्री जवाहर सिंह यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 एस0 आर0 4785/दस-22(1)/1984 दिनांक 20-9-86 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा उप रजिस्ट्रार के पदों पर चयन में छः प्रतिशत पद मुख्यालय सम्वर्ग में कार्यरत लिपिकों को आरक्षित करने की नीति का अनुपालन किया गया है? यदि हां, तो अब तक इस संवर्ग से चयनित कितने उप रजिस्ट्रार को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उपरोक्त विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-88 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। मुख्यालय सम्वर्ग के ग्यारह सहायकों/आशुलिपिकों को उप निबन्धक पद पर अभी तक प्रोन्नत किया जा चुका है।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 21-12-88 प्राप्त हुआ था। मुख्यालय के पांच सहायकों/आशुलिपिकों के चयनोपरांत उप निबन्धक के पद पर अस्थाई/स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति के आदेश दिनांक 24-2-89 को निर्गत किये जा चुके हैं।

108–109–श्री धनराज यादव–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री अहतराम ग्राम जिकारिया थाना टाण्डा, फैजाबाद पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो जाने पर मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग

110–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री एहतशाम पुत्र श्री मो0 जिकारिया, मु0 भोजीपुर, नगर पालिका टाण्डा, थाना टाण्डा फैजाबाद द्वारा टाण्डा नगर में 24-11-86 को पुलिस फायरिंग में एकराम का पुत्र अहतराम घायल हो गया था, जिसकी मृत्यु बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में दिनांक 9-12-86 को हो गयी ? क्या यह सही है कि मृतक के आश्रितों के एक प्रार्थना-पत्र आर्थिक सहायता पाने हेतु रजि0 डा0 सं0–1182 दिनांक 22-12-86 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को भेजा है? यदि हां, तो प्राप्त पत्र के आधार पर मृतक के आश्रितों को 30,000 हजार रुपया की आर्थिक सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला राहतगी–

जी हां।

जी नहीं, परन्तु प्रभारी निरीक्षक टाण्डा ने व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्रश्नगत पत्र की प्रति प्राप्त कर ली है जिसके अनुसार आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री जय करन कुर्मी ग्राम कन्नुपुर पठिया थाना जलालपुर, तहसील अकबरपुर, फैजाबाद की पेंशन हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

111–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जय करन कुर्मी पुत्र श्री हरख, ग्राम कन्नूपुर पठिया, थाना जलालपुर तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद को जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1941 में गिरफ्तार कर जेल गये और 3 माह की सजा भी भुगत चुके हैं को पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उन्हें पेंशन देने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर कब तक पेंशन भुगतान किया जायेगा?

श्री मान पाल सिंह–

जी नहीं। श्री जय करन कुर्मी का राज्य पेंशन हेतु एक पत्र दिनांक 23-2-89 शासन को प्राप्त हुआ परन्तु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र तथा सजा के सम्बन्ध में अभिलेखीय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। वह उनसे मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बिक्रीकर कार्यालय इलाहाबाद में दाखिल फर्जी चालानों के बारे में जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

112–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0–151 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? क्या पूरी धनराशि मय ब्याज के जमा करा ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? इन करदाताओं के ऊपर कितना अर्थदण्ड लगाया गया है? कितना वसूल हुआ है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सम्बन्धित दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है। उत्तरदायित्व पाये जाने की स्थित में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जांच के दौरान पंजीयन, नवीनीकरण की धनराशि फर्जी चालानों से जमा करने के 429 मामले और अपील शुल्क जमा करने के 20 मामले पाये गये थे, जिसमें से 27 मामलों में कोषागार से बाद में सत्यापन हो जाने के कारण फर्जी चालान जमा करने के कुल 422 मामले रह गये हैं। उनमें से 281 मामलों में 32750.00 रुपया पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क तथा 47409.00 रुपया विलम्ब शुल्क जमा करा लिया गया है। 122 मामलों में पंजीयन/नवीनीकरण और 4 मामलों में अपीलें स्वीकार कर दी गयी है। केवल 3 मामलों में फर्जी चालानों के आधार पर जारी किये गये पंजीयन/नवीनीकरण को निरस्त करने हेतु व्यापारियों को नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है, और 12 मामलों में फर्जी चालानों के आधार पर दायर अपीलों के लिए व्यापारियों को यह नोटिस दी गयी है, कि क्यों न उनकी अपीलें निरस्त कर दी जाए। अपील शुल्क और पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में ब्याज का प्राविधान न होने के कारण उसे जमा नहीं कराया गया है।

अर्थदण्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

सिटी मान्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड लखनऊ द्वारा आयात माल की जांच

113–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि स्टेशन रोड लखनऊ में स्थित सिटी माण्टेसरी स्कूल ने वर्ष 1983-84 से 1987-88 तक बिक्रीकर कार्यालय से फार्म 32 प्राप्त करके माल आयात किया है? यदि हां, तो कौन-कौन सा माल आयात किया? क्या यह सही है कि स्कूल ने आयातित माल को बच्चों को बेच दिया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या स्कूल के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

कम्प्यूटर, कागज, टाई पीसेज, बेल्ट पीसेज, टेबिल्स, स्कूल मिनी बस, व बनियाइन।

जांच की जा रही है।

जांच चल रही है, यदि स्कूल दोषी पाया गया तो अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

खाद्य नियंत्रक, मेरठ पर आरोपित बिक्रीकर की ब्याज सहित वापसी की मांग

114–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि खाद्य नियंत्रक मेरठ पर वर्ष 1975-76 में 19,87,070.71 रुपया बिक्रीकर आरोपित किया गया था और लखनऊ के सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिक्रीकर-3 ने अपने पत्र संख्या–355 दिनांक 25-10-86 से रु0 50,738.36 ब्याज की मांग की? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कर-दाता ने रु0 33,268.25 वापसी के लिए आवेदन पत्र दिया है? यदि हां, तो ब्याज की मांग किस आधार पर निकाली गई? तथा गलत मांग निकालने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या अधिक जमा किया गया धन मय ब्याज के वापिस कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

115–श्री यदुनाथ सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सचिव, गन्ना सहकारी समिति बस्ती पर दर्ज मुकदमा

116–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना सहकारी समिति बस्ती के सचिव ने एक मुकदमा थाना कोतवाली में अपराध संख्या–221 सन् 1988 में कायम कराया है? यदि हां, तो दिसम्बर, 1988 तक कौन-कौन लोग गिरफ्तार किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां।

चूंकि एफ0 आई0 आर0 डाक द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर अंकित की गई थी, जिसमें किसी को नामजद नहीं किया गया और न ही वादी द्वारा ही अपना नाम व पता अंकित किया गया था। विवेचक द्वारा प्रयास के बावजूद अभियुक्तों की जानकारी न हो पाने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

थानाध्यक्ष उतरांव, जनपद इलाहाबाद द्वारा अवैध निर्माण कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

117–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोतिहां, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत थानाध्यक्ष उतरांव द्वारा रुपया लेकर अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 15 नवम्बर, 88 को जिलाधिकारी इलाहाबाद से शिकायत की थी जिस पर जिलाधिकारी ने अति0 जिलाधिकारी ग्रामीण से जांच करायी थी और प्रभावी कार्यवाही न होने के परिणामस्वरूप प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 8 दिसम्बर, 1988 को शासन को (मा0 मुख्य मंत्री जी को) दिया था? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम मोतिहा, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र की जांच अति0 जिलाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र) से करायी गयी। जांच में थानाध्यक्ष उतरांव के विरुद्ध रुपया लेकर अवैध निर्माण कराये जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई किन्तु इस प्रकरण में थानाध्यक्ष उतरांव की उदासीनता परिलक्षित हुई परिणामस्वरूप उन्हें स्थानान्तरित करके थाना दारा, इलाहाबाद पर तैनात कर दिया गया है। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-12-88 पर जांच करायी जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र, ग्राम बांसपार थाना घुघली जनपद गोरखपुर द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट की जांच

118–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के थाना घुघली अन्तर्गत गांव बांसपार के श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र ने 21-11-88 को रात में 10.30 बजे थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसकी जांच के लिए रवानगी पर गया सिपाही 22-11-88 को आया लेकिन मात्र रात के 1.30 ही बिना जांच किये तथा घटना की जानकारी प्राप्त किये थानाध्यक्ष ने अंतिम रिपोर्ट लगा दिया? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर में महराजगंज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव

119–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में महाराजगंज को भी नया जिला बनाने का निर्णय शासन ने ले लिया है? यदि हां, तो इस नये जिले में गोरखपुर एवं देवरिया जिले की कौन-कौन सी न्याय पंचायतें/ब्लाक शरीक किये जायेंगे?

श्री माता प्रसाद–

गोरखपुर जिले को विभाजित कर एक नया जिला महराजगंज बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है। प्रस्तावित जिले में किन तहसीलों को शामिल किया जायेगा तथा इसका मुख्यालय कहां होगा, इस सम्बन्ध में आयुक्त गोरखपुर मण्डल से आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर सृजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ओपियम फैक्ट्री, गाजीपुर द्वारा हो रहे प्रदूषण के निवारण हेतु कृत कार्यवाही

120–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या पर्यावरण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में ओपियम फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है? यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्र को इस प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उद्योग के पास शुद्धिकरण व्यवस्था न होने के फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की जल सहमति अस्वीकार की गई तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही भी की गई।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उद्योग को बन्द करने हेतु नोटिस भारत सरकार द्वारा जारी किये गये।

लागू नहीं होता।

गन्ना समिति सम्पूर्णानगर लखीमपुर खीरी में कार्यरत चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा नियमित करने की मांग

121–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में कुल कितने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कब से दैनिक वेतन पर सेवारत हैं? उक्त कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

गन्ना समिति सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी में तृतीय श्रेणी के तेरह तथा चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं जिनमें तृतीय श्रेणी के तीन कर्मचारी जनवरी, 1983 से, एक कर्मचारी नवम्बर 1985 से, तीन कर्मचारी जनवरी 1986 से तथा छह कर्मचारी फरवरी 1986 से और चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी जनवरी 1985 से तथा एक कर्मचारी 1987 से कार्य पर लगाये गये। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम दमरास एवं ग्राम सिरसा कलार जनपद जालौन में नया थाना खोलने की स्वीकृति

122–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम दमराज के नाम से वर्ष 1986-87 में थाना खोले जाने की स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनता की सुविधाओं एवं अन्य उपयुक्ताओं को देखते हुए सिरसा कलार में स्थानीय सांसद एवं विधायक द्वारा थाने का उद्घाटन किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा सिरसा कलार में ही थाने की स्वीकृति हेतु लिखा गया तथा माडीफिकेशन हेतु प्रस्ताव भी भेजा गया? यदि हां, तो 40 गांवों की जनता के हितों को नजरदाज करते हुए दमराज में ही थाना खोले जाने पर विचार किये जाने का औचित्य क्या है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जनपद जालौन में ग्राम दमराज नहीं बल्कि ग्राम दमरास के नाम से वर्ष 1986-87 में थाना खोले जाने की स्वीकृति दी गई थी।

थाना दमरास की स्वीकृति के उपरान्त जनता की सुविधाओं एवं अन्य उपयुक्तताओं को देखते हुए ग्राम दमरास के बजाय ग्राम सिरसा कलार में थाना खोले जाने के आदेश दिनांक 13-1-88 को निर्गत कर दिये गये थे।

श्री बच्चूलाल सुपरवाइजर कानूनगों उन्नाव तहसील पुरवा के चिकित्सकीय अवकाश का वेतन

123–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बच्चू लाल सुपर वाइजर कानूनगो उन्नाव जनपद की तहसील पुरवा में 1975 से 1978 तक कार्यरत रहने के बाद 4-7-78 से 22-9-79 तक चिकित्सा अवकाश पर चले गये? यदि हां, तो इस चिकित्सा अवकाश के दौरान का वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं और वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद–

श्री बच्चू लाल जो स्थानीय व्यवस्था में वर्ष 1975 से दिनांक 10-7-78 तक स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर कार्यरत रहे, लेखपाल के मूल पद पर अपने प्रत्यावर्तन की सूचना प्राप्त कर चिकित्सा अवकाश पर चले गये। उनके द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रार्थना-पत्रों पर उन्हें अधीक्षक राजकीय चिकित्सालय से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निर्देशित किया गया परन्तु स्वास्थ्य परीक्षणोपरान्त उन्होंने आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में अवकाश की स्वीकृति तथा वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

ग्राम महुआ तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद की सीलिंग भूमि पर चल रहा अवैध ईंट भट्ठा

124–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम महुआ परगना खण्डासा तहसील बीकापुर फैजाबाद की सीलिंग भूमि पर अनाधिकृत ईंट भट्ठा चल रहा है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम महुआ परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में चल रहा ईंट भट्ठा सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि पर नहीं है।

डी0 आई0 जी0 परिक्षेत्र फैजाबाद को सम्बोधित, असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमले विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्र0 सं0–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 30 अगस्त, 87 के प्राणघातक हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किन-किन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है? तीन माह के अन्दर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाने के सम्बन्ध में दिए गए आदेश पालन में विलम्ब किये जाने का क्या कारण है? उपरोक्त अपेक्षित कार्यवाही समय से सुनिश्चित न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

अपराध शाखा की जांच से नामजद अभियुक्तों में से माता बक्स सिंह, रन बहादुर सिंह व कल्लू सिंह के विरूद्ध धारा 307/34 भा0 द0 वि0 का अपराध बनना पाया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा इनके विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16-12-88 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

यह एक पेंचीदा मामला था जिसमें कुछ लोगों पर हत्या के षड़यंत्र का आरोप लगाया गया था। अतः अपराध शाखा द्वारा इसकी गहराई से छानबीन किया जाना आवश्यक था। इस कारण तीन माह से अधिक समय लगा है।

थानाध्यक्ष कुमार गंज फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच

126–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नियाज खां पुत्र गुलाम मो0 ग्राम रानिकपुर थाना कुमारगंज फैजाबाद को पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को दिनांक 30 मार्च, 88 को भेजा गया तार जो थानाध्यक्ष कुमारगंज के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

जांच से ज्ञात हुआ कि नियाज खां थाना कुमारगंज का मजरिया हिस्ट्रीशीटर नं0-59ए है एवं वर्ष 1975 से अब तक इसके विरुद्ध हत्या, डकैती एवं अन्य भा0 द0 वि0 के पांच अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं । मु0 अ0 सं0 158/85 धारा 452/323/504 भा0 द0 वि0 के अभियोग में न्यायालय से एक वर्ष आर0 आई0 की सजा भी भुगत चुका है । पुलिस से बचने के लिये शिकायती टेलीग्राम पेशबन्दी में दिया है । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (कादीपुर) जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही

127–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (कादीपुर) के विरुद्ध अधिवक्ता संघ, अध्यक्ष प्रधान संघ और अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने उनके भ्रष्टाचार और धांधली के गम्भीर आरोप लगाए हैं ? यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है और आरोपित अधिकारी के विरुद्ध किस रूप में जांच कराई गई है और जांच के आधार पर अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

अंकित शिकायती पत्रों में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कादीपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार, मुकदमों को शीघ्र निस्तारित न करने, कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में पैसा लेने, पैसा लेकर अनियमित नियुक्ति करने आदि के आरोप लगाये गये हैं तथा इनके स्थानान्तरण की मांग की गई है ।

उक्त शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा कराई गई । जांच में कई आरोप सत्यापित न हो सके किन्तु कुछ पाई गई अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उचित कार्यवाही हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है ।

ग्राम आऊ तहसील नरैनी जनपद बांदा के ग्राम समाज की जमीन का हरिजनों को पट्टा करने की मांग

128—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम आऊ में कितने भूमिहीन हरिजनों की अभी तक भूमि का पट्टा नहीं हुआ तथा ग्राम समाज की सीलिंग से प्राप्त कितनी जमीन है जो भूमिहीन हरिजनों को आवंटन के लिये शेष है ? क्या जांच करके भूमिहीन हरिजनों को भूमि का पट्टा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत ग्राम में उपलब्ध सीलिंग की 13.93 एकड़ व ग्राम सभा की 11.60 एकड़ भूमि में से क्रमशः 13.93 एकड़ सीलिंग भूमि 15 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को (अनुसूचित जाति) तथा 11.60 एकड़ गांव सभा भूमि में से 9.71 एकड़ भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूर (अनुसूचित जाति) को एवं 1.89 एकड़ भूमि 2 अन्य जाति के भूमिहीनों को आवंटित की जा चुकी है । गांव में सीलिंग तथा गांव सभा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है । इस कारण शेष 31 भूमिहीन खेतिहर मजदूर (अनुसूचित जाति) को आवंटन नहीं किया जा सका है ।

अपर जिला अधिकारी सिविल सप्लाई गाजियाबाद में सरकार बनाम ओम प्रकाश, मुकदमें सम्बन्धी पत्रावली से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने की जांच की मांग विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

129—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री वेद प्रकाश त्यागी पुत्र श्री नत्थू सिंह त्यागी निवासी ग्राम थल इनायतपुर जनपद बुलन्दशहर का अपर जिला अधिकारी सिविल सप्लाई गाजियाबाद में सरकार बनाम ओम प्रकाश सीलिंग के चल रहे मुकदमों से सम्बन्धित पत्रावली से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 7 मई, सन् 1987 का पत्र प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्न में उल्लिखित गृह मंत्री को प्रस्तुत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है परन्तु इसी आशय का जिलाधिकारी गाजियाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में उल्लिखत मामलों की जांच जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा किये जाने के पश्चात् शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः इस प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

चकबन्दी लेखपाल ग्राम उसुरी जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

130–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तपेश्वरी मल्ल एडवोकेट ग्राम उसुरी (सुल्तानपुर बारह गांवा) परगना नत्थूपुर तहसील धोसी जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) के ग्राम में चकबन्दी लेखपाल द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करके अवैधानिक ढंग से ग्राम की भूमि हड़पने विषयक राजस्व मंत्री को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-9-88 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी ने की । किसके-किसके बयान लिए गए तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ ने दिनांक 24-2-89 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में की । सर्वश्री तपेश्वरी मल्ल, एडवोकेट (शिकायतकर्ता) गुरु नरायन पाण्डे, एडवोकेट तथा रामाश्रय मल्ल, एडवोकेट के बयान लिए गए । जांच में लेखपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप कागजात के आधार पर निराधार पाये गये।

ग्राम कयिस्थु कलिहा जनपद सिद्धार्थ नगर में मरे हुए पशुओं के खाल उतारने हेतु आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा

131–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्राम कयिस्थु कलिहा ग्रान्ट तप्पा से खिन में खसरा नं0 351/1105-93-0 हड़वाड़ी दर्ज है जो मरे पशुओं के खाल उतारने के उपयोग के लिये चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत आरक्षित किया गया है किन्तु उक्त हड़वाड़ी का क्षेत्रफल अपेक्षित कार्य के लिये सुरक्षित न रहकर किन्हीं व्यक्ति के कब्जे में है ? यदि हां, तो पूरे मामले की छानबीन करके प्रश्नगत नम्बर से अवैध कब्जा हटाकर भूमि को मरे हुये पशुओं के खाल उतारने हेतु सुरक्षित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के प्रश्नगत ग्राम की भूमि संख्या–351 काश्तकार का चक है और यह भूमि उसके जोत में है । संदर्भगत ग्राम की हड़वाड़ी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि संख्या-25/1105 रकबा 3 विश्वा खाली पड़ी है और उस पर किसी का अनाधिकार कब्जा नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा जावर तहसील दुद्धी जनपद मिर्जापुर की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा तथा पट्टे के भूमि पर वन विभाग का कब्जा

132–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम सभा जावर के भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा परगना अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त

आराजी नं0–460 में शाहपुर निवासी राम प्रसाद, शिव प्रसाद, शिवकरन, देवसरन, रामसरन, रामकिशुन, पुत्र गणसनोहर सुखदेव, मानदीप, पुत्रगण जग्गू, महादेव, जगदेव पुत्रगण चमरू, व रामदास पुत्र शिवसरन आदि हरिजन आदिवासियों को साढ़े तीन-तीन बीघा भूमि प्रत्येक को 1975 में दी गई थी ? क्या यह सही है कि गत वर्ष द्वन्धी रेंज के वनकर्मियों ने यह कह कर कि उक्त भूमि वन विभाग की है समस्त 11 आदिवासियों को उनके झोपड़ी उजाड़ कर बेदखल करके उनकी फसलों को पशुओं द्वारा चरवाकर प्लान्टेशन हेतु गड्ढा खुदवा दिया गया ? यदि हां, तो ग्राम सभा की भूमि के आवंटियों को वन विभाग के कर्मियों द्वारा बेदखल किए जाने का क्या कारण है? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

सन्दर्भित भूखण्ड संख्या वन विभाग की आरक्षित वन भूमि की परिधि में है, जिसका 1975 में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत ग्राम के उल्लिखित निवासियों के नाम पट्टा किया गया था और मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सीमांकन करके कब्जा भी दिया जा चुका था, परन्तु उक्त भूखण्ड के संबंध में वन विभाग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राबर्ट्सगंज के स्थलीय जांच से यह पाया गया कि पट्टे पर उठायी गयी भूमि वन अधिनियम की धारा–20 के अधीन दिनांक 11-10-73 को भूखण्ड संख्या–460 वन विभाग के नाम आरक्षित भूमि है । फलस्वरूप अपर जिलाधिकारी प्रशासन के आदेश दिनांक 21-12-87 द्वारा उक्त भूखण्ड से आवंटियों का नाम निरस्त किया जा चुका है ।

मिर्जापुर जनपद के कतिपय ग्रामों में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि का पट्टा तथा भूमि पर कब्जा

133–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ग्राम दुद्धी तहसील के ग्राम चोना में सीलिंग एक्ट के तहत कितनी भूमि निकाली गई और उसको कब और कितने भूमिहीनों में आवंटित किया गया है ? क्या वे भूमिहीन उक्त आवंटित भूमि पर काबिज हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद सोनभद्र के प्रश्नगत ग्राम में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत 44-0-16 धूर तथा 23-16-19 धूर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है । उक्त भूमि में से 23-16-19 धूर भूमि का आवंटन दिनांक 17-6-76 को 12 तथा शेष 44-0-16 धूर भूमि का आवंटन दिनांक 26-2-77 को 11 भूमिहीनों को किया गया । 44-0-16 धूर भूमि पर 11 आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है । अवशेष 23-16-19 धूर भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

134–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम देवरी में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई और उसे कितने भूमिहीनों में कब आवंटित किया गया ? क्या वे भूमिहीन उक्त भूमि पर काबिज हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी के ग्राम दवेरी में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत 25-0-7 धूर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है । जिसका आवंटन दिनांक 15-5-76 को 16 आवंटियों को करके उन्हें कब्जा दिला दिया गया है । सभी आवंटी अपनी भूमि पर काबिज है।

ग्राम मझौली तहसील दुद्धी जनपद मिर्जापुर के ग्राम समाज की भूमि का पुनः अपात्र व्यक्तियों के नाम पट्टा

135–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के तहसील दुद्धी के ग्राम मझौली में गत वर्ष ग्राम समाज की भूमि पर बीसों वर्षों से काबिज हरिजन आदिवासी को बेदखल करके उस भूमि को 59 अन्य व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सचिव भूमि प्रबंधक समिति द्वारा पट्टे पर दिया गया है जो इसके लिए पात्र नहीं है ? क्या मंत्री जी उक्त अवैध पट्टे को निरस्त करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम में परगनाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वर्ष 1983 में कुल 59 पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें यह ध्यान रखा गया कि जिस भूखण्ड पर जिस व्यक्ति का पूर्व से ही कब्जा था वह भूखण्ड उन्हीं को आवंटित किया जाये । किसी भी व्यक्ति को बेदखल करके उसकी भूमि दूसरे व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम झारी कलां तहसील दुद्धी जनपद मिर्जापुर के राजकीय आस्थान के नाम से भूमि पर अवैध कब्जा

136–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम झारी कलां में राजकीय आस्थान के नाम से कितनी भूमि है ? क्या उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा धारक को बेदखल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि का उपयोग किस प्रयोजन हेतु किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगलाल थाना चौरी-चौरा, जनपद गोरखपुर की कथित पुलिस मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग

137–श्रीमती शारदा देवी–

क्या गृह मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-3-87 को थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा जगलाल को गोली मार कर हत्या कर फर्जी

मुठभेड़ दिखलाने के संबंध में शिव प्रसाद पुत्र सुकई के आवेदन-पत्र पर शासन द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा न्यायिक जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए वरन् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए थे ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विद्यापुर थाना अछनेरा जनपद आगरा के निकट बस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों व घायलों को मुआवजा

138–श्री बदन सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम विद्यापुर के निकट राष्ट्रीय मार्ग नं0–11 पर दिनांक 8 नवम्बर, 1988 को बस (रोडवेज) और मिनी बस दुर्घटना में चार व्यक्ति मरे और डेढ़ दर्जन व्यक्ति घायल हुए हैं ? यदि हां, तो मृतक व घायलों को मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

दिनांक 8-12-88 को परिवहन निगम की बस संख्या यू0 एच0 एफ0 9063 व मिनी बस संख्या डी0 ई0 टी0 6870 से हुई दुर्घटना में उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 7 व्यक्ति घायल हुए थे ।

दुर्घटना में मृत तीन व्यक्तियों के प्रत्येक आश्रितों को रु0 1000/- आर्थिक सहायता की कुल धनराशि रु0 3000/- तत्काल बैंकड्राफ्ट दिनांक 16-12-88 से परिवहन निगम आगरा क्षेत्र द्वारा भुगतान हेतु जिलाधिकारी, आगरा को भेजी गई । जिलाधिकारी, आगरा के स्तर पर मृतकों के वारिसान की जानकारी किए जाने के उपरान्त भुगतान यथाशीघ्र किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । दुर्घटना में घायल 9 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों को सरोजनी नाइडू चिकित्सालय, आगरा में दिनांक 8-12-88 को परिवहन निगम द्वारा प्रत्येक घायल को रुपया 500/- की आर्थिक सहायता की धन-राशि दी गई । शेष तीन घायल व्यक्तियों को रु0 500/- प्रत्येक घायल को निगम द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई किन्तु उनके द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि लेना स्वीकार नहीं किया गया । मृतकों के आश्रितों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु अदालत में दायर वाद लम्बित है । अतः मुआवजा भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

139–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हिवेट पालीटेक्निक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही

140–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिवेट पालीटेक्निक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई शिकायतों पर संयुक्त निदेशक, मध्य क्षेत्र द्वारा जांच की गई और 24 सितम्बर, 1988 को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर तथा उसकी एक प्रतिलिपि शासन को भी भेजी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त तिवारी–

जी हां । रिपोर्ट पर कार्यवाही हो रही है ।

141–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त प्रकरण के सिलसिले में संयुक्त निदेशक द्वारा भेजी गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के कारण संबंधित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 16 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निदेशक की उपस्थिति में अधिकारियों एवं आन्दोलन कारियों के बीच वार्ता करके एक समझदारी बनाई गयी जिसके परिणामस्वरूप भूख हड़ताल समाप्त की गयी ? यदि हां, तो बनाई गयी समझदारी के मुद्दे कौन-कौन थे ? उन मुद्दों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

संस्था के कुछ शिक्षकों ने 16 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1988 तक आन्दोलन किया और 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1988 तक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने भूख हड़ताल की थी । दिनांक 2-12-88 को विचार-विमर्श के अनुसार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के लेखे, सेवा पुस्तिकायें अद्यावधिक करने, पेंशन, सामूहिक बीमा योजना के क्लेम निस्तारित करने, लेखों का आडिट कराने तथा अनियमित नियुक्तियों की जांच आदि शीघ्रता से कराने का निश्चय किया गया था । निदेशक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं और प्रगति का अनुश्रवण किया जा रहा है ।

सिद्धार्थनगर को नया जिला बनाने में गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों को शामिल करने से जनता में असंतोष

142–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि बस्ती में बनाये गये नये जिले सिद्धार्थ नगर या नौगढ़ में गोण्डा जनपद विकास खण्ड पछपेड़वा व विकास खण्ड गैसड़ी को शामिल करने के कारण लाखों नागरिकों में असंतोष है ? क्या इस गम्भीर समस्या की तत्कालीन जांच सरकार द्वारा कराकर उसका समाधान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद सिद्धार्थनगर में जनपद गोण्डा का कोई भी भाग सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

दरगाह पीर हनीफ ग्राम शिवानगर जनपद गोण्डा की सम्पत्ति दूसरे के नाम दर्ज करने का औचित्य

143–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि बू0 पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में वर्ष 1946 में पंजीकृत अललखेर वक्फ नं0-25 दरगाह पीर हनीफ शिवा नगर स्थित जनपद गोण्डा की सम्पत्ति को बलरामपुर तहसील कर्मियों द्वारा खतौनी सं0-113 ज में व्यक्ति विशेष शाहनेवाज शाह के नाम अंकित कर दिया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी दोषी तहसील कर्मियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत सम्पत्ति को बलरामपुर तहसील कर्मियों द्वारा खतौनी संख्या–113 में व्यक्ति विशेष शाहनेबाज शाह के नाम अंकित कर दिया गया है। वास्तव में, प्रश्नगत सम्पत्ति पहले तथा अब भी दरगाह पीर हनीफ के नाम ही अंकित है। पूर्व सरवराकार मो0 हामिदशाह की मृत्यु के पश्चात सरवराकार श्री मो0 शाहनेवाज शाह का नाम सुपरवाइजर कानूनगो के आदेशानुसार दर्ज किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

144–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

कोषागार कार्यालय हरदोई को साज-सज्जा हेतु उपलब्ध कराया गया धन तथा धन व्यय हेतु जिलाधिकारी की अनुमति की जांच

145–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में सरकार द्वारा कोषागार हरदोई की साज-सज्जा हेतु कितना धन दिया गया, उसको किस-किस मद में खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि फर्नीचर कूलर आदि सामान को क्रय करने में जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक थी, जो नहीं ली गयी ? यदि हां, तो इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भूतपूर्व कोषाधिकारी द्वारा कुछ अभिलेख दिनांक 2-3-89 को ही उपलब्ध कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । उपलब्ध सूचना के आधार पर जिलाधिकारी मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

146–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दि0 15-2-89 को अता0 प्र0 सं0 105 द्वारा उत्तरित]

147–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर स्थित लेडी प्रसन्ना कौर ट्रस्ट के नाम कृषि योग्य भूमि का विवरण

148–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित सरदार नगर मिल मालिकों से संबंधित लेडी प्रसन्ना कौर ट्रस्ट के पास कितने सौ एकड़ कृषि योग्य भूमि है और उसे अतिरिक्त घोषित न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि परगनाधिकारी (नियत प्राधिकारी) ने उक्त भूमि को सीलिंग से प्रभावित नहीं माना है, जिसके विरुद्ध एक विधायक के शिकायत पर जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध तथा भूमि को अतिरिक्त घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

गोरखपुर स्थित सरदार नगर मिल मालिकों से सम्बन्धित लेडी प्रसन्ना कौर चैरिटेबुल ट्रस्ट के पास असिंचित 972-14 एकड़ (सिंचित अर्थों में 910-05 एकड़) भूमि है । उक्त भूमि को अतिरिक्त घोषित करने के लिए लेडी प्रसन्ना कौर चैरिटेबुल ट्रस्ट के विरुद्ध उ0 प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र का पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच करायी गयी । तत्कालीन नियत प्राधिकारी श्री एस0पी0 अजोर ने उक्त भूमि को सीलिंग से प्रभावित नहीं माना था । उनके विरुद्ध शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा आवश्यक जांच करायी जा रही है ।

श्री छेदी ग्राम रसूल, कोतवाली बलरामपुर द्वारा कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

149–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्राम विशुनीपुर निवासी छेदी पुत्र रसूल द्वारा कोतवाली बलरामपुर में दिनांक 26-9-1986 को धारा 279/304 आई0 पी0 सी0 की रिपोर्ट लिखाई गई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र श्री रामतेज साकिन धर्म मिश्रा थाना इटियाथोक, जनपद–गोण्डा जीप चालक "जीप नं0 यू0 टी0 जेड0 1458" प्रकाश में आया । दिनांक 27-9-86 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राम देव कुर्मी के नाम से फर्जी बैनामे की जांच

150–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने सब रजिस्ट्रार खलीलाबाद (बस्ती) द्वारा दिनांक 17-10-88 को श्री राम देव कुर्मी के स्थान पर श्री सूर्यनाथ पुत्र श्री विजई साकिन बरहटा को रामदेव कुर्मी बनाकर फर्जी बैनामा कराये जाने विषयक शिकायती पत्र जांच हेतु दिया है ? यदि हां, तो दोषी सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई जा रही है।

कोषागार कार्यालय, हरदोई में लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

151–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कोषागार, हरदोई में लिपिक के 7 पद खाली पड़े हैं ? इन पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में मामला किस स्तर पर कब से विचाराधीन हैं ? क्या सरकार उक्त पदों को न भरे जाने के लिये विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

भूतपूर्व कोषाधिकारी द्वारा अब उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर पदों को भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जायगी।

कोषागार, हरदोई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वर्दी

152–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कोषागार, हरदोई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी की सुविधा अब तक नहीं प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? उन्हें कब तक वर्दी प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कोषागार, हरदोई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है ।

कोषागार, हरदोई में कार्यरत अस्थाई तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

153–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या यह सही है कि कोषागार, हरदोई में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है ? स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कुछ कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले अवशेष हैं । भूतपूर्व कोषाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही अब की जायगी ।

154–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

फर्रुखाबाद जनपद में सेवारत बसों की संख्या तथा बसों की स्थिति

155–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के फर्रुखाबाद क्षेत्र में कुल कितनी बसें सेवारत हैं और उनमें से कितनी बसें काफी समय से खराब पड़ी हैं ? क्या यह सही है कि उन खराब बसों के डिपो में पड़े रहने से यात्रियों को असुविधा और निगम को हानि हो रही है ? यदि हां, तो उसे दूर करने के क्या-क्या उपाय सरकार द्वारा किये जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

फर्रुखाबाद में निगम की कोई क्षेत्रीय कार्यशाला नहीं है । फर्रुखाबाद में निगम की एक डिपो कार्यशाला है जो इटावा क्षेत्र का भाग है । फर्रुखाबाद डिपो में कुल 79 बसें हैं, जिसमें से 7 खराब हैं, जो मानक से कम हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत है :–

यू एच के–494, दिनांक 29-6-88 से एलेन फारेस्ट कार्यशाला में भारी मरम्मत हेतु	
यू एच के–8337, दिनांक 24-11-88 से	–तदैव–
यू आर वी–7881 दिनांक 9-11-88 से	डिपो कार्यशाला में
यू टी डब्लू–7213 दि0 9-11-88 से	–तदैव–
यू एच एच–1915 दि0 18-11-88 से	–तदैव–
यू एच के–811 दि0 27-1-89 से	–तदैव–
यू एच के–569 दि0 11-2-89 से	–तदैव–

खराब बसों को आनरोड करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

यह सही नहीं है । निगम को हानि का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये बसें मानक के अनुरूप मरम्मत हेतु आफ रोड हैं और यात्रियों की असुविधा का भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस बस बेड़े से जो यात्री सुविधा उपलब्ध कराना नियत है उसके लिये पर्याप्त संचालन हो रहा है ।

156–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री कन्हैया लाल मिश्र, इलाहाबाद बिक्रीकर कार्यालय के मकान खरीद विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

157–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न संख्या 111 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो श्री मिश्र का मकान खरीदने का सौदा विभाग ने किस तारीख को किया और कितनी अग्रिम राशि किस तारीख को दी ? क्या यह सही है कि यह सौदा कार्यान्वित नहीं हुआ ? यदि हां, तो दी गयी अग्रिम राशि किस तारीख को वापस मिली ? यदि वापस नहीं मिली तब उसको वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? कितने राजस्व की हानि हुई तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वांछित सूचना विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के 2रे मंगलवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–139 के उत्तर में सुलभ करायी जा चुकी है ।

फर्म अली अहमद कादिर वर्क्स महेवाला, सीतापुर को बिक्रीकर कार्यालय से जारी आर्डर शीट विषयक पत्र पर जांच

158–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर बिक्रीकर कार्यालय में फर्म अली अहमद कादिर वर्क्स महेवाला पर वर्ष 77–78 के लिये आदेश ता0 10-1-80 को पारित किया गया था और आर्डर शीट पर टेम्परिंग किया गया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 5069 मुख्य मंत्री को तारीख 29-12-86 को मिला था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत मामले में कर निर्धारण आदेश दिनांक 10-1-80 को पारित किया गया था और बाद में अर्थदण्ड आदेश 29-12-80 को पारित किया गया । पत्रावली के आदेश-फलक में अर्थदण्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में तिथियों में काट-पीट की गयी पायी गयी ।

जी हां ।

जी हां । जांच की गयी और जांचोपरान्त तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी को निन्दित किया गया ।

159–श्री यदुनाथ सिंह–

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आयुक्त, बिक्रीकर बनाम भगवान दास हरीदास के टैक्स रिवीजन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

160—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ का निर्णय दिनांक 11-3-87 सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 893/1986 आयुक्त बिक्रीकर बनाम भगवानदास हरीदास में हुआ है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 363 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 10-6-87 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र के सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी । माननीय विधायक को पत्र का उत्तर भेजा जा चुका है।

161—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री नत्थू ग्राम जमुनिहां (पौहार) थाना बदौसा, जनपद बांदा के घर पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

162—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक ए/122/सी0 एम0/88, दिनांक 4-1-88 बांदा जनपद के बदौसा थाना के ग्राम जमुनिहां (पौहार) के श्री नत्थू पुत्र श्री शम्भू हरिजन के घर में अराजक तत्वों द्वारा जबरदस्ती अवैधानिक कब्जा करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार श्री नत्थू पुत्र श्री शम्भू निवासी ग्राम जमुनिहां (पौहार) जनपद बांदा के शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप जांच से असत्य एवं निराधार पाये गये ।

सूचना निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के विषय में आदेश

163—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को परिपत्र भेजकर विज्ञापन नीति में बदलाव करते हुए विज्ञापन, मुख्यालय से ही निर्गत करने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्या सूचना निदेशालय द्वारा अब तक कोई ऐसी व्यवस्था हुई कि विज्ञापन किस प्रकार दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? निदेशालय से विज्ञापन दिये जाने की व्यवस्था करने से पूर्व ही विज्ञापनों पर रोक लगाये जाने का क्या औचित्य है तथा इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां ।

यह आदेश में स्पष्ट था कि विज्ञापन सूचना विभाय के माध्यम से दिया जायेगा । विभाग द्वारा व्यवस्था की गयी कि विज्ञापन, सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जाये ।

विज्ञापन केन्द्रीयकरण से पूर्व विज्ञापनों के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई । अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल संघ एवं उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम अन्तर्गत चीनी मिलों में होम्यो-पैथिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

164–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल संघ एवं उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा शासित चीनी मिलों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की भी नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी चीनी मिल संघ एवं राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत कार्यरत चीनी मिलों में कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि वहां दुर्घटना/चोट लगने की सम्भावनायें विद्यमान रहती हैं, इसलिए इन चीनी मिलों में एम0 बी0 बी0 एस0 योग्यता वाले चिकित्साधिकारियों को ही रखने की नीति बनायी गयी है।

विकास खण्ड बराचंवर, कासिमाबाद, मरदह, जनपद गाजीपुर के ग्रामों का क्षेत्रीय एकी-करण द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का ब्योरा

165–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बराचंवर, कासिमाबाद मरदह को क्षेत्रीय एकीकृत ग्राम्य विकास के अन्तर्गत किस वर्ष में लिया गया है और अब तक वर्षवार किन-किन ब्लाकों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव–

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बराचेवर, कासिमाबाद मरदह क्षेत्रीय एकीकृत ग्राम्य विकास के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है । अत: धन के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी कर्ताओं को सुपरवाईजर कानूनगो के बराबर वेतन देने का निर्देश

166–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या 42/96//84/501 रा0-8 दिनांक 12-3-88 के द्वारा चकबन्दी विभाग में

कार्यरत चकबन्दी कर्ताओं को सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर वेतन देने का निर्देश जारी हुआ है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन जिलों में अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है तथा कितने कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

चकबन्दी विभाग उ0 प्र0 में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में आरक्षण कोटा

167–चौधरी श्याम लाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी विभाग, उ0 प्र0 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से अलग-अलग प्रत्येक श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या रोस्टर शासनादेश 1976 के आधार पर सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर जनपद के कतिपय ग्रामों के सीलिंग भूमि का पात्र व्यक्तियों में वितरण एवं उसका कब्जा

168–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर बांड में 10 बीघा सीलिंग मद की भूमि जो पात्र व्यक्तियों में वितरित कर दी गयी थी तथा क्या उस भूमि से आवंटी व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सीलिंग मद की उक्त 10 बीघा भूमि पर पुनः पात्र व्यक्तियों को कब्जा दखल दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के ग्रामों की सीलिंग भूमि का ब्यौरा तथा उसका वितरण एवं कब्जा

169–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में सीलिंग मद में किन-किन गांवों से कितनी-कितनी भूमि ली गयी और उनमें से किन-किन गांवों में पात्र व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि वितरित कर कब्जा दखल करा दिया गया ? उक्त सीलिंग भूमि जो निकाली गयी है उनमें से कितनी भूमि पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

केन्द्रीय एवं राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर बकाया वृतिकर की वसूली

170–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर श्री जी0 गणेश के एक परिपत्र सं0 वि0 व0 वृतिकर 62 (83-84)-2555/बिक्रीकर संग्रह दिनांक 14-12-83 के अनुसार राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर वृतिकर की बकाया राशि एक करोड़ रुपया से ऊपर थी ? यदि हां, तो इस बकाया राशि से ता0 30-6-88 तक कितना वसूला गया, कितना बकाया है ? इसे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से न काटे जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जमानियां जनपद गाजीपुर में भूमि आवंटन में धांधली विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

171–श्री राम संजीवन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री जवाहर व लक्ष्मण राय आदि (हरिजन) ग्राम नगसर, नैठाजूराम, परगना जमानिया जनपद गाजीपुर ने विधायक श्री राज किशोर सिंह की संस्तुति सहित एक प्रार्थना पत्र आयुक्त वाराणसी मण्डल को 7-7-88 को भेजा था उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी गाजीपुर को 27-7-88 को भेजी थी जिसमें भूमि आवंटन में अनियमितताओं व धांधली के आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या ग्राम समाज की गांव से सटी जमीनों पर अवैध रूप से मकान बनाये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा कार्यवाही न किये जाने तथा अपात्र व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या अपात्र व्यक्तियों के अवैध पट्टों को खारिज करने की कड़ी कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम कुंवर पुरवा जनपद आजमगढ़ की भूमि की चकबन्दी कराने की स्वीकृति

172–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में ग्राम कुंवर पुरवा में बांध के दक्षिण की भूमि जो बाढ़ ग्रस्त नहीं है, की चकबन्दी कराये जाने की योजना शासन ने स्वीकार कर ली है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम की चकबन्दी का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

ग्राम कुंवरपुरवा तहसील घोसी में चकबन्दी हेतु धारा–4(2) की विज्ञप्ति दिनांक 30-9-88 गजट में प्रकाशनार्थ जारी कर दी गई है । गजट में प्रकाशन हो जाने पर चकबन्दी क्रियाएं प्रारम्भ होती है ।

173–श्री यदुनाथ सिंह–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

परगनाधिकारी महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध भूमि के अवैध पट्टे विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

174–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को की गयी शिकायत के सन्दर्भ में परगनाधिकारी महाराजगंज श्री राजबहादुर राव ने 29-9-76 को ग्राम सभा ढेढवा तहसील महाराजगंज गोरखपुर द्वारा 77 एकड़ भूमि का अवैध पट्टा होना पाया और इसकी सूचना तत्कालीन जिलाधिकारी गोरखपुर को दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अवैध पट्टे को निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम में 77.73 एकड़ भूमि के अवैध पट्टे पाये गये, जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु पट्टेदारों द्वारा अपर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के न्यायालय में सन्दर्भ संख्या–618/477/652/जी/1981 प्रस्तुत किया गया जिस पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में लम्बित उपरोक्त वाद पत्रावलियां सन्दर्भ के निस्तारण के सम्बन्ध में अपर आयुक्त के न्यायालय में भेज दी गयीं । अपर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के आदेश दिनांक 4-10-82 के अन्तर्गत सन्दर्भ निस्तारण हेतु मा0 राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद को दिनांक 8-4-83 को प्रेषित कर दिया गया जो अभी विचाराधीन है । इसके निर्णयोपरान्त यथावश्यक अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

फर्म राज कुमार पवन कुमार गाजियाबाद के बिक्रीकर पंजीयन एवं नवीनीकरण के प्रमाण-पत्र देने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

175–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगल हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 120 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह विधायक का पत्र सं0 1044 मुख्य मंत्री जी को ता0 24-9-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गई । जांचोपरान्त दोषी पाए गए अधिकारी को निन्दनीय प्रविष्टि एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने का दण्ड देने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चन्दू लाल उपायुक्त बिक्रीकर कार्यालय गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्य

176–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 6ठे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 115 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह का पत्र सं0 878 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 5-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित मा0 सदस्य के पत्र संख्या–1666 में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :–

(1) श्री चन्दू लाल उपायुक्त द्वारा व्यापारियों को बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु 12 से अधिक किश्तों की सुविधा देने के प्रकरण में परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा श्री चन्दू लाल को चेतावनी देने का निर्णय लिया गया ।

(2) श्री चन्दू लाल द्वारा गाजियाबाद में निर्मित भवन का मूल्यांकन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार लगभग मात्र रुपये 31,000 ही है ।

फर्म केदारनाथ आजाद कुमार लखनऊ से अधिक बिक्रीकर वसूलने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

177–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 100 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र सं0-366 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 13-4-88 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

178–डा0 दिनेश जौहरी–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम खेसरारी, सिसवा बाजार जनपद गोरखपुर की बेंत, खजूर मछली एवं नरकुल की नीलामी का विवरण

179–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा खरोरी विकास क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद गोरखपुर में विगत तीन वर्षों से खजूर, घाट मछली, बेंत और नरकुल की नीलामी कितने-कितने रुपये में हुई ? क्या नीलामी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ग्राम के

जन प्रतिनिधियों ने कई बार शिकायती पत्र दिये? क्या शिकायतों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि उक्त गांव में ग्राम सभा की करीब 25 एकड़ जमीन में प्रत्येक वर्ष गन्ना बोया जाता रहा है जिसका पड़ताल गन्ना विकास ग्राम प्रधान से करता आ रहा है? यदि हां, तो गत पिराई सत्र में गन्ना कितना गिरा और उसका पैसा कहां है?

श्री माता प्रसाद–

विकास क्षेत्र सिसवा बाजार जिला गोरखपुर में ग्राम सभा खेरारी नहीं बल्कि ग्राम-सभा खमरारी है, जिसमें विगत तीन वर्षों में बेंत व खजूर की नीलामी नही हुयी है। घाट, मछली व नरकुल की नीलामी का विवरण निम्नांकित है:–

	1986	1987	1988
घाट–	10,000 रु0	10,000 रु0	7,200 रु0
मछली–	2,200 रु0	3,600 रु0	3,400 रु0
नरकुल–			3,100 रु0

किसी शिकायती पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मोदी इण्डस्ट्रीज लि0 मोदी नगर बनाम आयुक्त बिक्री कर विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

180–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि करदाता को कितना रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ा? क्या विभागीय परिपत्र दिनांक 17-11-78 के अनुसार ब्याज की राशि को अधिकारी से वसूल किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? रु0 28842.30 के रिफण्ड को देरी से देने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? रिफण्ड समय पर न दिये जाने का क्या कारण था?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

करदाता को रु0 19,641.63 ब्याज का भुगतान किया गया।

जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किसी राज्य कर्मचारी से दिये गये ब्याज की वसूली नियमानुसार उसके विरुद्ध दण्डात्मक मानी जाती है।

181–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[6वें शुक्रवार में अता0प्र0स0 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम फतेहपुर मंडाव तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ के कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश एवं पत्थर गाड़ने की मांग

182—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राजधारी भर ग्राम फतेहपुर मंडाव परगना नत्थूपुर तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र उनके ग्राम के पश्चिमी आबादी के पास कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश कराने तथा उसके किनारे पत्थर गाड़ने की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-822/ज0पा0/87, दिनांक 11-7-87 के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। यह प्रकरण भूखण्ड संख्या-182 व 185 के सीमांकन से संबंधित है। उक्त दोनों भूखण्ड आंशिक रूप से आबादी और आंशिक कब्रिस्तान अंकित है परन्तु बन्दोबस्ती नक्शे में उन्हें पृथक-पृथक नहीं दर्शाया गया है। दोनों भूखण्डों में कब्रे छिटपुट फैली हुई हैं, जिसके कारण कब्रिस्तान को आबादी से अलग करके स्पष्ट करना संभव नहीं है। इस मामले में आबादी से सम्बन्धित स्वत्व का प्रश्न निहित होने के कारण यह राजस्व विभाग की कार्य परिधि में न आकर सिविल न्यायालय के अधिकारिता का विषय है।

इन्दुवीरवर सिंह अवकाश प्राप्त सहायक चकबन्दी अधिकारी शाहजहांपुर को बकाया धनराशि का भुगतान

183—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगत नारायण सिंह निवासी ग्रा0 सुजौलिया त0 सिधौली जि0 सीतापुर का इस आशय का कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के माह 30-11-88 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला कि उनके पिता श्री इन्दुवीरवर सिंह जिन्होंने 31 अगस्त, 1987 को शाहजहांपुर से सहायक चकबन्दी अधिकारी पद से अवकाश ग्रहण किया उन्हें अभी तक न तो ग्रेच्युटी तथा जी0पी0एफ0 के धन का भुगतान हुआ और न पेंशन ही मिलना प्रारम्भ हुई? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गई? उल्लिखित मदों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद—

ऐसा पत्र उपलब्ध नहीं है। श्री इन्दुवीरवर सिंह नाम का कोई सहायक चकबन्दी अधिकारी वर्ष 1987 में जनपद शाहजहांपुर में चकबन्दी विभाग में कार्यरत नहीं रहा और न ही सेवा निवृत्त हुआ है। अतएव शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

थाना सुमेरी जनपद जौनपुर में स्थित संगम पर पर्यटन स्थल बनाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

184—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में विकास क्षेत्र रामपुर थाना सरेरी के अन्तर्गत संगम स्थान है तथा उक्त स्थान पर एक बहुत बड़ा पुराना किला विद्यमान है जो एक उच्च कोटि का पर्यटन स्थल बन सकता है? यदि हां तो क्या यह सही है

कि इसके सम्बन्ध में एक अर्द्धशासकीय पत्र सं0-394-97/पी0 एस0/एस0 एफ0 एफ0 181/दिनांक 6 मार्च, 1987 को श्री आर0 एस0 टोलिया विशेष सचिव वन विभाग एवं संयुक्त ग्राम विकास विभाग ने श्री विष्णु प्रसाद जिलाधिकारी जौनपुर को लिखा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गुलाब सिंह–

जी हां।

उल्लिखित पत्र की तलाश जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय एवं शासन में करायी गयी किन्तु कहीं भी उक्त पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है।

ग्राम सुलेमपुर ब्लाक हरहुआ वाराणसी में अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत अनुदान का वितरण

185–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुलेमापुर ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी अन्तर्गत वर्ष 87–88 में अतिवृष्टि से पीड़ित कुल कितने लोगों को राहत अनुदान दिया गया, तथा कुल कितने लोगों को दिया जाना शेष है ? क्या शेष लोगों को भी अनुदान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष, 87–88 में प्रश्नगत ग्राम में 28 लोगों के मकान अतिवृष्टि से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 23 पात्र व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान का वितरण कर दिया गया । शेष 5 व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिसके कारण उन्हें सहायता का वितरण नहीं किया गया ।

बिक्रीकर अधिकारी बस्ती द्वारा जमा कराया गया कर

186–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती के बिक्रीकर अधिकारी ने एक करदाता के कागजों की छानबीन करने पर उक्त करदाता से ता0 28-2-86 तक 23,93,536.00 रुपया बिक्रीकर का जमा करा लिया जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-354 माननीय मुख्य मंत्री जी को ता0 1-4-86 को मिला था? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थानाध्यक्ष हजारा के द्वारा की जा रही ज्यादती की जांच रिपोर्ट

187–श्री मैनेजर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–110 के उत्तर के सबंध में क्या गृह मंत्री अभियोजन-पक्ष व बचाव-पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, सबूतों व "जांच आख्या" को सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या

यह सही है कि दोषी थानाध्यक्ष जांच अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत) के पेशकार रहे हैं जिससे जांच अधिकारी ने अभिलेखीय साबूतों व मौके के गवाहन के बयानान के विपरीत थानाध्यक्ष को निर्दोष करार किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी थानाध्यक्ष व दोषी जांच अधिकारी (उ0 पु0 अ0, पीलीभीत) को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जांच आख्या अभियोजन पक्ष व बचाव के बयान तथा अभिलेखीय साक्ष्य की प्रतिलिपियां अवलोकनार्थ संलग्न † है ।

यह सही है कि श्री एस0 के0 शर्मा थानाध्यक्ष हजारा, जांच अधिकारी श्री के0 के0 सक्सेना अति0 पुलिस अधीक्षक. पीलीभीत के रीडर के पद पर मई 1987 से जुलाई, 1987 तक नियुक्त रहे हैं, किन्तु जांच अधिकारी द्वारा जांच निष्पक्ष रूप से की गई है और तथ्य छिपाए नहीं गये हैं । इनको जांच में थानाध्यक्ष को दोषी नहीं पाया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कानपुर द्वारा प्राइवेट बस चलाने की अनुज्ञा का विवरण

188–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कानपुर द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर के कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1033/आर0 टी0 ए0/विज्ञप्ति/86 के संदर्भ में किन-किन मार्गों के लिए किन-किन व्यक्तियों को अब तक प्राइवेट बस हेतु अनुज्ञा पत्र जारी कर दिये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही अनुज्ञा पत्र थे ?

श्री प्रमोद कुमार–

जिन व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र दिये गये है उनकी मार्गवार सूची संलग्न है ।

केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पहले से एक अन्य मार्ग का अनुज्ञा पत्र है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 216 पर)

बलिया जनपद में बाढ़ व जल प्लावन विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

189–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 1988 जो बाढ़ व जल प्लावन की समस्या के समाधान के लिए लिखा गया है, जिसकी प्राप्ति की सूचना मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र यस0 सी0 एम0, वि0 को0 एम0-1-1 व/186-42/88, मुख्य मंत्री सचिवालय एनेक्सी भवन, लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी है, के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

† छापी नहीं गयी ।

श्री माता प्रसाद–

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बलिया को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है । दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु बलिया जनपद को 22-05 लाख रुपये का आवंटन वित्तीय वर्ष 1988-89 में किया गया है ।

190–श्री शारदा प्रताप–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

191–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्राम भदसा आदि एवं तहसील मऊ में चल रहे चकबन्दी कार्य का विवरण

192–श्री इकबाल अहमद अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भदसा मानीपुर व ग्राम कोपागंज ब्लाक कोपागंज साबिक तहसील घोसी साबिक जनपद आजमगढ़ वर्तमान जनपद व तहसील मऊ में चकबन्दी कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो किस चरण में है ? उक्त ग्राम सभाओं की चकबन्दी कब प्रारम्भ हुई थी तथा धारा 52 का प्रकाशन कब तक होगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । प्रश्नगत ग्रामों में चकबन्दी कार्य चल रहा है । प्रश्नगत ग्रामों में कृषकों को नये चकों पर कब्जा कराने के बाद अंतिम अभिलेख तैयार कराकर धारा–52 के प्रकाशन कराने के स्तर पर चकबन्दी कार्य पहुंच चुका है । प्रश्नगत ग्रामों में चकबन्दी वर्ष 1972 में प्रारम्भ हुई थी । ग्राम भदसा मानीपुर व ग्राम कोपागंज में धारा-52 का प्रकाशन क्रमशः अक्टूबर, 1989 व जून, 1989 में प्रस्तावित है ।

श्री जयदीप सिंह बरार एवं अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन का आरोप विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

(धार व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

[x x x]

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री राम शरण दास–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

[x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

[x x x]

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, कृपा करके ।

(श्री राम शरण दास श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

जनपद बलिया के स्थाई खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनपद में बनाये जाने वाले मार्गों में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अंतर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें शलाका द्वारा 7 सूचनायें निकाली गयी हैं । यह हैं –श्री राज बहादुर की, कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की, श्री निहाला सिंह की, श्री राम बदन एडवोकेट की, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की, श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री राम जन्म सिंह की ।

(यह सभी सातों सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

श्री राज बहादुर–

[मान्यवर, चिलकहर-कुरेजी मार्ग पर वर्ष 1987-88 में पूर्ण रूपेण सामग्री नहीं ली गयी । सिहाचौर-बहादुर पुर, जगदीशपुर मार्ग के थीकनेस आफ ब्रसचेक करने

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर पता चलेगा कि यहां की आपूर्ति कम ली गयी है । इसी प्रकार उचैड़-तिवारीपुर मार्ग, सूती कताई मिल के मार्ग निर्माण आदि सड़कों की निर्माण सामग्री कम लेकर सड़क को पूर्ण कर दिया गया है । उपरोक्त सड़कें जल जमाव के अंतर्गत आती हैं । और कम सामग्री आपूर्ति करके इन सड़कों को बनाये जाने से इन सड़कों को धसने तथा तत्काल खराब हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है । सा0 नि0 वि0 स्थाई खण्ड द्वारा सड़क निर्माण में किए जा रहे इस भ्रष्टाचार से आम जनता में रोष उत्पन्न हो गया है ।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर नियम 301 के अंतर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं]

जिला झांसी के गरौठा क्षेत्र में मसनेह एवं समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा जिला झांसी के गरौठा से मसनेह एवं समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्गों का डामरीकृत किया जाना अति आवश्यक है । ये दोनों सम्पर्क मार्ग दस पन्द्रह वर्षों से अधूरे बने पड़े हैं । सोलिंग होने के कारण सोलिंग उखड़ गई है जहां केवल मिट्टी है वहां वर्षा से मिट्टी कट गई है जिससे इन दोनों मार्गों पर पड़ने वाले लगभग बीस ग्रामों के निवासी गणों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । ग्रामवासियों के वाहन टूट जाते हैं बैलगाड़ी भी सोलिंग के कारण नहीं चल पाती है । इन दोनों सम्पर्क मार्गों को डामरीकृत किये जाने के आदेश मुख्य मंत्री जी भी 2 मई, 1988 को कर चुके हैं परन्तु आज तक इन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । इस कारण क्षेत्र की जनता में अत्यधिक रोष व क्षोभ है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर गरौठा विधान सभा क्षेत्र की गरौठा से मसनेह एवं समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्गों को अतिशीघ्र राज्य सेक्टर से डामरीकृत कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जिला गाजीपुर के बिरनों ब्लाक में हदैरा से नखतपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री निहाला सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों के हदैरा बिजोरा चौथीकोर नखतपुर मार्ग (लम्बाई 8 किमी0) सा0 नि0 वि0 द्वारा बनायी गयी है को हदैरा से चौथी तक (आर0 ई0 एस0) द्वारा निर्मित को सा0 नि0 वि0 के अंतर्गत स्थानान्तरित करने एवं चौथी से नखतपुर तक (सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित) को लेपन स्तर तक बनाये जाने की ओर आकर्षित करता हूं । यह सड़क दो विकास खण्डों मरदह और बिरनों के बड़े-बड़े गांवों को जोड़ती है । इस सड़क पर धन कई वर्ष पहले दिया गया था लेकिन अभी तक इस सड़क का कार्य पूरा नहीं

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया गया है । इस सड़क पर सा0 नि0 वि0 द्वारा मिट्टी पुलिया एवं गिट्टी का कार्य किया गया है जो बहुत ही खराब स्तर का है तथा सड़क कई स्थानों पर पतली बनायी गयी है एवं गिट्टी की मात्रा बहुत कम तथा खराब किस्म की दी गयी है । इससे इस क्षेत्र के हजारों कृषकों तथा अन्य लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ है । वहां के स्थानीय लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया है । इसलिए इस जांच को उच्च स्तरीय टेक्निकल सेल से कराया जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कर उक्त सड़क को उक्त एजेन्सी से जांच कराकर लेपन स्तर तक बनाया जाय जिससे जनता को लाभ व सुविधा मिल सके ।]

जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में महेशपुर से रसूलपुर तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में महेशपुर रोंहली, रसूलपुर मार्ग की ओर आकृष्ट करता चाहता हूं यह मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाया गया है । इस मार्ग पर मिट्टी बहुत कम मात्रा में डाली गयी है । इस सड़क की स्वीकृति जिला, ग्रामीण अभिकरण विभाग द्वारा एन0 आर0 पी0 कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया । इस मार्ग पर आने वाले गांव के मजदूर को न लिया गया जिसके कारण कोई मानव दिवस नहीं मनाया गया । यहीं नहीं इस पर जो कंकड़ डाला गया उसकी मुटाई एवं ऊंचाई 9 इंच होनी चाहिए थी जो 2 इंच से भी कम है । इसकी शिकायत ग्राम प्रधानों द्वारा जिलाधिकारी से की गयी लेकिन कोई कार्य-वाही नहीं हुई । इस कारण यहां पर जनता ने हजारों की संख्या में धरना एवं प्रदर्शन किया । इसलिए लोगों में अभी भी काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त सड़क को ठीक ढंग से अच्छी तरह से बनवाया जाय एवं दोषी पाये जाने वाले अभियंताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय ।]

इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, तिलकनगर, दारागंज आदि क्षेत्रों में जल-भराव की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[मान्यवर, अल्लापुर, तिलकनगर, टैगोर जार्ज टाउन, जीवन बीमा कालोनी बहरना, कीटगंज, दारागंज क्षेत्र जल भराव की समस्या से पीड़ित रहते हैं बरसात में तो जल भराव रहता ही है, इधर गंगा प्रदूषण हेतु मोरी नाले को टेप किये जाने से बरैहना, तिलकनगर, दारागंज, कीटगंज आदि क्षेत्र में सीवर का पानी वापस बहकर भर गया है । इस गंदे बदबूदार पानी से इन क्षेत्रों के पचासों हजार नागरिकों का जीना दूभर हो गया । जल निगम और जल संस्थान की दोषपूर्ण कार्यविधि का फल निर्दोष लोग जबरदस्ती भोगने को बाध्य हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

24, 25 मार्च, 1987 को शासन ने उपरोक्त जल भराव दूर करने हेतु बाढ़ विभाग को निर्देश दिया । कोई कार्यवाही न होने पर विधान सभा सदन में धरना दिया गया । फिर आश्वासन देने के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है, झूठे आश्वासन व गंदगी, बदबू से नागरिकों में व्यापक असंतोष है।

अत: सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल अल्लापुर, तिलकनगर, दारागंज, जार्ज टाउन टैगोर आड़न, वैरहना, कीटगंज, मलाकराज, जीवन बीमा कालोनी, छीतपुर आदि मुहल्लों के जल भराव, गंदगी आदि समस्या के समाधान किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते अपराधों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं महोदय जनपद मुजफ्फर नगर में इस समय जंगल का कानून लागू है जनपद मुजफ्फरनगर अपराधियों के लिए स्वर्ण स्थल बना है वहां के पुलिस उपाधीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का अपराधियों से सीधा संबंध है जिनके कारण पुलिस चाहकर भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाती तथा कार्यवाही होने से पूर्व अपराधियों को कार्यवाही की सूचना प्राप्त हो जाती है । यह तथ्य पुलिस उप महानिरीक्षक महानिरीक्षक मेरठ जोन तथा पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर की जानकारी में भी है परन्तु इस उपाधीक्षक श्री एस0 पी0 सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही कराने में असमर्थ रही है शासन से इस उपाधीक्षक का स्थानान्तरण भी हो गया था। परन्तु पैसे के बल पर रुक गया। अब पुन: 8 मार्च को गृहमंत्री ने आदेश दिये हैं । परन्तु बी0 जी0 पी0 आदेशों को क्रियान्वयन नहीं कर रहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर में इस उपाधीक्षक के द्वारा नित्य गम्भीर अपराध कराये जाते रहे हैं तथा नेताओं को धमकी भी दिलाई जा रही है जिससे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है ।

अत: आपके माध्यम से यह तथ्य सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंडेरा में पूर्व स्वीकृत अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम जनम सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुन्डेरा में 6 बेड एलोपैथिक हास्पिटल कई वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया । आज तक उस अस्पताल में किसी डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई जिससे उस क्षेत्र की जनता उपचार एवं दवाओं से वंचित रहती है। यहीं नहीं अभी तक उस अस्पताल में समुचित मेडिकल सामान भी नहीं है और न ही उचित संख्या में कर्मचारी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ही है अस्पताल के भवन निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया गया है । इससे उस समूचे क्षेत्र की हजारों जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । इसके लिए कई बार प्रदर्शन एवं धरना भी किया गया लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

अत: आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उक्त चिकित्सालय में योग्य डाक्टर की नियुक्ति कर पोस्टिंग की जाय एवं अस्पताल का भवन भी बनवाया जाय जिससे वहां की जनता को इस चिकित्सालय से लाभ मिल सकें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो सब अस्वीकार हुई । यह सूचनायें श्री गौरी भइया, श्री हृदय नरायन दीक्षित और श्री कुशल पाल सिंह की थीं । यह तीनों सूचनायें अस्वीकार हुई हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।

12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री जयदीप सिंह बरार एवं श्री अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन के आरोप सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सद आसन ग्रहण कीजिये, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, आज विद्युत का बड़ा महत्वपूर्ण बजट है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज व्यवस्था के प्रश्न को लेकर दो माननीय सदस्यों के खिलाफ सदन में कुछ गलत बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि जब दो माननीय सदस्यों के नाम लेकर यह बातें कही गयी हैं तो केवल उन दो सदस्यों को आप दो मिनट के लिये अपनी बात करने का मौका प्रदान कर दीजिये ।

(घोर व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मा0 नेकचन्द्र जी ने व्यवस्था उठायी थी, जहां तक मुझे ख्याल है, जैसा कि मैंने सुना था कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । जब एक प्रकरण खतम हो गया उसे फिर दुबारा उठाने की क्या बात है? आप इस पर अपनी रूलिंग दे दीजिये कि यह बात अब उठायी जा सकती है या नहीं, अब इस पर विचार नहीं हो सकता है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जैसी खबर अखबारों में छपी है, उसको पढ़ करके यहां पर व्यवस्था के प्रश्न के जरिये से मा0 सदस्य ने उसकी पुष्टि करनी चाही किन्तु मा0 नेक चन्द्र पाण्डेय जी ने दो माननीय सदस्यों के नाम लिये और उनके लिये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो संसदीय नहीं हैं । इस पर मेरा अनुरोध है कि आप इन दोनों माननीय सदस्यों को भी सुन लें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी आपने माननीय कौशिक जी की बात को सुना, उसी के संदर्भ में मैं आगे कहना चाहता हूं कि इस समय भी माननीय नेकचन्द्र पाण्डेय जी खड़े हुए और फिर उन्हीं शब्दों को दोहराया है और एक असंसदीय वातावरण पैदा करने की कोशिश की है । इसलिये मैं कहता हूं कि आप इन दो माननीय सदस्यों को सुन लें क्योंकि उनके खिलाफ अनर्गल बातें कही गयी हैं । श्री नेक चन्द्र को हक था कि वे अध्यक्ष पीठ से कोई भी जानकारी प्राप्त करते, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के आवरण में उन्होंने जो असंसदीय आचरण किया है इसकी वास्तव में मैं भर्त्सना करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब वह कार्यवाही का अंग नहीं है तो पाण्डेय जी ने जो कहा है, तो किस बात के लिये वह बोलेंगे ? अब हम आगे चलते हैं ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नकाल के बाद हमेशा माननीय अध्यक्ष . . .

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, पहले तो आप यह बतायें कि बरार जी इस सदन के सदस्य हैं या नहीं ?

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जरा आप देखें कि मैं कह रहा था कि प्रश्नकाल के बाद हमेशा माननीय अध्यक्ष जी, नियम 301 की सूचना लेने के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न सुनते थे । मान्यवर, आज एक अभूतपूर्व बात हुई कि प्रश्नकाल समय समाप्त होते ही माननीय नेकचन्द्र पाण्डेय खड़े हुए और. . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लाने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं बोलने की, कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं, कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें । (शोर) बरार साहब, आप भी अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज नियम 301 की जो सूचनाएं ली जानी थीं, उसके लिये जाने से पूर्व ही, जबकि हमेशा माननीय अध्यक्ष जी 301 की सूचनाओं से पहले कोई औचित्य का प्रश्न नहीं सुनते थे, परन्तु आज उन्होंने श्री नेकचन्द्र पाण्डेय जी द्वारा उठायी गयी बातों को सुना, इससे ऐसा लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री. . . (व्यवधान) इससे मालूम होता है कि यह सारी घटना पूर्व नियोजित थी शासन द्वारा, इसीलिये पाण्डेय जी को अपना प्रश्न उठाने की अनुमति माननीय अध्यक्ष जी की ओर से दी गयी और माननीय अध्यक्ष जी ने उसको सुना और फिर सदन को स्थगित कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी ने तो मना कर दिया था और उन्होंने सुना भी नहीं साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

यह आपके ऊपर कैसा आरोप लगा रहे हैं. . .

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, यह गुलाम है सरकार का, इसकी कोई बात न सुनियेगा. . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह प्रकरण अब समाप्त हो गया, अब कोई बात सुनने वाली नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब व्यवस्था हो गयी, कृपया सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें, बरार साहब आप भी मेरा निवेदन स्वीकार करें, कार्यवाही से वह सब चीजें निकाल दी गयी हैं, इसलिए अब किसी प्रकार की व्यवस्था का कोई सवाल नहीं, अब मैं नियम 56 ले रहा हूं . . .

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, उसी के संबंध में व्यवस्था का सवाल है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, 301 की सूचना से पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष द्वारा पूर्व में सुना नहीं जाता था, परन्तु आज ऐसा लगता है कि [xxx] कार्यवाही से निकालने का प्रश्न तो तब उठता है, जब कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोल रहा हो, या कोई असंसदीय बात हो, तो ऐसी चीजें कार्यवाही से निकाली जा सकती हैं, परन्तु मा0 पाण्डेय जी द्वारा जो भी बातें कहीं गयीं है [xxx ।]

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, माननीय सदस्य बरार साहेब ने अभी कहा कि [xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इससे लाभ क्या होगा? कुछ भी कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या सदन चल रहा है ?

मुस्लिम वक्फ अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या–4221/बावन/88-188-88, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुस्लिम वक्फ अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 4221/बावन, 88–188-88, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988 को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 78 की उप धारा (4) को अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

[श्री मोहम्मद असलम खां सदन के फ्लोर से होते हुए कार्य वृत्त लेखक डायस तक आने से और तत्पश्चात श्री अकबर अहमद (डम्पी) द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर बैठ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को सवा बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 25 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जयदीप सिंह बरार एवं श्री अकबर अहमद (डम्पी) के विरुद्ध एन्टी डिफेक्शन बिल के उल्लंघन के आरोप सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब व्यवस्था का प्रश्न न उठाइये ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैंने 110 में लिख कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जिन घटनाओं पर सदन अभी स्थगित हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हैं वह माननीय सदस्य तो अभी आये नहीं?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकम सिंह)–

आ गये हैं।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे आभास मिला है कि माननीय सदस्य बरार को हमारे द्वारा कही गयी बातों से कुछ इनकी आत्मा को ठेस लगी है। तो मान्यवर इनकी भावनाओं को देखते हुए यदि इनको मेरे द्वारा कही हुई बातों से कुछ ठेस लगी है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

सशर्त कोई क्षमा नहीं होती। क्षमा याचना करनी हो तो स्पष्ट करें। यदि हुई है या नहीं हुई है की बात नहीं होती। आप संसदीय परम्परा को देख लें। प्रश्न यहां पर जयदीप सिंह बरार या किसी सदस्य का नहीं होता। संसदीय परम्परा में है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर किसी माननीय सदस्य पर किसी माननीय सदस्य द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जाता है तो उसके लिए माननीय संबंधित सदस्य से क्षमा मांगनी होगी । अगर सशर्त क्षमा मांगते हैं तो वह स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने जो सशर्त क्षमा मांगी है इससे संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं होता है। इस प्रकार उत्तेजना पैदा करने से बार-बार सदन स्थगित होगा। अगर वह बिना किसी शर्त के जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है इस पवित्र सदन में चाहे वह किसी भी सदस्य के लिए हों वापस लेने को तैयार हैं तो मैं भी अपनी बात को समाप्त करने के लिए तैयार हूं अगर वह शर्त लगाते हैं तो शर्त हम भी लगा देंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने स्पष्ट यह कहा कि जिन बातों से उनको ठेस पहुंची है, उनका यही मतलब था कि हर एक माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन का सदस्य है उसमें हर एक का कर्तव्य है कि वह एक दूसरे की इज्जत करे। अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं तो दूसरा हमारी भी इज्जत नहीं करेगा।

माननीय सदन की परम्परा रही है, डिमोक्रेसी की परम्परा रही है चाहे वह हिन्दुस्तान की हो या हाउस आफ कामन्स की हो आप देख लें। चाहे लोक सभा की परम्परा हो आप देख लें जहां माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि इस बात से इनको कष्ट है तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो ऐसे में हमेशा यह हुआ है कि दूसरा सदस्य उन बातों को भूल जाता है और खुल कर माफ कर देता है। अगर ऐसा वातावरण नहीं बनता है और एक दूसरे की बातों को नहीं भुला सकते हैं तो यहां पर सारी कार्यवाही चल नहीं सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है बरार साहब बहुत उदार रहे हैं, आज ऊर्जा का बजट है इस पर हर एक माननीय सदस्य कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं पर और बिजली की समस्याओं पर बोलना चाहते हैं। जितना समय आप इधर लेंगे उतना समय ऊर्जा पर डिस्कशन करने पर कम होगा । इसलिए मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जनहित में इस प्रकरण को समाप्त करें और आगे की कार्यवाही चलायें।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, ''यदि'' शब्द उनको लग रहा है तो उसे हटा दें।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैंने 110 में लिख कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, उस समय कुछ उत्तेजनात्मक स्थिति हो गयी थी तो उस समय मैंने भी अध्यक्ष पीठ पर कुछ आक्षेप लगा दिये थे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।

उत्तर प्रदेश में पहली बार सोना मिलने विषयक नियम 110 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञा की मांग

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैंने नियम 110 के अन्तर्गत सूचना दी है (व्यवधान) टनकपुर उत्तर प्रदेश में पहली बार सोना मिला है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो नेता सदन की तरफ से आता है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

टनकपुर जिला नैनीताल में आता है। मान्यवर, टनकपुर में ऐसी चट्टानें, शिलायें पायी गयी हैं और शारदा नदी के आस-पास जो नाले निकलते हैं उनमें इतना सोना होने का पता चला है जितना हिन्दुस्तान में आज तक कहीं नहीं पता चला है। पिछले 7 वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्रयास के बाद यह पता लगाया है कि नदियों और नालों से जो मिट्टी आ रही है उसमें .1 से .3 ग्राम सोना प्रति क्विंटल मिट्टी में सोना पाया जाता है। यह वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन इन वैज्ञानिकों की प्रशंसा करे।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वैसे यह प्रस्ताव नेता सदन की ओर से आना चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण चीज की और सोने की तलाश जौहरी ही कर सकता है और कोई नहीं। श्री दिनेश जी ने इसकी तलाश के संबंध में जानकारी दिया कि वैज्ञानिकों ने किया है, तो यह प्रस्ताव मेरे पास आया है तो इसको फार्मल तरीके से सामने लाकर जिन वैज्ञानिकों और ज्योलाजिस्ट ने काम किया है, मौका आने पर बधाई का प्रस्ताव रखेंगे। मा0 सदस्य का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया ।

आगरा के पर्यटन विभाग कार्यालय में लाखों रुपये के गबन से सम्बन्धित प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर,. प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से आने चाहिए लेकिन जो आजकल प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं उनको देखने से पता चलता है कि मंत्रियों का विभाग पर अंकुश नहीं रह गया है। यह प्रश्न शासन के हित का है। आगरा में जहां पर्यटन विभाग का कार्यालय है उसमें 7 लाख रुपये का गबन हुआ है, इसलिये नियम 49 में मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, लिखकर भेज दें।

श्री विजय सिंह राणा–

ठीक है भेज देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

(व्यवधान) मान्यवर, अभी सदन स्थगित हो गया था तो नियम 300 की कई सूचनायें जो औचित्य के प्रश्न से जुड़ी होती हैं, महत्वपूर्ण सवाल होते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह रिजेक्ट हो गयी है। ऊर्जा मंत्री, दीक्षित जी, आप बैठ जायं। आप बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस कार्नर से कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसको आप नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि बैठ जायं। आप हमारे अधिकारों के संरक्षणकर्ता हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि सभी को समान संरक्षण मिलेगा। इधर से कोई खड़ा होता है तो कहते हैं कि बैठ जायं और दूसरी तरफ से कोई खड़ा होता है तो उसकी बात को सुनते हैं। इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य श्री हृदय नरायन दीक्षित के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

रिजेक्ट हो गया है तो बोलने का कोई आपको अधिकार नहीं है। आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[x x x] (व्यवधान) [x x x]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1985-86

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री कोकब हमीद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र 1985-86 का इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र 1989-90 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1989

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री कोकब हमीद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1989-90 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1989 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1989, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1989 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 28 फरवरी, 1989 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1989 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 2 मार्च, 1989 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हो गया।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी प्रस्ताव रखा है, यह सदन उससे सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 में 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 10 सूचनाएं समेकित करके चयनित की गई हैं। पहली सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की और श्री अवनीश कुमार सिंह की प्रदेश के शीतगृहों के बाहर पड़े लाखों कुन्तल आलू के सड़ने की आशंका के सम्बन्ध में है। दूसरी श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव जी की, तथा डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह व किशन लाल जी की गोमती नदी में जहरीला कचरा गिराये जाने, उसके प्रदूषणयुक्त होने से मछलियों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना सर्वश्री राम आसरे बर्मा, मित्रसेन, हरिशंकर तिवारी, रामपाल वर्मा, हृदय नरायन दीक्षित, काशी सिंह ऐसी व अच्युतानन्द तिवारी जी की है–संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कर्मचारियों की हड़ताल एवं विदेशी विनियमन कानून का उल्लंघन तथा घोटाले के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री मुहम्मद आजम खां व श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्ना खां) की प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों को सरकारी नीति के विपरीत मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं श्री गौरी शंकर भइया की आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं शराब के ठेकेदारों की मिलीभगत से लगभग 70 करोड़ रुपये की वसूली न होने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना, श्री अशोक बाजपेयी की हरदोई जनपद के 10 लाख गन्ना किसानों के समक्ष उपस्थित गम्भीर संकट के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है। इन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश के बन्धे गंगऊ, रनगवां तथा परिवारपुर बांधों से सिंचाई के लिए पानी रोकने से बांदा जनपद की हजारों एकड़ भूमि की फसल प्रभावित होने के सम्बन्ध में, सूचना दी है। आठवीं सूचना श्री हर्षवर्धन, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री विष्णुदेव की है, इन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। नवीं सूचना श्री मूल चन्द्र, श्री पारस नाथ यादव की है। इन्होंने वाराणसी के थाना सुरियावां के अन्तर्गत दिनांक 3-3-89 को पड़ी डकैती एवं एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना दी है। दसवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है इन्होंने सहकारी आवास समितियों द्वारा अनियमित और अवैधानिक तरीके से आवास हेतु भूमि क्रय कर काम चलाना तथा निबन्धक सहकारी समितियों को वार्षिक लेखा-जोखा न भेजने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने नियम–56 के अन्तर्गत एक काम रोको प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार तो बहुत हुई है, लेकिन आलू रखने पर बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है। किसानों को इस बात की बधाई है कि किसानों ने विगत वर्षों की अपेक्षा आलू की पैदावार अच्छी की है, लेकिन मैं बनारस से आ रहा था, मान्यवर, बनारस, जौनपुर, बस्ती, फैजाबाद आदि इन सारे जिलों में जगह-जगह सड़क के किनारे शीतगृह के सामने ट्रकों, ट्रैक्टर और ट्राली आदि पर आलू लदा पड़ा है। 6-7 दिन रहने के बाद जब किसानों को लगता है कि आलू को रख नहीं पायेंगे तो वह आलू को छोड़कर जाने लगे हैं।

मान्यवर, मैंने प्रदेश के फर्रुखाबाद मध्य और पश्चिम के जिलों के बारे में सूचना मंगाई तो बताया, शीतगृह के मालिक एक बात कह रहे हैं कि हमारे शीतगृहों में स्थान नहीं है। इसके पीछे मिलीभगत शामिल है। जिन लोगों से अतिरिक्त धन मिलेगा उनको जगह मिल जाएगी छोटे-छोटे किसान परेशान हैं उनको आलू रखने को जगह नहीं मिल रही है। विगत वर्षों में शासन ने कहा था कि उनके आलू को बाहर भेजने के लिए ट्रान्सपोर्ट का पूरा प्रबन्ध किया जाएगा और शीतगृह के मालिकों को मजबूर किया जाएगा उनकी क्षमता का पता लगाकर आलू को रखा जाएगा और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी यह सब कहने के बाद फैक्ट्रियां भी नहीं खोली गईं और न ही कुछ और व्यवस्था की गई। शीतगृहों में आलू रखने के लिए भी शासन मजबूर नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाए। साथ ही सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि शीतगृह के सामने आठ-दस दिन से जो आलू पड़ा बेकार हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति उनसे कराई जाएगी। जो आलू पड़ा है उसको शीतगृह में रखने का पूरा प्रबन्ध किया जाए। चाहे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

आज शाम तक इसका प्रबन्ध नहीं किया जाएगा तो आलू की फसल जो आ गई है उसकी वजह से किसान तबाह हो जायंगे और जो आलू एक मूल खाद्य पदार्थ है वह महंगा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस मामले पर चर्चा कराई जाए।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं केवल दो बातें कहना चाहूंगा । पहली बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक खुद अपने आलू का परचेज कर रहे हैं और परचेज करके कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और किसानों का आलू नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्टोरियों के साथ संबंध स्थापित कर रखा है और स्टोरियों का आलू रख रहे हैं। यह दोनों बातें ऐसी हैं जिससे किसान परेशान होता है । हम चाहते हैं कि हर कोल्ड स्टोरेज की जांच करायी जाय और वहां पर प्राथमिकता के आधार पर जिसका आलू पहले आये उसका पहले रखा जाय और जिसका आलू बाद में आये उसका बाद में रखा जाय । इसके अलावा एक ही फर्म के नाम से अगर ज्यादा आलू रखा गया है तो उस आलू की जब्त किया जाय, यह हमारी मांग है ।

*श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, आलू भंडारण का जो मान्य नियम है वह है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व । जिसका आलू पहले आयेगा उसका पहले रखा जायगा और जिसका बाद में आयेगा बाद में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रखा जायेगा । लेकिन कोल्ड स्टोरेज के मालिक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं । 21 रुपये बोरी रखा जाना चाहिये लेकिन 26 की दर पर रखा है । आलू निकालने के वक्त पर 7-8 रुपये प्रति बोरी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने ले लिया है और इसीलिये किसान का आलू नहीं रख रहे हैं । मैंने गोरखपुर के जिलाधिकारी को पहले ही सूचना दी थी कि आप नियमों का प्रकाशन करायें लेकिन जिलाधिकारी ने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से पैसा ले लिया है और किसानों का उत्पीड़न शासन जिलाधिकारियों के माध्यम से करवा रहा है । किसान ट्रक, ट्राली में अपना आलू लिये कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा है जिनसे पैसा लिया है उनका आलू रखा जा रहा है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय हरीश जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस समय पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज मालिक अवैध रूप से वसूली किसानों से कर रहे हैं और 8 रुपये से 15 रुपये प्रति बोरी तक वसूलते हैं तथा उसकी कोई रसीद नहीं देते हैं जिससे किसान त्रस्त है ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)–

माान्यवर, आलू का उत्पादन हम किसान के सहयोग से करते हैं । माननीय सदस्य हरीश जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने आलू के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है उस चिन्ता के लिये हम उनका स्वागत करते हैं । मान्यवर, मैं आलू के संबंध में जो उसके उत्पादन के आंकड़े हैं उनसे सदन को अवगत कराना चाहूंगा । जितनी आलू की चिन्ता आप लोगों को है उससे कहीं ज्यादा चिन्ता शासन को है । जो आलू को पैदा करते हैं हम उनकी भावनाओं को जानते हैं । मान्यवर, 1951 में आलू की पैदावार के आंकड़े और वर्तमान में आलू की पैदावार के आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा । 1951 में इस प्रदेश में 6.7 लाख मी0 टन आलू का उत्पादन हुआ था ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह भाषण दे रहे हैं । जो संकट आलू किसानों पर आया है, जो उनका आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा रहा है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है इसको बताना चाहिये लेकिन मंत्री जी 1951 की बात कर रहे हैं । यह महाभारत क्यों पढ़ा रहे हैं ? मामले को हल कैसे किया जा रहा है यह बता दें ?

श्री शिव बालक पासी–

मान्यवर माननीय राम शरण दास जी मेरे विद्वान साथियों में से हैं, वह थोड़ा सा धैर्य रखकर मेरी बात को सुनें । जो उन्हें चिन्ता है, उसी का मैं जबाब दे रहा हूं । जो आलू का उत्पादन है, वह आंकड़ा मैंने माननीय सदन के सामने रखा है । जब हमें उत्पादन की इतनी बड़ी चिन्ता है, तो हमें उसके भंडारण की भी चिन्ता है और जो क्षमता का भंडारण हमारा है, उससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी यह क्या बोल रहे हैं . . (व्यवधान मंत्री जी की भाषा किसानों के प्रति नहीं है, उनकी यह भाषा पूंजीपतियों के प्रति है । आलू का उत्पादन बढ़ा है, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमने भी कहा है, तो वह आंकड़े क्यों देने जा रहे हैं ? प्रश्न इस बात का है कि आज आलू का कोल्ड स्टोरेज में जो भंडारण हो रहा है, उसमें व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं, वे मिल कर भंडारण कर रहे हैं । आप ने उत्पादन नहीं कराया, किसानों ने उत्पादन कराया, इसके लिए आप बधाई के पात्र नहीं हैं, किसान बधाई के पात्र हैं।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये, ताकि यह पता चल सके कि कितना आलू पैदा हुआ है । सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के बारे में, जो नया कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देती है, जिससे भंडारण का कार्य ठीक प्रकार से हो सके । इस समय जो आलू पैदा हुआ है, उसको किस प्रकार से इन कोल्ड स्टोरेज में रखा जाय, जो माननीय हरीश जी ने, माननीय राणा जी, माननीय हर्ष वर्धन जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी, और सरकार भी, उस चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करते हैं । मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि आलू के उत्पादक जो हैं, उनका किसी प्रकार से शोषण न हो । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर दोनों पक्ष कुछ न कुछ कहना चाहते हैं । जो सारे उपाय सरकार ने किये हैं, यह थोड़े से समय में नहीं आ सकता है, इसलिए इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाय ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें मूल मुद्दा यह था कि जो आलू का उत्पादन हुआ है, वह कितना उत्पादन हुआ है और कितना भंडारण हुआ है और कितना आलू भंडारण करने की आप में क्षमता है । जैसे माननीय राम आसरे वर्मा जी ने सूचना दी कि 10 रु0 यदि ले रहे हैं, तो इसके लिए इस तरह का तत्काल आदेश निर्गत करने की आवश्यकता है कि पूरा आलू भंडारण किया जायगा और काश्तकार का आलू भंडारण किया जायगा, यह नहीं कि व्यापारी आलू बाजार से खरीद लें और कोल्ड स्टोरेज के मालिक से मिल कर भंडारण करा लें । 10 रु0 जो एडवांस ले रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी तत्काल कोई आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि आलू उत्पादकों का किसी प्रकार से शोषण न हो और उनको सुविधाएं दी जायं, लेकिन सुविधाएं पा रहा है पूंजीपति, तो यह शासन की नीति भी देखने की जरूरत है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समस्या के समाधान के लिए तत्काल उसके आदेश देने के लिए तैयार हैं या नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो बातें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही एक तो सरकार ने पूंजीपतियों को सुविधा दी तो मान्यवर, पूंजीपतियों को सुविधा नहीं दी है, शीतगृह लगाने के लिए सुविधा दी है इसको चाहे सोसाइटी लगाये या कोआपरेटिव सेक्टर में लगाया जाय या कहीं भी लगाया जाय, इसकी व्यवस्था की है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जितना आलू उत्पादन होता है उतना शीतगृह में रखने की क्षमता नहीं है । दूसरी बात है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि आलू के जो उत्पादक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं उनका किसी प्रकार से शोषण न हो लेकिन बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिनको माननीय सदस्य देना चाहते हैं । इसलिए मैंने आपसे चर्चा का अनुरोध किया था । जो बात गुप्ता जी ने पूछा था, मैंने उसका उत्तर दिया था शायद वह सुन नहीं पाये । मान्यवर, हमारा प्रयास है और हम पूरी तरह से किसानों के हितों की सुरक्षा और रक्षा करेंगे और इसमें आप सबसे भी सहयोग की अपेक्षा है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए प्रर्याप्त स्थान है परन्तु इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में गुड़ रखने की अनुमति दे दी है (व्यवधान) तो मान्यवर जो गुड़ रखने की सुविधा दी है इसको खाली करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक घन्टे के लिए चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मलिक साहब ने एक बात कही है कि आलू के स्थान पर गुड़ रखा जा रहा है तो क्या गुड़ को रखने से रोकने का आदेश करेंगे, चर्चा तो होती ही रहती है । यह महत्वपूर्ण मामला है । मान्यवर, गुड़ के स्थान पर आलू रखा जाय इसके आदेश करना चाहिए ।

श्री शिव बालक पासी–

मान्यवर, मैंने बहुत पहले ही निवेदन किया है माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रख लें, मैं इनको पूरी तरह से अवगत कराये देता हूं । मान्यवर, यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आलू का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है और उसके भंडारण की क्षमता प्रदेश में कम है

(व्यवधान)

***श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–**

मान्यवर, आलू की समस्या के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है उसका 1/5 भाग फर्रुखाबाद जनपद में पैदा होता है । मैंने 9 तारीख को एक स्थगन दिया था परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि वह नहीं आया । मान्यवर, आलू के भंडारण की क्षमता कम नहीं है स्थिति दूसरी है कि कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा और इन अधिकारियों की साठगांठ से । मान्यवर कोल्ड स्टोरेज में जगह है मैंने स्वयं फर्रुखाबाद में जाकर देखा है यहां पर जैसा राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि कास्तकारों से निश्चित मूल्य से अधिक पैसा लेने की साजिश है और जानबूझकर यह बात फैला दी गयी कि भंडारण क्षमता समाप्त हो गयी और जगह नहीं है और नतीजा यह हुआ है कि 8-8, 10-10 दिन से कास्तकार तपती धूप में आलू लिये हुए खड़ा है, आलू खराब हो रहा है, दुर्गन्ध आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह जाकर किसी कोल्ड स्टोरेज को फर्रुखाबाद में देख लें। अचानक देख लें । वहां पर क्षमता है लेकिन व्यापारियों का आलू रखा जा रहा है और काश्तकारों का नहीं रखा जा रहा इसीलिए मान्यवर, मैंने 9 तारीख को कार्यस्थगन दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अस्वीकार करते हुए भी चर्चा स्वीकार कर ली (व्यवधान) चर्चा तो स्वीकार कर ली, उसके बाद करूं क्या ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो सड़कों पर आलू लिए खड़े हैं, आलू खराब हो रहा है उसकी तत्काल व्यवस्था की जाय । मान्यवर, उसमें तत्काल आदेश न देने का क्या कारण है ? मान्यवर, आलू सड़ जायगा और किसान बर्बाद हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इस पर चर्चा स्वीकार कर ली है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चर्चा आज ही न होने का क्या कारण है ? हम चर्चा करते रह जाएंगे और उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मंत्री जी की बात तो सुन नहीं रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो कोल्ड स्टोरेज आलू के भंडारण के लिये अपर्याप्त हैं, उनमें गुड़ रखने की अनुमति दे दी गयी है । मुजफ्फरनगर के किसानों का आलू खेत में सड़ रहा है । मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर व्यापारियों को जो गुड़ रखने की अनुमति दी गयी है उसको वापस ले लें और वहीं पर केवल आलू रखने के आदेश दे दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरठ, मुजफ्फरनगर सब जगह गुड़ रखा जा रहा है और आलू नहीं रखा जा रहा है। इसकी व्यवस्था तो करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? आप जो चाहें कहते रहें, वह चर्चा के समय सारी बातें कह लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन्होंने काश्तकारों को प्राथमिकता दी जायगी, यह भी नहीं कहा है । काश्तकारों का आलू खरीद कर इस तरह से कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है। किसानों का शोषण किया जा रहा है। मा0 सदस्य ने कहा कि गुड़ रखा जा रहा है, आलू को प्राथमिकता देने की बात कही, लेकिन इसके बारे में मंत्री जी ने अभी तक स्पष्ट घोषणा नहीं की है। इसको देखते हुए सरकार की इस किसान विरोधी नीति

*वक्ता ने शोषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैं अपने दल के साथियों के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हम सब लोग चिंतित हैं। वर्ष 1986 में गोमती के प्रदूषण के बारे में यहां पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी। अभी फरवरी में गंगा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी थी, लेकिन सरकार की मंशा प्रदूषण को दूर करने की नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है और यह प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। कल गोमती नदी में डिस्टिलरी का हजारों टन कचरा फेंक दिया गया जिससे तमाम रासायनिक पदार्थों के गोमती नदी में मिलने से मछलियां मर गयीं और गोमती का पानी पीने लायक नहीं रह गया उसकी बायो केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड और केमिकल डिमाण्ड कम हो गई है गोमती में जो हजारों मछुवारे मछली मारते हैं, वे गोमती का पानी नहीं पी रहे हैं। गोमती के पानी का स्वयं शुद्धिकरण का गुण समाप्त हो गया। हम लोग यहां सदन में बैठकर इस प्रदूषण को दूर करने के लिए चर्चा करते हैं और प्रदूषण को कम करने के लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करते हैं, इसके बावजूद फैक्ट्रियां प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कानून का खुला उल्लंघन करती हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या इसीलिये हम प्रदूषण नियंत्रण हेतु करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और इसके साथ ही गोमती नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फैक्ट्रियों में ताला लगाये जाने की मांग करता हूं।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि जो लखनऊ की गोमती नदी में, जिसका पानी हम लोग भी पीते हैं, उसमें इतना बड़ा प्रदूषण हो गया कि बैराज से लेकर पिपरिया घाट तक इतना प्रदूषण हो गया कि सारी मछलियां मर गयीं। इस मामले को हर बार सदन में उठाया जाता है। हर वर्ष आश्वासन दिये जाते हैं कि प्रदूषण दूर किया जायगा, फिर भी मोहन मीकिंस और अन्य फैक्ट्रियां गोमती में इतना प्रदूषित मैटीरियल फेंकती हैं, कि गोमती का सारा पानी प्रदूषित हो जाता है। हजारों मछलियां मर जाती हैं। पानी इतना गन्दा हो गया है कि बदबू आ रही है। मछुवारे जो वहां मछली मारते हैं, वे वहां मछली तो मारते हैं लेकिन वहां का पानी पीते नहीं हैं। पानी पीने बाहर जाते हैं। इसी में मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा बदायूं में कचला नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो लखनऊ का प्रश्न है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मुरादाबाद में गजरौला में कारखानों से संभल में चमड़े के कारखाने से इतना प्रदूषण बढ़ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय जौहरी जी यह लखनऊ की गोमती नदी से संबंधित प्रश्न है?

डा0 दिनेश जौहरी–

कचला नदी बदायूं के पास आती है, इस प्रदूषण के कारण से, हजारों श्रद्धालुजन वहां स्नान नहीं करते, आचमन नहीं करते हैं उस पानी में । अगर कोई उसमें नहा ले तो खुजली हो जाए दूसरे चर्म रोग उत्पन्न हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, कचला नदी में जल प्रदूषित हो चुका है । इस प्रदूषण को दूर करने के लिये कार्यवाही की जाय । मान्यवर, यह प्रदूषण नदियों का बढ़ रहा है इस पर मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, गोमती नदी के विषाक्त पानी का प्रश्न चल रहा है । गंगा के प्रदूषण के नाम पर जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया था, पानी को शुद्ध मुहैय्या कराने का, उसकी क्या स्थिति है ? कल की घटना है गोमती नदी में में हजारों टन मैला कचड़ा बह जाने से पानी विषाक्त हो गया । जियामऊ से गिपराघाट के पास तक वहां का पानी बहुत ही विषाक्त हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाय रखें। माननीय हरेन्द्र जी अभी बैठें।

श्री गोपाल दास यादव–

पानी के आक्सीजन का परसेंटेज की जो मात्रा है वह बिल्कुल शून्य हो गयी जो उसका बी0 ओ0 डी0 था वह एक लीटर में 50-60 हजार मिलीग्राम हो गया । जब वहां आक्सीजन की मात्रा शून्य हो गयी तो जीव जन्तु का जीना मौत के बराबर हो गया । इसी तरह से हजारों मछलियां उसमें पानी में वहां पर खत्म हो गयी मर गयी । उनके मर जाने के बाद वहां पर यह शुरू हुआ कि गंदगी शुरू हो गयी । वहां पर विषाक्त गंदगी आने लगी पानी विषाक्त हो गया । स्थिति यह थी कि पत्थर भी उसमें डाल दें तो पत्थर भी गल सकता है । गोमती के अन्दर इतना विषाक्त पानी हो गया । 1986 में मोहन मीकिन्स के द्वारा वहां पर विषाक्त कचड़ा डाला गया था।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र जी बैठें । गोपाल दास जी बैठें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा भी इसी से संबंधित है ।

श्री गोपाल दास यादव–

लखनऊ में परीक्षण हेतु बनाए गए कि बराबर पानी का परीक्षण करेंगे। इस शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें । वहां भी प्रदूषण है, हिन्डन में ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वीकार नहीं हुआ आपका, आप बैठें । यह गोमती का मामला है । मैं नहीं सुन रहा हूं, आप बैठें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस मामले पर जब चर्चा होगी तो इसे भी जोड़ लें । आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह एक नदी का है गोमती का मामला है । अगर आप समझते हैं कि आपकी सूचना में दम है तो आप दोबारा दे दीजिएगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

पानी हाईडिल कैनाल के पास से जो बैराज है बैराज से लेकर पिपराघाट तक इतना विषाक्त हो गया है कि वहां पर जो भी पानी पियेगा जानवर पियेगा, आदमी पियेगा, हो सकता है लखनऊ के अन्दर यह एक महामारी हो जाय । हजारों लोग लखनऊ के, गरीब किसान, बेमौत दम तोड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात समाप्त हो गई । आप बैठें ।

श्री गोपाल दास यादव–

उत्तर प्रदेश सरकार गूंगी बहरी हो गई है । लखनऊ के अन्दर इतने उच्चाधिकारी मौजूद हैं वहां पर मान्यवर इंसानों के साथ इस तरह की स्थिति हो गई है । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर अविलम्ब चर्चा कराई जाय । पानी से महत्वपूर्ण मुद्दा दुनिया में और कोई नहीं है । सरकार में तो पानी नहीं रह गया है । सरकार से इस पर कार्यवाही करायें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने भी नियम 56 में नदियों के प्रदूषण से संबंधित दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र जी नियम कुछ हैं, नियम से हाउस चलता है ।

यह मामला गोमती के बारे में है, न कि पूरे प्रदेश में स्वीकार किया है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने किस नियम के तहत गोमती का ले लिया, हिन्डन आदि का नहीं लिया, वह भी महत्वपूर्ण है । उसको भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको नियम नहीं बता सकता, आप चेलेंज नहीं कर सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें हरेन्द्र जी को ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप कैसी बात करते हैं?

(व्यवधान के मध्य)

मैं सबकी सुनता रहूंगा । अगर आप ऐसे ही हाउस चलाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ नियम कानून है ही नहीं ।

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरेन्द्र सिंह के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

*श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ।

कार्यस्थगन के रूप में जो सूचनाएं माननीय सदस्य देते हैं और नियमों के तहत ग्राह्यता पर आप बुलवाते हैं । अभी माननीय सदस्यों ने आलू के मामले पर बोला, अब आप प्रदूषण के मामले में भी बुलवा रहे हैं, मलिक जी को भी बुलवा रहे हैं, यह कैसे होगा, इस पर आप अपनी व्यवस्था देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो बन्द कर ही रहा था, लेकिन वह जबर्दस्ती बोले जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रदूषण का मामला है । आपने गोमती को ले लिया और कृष्णा, हिन्डन आदि नदियां हैं, वह आप नहीं लेंगे । वहां महामारी फैल रही है । हमारे बोलने से, जनता की भावनाओं का जिक्र करने से आपको आपत्ति होती है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां इन नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराया जाय ।

*वित्त, न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने आज गोमती नदी के पानी को लेकर चिन्ता प्रकट की है, यह सही है कि गोमती नदी में बहुत सारे उद्योगों का उत्प्रवाहन होता है, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में प्रवाहित हो । उस उत्प्रवहन के बाद पानी की जो स्थिति होती है, उसकी प्रदूषण बोर्ड के द्वारा प्रतिदिन सुनिश्चित स्थानों के ऊपर जांच करवाई जाती है और उसमें बी0 ओ0 डी0 आक्सीजन की मात्रा प्रतिदिन चेक की जाती है । जो माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि गोमती में आक्सीजन की स्थिति शून्य हो गई है और उससे मछलियां मर गई हैं, जिसमें उन्होंने कल का उद्धरण दिया । हमारे पास जो सूचना है, श्रीमन् प्रतिदिन जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, उसके हिसाब से गोमती में गऊघाट पर आक्सीजन की मात्रा इस प्रकार है, वैसे मछलियों के लिए प्रति लीटर 4 मिलीग्राम आक्सीजन होनी चाहिए । गऊघाट पर 2 तारीख को 7.5 थी, 7 तारीख को 10.5, 10 तारीख को 8.2 तथा 13 को भी 8.2 थी । इसी प्रकार अपस्ट्रीम पर 2 तारीख को 8.2, 4 तारीख को 11.0, 9 तारीख को 10.5 तथा 13 तारीख को 12.5 थी । मोहन मीकिन्स के ऊपर इसकी मात्रा 10 तारीख को 9.5 थी, 13 तारीख को 7.2 थी जबकि पहली तारीख को यह केवल 8.0 थी । इसी तरह डाउन स्ट्रीम पर 2 तारीख को 6.8, 10 तारीख को 8.7 तथा 13 तारीख को 6.5 थी ।

(श्री गोपाल दास यादव द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बीच में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, आप बैठें । उन्हें अपनी पूरी बात कहने दीजिए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, गोमती का जो बैराज है, वहां पर जो बिल्कुल लास्ट प्वाइन्ट है, प्रति-दिन वहां की रिपोर्ट भी मंगाई जाती है । वहां पर 4 तारीख को 6.2, 8 तारीख को 5.1, 10 तारीख को 2.5 थी इस प्रकार श्रीमन् 10 तारीख से वहां पर आक्सीजन की मात्रा घटना शुरू हुई । इसके मानक के अनुसार यह मात्रा 4 एम0 जी0 पर लीटर होना चाहिए । जैसे ही यह मात्रा घटना शुरू हुई, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है । बैराज से पानी को खोल दिया जाता है ताकि पानी करेन्ट के साथ बह सके । उस करेन्ट के साथ बहने से वह ठीक हो जाता है । बैराज को कल ही खोल दिया गया था । आज जो जांच करवाई गई बैराज के ऊपर जो बजरंग नाला है, वहां पर इसकी मात्रा 5.8 है और यहां पर 2.3 है । एक दैनिक पत्र में समाचार निकला था कि वहां पर मछलियां मरी पाई गई तो एक वैज्ञानिकों का दल बैराज के ऊपर व डाउन स्ट्रीम पर जांच करने के लिए भेज दिया गया है । अभी उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(श्री गोपाल दास यादव, डा0 दिनेश जौहरी व श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । इस पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है । और न ही अभी मैंने कोई इस पर निर्णय दिया है ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वहां पर बैराज को खोला गया और उसमें 2.5 मिलीग्राम आक्सीजन की मात्रा थी, जबकि नार्मल 4 प्वाइन्ट समथिंग होना चाहिए । जो बैराज खोला गया है, वह मोहन मीकिन्स के कूड़े-कचड़े को साफ करने के लिए खोला गया है । यह मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं । माननीय मंत्री जी जो आंकड़े दे रहे हैं, वे सब गलत हैं । आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री राम आसरे वर्मा जी को बुला लिया है, श्री यादव जी आप कृपा करके बैठ जायं । अब आप जो कहेंगे, वह नहीं लिखा जायेगा ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आक्सीजन का यंत्र खराब हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले जो यह बोलने का प्रदूषण है, इसे आप ठीक करवा दें ।

मान्यवर, जो प्रदेश का गौरव माना जाता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीट्यूट । आज उस संस्थान में कर्मचारी हड़ताल पर है । कर्मचारियों के हड़ताल का कारण क्या है ? इसका मुख्य कारण यह है कि आज एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है । इतना गम्भीर आर्थिक घोटाला वहां पर प्रकाश में आया है, जिसको सुनकर हर व्यक्ति को आश्चर्य होगा ।

[समय 2 बज कर 20 मिनट]

मान्यवर, एक विदेशी उपकरणों को खरीदने का प्रकरण है, 1400 लाख रु0 के विदेशी उपकरण खरीदने थे, वहां के निदेशक द्वारा जो कार्यवाही की गयी, 80 लाख रु9 की विदेशी मुद्रा उसने अर्जित की । वह विदेशी मुद्रा विदेश में ही गुप्त खातों में जमा की गयी । जो फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, उसका भी उल्लंघन किया गया । नलकूप बोरिंग का स्कैंडल हुआ, 50 हजार रु0 का घोटाला किया गया, फर्नीचर खरीदने के बारे में घोटाला सामने आया । उसमें भी ऊंची दरों पर जिस फर्म को ठेका दे रहे थे, अपने हाथ से निदेशक ने भरा और 20 प्रतिशत की ऊंची दर लगायी और लगाकर तब कोटेशन भरा । इसमें भी 10 लाख रु0 का घोटाला सामने आया है ।

पूरे देश में बंधुआ मजदूरों के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है । उसी प्रथा को वहां पर भी चालू किये हुए हैं । चाहे सफाई का सवाल हो या सुरक्षा का सवाल हो, वह ठेके पर दिया जा रहा है । ठेकेदारों से एक निश्चित आमदनी कर रहे हैं। इसी तरह से एक लैण्ड स्कैपिंग का मामला है, निजी वकील की नियुक्ति का मामला है । इस प्रकार अनाप-शनाप खर्चा और नियुक्तियां और जितने भी तरह के भ्रष्ट कार्य हो सकते हैं, हो रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां गये थे और उन्होंने भी जो क्रिया-कलाप देखा तो उन्होंने भी अपनी नाखुशी जाहिर की थी । उन्होंने आश्वासन दिया, अखबारों में भी आया कि जो वहां के निदेशक हैं बी0बी0 सेठी, वह सक्षम नहीं है इस संस्थान को चलाने में, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं । स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अचानक दौरा किया था और वह भी वहां की हालत से सन्तुष्ट नहीं थे । पूरी किताब उनके कारनामों की तैयार हो गयी है । उन्होंने संस्थान को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केन्द्र बना रखा है । किसी भी छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक से पूछ लें, वह यही कहेगा कि सेठी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और सबको आतंकित किये हुए हैं । प्रतिभाओं की खोज की जाती है और यह कहा जाता है कि वह वहां पर आयेगी और जनता की सेवा करेंगी । लेकिन सेठी उन प्रतिभाओं को वहां पर रुकने नहीं देते । उनको न अदालत के फैसले से मतलब है और न शासन से मतलब है । हाईकोर्ट का कोई निर्णय हो तो इससे वह अपने आप को बंधा महसूस नहीं करते । ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि जिसको आप गौरव कह रहे हैं, उसको बचने के लिये सेठी तैयार हैं और उनके रहते हुए न कोई कर्मचारी काम कर सकता है न कोई अधिकारी रह सकता है ।

मेरा कहने का अर्थ यह है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पूरी किताब तैयार है । उनका खुलासा विस्तृत रूप से उसी समय हो पायेगा जब इतने महत्व के प्रश्न को चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया गया है सार्वजनिक संस्था के संबंध में बी0 बी0 सेठी और उनके भ्रष्टाचार से संबंधित । यह सबसे बड़ा संस्थान है, 500 करोड़ रु0 की लागत का संस्थान है, लाखों लोग काम कर रहे हैं । धन के विभिन्न स्रोतों से जिनसे काम होता है चाहे विदेशों से उपकरण खरीदने का मामला हो ठेकेदारों से काम कराने का मामला हो, चाहे फर्नीचर की खरीद का मामला हो या कांस्ट्रक्शन का मामला हो, करोड़ों रु0 का बजट विभिन्न कामों में लगाया जाता है । इसमें एक वित्तीय समिति बनी हुई है, उसके विपरीत निदेशक कोई स्वीकृति नहीं देनी चाहिये, लेकिन उसको ओभल करके उन्होंने वित्तीय अनुशासनहीनता की है, वहां भ्रष्टाचार का व्यापक बोलबाला है और वहां नीचे के कर्मचारी इसके विरुद्ध कार्यवाही करने से डरते हैं और दूसरों के द्वारा वे अपनी बात को कहलवाते हैं ।

आज वहां हड़ताल है लेकिन फिर भी वहां का कोई कर्मचारी उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने को तैयार नहीं है डर के मारे । इस व्यक्ति ने अपने नाम से विदेशों के खजाने में पैसा जमा कर रखा है । उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सदन के सामने आया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये । मैं चर्चा की मांग नहीं करता हूं क्योंकि आप अगर इस पर चर्चा करायेंगे तो उन्हीं आरोपों का हम खुलासा करेंगे । इसलिये एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिये । कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस विषय पर शासन वक्तव्य दे और इसकी जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जो कि इसकी पूरी जांच करे ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के संबंध में अभी मा0 राम आसरे वर्मा जी ने और मा0 मित्रसेन जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे सम्बद्ध करना है कि यह उत्तर प्रदेश का ही नहीं इतना बड़ा संस्थान है कि पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं । यहां ठेकेदारी प्रथा का बोलबाला है, डाईरेक्टर द्वारा अपने रूल्स और रेगुलेशन तक वहां पर बनवाने में हैं । वकीलों को भी ठेके पर मंगाया गया है जिसमें चार लाख रुपया खर्च हुआ है । सुरक्षा कर्मियों को भी ठेके पर मंगाया गया है, जबकि ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगी हुई है, लेकिन वहां पर जितने भी कर्मचारी रखे गये हैं और कार्य हुये हैं सारे के सारे कार्य ठेके पर ही हुये हैं । वहां के निदेशक ने संस्था के एक्ट के मुताबिक पी0 एल0 ए0 के खाते से पांच करोड़ रुपया निकाल कर नियम के विरुद्ध जमा कर दिया है और उससे ब्याज कमाया है। अन्य प्रकार के घपले उसके विरुद्ध बराबर अखबारों में प्रकाशित होते रहे हैं, समय-समय पर इस संस्था की गतिविधियां समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं । मैं अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग का यह पोथा दिखा रहा हूं । यहां तक कि इस संस्थान में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी । साक्षात्कार में उस परीक्षा में डाक्टर सेठी के चहेते नहीं आ पाये थे तो फिर से दूसरी कमेटी गठित की गयी और उसके जरिये से उनके चहेते उसमें लिए गये ।

मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर आप चर्चा करा दें । क्योंकि पता चला है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस अधिकारी के प्रति कार्यवाही करने के लिये

सक्षम नहीं हैं । मा0 स्वास्थ्य मंत्री तो असहाय हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि चर्चा में दोनों पक्ष के सदस्य हिस्सा लें । जब वे चर्चा में भाग लेंगे और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । इसलिये मैं इस विषय पर कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि यह जो संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान था, वह इसलिये बनाया गया था कि यह प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों का मानस-पुत्र था । यह एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में नाम कमाये, ऐसा हम चाहते थे, लेकिन वहां की वर्तमान जो प्रशासन व्यवस्था है जिसके तहत यह संस्थान चल रहा है उसने उस शिशु की भ्रूण की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है । एक गलती हो तो कही जाय, यहां तो सारी की सारी बातें ही गलत हो रही हैं । अभी आपके सामने माननीय सदस्यों ने इन गलतियों की एक लम्बी फेहरिस्त रखी है । विदेशी मुद्रा के अन्दर काफी उल्लंघन हो रहा है, खरीद-फरोख्त में अनियमितताएं हो रही हैं, सुरक्षा कर्मियों को तो ठेके पर रखा जाता है, इससे तो मैं सहमत हूं लेकिन चौकीदार है, आया हैं इत्यादि कर्मचारी तो रेगुलर कर्मचारी रहने चाहिए, इन कर्मचारियों को ठेके पर रखने का मात्र एक ही उद्देश्य हो सकता है, वह है कमीशन खोरी, बाहर के सामान में जो खरीद-फरोख्त होती है, उसमें भी खूब कमीशन लिया जा रहा है, यह कमीशन वाले मान्यवर एक दो नहीं हैं, बल्कि इसकी इंतिहा कर दी गयी है, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में भी इन्तिहा हो रही है और अनियमितता में भी अपनी इन्तिहा को पहुंच चुके हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें....

श्री काशी सिंह ऐरी–

इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर एक घंटा नहीं कम से कम दो घंटे चर्चा होनी चाहिए...

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैंने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव का इसलिए रखा है कि माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को जब स्थापना की गयी थी तो हमारे प्रदेश के प्रत्येक निवासी को इससे बड़ी आशाएं व्याप्त थी, लेकिन जब से यह शुरू हुआ है डा0 बी0 बी0 सेठी इसकी दुर्दशा पर उतारू हैं, इसलिए मैं इनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मान्यवर आप इस मामले को सुनें और दोनों तरफ के पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों की राय को सुनें और इसमें चरम सीमा पर जो भ्रष्टाचार व अनियमितताएं व्याप्त हैं, उससे इस संस्थान को बचाया जाए ताकि प्रदेश के लोगों की जो आंकाक्षाएं इससे जुड़ी हुयी हैं, वह पूरी हो सकें ।

मान्यवर इनके सम्बन्ध में 12-2-89 को टाइम्स आफ इण्डया में प्रकाशित हुआ है उपकरणों की खरीद के बारे में कि बैंक के निर्देशों के विपरीत इच्छित विदेशी फर्मों से मनमाने ढंग से क्रय हुए हैं, इस पर जो निगोशियेशन कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट को भी सेठी साहब ने गायब करा दिया, इस प्रकार से इस मामले में लगभग 35 लाख रु0 का गोलमाल हुआ है ।

दूसरे मान्यवर उपकरणों का ट्रांजिट इन्श्योरेन्स भारतीय बीमा कम्पनियों से न कराकर विदेशी कम्पनियों से ही कराया गया, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का भुगतान हुआ जो अत्यन्त अनियमित है और फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का भी उल्लंघन हुआ इन तमाम बातों को लेकर वहां पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन यह सरकार डा0 सेठी को हटा नहीं पा रही है, इस प्रकार से यह मेरी निश्चित जानकारी है कि मा0 स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी उस डायरेक्टर के खिलाफ भी कई बार आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन उनके आदेशों को भी अवहेलना की जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा करावें साथ ही मान्यवर, एक मांग मैं यह भी कर रहा हूं कि इसी सदन के मा0 सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाए, जो पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यह संजय गांधी आयुर्विज्ञान हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको शुक्ला जी, इजाजत नहीं दे रहा हूं, आपका नाम भी इसमें नही है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं आज भी वहीं से आ रहा हूं, वहां पर कर्मचारी पूरी तरह से आंदोलित है, डा0 सेठी के खिलाफ । और मान्यवर, इस मुद्दे को बराबर इसी विधान सभा में उठाता भी रहा हूं कि जिन 400 लोगों की जमीनें इस संस्थान के लिए ली गयी हैं, जिन्हें 13 सौ रु0 के हिसाब से मुआवजा दिया गया है, वह समस्त के समस्त लोग आज भुखमरी की कगार पर हैं । मान्यवर, यह नियम भी है कि जिन लोगों की जमीनें ली जाती हैं, उनको सेवा का मौका दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा न करके, हाहाकार मचवा दिया है, लोग भूखों मर रहे हैं, और यह संस्थान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नियंत्रण में है नहीं डा0 सेठी के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करने में असमर्थ है । उनका पर्दाफाश तभी होगा, जब आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस मामले पर चर्चा करा दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, संजय गांधी मेडिकल इन्सटीट्यूट में इस समय हड़ताल चल रही है, वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल की है और उनकी बहुत सी मांगें हैं, जिनकी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है । मान्यवर, वहां पर रेट कान्ट्रैक्ट सिस्टम है, यह बात सही है और जहां तक उपकरण हैं, उनकी खरीददारी की बात है, वहां पर परचेज कमेटी है, उसके द्वारा उनकी खरीद की जाती है । यह सारी बाते हैं, जिनको लेकर वहां के कर्मचारी आन्दोलित हैं । उनकी बहुत सी मांगे हैं और उन मांगों में से एक मांग यह भी है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाये । इस बात का प्रयास किया जा रहा है, उनसे वार्ता की जा रही है कि कोई अच्छा परिणाम निकले और हड़ताल को समाप्त कराया जा सके । जब अस्पताल ऐसी जगहों पर हड़ताल होती है, तो वहां के लोगों के अतिरिक्त और लोगों को भी परेशानी होती है, असुविधा होती है । तो इन बातों को ध्यान में रखते हुये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हड़ताल को समाप्त किया जाये और जो जायज मांगें हैं, अगर कोई गलत बात है तो उसको छिपाने की मकसद

नहीं है, जो दोषी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये जो सही मांग है, वह मानी जाये । हम बड़ी तत्परता से इस मामले को देख रहे हैं । मिनी चर्चा तो इस पर हो ही गयी है अगर और कुछ सदस्य जानना चाहते हैं, तो जैसा आप चाहें आप करें । लेकिन कार्य स्थगन का प्रश्न यह नहीं बनता है, किसी तरह से नहीं बनता है, यह एक प्रशासनिक मामला है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने संकेत किया है कि उपकरणों की खरीद परचेज कमेटी द्वारा होती है । मैं कहना चाहता हूं कि परचेज कमेटी ने उपकरणों की खरीद के लिये प्रस्ताव बनाया और उसको डा0 सेठी के पास भेजा गया, परन्तु वह फाइल ही गायब कर दी गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस पर चर्चा न कराया तो सारे तथ्य सामने नहीं आ पावेंगे, इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, मैं चर्चा इस पर स्वीकार करता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा काम रोको प्रस्ताव है जो प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों से ताल्लुक रखता है । उसूल तो यह है कि मजदूर का पसीना सुखाने से पहले उसको उजरत मिल जाये, उजरत इतनी जिससे वह अपना गुजारा कर सकें, लेकिन हम देखते हैं कि जो मजदूर हल चलाता है, वह भूखा रहता है, जो मजदूर मकान बनाता है वह बेआसरा रहता है और जो मजदूर कपड़ा बनाता है, वह नंगा रहता है । प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों का मसला, मैं 8–9 साल से उठाता रहा हूं । यह वाकया है कि इस सदन में हर प्रकार के मजदूरों का सवाल उठाया गया है, लेकिन बीड़ी मजदूरों का सवाल कभी नहीं उठाया गया है । मैंने कई बार इस बुनियादी सवाल पर तवज्जह दिलायी है कि प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूर जो एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह पर काम नहीं करते हैं वह 14 घन्टे तक काम करते हैं, लेकिन उनको मजदूरी 5 रुपया हजार मिलती है । रात में वह पत्ते को भिगोता है और सबेरे उसकी नसें निकालता है काटता छांटता है और तब वह बीड़ी बनाता है । सरकार ने मेरी बात की और कभी गौर नहीं किया । इन लोगों के सिलसिले में पार्लियामेंट में भी एक बिल पेश हुआ है । इन मजदूरों को जो उजरत मिलती है, वह बहुत कम मिलती है, प्रश्न पूरब और पश्चिम का नहीं है मजदूर का है ।

यह विडम्बना इन मजदूरों के साथ है। मान्यवर, बिलग्राम जो हरदोई जिले की एक तहसील है वहां पर पांच रुपये प्रति हजार बीड़ी मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। इसी तरह से जायस, अमेठी और रायबरेली के बीड़ी मजदूरों को भी बहुत कम मजदूरी मिलती है। आप पश्चिम में चले जायं वहां पर कहीं 12 रुपये, कहीं साढ़े बारह रुपये प्रति हजार मजदूरी दी जाती है। मेरे शहर में रामपुर साढ़े तेरह रुपये प्रति हजार मजदूरी मिल रही है। बीड़ी मालिकों की दिलचस्पी यह होती है कि जहां कम उजरत पर बीड़ी बन रही है, चाहे वे किसी भी जिले के रहने वाले हों, उसी जिले में बीड़ी बनवाते हैं जहां कम उजरत में बीड़ी बन सके। इसका असर यह होता है कि उस क्षेत्र के बीड़ी मजदूर बेकार हो जाते हैं और मालिक कम पैसे में अधिक बीड़ी बनवा ले आता है।

मान्यवर, बीड़ी मजदूर गरीबों का वह वर्ग है जिससे 16 से लेकर 18 साल की लड़कियां बीड़ी बनाकर अपना दहेज तैयार करती हैं और तब शादी करती हैं। आज तक हमने उनके दर्द को नहीं जाना और इस सदन में बार-बार यह मुद्दा उठाये जाने पर भी हमारी आवाज अनसुनी कर दी गई। इसलिए मान्यवर, हमारी मांग है कि बीड़ी मजदूरों की पूरे प्रदेश में जो मजदूरी की असमानता है कहीं पर पांच रुपये प्रति हजार है कहीं पर 7 रुपये है तो कहीं पर 12 रुपये प्रति हजार है, उसे दूर किया जाय। जब तक यह असमानता दूर नहीं होगी तब तक ये पूंजीपति जिनके ऊपर इस सरकार का साया है 12 रुपये प्रति हजार में बीड़ी न बनवाकर, 5 रुपये और 7 रुपये में बीड़ी बनवाते रहेंगे। मान्यवर, गरीब शहरों में एक चौथाई आबादी जिसमें मेरा क्षेत्र भी है, बीड़ी की सनत से पलती है। अगर यह सनत कम होगी तो एक चौथाई आबादी का रोजगार समाप्त हो जायेगा। इसलिए मान्यवर, यह एक अहम मसला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी चन्द रोज पहले कानपुर के मजदूरों ने रेल रोको आन्दोलन किया था। इसलिये जो मजदूर इस देश और प्रदेश का नुकसान करें मशीनों को रोकें उनकी बात यहां पर सुनी जा सकती है क्योंकि उनके अन्दर देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की ताकत है लेकिन जो मजदूर अपने घरों में बैठे हैं, जो कैंची से पत्ता काटते हैं, बीड़ी बनाते हैं उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। उनसे न देश को खतरा है और न प्रदेश को खतरा है। ऐसे कमजोरों की नहीं सुनी जाती। मान्यवर, यह ऐसा सवाल है जिस पर बहस के लिए सदन की कार्यवाही रुकनी चाहिए ताकि यह एहसास हो कि सिर्फ इन्साफ की बात ही नहीं कही गई बल्कि इन्साफ तराजू में तुलता हुआ नजर आया। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कानपुर के मजदूरों की मांगें आन्दोलन के नतीजे में मानी जा सकती हैं तो फिर बीड़ी के ये लाखों मजदूर उजरत पानी से महरूम क्यों हों ? मैं चाहता हूं कि इस पर आज सदन की कार्यवाही रोककर आप चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय आजम खां साहब ने बीड़ी के मजदूरों के बारे में जो प्रश्न उठाया और जो बातें उन्होंने बतायीं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चिन्तन किया जाना चाहिए और इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मजदूरी मिलती है, यह सत्य है। इसका कारण यह है कि जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसको लागू करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं क्योंकि कहीं पर कभी-कभी लोग राजी हो जाते हैं कि वे कम मजदूरी में मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि उनको मजदूरी सही मिले। मान्यवर, इसके दो रास्ते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप आदेश देंगे तो इस पर वक्तव्य दे दिया जायेगा वैसे यह कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता है। यह तो निर्णय आपको करना है। लेकिन सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक कल या परसों करा ली जायेगी जिसमें माननीय आजम खां साहब को भी बुला लिया जायेगा। उस बैठक में श्रम सचिव होंगे, श्रम आयुक्त होंगे और माननीय आजम खां साहब होंगे। उसमें बैठकर हम आपस में विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से यह सुनिश्चित हो सके कि जो मजदूर बीड़ी बना रहे हैं, उनकी वाकई में हालत खराब है किस प्रकार से उन्हें सही मजदूरी मिल सके और मिनिमम वेजेज एक्ट किस तरह से उनके ऊपर लागू किया जा सके ? यह बैठक कल या परसों में सुविधा पूर्वक बुला ली जायेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मुझे अफसोस है कि हमारे विद्वान मंत्री ने ऐसा जवाब दिया है जो अफसोसजनक है। हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया का कोई मजदूर ऐसा अहमक और गधा नहीं होगा जो अपनी उजरत खुद कम कर ले। ऐसा कहकर मंत्री जी ने बीड़ी मजदूरों की बेइज्जती की है और उनके लिए घटिया जुमला इस्तेमाल किया है इसलिए उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अम्मार साहब ने अभी बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में कहा कि मीटिंग कर लेंगे। अम्मार साहब हाउस में इस तरह का भ्रम पैदा करते रहते हैं। जब कोई इस तरह की चर्चा लाई जाती है तो हमसे कहते हैं कि मीटिंग करके मामले को तय कर देंगे। इसी तरह का मामला बुनकरों के सम्बन्ध में आया तो कहा कि मुझ से मीटिंग कर मामले को तय कर लेंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें बुनकरों का मसला कहां से आ गया यह तो बीड़ी का मामला है। बीड़ी से तो कपड़ा जल जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं शायद बात साफ नहीं कर पाया । अल्फाज जो कुछ भी मैंने कहे हों अगर गलत वह समझते हैं तो मैं वापस लेता हूं। मैंने यहां पर दो बातें कही थी एक तो इम्पलीमेंटेशन आफ मिनिमम वेजेज एक्ट, उसके इनफोर्समेंट की बात मैंने कही कि सरकार का दायित्व है कि उसे सुनिश्चित कराये। दूसरी बात मैंने यह कही कि उनका शोषण किया जाता है यह नहीं कहा कि वह लोग एक्सप्लोइट कर रहे हैं। शोषण की बात मैंने कही थी। माननीय बारी साहब का जो मामला है। बारी साहब के साथ बैठक हुई लेकिन वह मीटिंग से संतुष्ट नहीं होते हैं वह उससे आगे जाते हैं जो हमारे बस की बात नहीं है।

श्री फजलुल बारी–

माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बात कराने की बात थी वह मुख्य मंत्री जी के साथ मीटिंग नहीं करा सके हैं और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें स्टेटमेंट हो जायेगा तो कुछ निकल आयेगा चर्चा से कुछ नहीं निकलेगा।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोकमहत्व के प्रश्न को यहां पर लाना चाहता हूं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस प्रदेश को शराब के ठेकेदार और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिल कर 70 करोड़ रुपये का नुकसान कराया है और उनकी मिली भगत से लगभग 1 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया है। विभाग एवं प्रदेश के करोड़ों रुपये की चोट देने वाले अधिकारियों की प्रोन्नति की जा रही है और अच्छी अच्छी जगहें उनको दी जा रही हैं। ठेकेदारों पर 66 करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

56 लाख 92 हजार रुपये की बकाया धनराशि गत 31 मार्च, 88 तक थी जो इस वर्ष मार्च तक बढ़ कर 70 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। इसमें सबसे अधिक 30 करोड़ 46 लाख रुपये बरेली, 6 करोड़ 62 लाख रुपये गाजियाबाद, 3 करोड़ 84 लाख सीतापुर, 3 करोड़ 39 लाख रुपये लखनऊ 2 करोड़ 59 लाख रुपये मेरठ, 2 करोड़ 96 लाख रुपये कानपुर, 2 करोड़ 59 लाख रुपये मेरठ, 2 करोड़ 43 लाख रु0 रामपुर और 3 करोड़ 30 लाख रुपये बिजनौर के ठेकेदारों पर बकाया है। कितना भ्रष्टाचार इस आबकारी विभाग में व्याप्त है इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं 1966 में पिलखुआ में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौतें हुई थी जिसमें मेरठ के उप-आबकारी आयुक्त की सीधी जिम्मेदारी थी और तत्कालीन माननीय मंत्री रामनाथ मुंशी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिये थे और जांच भी हुई थीं लेकिन वह जांच रिपोर्ट फाइल से गायब हो गयी है और यह सरकार उक्त अधिकारी का बाल बांका भी नहीं कर सकी है। उसी के अधीन मेरठ और गाजियाबाद के ठेकेदारों पर 9 करोड़ से ज्यादा बकाया हो गया है। तो ऐसे अधिकारियों को आप नौकरी से नहीं निकाल पाते हैं और उनकी पेंशन को नहीं रोक पाते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है। अगर यह रुपया वसूल हो जाता तो विधान सभा के अन्दर जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है वह घाटे का बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती । उस घाटे को पूरा करने के लिए जनता पर टैक्स लगाने का काम होने वाला है जिससे मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ेगी। अगर यह 70 करोड़ वसूल कर लिया जाय तो जनता पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान्यवर, आप जानते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं मैं शराब की बात नहीं जानता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया–

मंत्री जी जानते हैं। तो एक तरफ 70 करोड़ रुपया ठेकेदारों पर बकाया है जिसे वसूलने के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है दूसरी तरफ 70 रुपये के बकायेदार जो गांवों में गाय और बकरी खरीदते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है और तहसीलदार उनको जेलों में बन्द कर रहे हैं। तो यह बड़े पूंजीपतियों की शय पर चलने वाली सरकार और आम गरीब जनता को जेलों में बन्द करने वाली सरकार की जो दो नीतियों पर चल रही है उससे जनता में बहुत असंतोष व्याप्त है। इसलिए इस मामले पर तत्काल सरकार बकाया वसूलने के लिए क्या कार्यवाही करे और दूसरी बात इस पूरे विभाग के लिए चर्चा निर्धारित करें ताकि जिले-जिले में जो भ्रष्टाचार है उस पर खुलकर चर्चा की जा सके।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, 11 तारीख को आबकारी विभाग का बजट आने वाला था जो आगे आयेगा। जिसकी वार्षिक परफारमेंस निर्देशिका बांटी गयी है, उसके पेज 91–92 में विस्तार से दिया गया है और जो माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है यह भी उसमें दिया गया है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत उसमें से कितनी राशि जैसे 54,49,04,015 रुपये हाईकोर्ट से स्टे हैं और आयुक्त के स्तर पर जो स्टे हैं वह इस तरह से हमारे

कहने का मतलब है कि यह परफारमेंस बजट की कापी जो है उसमें से यह लिया गया है। इसलिये यह अविलम्बनीय महत्व का विषय नहीं बनता है। जब कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा तो उस पर आप बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

देश में जो बकायेदार हैं उनको सरकार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मेरा आरोप है कि प्रदेश में दारू बेचने वालों का जो संगठन है उसकी सांठगांठ से सरकार जानबूझकर इस मामले को हाईकोर्ट में गड़बड़ करने का काम करती है और ठेकेदारों से बड़ी धनराशि लेती है।

(श्री अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेयी जी आप बैठ जायं आपके प्रस्ताव पर वक्तव्य लगा रहा हूं। (व्यवधान) वक्तव्य लगा दिया है। आप बैठ जायं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

(व्यवधान) मान्यवर, हरदोई जनपद के 10 लाख गन्ना किसानों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गयी है। इनका इस पेराई वर्ष का 4 करोड़ रुपया शुगर फैक्टरी पर बकाया है और आप इस पर मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। मैं इस सत्र में चार बार गन्ना किसानों की समस्या को कार्य-स्थगन के रूप में दे चुका हूं। इससे ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण कार्य स्थगन हो सकता है जिसमें जनपद हरदोई के लाखों गन्ना किसानों की जीविका का प्रश्न जुड़ा हो। इस वर्ष 20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई राजकीय चीनी निगम इकाई हरदोई द्वारा की गयी जिसका मूल्य 6 करोड़ रुपये होता है जिसमें उनको अभी तक 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश शुगर केन एक्ट में यह प्राविधान है कि 14 दिन से अधिक गन्ना किसानों का बकाया नहीं रखा जायेगा। यदि किसी कारणवश 14 दिनों से अधिक का बकाया रह जाता है तो उस पर 9 प्रतिशत की दर से किसानों को ब्याज दिया जायेगा। परन्तु 31 दिसम्बर के बाद अभी तक हरदोई के गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो सका है जिससे इस वर्ष वह अपने लड़कियों की शादी करने और बच्चों की परीक्षा फार्म भरवाने से वंचित रह गये हैं। इतना ही नहीं पिछले वर्षों का 3 करोड़ रुपया इस मिल पर किसानों का बकाया है। जानकारी मिली है कि होली तक मिल बन्द कर देंगे, इसलिए यदि तत्काल गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो किसान आन्दोलन द्वारा हरदोई का जनजीवन अस्त व्यस्त कर देंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इस प्रकार मान्यवर, आज आप सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का काम करें और सरकार को निर्देश दिलाएं कि वह तत्काल गन्ने का बकाया दाम भुगतान करे। इस पर भी यदि यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो किसान असन्तोष के दूरगामी . . (व्यवधान) अगर यह गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ तो हरदोई जनपद का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और इसका दायित्व इस सरकार पर ही होगा। मैं चाहता हूं कि इतने गम्भीर विषय पर तत्काल आप कार्यवाही कराने की कृपा करें . . .

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो प्रश्न अभी बाजपेयी जी ने उठाया है, वह बहुत सही है, इसके कारण से वहां स्थिति बहुत गम्भीर है । हरदोई में एक करोड़ रुपये से ऊपर मिल पर किसानों का बकाया है। किसान पीड़ित है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। उसकी धीरज आवश्यकताओं को देखते हुए शासन की ओर से भुगतान दिलाने या देने की कार्यवाही होनी चाहिए, वरना जिन किसानों का बकाया है वह आन्दोलित होने की स्थिति में है . . .

(कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने रहे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

रवी की फसल सूख जाने के कारण बांदा जनपद में किसानों में घोर असन्तोष और रोष व्याप्त है । बगल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने यहां कई बांध बना लेने के कारण यहां उत्तर प्रदेश में बांदा में किसानों की फसलें सूख गई है, बर्बाद हो गई है। वहां स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इतना ही नहीं कई बार मध्य प्रदेश के लोगों ने हमारे यहां के किसानों को मारा पीटा भी है . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मूल चन्द्र की सूचना पर मैं वक्तव्य स्वीकार करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को बुलाया गया लेकिन व्यवधान होता रहा)

श्री उपाध्यक्ष–

जब बोल लिये तो आपका (श्री सरेन्द्रपाल वर्मा) नहीं स्वीकार होगा, आप बगैर अनुमति बोले हैं, अब स्वीकार नहीं होगा। दोनों काम एक साथ नही होते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री मूल चन्द्र–

हम लोग नहीं बोलते हैं, आपका लिहाज करते हैं, लेकिन आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनके लिए हर वक्त नियम है, समय है। यह ऐसे नही चलेगा, हम लोग भी चुनकर आए हैं। जो अधिकार उनको मिला है, वही हमको मिला है। मैं अपनी बात कहूंगा, सदन चले या न चले। ज्यादा आप करेंगे हमे निलम्बित करेंगे, लेकिन जबतक रहूंगा अपनी बात कहूंगा। मैंने अपने क्षेत्र की बात निवेदन करने को कहा है । हमारे यहां पुलिस और डाकू दोनों मिलकर क्षेत्र को लूट रहे हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब वक्तव्य आपका काट दूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा।

*श्री मूल चन्द्र–

यह सरकार के लोग डकैतों और आतंकवादियों से मिले हुए हैं। शरीफ आदमी अपनी जान माल की हिफाजत के लिए असलहा मांगता है, तो यह सरकार उसे नहीं देती है, किन्तु जो नाजायज लोग, क्रिमिनल और आतंकवादी हैं, उनको यह दे देते हैं। हमारे यहां थाना सुरयावां, जनपद वाराणसी से एक मिल पर डाकुओं ने डाका डाला और एक आदमी को मार दिया।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें मूलचन्द्र जी, आपका वक्तव्य के लिए स्वीकार तो कर लिया है।

(व्यवधान)

रघुवर दयाल वर्मा जी आपका भी वक्तव्य के लिए स्वीकार कर दिया है । गौरी शंकर भइया जी आपका भी वक्तव्य स्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

गोपाल दास यादव जी आप बैठें सरकार से वक्तव्य दिला देते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा नहीं कराई जाएगी आप कहते रहिए।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो आपने स्वीकार किया है आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन अगर इसमें माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो चर्चा भी करवा लीजिएगा।

(श्री मूलचन्द्र के बार-बार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका काट दिया जाएगा।

(मूलचन्द्र सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द्र जी, आपको तो वक्तव्य के लिए स्वीकार है, आप क्यों बीच में आ गये ?

(व्यवधान)

(श्री मूलचन्द्र, श्री रघुवर दयाल वर्मा के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मेरी एक सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी सूचना कल दे दें।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–10, ऊर्जा विभाग

*ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,76,10,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऊर्जा विभाग जैसे महत्व पूर्ण विभाग की मांगें और बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहता हूं कि आज गांव से लेकर के प्रदेश और देश और दुनिया के विकास में ऊर्जा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा तथा विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये हैं। इन परिस्थितियों में पहले ऊर्जा जिसे हम लक्जरी आइटम कहते थे। अब यह लक्जरी न होकर एक नेसेसरी हो गयी है और एक आवश्यक आवश्यकता हो गयी है। मान्यवर, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ कितनी तीव् गति से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा विद्युत की मांग हो रही है।

आज मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि मैं यहां पर ज्यादा समय लूं और विस्तार से अपनी बात कहूं, आज मेरी दिलचस्पी इस बात में होगी कि मैं सम्मानित सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा कहने का मौका दूं ताकि वह अपनी बात कह सकें । उनके जो अच्छे सुझाव आयेंगे उनका हम उपयोग करेंगे और उनका हम लाभ उठायेंगे। हमारे सम्मानित सदस्यों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी हम उपयोग कर सकें इस बारे में मेरी दिलचस्पी होगी लिहाजा ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन संक्षेप में मैं थोड़ी सी बातों का निवेदन करना चाहूंगा।

मान्यवर, विद्युत की उपलब्धता और उसका उत्पादन सबसे बड़ी बात है। इधर पिछले दिनों बहुत प्रयास हुये हैं। गतवर्ष हमारी अधिष्ठापित क्षमता 4860.85 मेगावाट थी और इस साल बढ़कर मार्च में वह 5376.35 मेगावाट हो गयी है। सभी माननीय सदस्य यह अनुभव करते होंगे कि इस बीच हमारी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी है और आगे आने वाले वर्षों में हम इस अधिष्ठापित क्षमता को और बढ़ायेंगे और नयी-नयी योजनायें प्रदेश में लायेंगे ताकि प्रदेश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। मान्यवर, उत्पादन के क्षेत्र में हमने किस तरीके से जो हमारी इन्टाल्ड कैपेसिटी है उसका उपयोग किया है इससे उसका अंदाज लगाया जा सकता है । 1986-87 में हमारा प्लांट लोड फैक्टर था वह 41.3 प्रतिशत था। यह 1987-88 में बढ़कर 47.1 प्रतिशत हो गया तथा हमारे पास जो फरवरी तक के आंकड़े आये हैं उसके हिसाब से हमारा प्लांट लोड फैक्टर 53.4 प्रतिशत हो गया है। (मेजों को थपथपाने की आवाजें।) यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। विद्युत परिषद् के इतिहास में और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के इतिहास में यह एक कीर्तिमान है। इसके लिए मैं उत्पादन कार्यों में लगे हुये हमारे तमाम इंजीनियर्स और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत-बहुत मुबारकवाद देना चाहता हूं ।

हमारा प्लांट लोड फैक्टर जिस तरीके से बढ़ा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें और बढ़ोत्तरी होगी। अभी मार्च के महीने में जो जानकारी आयी है उसमें हमारा प्लांट लोड फैक्टर 64 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो अपने आप में कीर्तिमान है और यह हमारे इंजीनियर्स, कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। तो मान्यवर, यह (इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठता श्री राम शरण दास पीठासीन हुए ।) तो एक उत्पादन की स्थिति है । ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र में ही उन्नति की है मान्यवर, उत्पादन के साथ-साथ आगे आने वाली जो हमारी योजनाएं हैं,

आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से हम विद्युत की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति प्रदेश में कर सकेंगे। मान्यवर, दो खुशखबरी मैं इस मौके पर देना चाहता हूं। आज 14 तारीख है एक तो 11 तारीख को हमारा टांडा पावर हाउस में उत्पादन शुरू हो गया और हमारी दूसरी इकाई ने भी काम करना शुरू कर दिया। यह तो एक खुशखबरी है और दूसरी खुशखबरी है कि यह जो नरौरा का अणुशक्ति गृह है यह भी शुरू हो गया इसमें भी कार्य प्रारम्भ हो गया और यह भी अगले 3-4 महीने में कामर्शियल रेट पर आ जायेगा जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या हल होगी । इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी सदन को देना चाहता हूं। सम्मानित सदस्य इससे अवगत हैं। आनपारा "बी" की हमारी दो यूनिटें हैं 5·500 मेगावाट की, उसका अनुबन्ध जापान के साथ हो गया है इसके लिए हमारे तमाम उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के अधिकारीगण, हमारे भारत सरकार के अधिकारीगण और प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे आगे आने वाले दिनों में विद्युत की आपूर्ति कर सकेंगे तो मान्यवर, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की भी हमारी 6 यूनिटें हैं 55–55 मेगावाट की और यह योजना भी हमारी 1995-96 तक पूरी होने को है।

मान्यवर, टिहरी जलीय काम्प्लेक्स "बी" यह 2,000 मेगावाट की है और इसके अलावा जगदीशपुर में दादरी में गैस पर आधारित हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक जो मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि जगदीशपुर प्रोजेक्ट की क्षमता 90 से बढ़ाकर 200 मेगावाट करने का निश्चय हो गया है। मान्यवर, गैस पर आधारित 2,000 मेगावाट की योजना हम आगामी पंच वर्षीय योजना में प्रदेश में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वह कुछ बन चुकी है और कुछ भेजी जा चुकी है तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले दिनों में हर तरीके से प्रयास है कि जहां जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जा सके। तो मान्यवर, हमारे सामने एक जो दिक्कत है वह है पारेषण की जनरेशन तो यह हमारे यहां काफी बढ़ गया आपके सबके आशीर्वाद से लेकिन इस समय पारेषण के इम्प्रूवमेन्ट की हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई है उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं और आगे आने वाले दिनों में कुछ पारेषण लायेंगे जो 4-5 वर्षों में हमारा पूरा होगा वह आनपारा "बी" उन्नाव 450 कि0 मी0, उन्नाव लखनऊ 55 कि0 मी0, उन्नाव पनकी 40 कि0 मी0, आगरा मुरादाबाद 190 कि0 मी0, उन्नाव आगरा 250 कि0 मी0, उन्नाव बरेली 250 कि0 मी0। मान्यवर, इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि यह पारेषण की इस तरीके से जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है उस ऊर्जा को इक्वेट करके उपभोक्ता तक पहुंचा सके, यह हमारा प्रयास है। इधर मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की बहुत मांग हो रही है और यह सही भी है और मांग ही नही हो रही है मान्यवर, अब वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे उपभोक्ता सिर्फ सिंचाई के लिए विद्युत की मांग नहीं करते बल्कि जीवन के रहन-सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिये विद्युत आपूर्ति की जरूरत है । तो मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अच्छी विद्युत आपूर्ति के लिये प्रयत्नशील हैं और उसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में भी सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट की योजना बनाई जा रही है और हम योजना बना कर भारत सरकार को भेज रहे हैं, फाइनेन्स कार्पोरेशन से आर0 ई0 सी0

के माध्यम से । मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में बहुत जगह वितरण की दिक्कत आती है और जो हमारा सिस्टम है, बहुत पुराना है, उसको बदलना चाहते हैं । मान्यवर, 40 बड़े नगरों के लिये योजना बनवा रहे हैं कि इनमें किस तरह से विद्युत की आपूर्ति को और अच्छा बनाया जा सकता है ?

मान्यवर, शहरों में विद्युत आपूर्ति के लिये और नये कार्यक्रम शुरू किये हैं । लखनऊ में ट्राली माउन्टेड ट्रान्सफार्मर्स शुरू कराए हैं । पहले खराबी आ जाती थी तो 2-3 दिन विद्युत आपूर्ति रुकी रहती थी । अब अगर खराबी हो जाती है तो ट्राली में माउन्टेड ट्रान्सफार्मर्स पहुंचा दिये जाते हैं और 3-4 घन्टे में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाती है । शुरू-शुरू में ट्राली माउन्टेड ट्रान्सफार्मर्स की व्यवस्था प्रदेश के जितने महा नगर हैं, उनमें इस वर्ष व्यवस्था कराने के लिये प्रयत्नशील हैं, जिससे निश्चित तौर पर विद्युत आपूर्ति में सुविधा होगी और लोगों को अच्छी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी । मान्यवर, हम कितना भी विद्युत उत्पादन कर लें, जब तक उपभोक्ता को अच्छी सप्लाई नहीं होती, जब तक उपभोक्ता को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, तब तक सारा प्रयास असफल रहता है । इसके लिये कई प्रकार से प्रयास किये गये । पहले डिपाजिट का पैसा बोर्ड में आता था, फिर वापस जाता था, जिससे बड़ी कठिनाई होती थी । अब यह फैसला लिया गया कि जो डिपाजिट का पैसा है, जिस डिवीजन का है, वहीं पर रखा जायगा और वहीं पर व्यय कर दिया जायगा । सम्मानित सदस्यों ने महसूस किया होगा कि इसमें बड़ी कठिनाई होती थी और बड़ा इन्तजार करना पड़ता था कनेक्शन लेने के लिये । हमने कई बार अभियान चला कर जैसे 15 अगस्त तक लाइट और फैन के जितने कनेक्शन थे, सारे एक ड्राइव चला कर 31 अक्टूबर तक सारे लम्बित केस डिस्पोज आफ कर दिये और कनेक्शन दिलवा दिये । अब कम से कम लाइट और फैन में कम से कम दिक्कत होती है । एक गाइड बुक हम जारी करने जा रहे हैं उपभोक्ताओं के लिये, ताकि उनको पता रहे कि किस काम के लिये किसके पास जाना चाहिये और किस कठिनाई को कौन दूर कर सकता है । इसमें जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये हमने एक और प्रयास किया । मान्यवर, पूरे प्रदेश भर में उपभोक्ता सेवा शिविर 800 से भी ज्यादा लगाए गए जिसमें तमाम उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का निराकरण मौके पर किया गया । मान्यवर, इसी तरह से हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर उपभोक्ता सेवा उपभोक्ताओं की हो और लोगों को कम से कम कठिनाई हो । मान्यवर, कई बार यह हुआ कि कई सम्मानित सदस्यों ने कहा कि एप्लीकेशन और कनेक्शन मिलने के बीच जो समय लगता है, वह ज्यादा है, खास तौर पर किसानों के बारे में और उद्योगों के बारे में, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके सामने एक ऐसी योजना हम लायेंगे जिससे किसानों की जो एप्लीकेशन हैं, उससे विद्युत आपूर्ति के समय में कमी की जा सकेगी । यह योजना भी मान्यवर, बहुत जल्द लाने वाले हैं । मान्यवर,

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

एक बात की समानित सदस्य चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी विद्युत चोरी के बारे में । माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि विद्युत चोरी को हम बहुत सख्ती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ इनको ले रहे हैं । मान्यवर,

इस वर्ष 55 हजार से ज्यादा छापे डलवाये गये पूरे प्रदेश भर में जबकि मान्यवर पिछले वर्ष 30,096 छापे डाले गये थे । तमाम डिस्कनेक्शन किये गये । 8 हजार से अधिक लोग जो विद्युत चोरी करते थे, विद्युत चोरी के अपराध में पकड़े गये और गिरफ्तार किये गये और उनको जेल भेजा गया तो मान्यवर प्रदेश में एक इस तरीके का वातावरण बना है । सिर्फ यही नहीं कि उपभोक्ता चोरी कर रहे हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय बल्कि हम यह तय करने जा रहे हैं और यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जूनियर इंजीनियर जो 33 के0 वी0 सब स्टेशन पर है वह इसके लिये उत्तरदायी होगा और उस स्तर तक भी हम इसकी मानिटरिंग करने जा रहे हैं ।

उपभोक्ता की बेहतर सेवा के लिए एक और कार्यवाही करने जा रहे है । अभी तक हमारी उपभोक्ता समितियां जिला स्तर तक थीं हालांकि वह समितियां, इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं है, प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही थीं, कोशिश होगी कि प्रभावी ढंग से काम करें, लेकिन मान्यवर, जो हम एक और नया कदम उठाने जा रहे हैं फोकल प्वाइन्ट है 33 के0 वी0 का सब स्टेशन जहां से विद्युत का बटवारा शुरू होता है प्रदेश में ग्यारह सौ से अधिक 33 के0 वी0 के सब स्टेशन हैं, वह सभी सब स्टेशन पर, एक-एक सब स्टेशन पर, एक एक उपभोक्ता समिति बने, ताकि जो वहां के उपभोक्ता होंगे, उनकी कठिनाइयां दूर हों इस तरह से हमारा यह प्रयास है । मान्यवर, इस तरह के बहुत सारे प्रयास है लेकिन सारे काम के लिए दिक्कत है धन की । धन एक बहुत बड़ी कठिनाई है माननीय सदस्य चाहते हैं कि गांवों का विद्युतीकरण और तेज होना चाहिए मैं भी चाहता हूं आपको मान्यवर स्मरण होगा और सम्मानित सदस्यों को स्मरण होगा कि यह लक्ष्य 2680 गांवों के विद्युतीकरण करने का था, 15 हजार प्राइवेट ट्यूबवेल के इनरजाइज करने का लक्ष्य था इस वर्ष तेज हुआ हमारे हिस्से में यह काम आया हमने प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्य मंत्री जी के सहयोग से 15 हजार के लक्ष्य बढ़ाकर के 32 हजार कराया और 2680 के लक्ष्य को बढ़ाकर 4 हजार कराया पूरी कोशिश है कि जो लक्ष्य बढ़ाया है इस लक्ष्य को पूरा कर सकें । एक कठिनाई सामने आ गई उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं हो रहा है कंडक्टर की कमी अल्मुनियम की कमी हो गई उसके लिए मान्यवर, हमारे स्तर से एक प्रयास भारत सरकार से किया गया कुछ अल्युमिनियम मिला लेकिन अल्युमिनियम की कमी, कंडक्टर में कठिनाई हो रही है मान्यवर, अल्मुनियम बनाने वाली कम्पनीज है जो कंडक्टर मैन्युफेक्चरर्स है उनको भी शायद 16 तारीख को बुलाया हुआ है, हम उनसे बात करेंगे प्रयास है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह लक्ष्य किसी न किसी तरीके से पूरा किया जा सके । यह हमारा पूरा प्रयास होगा । गांवों के विद्युतीकरण की जहां तक बात है । 1951 में सिर्फ 110 गांवों का विद्युतीकरण हुआ । अब सी0 जी0 डिफिनियेशन के हिसाब से 76,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तीव्र गति है । दरअसल गांवों का विद्युतीकरण है उसमें अभी कमी है । यह करीब 43 हजार कुछ गांवों का एल0 टी0 मील से विद्युतीकरण हुआ है अभी तक, अब इस गति को बढ़ाना है हमारा प्रयास होगा मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस साल जो हमारा लक्ष्य 4 हजार गांवों के विद्युतीकरण करने का था, उसको

अगले वर्ष हम ड्योढ़ा यानी 6 हजार करेंगे । इसी तरह इस वर्ष हमने 32 हजार पम्पिंग सेट को इलेक्ट्रिफाइज करने का लक्ष्य रखा था, जिसको बढ़ाकर हम अगले वर्ष 48 हजार यानि ड्योढ़ा करने जा रहे हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने का हमारा प्रयास होगा और इसके लिये हमारी आर0 ई0 सी0, भारत सरकार से बात हो रही है और हमें आशा है कि इस बारे में हमें सफलता भी मिलेगी ।

मैं बात कर रहा था रेवेन्यू की, पैसा कहां से आये ? मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस-किस स्रोत से हमने पैसा इकट्ठा किया और किस-किस महीने में कितना-कितना रेवन्यू कलेक्ट किया ? लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष फरवरी माह से इस वर्ष फरवरी माह तक तुलना में लगभग 155 करोड़ रुपया अधिक वसूल किया गया है और यह काम विद्युत परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास से हुआ है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि रेवन्यू कलेक्शन के बारे में हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है, हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रेवन्यू को और बढ़ाया जाय तथा जो कमी है, उसे कैसे पूरा किया जाय ?

मान्यवर, एक बात और सदन में कई बार आयी है। मैं सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। तमाम बार विद्युत परिषद् में, विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार, बेईमानी की शिकायतें की गयीं। मान्यवर, मैं इस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी और कर्मचारी अगर बेईमानी करेगा, तो हम उसको कभी माफ करने वाले नहीं हैं और मान्यवर, इसके लिये हमने दो उपाय किये हैं । जब विद्युत परिषद् में कोई अधिकारी सेवा में आयेगा, तो उसे अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देना पड़ेगा और प्रत्येक 5 वर्ष बाद फिर उसे सम्पत्ति का विवरण देना पड़ेगा, यह फैसला ले लिया गया है और अभी 31 मार्च तक जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी को यह कह दिया गया है कि वह अपनी सम्पत्ति का विवरण दे दें, यह फैसला विद्युत परिषद् द्वारा ले लिया गया है । इसी तरह से जो खरीद में भ्रष्टाचार की बातें हैं, उसको भी हम पूरी तरीके से दिखवाने और नियंत्रित करने की कोशिश में हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि विद्युत परिषद् एक आटोनमस बाडी है और रोज के उसके कामकाज में दखल देना मैं मुनासिब नहीं समझता । हमने कोशिश की है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें । लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत पायी जाती है, या कोई निश्चित शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसमें भी कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेंगे, इसके लिये मैं सदस्यों को पूरी तौर से आश्वस्त करना चाहता हूं । मैं आज ज्यादा समय देना चाहता हूं अपने सम्मानित सदस्यों के सुझाव सुनने में और सुझाव जानने में, उनके ज्ञान का लाभ उठाने में, लिहाजा हमारे मित्र अभी प्रस्ताव करेंगे कि इसकी कटौती करके एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, एक तरफ विद्युतीकरण की बात होगी, एक तरफ बेहतर उपभोक्ता सेवाओं की बात होगी और दूसरी तरफ हमारे साथी मांग करेंगे कि इसकी धनराशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाय। मान्यवर, इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है, कि दर असल विद्युत का विकास हो, ऊर्जा का विकास हो, लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो। मैं इनसे यह अपेक्षा करूंगा कि उस तरफ के हमारे साथी यह प्लीड करेंगे कि न्यूनतम से न्यूनतम धनराशि इसमें दी जाय। अभी जब चर्चा होगी, तो और बहुत सी

बातें सामने आयेंगी और तब मैं और भी तमाम बातें यहां प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन होगा कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस पर विचार किया जाय और सम्मानित सदस्यगण अपनी राय दें, यह मैं अपेक्षा करूंगा। मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10 ऊर्जा विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से माननीय ऊर्जा मंत्री जी के भाषण को सुना और उनके भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा कि प्रदेश जो है ऊर्जा के मामले में, विद्युत के मामले में, इतनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है कि अब हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रह गई है। यह बात सही है कि वर्तमान समय में ऊर्जा अथवा शक्ति के अभाव में आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान की परिकल्पना करना भी दिवास्वप्न के समान है। इस विकसित वैज्ञानिक युग में विद्युत शक्ति ऊर्जा का सबसे सुलभ मुख्य स्रोत है। सही बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी कितनी भी बड़ाई क्यों न कर लें अपने कारनामों की लेकिन आज हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत में बहुत पीछे है। किसी भी देश के विकास व पिछड़ेपन को मापने का आज के युग में सबसे उत्तम पैमाना यही है कि वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत की खपत कितनी है।

मान्यवर, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर इसकी खपत 10 हजार यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। वहीं पर भारतवर्ष में यह खपत केवल 191 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है और उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और भी दयनीय है। देश के जो 17 प्रमुख प्रदेश हैं, उनमें हमारा स्थान 15वां है। मान्यवर, मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, पंजाब में यह खपत 481 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, महाराष्ट्र में 327, गुजरात में 320, हरियाणा में 272, तमिलनाडु में 238, आन्ध्र प्रदेश में 205, कर्नाटक में 197, मध्य प्रदेश में 182, राजस्थान में 155, उड़ीसा में 146, हिमांचल प्रदेश में 145, जम्मू काश्मीर में 140, पश्चिम बंगाल में 137 और केरल में 135 है और हमारे उत्तर प्रदेश में यह केवल 131 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसी प्रकार हमारे देश में जितने भी बड़े प्रदेश हैं, उसमें से बिहार और आसाम को छोड़कर, हम सबसे पीछे हैं। बड़ी शर्म आती है। उसके बाद भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारी प्रगति का रथ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।

श्रीमन् यह स्थिति तब हुई जब 1951-52 से लेकर 1985-86 की अवधि के दौरान 14509 करोड़ रुपए आयोजनागत विनियोग से 32 परसेन्ट, 4666 करोड़ रुपए की धनराशि केवल ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुई। ऊर्जा प्राप्ति के लिए परिव्यय में प्राथमिक के आधार पर वृद्धि की जाती रही और पहली योजना में इस पर विनियोग 15.2 प्रतिशत था जो 5वीं योजना में 38 प्रतिशत हो गया। सातवीं योजना में जिसका बड़ा बयान किया

है हमारे माननीय मंत्री जी ने, उसमें ऊर्जा पर विनियोग का प्रतिशत घटकर 31.4 प्रतिशत रह गया है। हमारा टोटल प्लान आउट ले 11 हजार करोड़ रुपए का था, उसमें से हम केवल 3440 करोड़ रुपए ही बिजली पर खर्च कर पा रहे हैं। उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि 7वीं योजना का टोटल आउट ले ऊर्जा के लिए 3440 करोड़ रुपए था और अनुमानित परिव्यय 3247.82 करोड़ रुपए था। जिस रफ्तार से हम कार्य कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम इस राशि का भी पूरा उपयोग नहीं कर पायेंगे। निर्धारित अवधि में हम केवल 1985-86 में 572 करोड़ रुपए, 1986-87 में 578.81 करोड़ और 1987-88 में 454.16 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं। 1989-90 में 801.06 करोड़ रुपए के आउट ले में से 550.28 करोड़ रुपए के उपयोग करने की सम्भावना है।

श्रीमन् 89-90 में कुल प्रस्तावित आउट-ले 1057.57 करोड़ रु0 का है जो अभी तक की हालत को देखते हुए, उसका यूटिलाइजेशन असम्भव दिख रहा है। पिछले 3 वर्षों में 1615.79 करोड़ रु0 खर्च किया। तीन सालों में इतना खर्च कर रहे हैं और एक साल में 1057.57 करोड़ रु0 खर्च कर डालेंगे। इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 4053.39 करोड़ रु0 का पूंजी निवेश ऊर्जा पर किया गया। इसमें विद्युत उत्पादन पर 2409.30 करोड़ रु0, पारेषण वितरण पर 1191.72 करोड़ रु0, ग्रामीण विद्युतीकरण पर 420.88 करोड़ रु0, अन्य संसाधन एवं छोटी योजनाओं पर 21.45 करोड़ रु0 व्यय किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन पर 2154.75 करोड़ रु0, पारेषण वितरण पर 927.72 करोड़ रु0, ग्रामीण विद्युतीकरण पर 284.53 करोड़ रु0 अन्य संसाधन एवं छोटी योजनाओं पर 13 करोड़ रु0 व्यय करने का इनके लिये योजनाओं का प्रस्ताव है। इस तरह से सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के मुताबिक अधिष्ठापित क्षमता 79-80 में 3340 मेगावाट थी, छठी योजना में 84-85 में 1138 मेगावाट की वृद्धि हुई, 85-86 में 4355 मेगावाट, 86-87 में 4566 मेगावाट हो गयी। राष्ट्र की अधिष्ठापित क्षमता में 9.8 प्रतिशत योगदान था हमारे प्रदेश का जो कि 84-85 में 9.3 प्रतिशत रह गया। इससे स्पष्ट है कि और प्रदेशों के मुकाबले में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन राष्ट्र की कुल अधिष्ठापित क्षमता में हमारा योगदान 9.8 प्रतिशत से घटकर मात्र 9.3 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों में भी विद्युत के उपभोग के क्षेत्र में कमी हुई है। 80-81 में जहां उद्योगों के लिये वितरण का प्रतिशत 44 था वहीं 84-85 में यह 37.5 प्रतिशत रह गया। यह मैं आंकड़े जो दे रहा हूं उत्तर प्रदेश करधान समीक्षा समिति का जो प्रतिवेदन है, उसी से पढ़ रहा हूं। कृषि के क्षेत्र में 80-81 में यह 33.8 प्रतिशत था। जो 84-85 में मात्र 32.5 प्रतिशत रह गया।

माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण विद्युतीकरण की काफी बात की। ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में भी हम देश के अन्य प्रदेशों से बहुत पिछड़े हैं। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु वहां पर सब गांवों का विद्युती-

करण हो गया है लेकिन हमारे प्रदेश में 1,62,588 गांवों में से मात्र 75,749 गांवों में बिजली पहुंची है । ये आंकड़े तो मुझे मिले, आपकी किताबों से जो 31-1-89 तक के हैं । मंत्री जी के पास लेटेस्ट आंकड़े होंगे वे बता दें यदि कुछ बढ़ोत्तरी हुई हो । यह भी तब है जब एक गांव में 1-2 खम्भे लगा देते हैं, उसमें 7–8 पुरवे होते हैं, किसी एक पुरवे में 2-3 खम्भे लगा दिये, वह गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गया । इसी तरह से यह भी देखें कि खम्भों को लगाने में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है ? आप मंत्री हो गये हैं शायद आपको न मालूम हो, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, खम्भा ले जाने में और लगाने में अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं यह दोनों पक्षों के लोग जानते हैं ।

मैं नहीं समझता हूं कि अब इस सम्मानित सदन में बताने की जरूरत है, इसे कोई जानता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं मा0 मंत्री जी कि यदि आप सही माने में विकास चाहते हैं तो केवल दो खम्भे लगा कर कह देना कि गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया, यह ठीक नहीं है । इन सारी बातों को देखना होगा । 31-1-89 तक केवल 4434 हरिजन बस्तियों तक खम्भे पहुंचे हैं । 31-1-89 तक का बिजली की अधिष्ठापित क्षमता 5056.35 मेगावाट का है । माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है उस हिसाब से जनवरी, 1989 में प्लान्ट लोड फैक्टर इसका उत्पादन 53.4 था । इसके बावजूद विद्युत का उत्पादन घटा है और इसका कारण क्या है, इसको गम्भीरता से देखना होगा ।

आज आवश्यकता है कि प्रति व्यक्ति विद्युत के खपत में वृद्धि किया जाय, लेकिन सही बात यह है कि बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच जो खाई है वह निरन्तर बढ़ती चली जा रही है । इसके गैप में कमी नहीं हुई है, यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है । सेवेंथ प्लान के अन्त में डिमाण्ड 6052 मेगावाट की होगी और उपलब्धता 4330 मेगावाट की यानी कि 28.5 प्रतिशत की कमी है । इस कमी को दूर करने पर विचार करने और कुछ करने की जरूरत है । आपने जो बातें बतलायी हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उससे इस प्रतिशत की कमी को आप हल कर पायेंगे ।

इसी तरह से बिजली अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रदेश में काफी मंहगी है । तामिलनाडू तथा हमारे प्रदेश की बिजली की दर में में आठ-नौ गुने का अन्तर है । इसी तरह से प्रदेश के तापीय विद्युत स्टेशन में ईंधन की लागत में भारी अन्तर है और यह शो करता है कि हमारे प्रोडक्शन के जो अड्डे हैं वहां काफी भ्रष्टाचार है । मान्यवर, इस संबंध में, मैं आपकी अनुमति से कराधान समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 का यहां उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है कि प्रति किलो वाट घन्टे को इसमें दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार है:–

ओबरा	24.38
ओबरा विस्तार I	23.02
ओबरा विस्तार II	25.17
पनकी (पुरानी)	35.03

पनकी विस्तार	35.34
हरदुआ गंज "ए"	58.29
हरदुआ गंज "बी"	45.43
हरदुआ गंज "सी"	42.04
आर0 पी0 एस0 कानपुर	61.84
छोटे तापीय विद्युत गृह (औसत)	82.32

आखिर इतना अन्तर क्यों होता है ? कहीं न कहीं, कोई न कोई तो खामी है इन मामलों में और भ्रष्टाचार के कारण यह निरन्तर घाटे में जा रही है । इसके अलावा 1980-81 में प्रति किलो वाट घन्टा औसत लागत 16.82 पैसे थी और अब 32.08 पैसे प्रति किलो वाट घन्टा हो गयी है । इसलिये इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम अपने प्रदेश को अन्य दूसरे प्रदेशों की तरह बिजली उपलब्ध कराना चाहते हैं ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का घाटा 31-3-88 तक जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है 728.13 करोड़ रु0 का है और इसका प्रमुख कारण है विद्युत पारेषण और वितरण में लाइन क्षति का अत्यधिक होना । यही इसका प्रमुख कारण है । इस पर हमको कहीं न कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा, बकाया राजस्व की वसूली न होना तथा बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी का होना । यह भी एक प्रमुख कारण है मान्यवर इनके घाटे का । श्रीमन्, यह भी इसी सदन में बताया गया कि 31-12-88 तक 146 बड़े-बड़े लोगों पर, उद्योगपतियों के ऊपर लगभग 5 लाख रुपयों से अधिक का बकाया है और अब तक ऐसे लोगों पर कुल लगभग 221.07 करोड़ की धनराशि बकाया है, इसको वसूल करने की कार्यवाही मान्यवर आपको करनी होगी और जब आप इनकी वसूली में नर्मी बरतते हो, नियमों के मुताबिक कार्यवाही नहीं करोगे तो यह पैसा वसूल नहीं पाओगे और इसका नतीजा दूसरी तरफ यह निकलता है कि गरीब लोगों में और किसानों में एक असंतोष की भावना फूटती है कि सरकार के कायदे और कानून मात्र हम छोटों के लिए हैं, इन बड़े-बड़े लोगों व उद्योगपतियों के लिए नहीं हैं ।

श्रीमन् इसके अलावा विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर भी काफी चर्चा हुयी है जिस पर आपने ही बताया कि इसको दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि घाटे को पूरा किया जा सके और इसके अलावा और दूसरे काम भी कर सकें, लेकिन श्रीमन् मुझे इस बात से निराशा हुयी कि आपने कहा कि जो भ्रष्टाचार है, जो कमीशन खोरी है, उसे जो करेगा, और अगर कोई बेईमानी करेगा तो उसे माफ नहीं किया जायेगा । तो श्रीमन्, आपके बयान से ऐसा लगा जैसे कि आज तक आपके विभाग में किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी होती ही नहीं है, अगर कोई बेईमानी करेगा तो उसे बक्शा नहीं जायेगा, श्रीमन् यह कर तो आप ऐसे लोगों को और संरक्षण दे रहे हैं और आपकी इस बात से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में, कमीशन खोरी में और बढ़ावा आयेगा और ऐसे लोगों का उत्साह वर्धन होगा, हिम्मत और बढ़ेगी कि जब हमने इतनी

इतनी बेईमानी और कमीशन खोरी कर ली, जिसे माननीय मंत्री जी आज तक पकड़ नहीं पाये, इस प्रकार से आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं यानी आज तक इनके यहां कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, अगर होता तो माननीय मंत्री जी उसे माफ न करते । जबकि श्रीमन् इस विभाग में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जगह-जगह पर गड़बड़ी है ।

एक उदाहरण है मान्यवर हमारे पास कि जब आपके विभाग वाले पैसा बकाये का वसूलने को जाते हैं उपभोक्ता के पास और वह हजारों की तादाद में धनराशि जमा भी कर देता है और उसको रसीद भी मिल जाती है, लेकिन उस पैसे का इंद्राज सरकारी अभिलेखों में नहीं किया जाता है और न ही वह राशि विभाग के लेखों में जमा होती है । हमारे यहां के दया शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने 2 हजार रु0 जमा किये जिसकी रसीद भी उनको दे दी गयी, लेकिन लेखों में दर्ज नहीं किया गया, जिससे उस पर फिर बकाया बना रहा, इसकी जब शिकायत हुई और वह रसीद की फोटोस्टेट कापी तथा उनकी एप्लीकेशन लेकर मैंने मुख्य सचिव के पास भेजा और उनसे कहा कि यह जो गबन का मामला है इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए, तो मुख्य सचिव ने कुछ दिन बाद लिखकर सूचित किया कि उसे मैंने ऊर्जा सचिव के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया है और इस बारे में बाद में जब मैं यहां पर प्रश्न लाया तो उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा कोई पत्र आपका यहां प्राप्त नहीं हुआ है, यह मान्यवर, बड़े ही शर्म की बात है कि आपने अधिकारियों की गलत सूचना पर यह उत्तर सदन में दे दिया, तब मैंने इस पर विशेषाधिकार की नोटिस दिया तो आपने मुझे आज तक सूचित नहीं किया कि आप ने उस पर क्या किया ? इसलिए मान्यवर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहूंगा कि कहीं न कहीं आपके आचरण पर भी संदेह हो रहा है वरना कौन सी बात आड़े आ रही है जो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में, बल्कि आप एक तरह से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे काम कहीं पर भी चलने वाला नहीं है आपको ऐसे लोगों पर रोक लगानी पड़ेगी ।

श्रीमन् कमीशन खोरी के लिये घटिया ट्रान्सफार्मर और बिजली के मीटरों की खरीदारी का मामला रोज अखबारों में छपता है और सदन में आ रहा है । इनका बिजली की चोरी में योगदान होता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी चोरी से लाइन लासेज में वृद्धि हो रही है । लाइन लासेज का मुख्य कारण यह है कि घटिया किस्म के ट्रान्सफार्मर लगाये जाते हैं । दिसम्बर, 1985 में लाइन लासेज 20.5 प्रतिशत थे, 1986-87 में 20.7 प्रतिशत हो गये, 1987-88 में 26.8 प्रतिशत हो गये और अक्तूबर 1988 के अन्त तक 31.07 प्रतिशत हो गये । देश की औसत लाइन लास 21.7 है, उससे हमारे यहां का लाइन लास 10 प्रतिशत अधिक है । यह जो लाइन लासेज बढ़ रहे हैं, इनमें जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्या यह भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है, भ्रष्टाचार को नहीं दर्शाता है ।

मान्यवर, एक और मजे की बात है, जितनी भी अधिक लाइन लासेज हो रहे हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं । वहां पर लाइन लास 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है । इसी तरह से जो ट्रान्सफार्मर जल गये हैं, या खराब हो गये हैं,

उसका कारण यह है कि उनकी खरीद में हेराफेरी होती है । इसको बन्द करने के लिये आपने कोई भी बात अपने भाषण में नहीं कही है । या तो आप नकारते हैं कि इस तरह की घटनायें नहीं हो रही हैं । अगर आपके संज्ञान में इस तरह की घटनायें हैं और आप अनुभव करते हैं, तो आपने इसको रोकने के लिये कौन सा कदम उठाया है और अगर नहीं उठाया है, तो कौन से कारण हैं जो आपको मजबूर कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि जब आप अपना उत्तर भाषण दें, तो इस पर अवश्य प्रकाश डालें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसी हेरा फेरी के सहारे फर्जी कनेक्शन दिये जाते हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है । दिसम्बर, 1988 तक 22 हजार ट्रान्सफार्मर जले दिखाये गये, उनमें से 22·5 प्रतिशत मेरठ जोन में और 22·4 प्रतिशत आगरा जोन में दिखाये गये । क्या कारण है कि यहां पर सर्वाधिक प्रतिशत है ? इसकी भी आपको जांच करानी पड़ेगी । इसी तरह से सीमेंट के पी0 सी0 सी0 सपोर्ट पोल की बात है । आपके विद्युत परिषद् ने इनके निर्माण के लिए लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद गोरखपुर और रूड़की में फैक्ट्रियां स्थापित की है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन फैक्टियों की जो उत्पादन क्षमता है, उसको आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं ? उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाया है ? अगर नहीं उठाया है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कमीशनखोरी आड़े आ रही है. चाहे अधिकारियों की हो या राजनेताओं की भागीदारी हो । इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, मैं चाहूंगा कि समय रहते इसका सुधार हो जाना चाहिये, इस दिशा में हमको और आपको कुछ करना पड़ेगा ।

इसी तरह से मैंने पिछले सप्ताह में बताया था कि एक लाख खम्भों की खपत है, और 3 लाख खम्भे खरीदे गये हैं । 70 और 74 हजार खम्भे अगर फरवरी के अन्त और मार्च के शुरू तक इनकी खपत होती है तो 3 लाख जो बचे खम्भे हैं, उनका उपयोग हो जायेगा, यह हम मानने को तैयार नहीं हैं । और न ही इसका मा0 मंत्री जी के पास कोई उत्तर ही होगा । मेरा आरोप है कि जो 3 लाख खम्भे खरीदने का काम किया गया है उसमें 15 रुपया प्रति खम्भा कमीशन लिया गया है, इसीलिये तो आप उत्पादन क्षमता अपनी फैक्ट्रियों की नहीं बढ़ा रहे हैं । उपभोग का कोई चांस न होने के बावजूद खरीदारी और भंडारण करने की प्रक्रिया में कोई अंकुश नहीं लगा रखा है । इसलिए इस प्रवृत्ति पर भी आप अंकुश लगायें । क्योंकि न्याय का एक सिद्धान्त है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि लगे भी कि न्याय हो रहा है । आपका आचरण सही है यह काफी नहीं है बल्कि जनता को यह भी लगे कि वह सही है । जनता यह समझे कि न्याय हो रहा है और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो रहा है । इस तरह से आपके विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसमें भी बदलाव होना चाहिए । यह मैं कहना चाहता हूं । क्या कारण था कि पहले आपके ये पोल सीधे फैक्ट्री से साइट पर भेज दिये जाते थे और अब जो अधिकारी आपके विभाग में आया तो उसने आदेश कर दिया कि पहले वह स्टाक में आयेंगे उसमें दर्ज होंगे और फिर साइट पर जायेंगे उसके बाद पहले और जहां दो तीन लाख खम्भों की बात होती थी वह घटकर 74 हजार हो गयी ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं गोलमाल होता था । आप चाहते हैं कि आपके विभाग की छवि स्वच्छ बने तो इन खम्भों की खरीद के बारे में इतना बड़ा अन्तर क्यों इसे बताना पड़ेगा ?

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से एक निवेदन और करना चाहता हूं । सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन की आलोचना का स्थान नहीं रह जाता लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन को छूने लगे तो एक दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों न हो । मेरे पास कुछ कापियां हैं । आप अपने गृह जनपद में गये थे । आपने वहां दो-तीन उद्घाटन किये जिसमें से एक उद्घाटन पिलखानी में आपने किया जिसमें 6950 रुपये का व्यय हुआ । इन्जीनियर ने चिठ्ठी लिखी है । मान्यवर, उसकी फोटोकापी यदि आप चाहें तो मैं भेज दूंगा । इन्जीनियर ने लिखा कि दूसरा पेमेन्ट कर दें । यहां से उसका उत्तर गया कि इसके लिये कोई प्राविधान बजट में नहीं है ।

इसी तरह से एक दूसरा गांव था कुटीर ज्योति योजना जो हाथीगांव में हुआ, वहां पर भी 6950 रुपया व्यय हुआ । इसी तरह से एक तीसरा गांव था जहां पर उद्घाटन में 6200 रुपया खर्च हुआ । यह गांव है सौर ब्लाक में अमरौधा जो कानपुर में है। उस इंजीनियर ने यह भी लिखा था कि 5 हजार रुपये का बजटरी प्राविधान कर दिया जाय ताकि हर उद्घाटन में जब मंत्री जी कहीं जायं तो उस पर यह व्यय कर दिया जाय ताकि हर उद्घाटन में जब मंत्री जी कहीं जायं तो उस पर यह व्यय कर दिया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह गांधी और गौतम का देश है जहां की 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, वहां पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एक-एक समारोह में इस तरह से बहा देंगे तो यहां की जनता आपको क्षमा नहीं करेगी और इसे आपकी आत्मा भी न्यायसंगत नहीं समझेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो बाहखर्ची है उस पर भी हमको प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा । आप रोज मितव्ययिता की बात करते हैं । जब उधर से मंत्रीगण बैठते हैं और जो नमूना वे पेश करते हैं तो वह चौंकाने वाला होता है । इसलिये आप कमीशन खोरी का रास्ता छोड़कर जब उसी डगर पर चलेंगे जिसमें चलने के लिये हमें गांधी और गौतम ने सिखाया था तब इस प्रदेश के 12 करोड़ गरीबों की झोपड़ियों में आशा की किरण पहुंचेगी, रोशनी पहुंचेगी और तब उनके घरों में दिये जगमगा सकेंगे । इसलिये मैं इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर हमें ईमानदारी के साथ प्रदेश के विकास के लिये एक संकल्प और शक्ति के साथ आगे बढ़ना है तो आईये हम मिल कर एक प्रतिज्ञा करें कि आज तक जो हुआ सो हुआ लेकिन आगे के लिये विभागों से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को मिटाना है और अब हमारा आचरण ऐसा नहीं होगा जिससे इस तरह के कार्यों को संरक्षण मिले । मैंने उन्हीं मुद्दों को यहां पर कहा, मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मैंने श्री गणेश किया है दिशा देने का प्रयास किया है । हमारे इन सुझावों पर विचार करना होगा और यदि लगे कि यह सही है और जहां भटकाव आया है हमारी योजनाओं में जहां संशोधन की गुंजाइश है तो वहां उसके सुधार करेंगे । अगर आप समझते हैं कि मेरी यह बात सही है तो आईये हम सब मिलकर संकल्प करें और नये सिरे से गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और विकास की गति को आगे बढ़ाये ताकि फिर से हमारा प्रदेश देश में अपने असली गौरवशाली स्थान को प्राप्त कर सके ।

श्री बसंत सिंह गहलौत–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, [xxx]

(व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसे कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री बसंत सिंह गहलौत–

मान्यवर, किसी देश की उन्नति इस बात से आंकी जाती है कि वह देश कितनी ऊर्जा की खपत करता है । जो समृद्ध और विकसित देश हैं उनका जीवन स्तर ऊर्जा की खपत से मालूम होता है । जब हम इस दृष्टि से देखते हैं अपने देश को तो उसे बहुत पीछे पाते हैं । हमें इस बात का संकल्प करना होगा कि हम ऊर्जा की खपत में आगे बढ़े क्योंकि इसी पर हमारी कृषि और उद्योग निर्भर हैं और यह देश के विकास के लिये पहली आवश्यकता है । पिछले दिनों विद्युत मिलने में बड़ी दिक्कत रही और कहा गया कि सूखे के कारण से नदियों का पानी कम हो गया है इसलिये पानी से जो बिजली बनती थी वह नहीं बन पा रही है । यह ठीक बात थी सरकार को बड़े संकट का सामना करना पड़ा और जो इसी तरह तापीय विद्युत हम बनाते हैं उससे हमारा काम चला । जो हमारी विद्युत की कमी है उसे आणविक विद्युत से पूरा कर सकें इसका प्रयास करना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ अधिक ध्यान दें । यह जो शार्टेज हुई इसका एक कारण यह भी है कि हमारे जो साधन हैं उनका पूरा उपयोग नहीं किया जाता है । इसलिये माननीय मंत्री जी को, अधिकारियों को और काम करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों को संकल्प लेना होगा कि आये दिन जो इस तरह की चर्चायें होती हैं वह न हों और आम आदमी के मन में तक यह जो बात है कि जो साधन दिये जाते हैं उनका सही उपयोग नहीं होता है दूर हो सके मैं कटौती की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कहता हूं कि और साधन दिये जायं लेकिन जो साधन दिये जायं उनका सदुपयोग होना चाहिये, हमारी नैतिकता इस बात का तकाजा करती है । जो देहातों में अंधेरा रहता है जिसमें डकैतियां और चोरियां होती हैं उसको अधिकारियों को जाकर देखना चाहिये कि कितना भय वहां बना हुआ है । अगर हममें मानवता है । तो इसे हम देखें और जो बड़े अधिकारी अय्यासी में लगे हुए हैं और जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेते हैं और घटिया माल लगाकर कमीशन खाते हैं, इस दुर्व्यवस्था को दूर करना होगा । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी बुनियाद, जो काम की संस्कृति है, वह विकसित नहीं हो रही है और दूसरे हथकन्डों से अच्छे पदों पर लोगों को लिया जाता है । जब तिकड़म और पैसे द्वारा अच्छी पोस्टें खरीदी जाती है तो ऐसे लोगों द्वारा नीचे से कमाई की जाती है । इससे भ्रष्टाचार जब विभाग में फैलता है तो जिसके हाथों में भी सत्ता होगी वही उसमें

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शामिल होगा और अपनी सत्ता से जनता का शोषण करेगा । इसलिए ऊपर के अधिकारियों और मंत्रियों को इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार न हो । आज हमारा विश्वास खो गया है । भीतर कुछ और बाहर कुछ और है, तो इस संस्कृति को बदलना होगा । मान्यवर, मैं सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को बहकाया नहीं जा सकता है । इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभायें उन्हीं पर हमारे प्रदेश का विकास निर्भर करता है, उनकी बहुत महानता होगी यदि वह इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर कर सकें और आम जनता की तकलीफों को दूर कर सकें ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि तरकोला, उमरी के पास एक सब-स्टेशन बनाने के लिए 10-12 वर्ष पूर्व भूमि अधिगृहीत कर ली गई थी और परिसर के खम्भे भी गाड़ दिए गए परन्तु अभी तक वहां सब-स्टेशन नहीं बना है । मैंने मंत्री जी को भी वर्ष भर पहले इस संबंध में लिखा था और व्यक्तिगत रूप से भी बात की थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरे क्षेत्र में एक दूसरे स्थान बक्सनपुर में भी सब-स्टेशन के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि इन दोनों सब-स्टेशनों का जल्द से जल्द निर्माण करायें ।

मान्यवर, इसी क्षेत्र में बिजली की लाईनें पुरानी हो गई हैं जिसके कारण बिजली संचार ठीक से नहीं हो पाता है इसलिए लाईनों को नया बनाने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, मैं यह भी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नलकूपों का आपने रेट फिक्स कर दिया है लेकिन बिजली उन्हें नहीं सप्लाई की जाती है, इसलिए जब किसान पूरा पैसा देते हैं तो उन्हें पूरी बिजली भी दी जानी चाहिए जिससे उत्पादन बढ़ सके । मान्यवर, जब आबादी 3 प्रतिशत रही है और 12 करोड़ की आबादी में 3 प्रतिशत के हिसाब से छत्तीस लाख बच्चे प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, तो बढ़ी हुई आबादी के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, इसे अधिक बिजली से ही पूरा कर सकते हैं । इसलिए नलकूपों को अधिक बिजली देने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, मैंने मा0 मंत्री जी की बातों को और मा0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव के संबंध में कही गई बातों को सुना तो मुझे पांच बातें ध्यान में आईं । ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, प्रकाश सभी को चाहिए और विद्युत एक मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है । लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि यह एक ऐसा विभाग है जिसमें उत्पादन गिरता जा रहा है और घाटा बढ़ता जा रहा है तथा बकाये और कर्ज

के बोझ से यह विभाग दब गया है । मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है, अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और चोरी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है । तो कोई बता दे कि कैसे यह विभाग बचेगा ? और उत्तर प्रदेश की आम जनता को कैसे प्रकाश मिलेगा ? मंत्री जी इन पांच मुद्दों पर विशेष ध्यान दें कि जहां जांच बिठानी हो वहां बिठाएं और पांचों विभागों को जैसे सम्भल पायें उनको मंत्री जी संभालें । मान्यवर, खेती इससे चलती है, उद्योग इसी के सहारे है, प्रकाश इसी से मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश को अन्य सभी विभागों से इस विभाग ने सबसे ज्यादा निराशा उत्पन्न किया है । मैं चाहूंगा कि इस विभाग में चार-चार मंत्री लगे हैं यदि चारों चाहें तो यह विभाग संभल सकता है मैं चाहूंगा कि वह कोशिश संभालने की करेंगे । मैंने एक बात सुनी है कि लक्ष्य बढ़ा दिया गया है । प्रधान मंत्री की कृपा से ग्रामीण विद्युतीकरण का । अब नहीं समझ में आता कि 88-89 में 2688 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जिसमें 1061 गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है । अब दो माह शेष हैं । 109 गांवों का इस हिसाब से एवरेज आता है । शेष दो माह में 218 का हो जायेगा, लेकिन आपकी 4000 की जो घोषणायें हैं, वह भी पूरी होंगी । इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपका कैसे पूरा हो सकेगा ? यह इस प्रकार का इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित करने का क्या कारण है ? इससे शंकाएं जनमानस में भर गई हैं । इतनी बड़ी घोषणा में कोई दूसरा मामला तो नहीं है । तो उजाला तो मिलेगा नहीं, उसकी गाढ़ी कमाई के धन का वारा न्यारा होगा । 15 हजार नलकूपों के विद्युतीकरण करने की बात थी और 12 हजार का हुआ है । 32 हजार का है, लेकिन कहा है कि अगले वर्ष 64 हजार का कर देंगे । नहीं होगा तो कहने से यह बनेगा नहीं कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों का काम चालू होगा, लेन-देन का काम चालू होगा, गबन-घोटाले होंगे, भ्रष्टाचार जोरों पर चालू हो जायेगा । लेकिन इन ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिलेगी न गांवों में उजाला पहुंचेगा । एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं । आपकी 4 हजार और 32 हजार की घोषणा के यदि किन-किन कम्पनियों से आर्डर आ गए और किन-किन का काम शुरू हो गया, यह आपके देखने और जांचने की बात है । 31 मार्च को 4 हजार गांवों में बिजली और 32 हजार नलकूपों को बिजली देना दिखा दिया जायेगा और उसके पीछे जो लेन-देन होगा वह महान् अनर्थ होगा । इसकी आप जांच कराइये । अन्यथा यह विद्युतीकरण नहीं है, उत्तर प्रदेश के गांवों का विनाशीकरण होगा । इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए ।

मा0 तिवारी जी ने कहा कि 4-4 फैक्ट्रियां चलती हैं जो आपके पोल बनाती हैं । आप बाहर की किसी कम्पनी से न लीजिए चाहे हरियाणा की हो या और कहीं की हो । आप अपने यहां की इन चार फैक्ट्रियों का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाते हैं । आपकी जो यह 4-6 फैक्ट्रियां हैं उन्हें अपने कार्य के लिए सीमेन्ट और लोहा चाहिए । किस-किस महीने में कितना-कितना लोहा और सीमेन्ट इनको दिया गया, यह आप देखिए हो सकता है कि इनको अपने निर्माण की सामग्री लोहा और सीमेन्ट न मिल पाने के कारण खम्भे न बन पाए हों और अधिकारियों ने यह सोचा हो कि बाहर से यह सामान लेकर कमीशनखोरी की जायेगी ।

इस तरह से मैं थोड़ी बात गांव के क्षेत्र की कहना चाहूंगा । आप निर्देश दें कि 10 घर के ऊपर एक खम्भा दिया जायेगा । यह नीति आपकी जब तक चलेगी, गांव की आबादी में बिजली नहीं पहुंचेगी । 200 घर का गांव है, तो 20 खम्भे हुए, लेकिन यह खम्भे प्राय: गांव के बाहर तक ही पहुंच पाते हैं और कागज पर ही विद्युतीकरण गांव का होकर रह जाता है । इस निर्देश को आप वापस लें । जब तक गांव में पूरी बिजली न पहुंचे, तब तक विद्युतीकरण का काम बन्द नहीं किया जाना चाहिए । विद्युत विभाग द्वारा 71 की जनगणना के हिसाब से खम्भे दिये जाते हैं । इस तरह से एक निवेदन मैंने आपसे किया है, लेकिन इसके साथ-साथ ट्रांसफार्मर्स जो आपके जले हैं—बसे हैं या नहीं जले हैं, ट्रांसफार्मर्स जो खरीदे जाते हैं, वे कागज पर खरीदे जाते हैं । आप इन सारे कागजी कार्यों का पता लगाइये । 4-4 मंत्री आप हैं, आपस में काम को बांट लीजिए, अन्यथा अधिकारी अपना घर भरेंगे और विद्युत परिषद् का दीवाला पीटेंगे और मंत्री जी के मुंह में कोई जवाब न होगा, किसी से बात करने वाले नहीं रहेंगे । जहां तक थर्मल प्लान्ट की बात है वर्तमान समय में वह उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है । अत: विद्युत परिषद् में थर्मल के विशेषज्ञ होने चाहिए । विद्युत का उत्पादन होगा तभी तो वितरण हो सकेगा । थर्मल के विशेषज्ञ नहीं होंगे तो वितरण से क्या काम होगा । थर्मल के विशेषज्ञ आप लगायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

चौधरी श्यामलाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जनसंख्या के हिसाब से विद्युत सप्लाई में काफी सुधार हुआ है । मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा । मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और कटौती के प्रस्ताव को भी सुना हर तरफ 1985 से यह आवाज गूंज रही है कि हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है मैं एक बात जानना चाहता हूं और इसमें आपका संरक्षण भी चाहता हूं विद्युत विभाग का बजट 2,76,10,32,000 का है । इसमें केन्द्र सरकार के निर्देश हैं कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण पर भी खर्च किया जायेगा ।

मान्यवर, 1971 की जनगणना को आप देखें 21 परसेन्ट का क्वान्टिटीफिकेशन हुआ है, तो हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की बहुत आवश्यकता है । मान्यवर, आपने एक पावर हाउस दस करोड़ का बनवा दिया है । हरिजनों के पास न जब कोई फैक्ट्री है न कोई इण्डस्ट्री है, तो उनको मात्रा के हिसाब से बिजली नहीं मिल पायेगी । गरीब आदमी इन सब चीजों को नहीं जानता है वह तो यह जानता है कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है आप उन्हें प्रकाश नहीं दे सकते हैं ? संविधान के अनुच्छेद–38 में लिखा है कि गरीब और निर्बल वर्ग के लोग समाज में विकास और प्रोग्रेस करें । हमें ताज्जुब होता है । इस पार्टी के सदस्य और उस पार्टी के सदस्य एक राय के होंगे कि हरिजनों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं । कितने ही विभाग के बजट आये और उनमें कटौती के प्रस्ताव रखे गए सिर्फ हरिजन के लिए चिल्लाहट रहती है । सभी की यह भावना मस्तिष्क से है, दिल से नहीं है वरना आज तक किसी विभाग के बजट

में इन वर्गों के लोगों के लिए मात्राकृत बंटवारा नहीं हुआ है । हम कह सकते हैं कि आपकी भावना कुचली हुई, दबी हुई, डाउन ट्रोडेन पीपुल को, गिरी हुई जनता को उठाने के लिए है तो हमको सोचना पड़ेगा कि इनको उचित हिस्सा मिले । नीडल डिपार्टमेंट जो हरिजन समाज कल्याण विभाग है इस बजट में भी एक पैसा डिवीजिबुल एमाउन्ट पर खर्च नहीं किया है, तो कैसे इन गरीबों का कल्याण होगा ? मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या रखना चाहता हूं । नदी गांव, पठाना कौंच जनपद जालौन में एक इलाका है, जहां पावर स्टेशन बनाने की बात है यह इलाका मध्य प्रदेश से लगता है यहां यहां एक सब स्टेशन की मांग करता हूं वास्तव में यह रिवाइन्स का इलाका है यहां ट्यूब-वेल बने पड़े हैं लेकिन ऊर्जीकरण नहीं हो रहा है, तो उनका ऊर्जीकरण कराया जाए एग्रीकल्चर के लिए अलग से वाटर सप्लाई के लिए अलग में विद्युत की मात्रा निश्चित करा दें ऐसे स्थानों पर जहां रिवाइन्स एरिया है उनका विद्युतीकरण करा दें । नदी गांव में 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन बनाया जावे ।

*श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, तिवारी जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं आज प्रति व्यक्ति विद्युत का जो खर्च है वह आर्थिक विकास का द्योतक है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और ऊर्जा और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम आसाम और बिहार को छोड़कर प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में नीचे हैं । नीचे से हमारा तीसरा स्थान है । केवल आसाम और बिहार ही हमसे पीछे हैं जबकि देश के अन्य प्रदेश प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में हमसे आगे हैं ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

यहां की जो विद्युत परिषद् है उसको 728.13 करोड़ रुपए का घाटा है । यह स्थिति जब है जब हम उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई का दावा करते हैं । एग्री-कल्चर और इण्डस्ट्री को देखें । आन्ध्र प्रदेश में 9.50 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है खेती के लिए और इसी तरह से तामिलनाडु में 11.4 पैसे प्रति यूनिट बिजली कृषकों को खेती के लिए दी जाती है । उत्तर प्रदेश में 42 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है । इसको देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में कितना अधिक पैसा लिया जाता है ? इसी तरह से डोमेस्टिक उपयोग के लिए बिजली दी जाती है । उत्तर प्रदेश में 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है जबकि तामिलनाडु में 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है । तामिलनाडु 55 पैसे डोमेस्टिक और 11.4 पैसे प्रति यूनिट बिजली देकर वहां का बिजली बोर्ड मार्च 87 में 215 करोड़ रुपए प्राफिट में था जबकि इसी अवधि में हमारे यहां का विद्युत बोर्ड 696.6 करोड़ रुपए घाटे में था । हमारे विद्युत बोर्ड को यह घाटा जब है जबकि यहां पर दरें सबसे ज्यादा हैं । इस घाटे का एकमात्र कारण विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार है । मान्यवर, कहा गया है बूंद-बूंद से भरे सरोवर । बूंद-बूंद से सरोवर भर जाती है और अगर बूंद बूंद तालाब से निकाली जाय तो एक दिन सरोवर खाली हो जायगा । मैं इसके उदाहरण के लिए एक पत्र को पढ़ना चाहता हूं । आनरेबल मिनिस्टर फार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इनर्जी एण्ड 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम श्री नरेन्द्र सिंह हैज कन्डेक्टेड ए मीटिंग आफ डिस्ट्रिक आफिसर, एम0 पीज, एम0 एल0 एज, ब्लाक चेयरमैन, एण्ड मेम्बर आफ डिस्ट्रक्ट बार्ड, मेम्बर आफ 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम मीटिंग हिज विजिट 29-12-88. माननीय ऊर्जा मंत्री, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के मंत्री माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने एक मीटिंग जिले के अधिकारियों, सांसदों, विधायकों, ब्लाकों के चेयरमैनों, जिला परिषद् के सदस्यों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्यों की दिनांक 24-12-88 को बुलाई थी ।

एज डिजायड बाई आनरेबुल इनर्जी मिनिस्टर, द अरेन्जमेंट आफ टी एण्ड बिस्कुट्स हव बीन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग एण्ड लंच आफ 120 परसन्स द डिटेल्ड इस्टीमेट आफ इच आइटम एज बिलो ।

द इस्टीमेट आफ रु0 4320 हैज बीन प्रीपेयर्ड टू मीट द एक्सपेन्डीचर ।

जैसा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने चाहा था 120 आदमियों के लिए चाय बिस्कुट व लंच की व्यवस्था की गयी जिस पर 4320 रुपये का खर्च मान्यवर, आया है । तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में इस प्रकार से खर्च किया गया है । देखने में यह एक छोटी सी चीज है लेकिन छोटी चीजों से ही बड़ी-बड़ी बातें बनती हैं । हमारे राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बातों को प्रश्रय देते हैं तो उसका नतीजा होता है कि उससे भ्रष्टाचार जन्म लेता है । आज विद्युत परिषद् भ्रष्टाचार का हाथी बनकर सारे प्रदेश को लील जाने के लिए तैयार खड़ा है । यहां पर विद्युत के पोलों की खरीद में जिस तरह की धांधली हुई है उसका विवरण माननीय तिवारी जी ने दिया है ।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1986-87 में जनवरी के अन्त तक 3 लाख 9 हजार 119 पोलों की खपत हुई है । 1987-88 में जनवरी के अन्त तक 3 लाख 9 हजार 110 पोलों की खपत हुई है और जनवरी 1988-89 के अन्त तक 1 लाख 2 हजार 648 पोलों की खपत हुई है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह खपत पिछले वर्षों के मुकाबले कम क्यों हुई है ? या तो पिछले वर्षों के आंकड़े झूठे हैं या इस साल के आंकड़े झूठे हैं । मान्यवर, असलियत यह है कि एक आदेश निकाला गया है । इसके पहले जब खम्भों की आपूर्ति की जाती थी तो आपूर्ति का आदेश सीधे कर दिया जाता था, विद्युत खण्ड वाले कम्पनियों को सीधे आदेश कर देते थे लेकिन जब पहली बार सैक्शंड स्टीमेट के विरुद्ध खंभों की आपूर्ति होगी । इसी कारण खंभों की खपत में कमी आयी है । पिछले दो सालों में इस प्रदेश के गरीब व्यक्तियों की गाढ़ी-कमाई का 40 करोड़ रुपया से अधिक इस विद्युत परिषद् के अभियंताओं ने, इस विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने खा डाला, समाप्त कर दिया है । ये ट्रांसफार्मरों के मामलों में एक एक्यूरेट कम्पनी, गाजियाबाद को 5 करोड़ से अधिक का आदेश दिया गया, कुल 28 करोड़ के आदेश उन कम्पनियों को दिए गये, जिनकी क्षमता नहीं थी और जो काली सूची में छपे थे, इसी का नतीजा है, जहां तिवारी जी ने बताया कि मेरठ जोन में 22.4 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल गये और आगरा जोन में 22.7 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल गये । उन्होंने ऐसी फर्मों से आपूर्ति कराने का काम किया, जिनकी क्षमता नहीं थी और जिनके पास उत्पादन की गुणवत्ता नहीं थी । यह ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला जो है, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, यह पूरी तरह से फर्जी आंकड़ों पर आधारित है ।

गोरखपुर जनपद के क्षेत्रीय गोदाम में सेन्ट्रल स्टोर से 6 जिलों के विद्युतीकरण हेतु सामान मोहइया कराया जाता है। इस वर्ष जितना सामान मोहइया कराया गया वह एक ही जिले मऊ में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कल्पनाथ राय को खुश करने के लिए मोहइया करा दिया गया, नतीजा यह हुआ कि अन्य जिलों में कोई भी विद्युतीकरण का कार्य आज तक नहीं हुआ है। इसी सदन में श्री राजीव गांधी के आगमन पर बोर्डों और होर्डिंगों पर बिजली की झालर लटका कर चोरी से बिजली कनेक्शन का मामला जो उठाया गया, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इस मामले को दिखलवा लूंगा। आज एक महीने से अधिक का समय हो गया है, परन्तु श्री राजीव गांधी के स्वागत के लिए विद्युत चोरी के स्पष्ट मामले पर कोई कार्यवाही न कर मंत्री जी की नियत और उनकी कथनी और करनी के भेद को बताता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये।

*श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे प्रदेश की सरकार की तरफ से माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो प्रगतिशील बजट इस माननीय सदन के अन्दर रखा है, मैं इसके लिए माननीय विद्युत मंत्री को बधाई देता हूं और इस बजट के समर्थन में अपने सुझाव तथा विचार प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, जो इस बजट में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी है, इसी वर्ष में हमारी प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से जहां यह बोर्ड विद्युत की सामग्री के रख-रखाव पर हम विशेष ध्यान देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो तमाम दुर्घटनाएं जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं, उस ओर भी हमारा नियंत्रण बढ़ेगा। हर मांग से आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण को जैसा कि हमारी सरकार ने इस ओर आगे बढ़ने का कदम बढ़ाया है, मैं इसकी ओर स्वागत करूं। एक ओर जहां 2600 से 4 हजार इस वर्ष विद्युतीकरण का टारगेट रखा गया है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जो नीति हमारी प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की बनाई है, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एल0 टी0 में जो स्कीम है, सी0 एस0 ए0 स्कीम के अन्तर्गत यदि एक भी खम्भा गांव में पहुंचा दिया जाता है, तो उस ग्राम को विद्युतीकृत मान लिया जाता है। यह घोर अन्याय है, उन किसानों पर जो गांवों में रहते हैं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि इस 4 हजार के लक्ष्य को पूरा करें। लेकिन दूसरी ओर जिस गांव को भी लीजिए, अब तक उसका एक-एक मजरा तथा एक-एक ग्रामीण किसान उस विद्युतीकरण से लाभान्वित न हो जाय, तब तक उस गांव को विद्युतीकृत न माना जाय। प्लांट लोड फैक्टर 31 से बढ़ कर 53.5 तक पहुंच गया है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं तो बहुत ही आशा लेकर आया था कि हमारे माननीय लिलारी जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, तमाम सुझाव देंगे, लेकिन आज ऐसा लगा कि उनकी बातों में कोई दम नहीं था, मान्यवर उनके विचारों में कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई। जिस पर हमारी सरकार गम्भीरता से कोई निर्णय लेती। मैं आज इनके द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव को एक परम्परा-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

गत तरीके से रखा गया प्रस्ताव मानते हुए यह निवेदन आपसे और सरकार के करता हूं कि हमारे जो किसानों को बिजली काट दी जाती है, ट्यूबवेलों की जो बिजली काट दी जाती है तो मैं मांग करता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में किसी पूंजीपति के ऊपर एक भी पैसा बिजली का बकाया है तब तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान की बिजली न काटी जाय, यह मैं मांग करता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं अपनी सरकार को यह बधाई देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में, बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में जो 24 घंटे का विद्युत वितरण रखा है और हमारे कानपुर देहात का भी 24 घन्टे बिजली वितरण रखा है इसका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, बिजली के सामान में जिस प्रकार से ट्रान्सफारमर खरीदे जाते हैं या और सामग्रियां सप्लाई की जाती है तो मैं प्रदेश सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसकी गुणवत्ता बनाई जाय । इसमें जो कांट्रेक्टर हैं, सप्लायर हैं उनकी गुणवत्ता की जांच परख कर सप्लाई का मौका दिया जाय । मान्यवर, जो बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की सरकार द्वारा रखे गये बिजली के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत मंत्री जी ने महत्वपूर्ण विभाग विद्युत के बजट को प्रस्तुत किया । मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना । श्रीमन्, उनकी यह बात हम स्वीकार करते हैं कि विद्युत मंत्री जी या इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में विद्युत की प्रतिष्ठापित क्षमता को बढ़ा दिया है लेकिन श्रीमन् असल बात यह है कि हमने उसमें जितनी ऊर्जा लगायी, उसका हमें क्या फल मिला ? जितना धन हम लगा रहे हैं पूरे प्रदेश की गाढ़ी कमाई का कितना धन लगा रखा है विद्युत परिषद् में उसके अनुरूप हमारी प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ी एवं लगाये धन के अनुरूप प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा, इसको आज हमें गम्भीरता से देखना है । मान्यवर, पूरे विद्युत परिषद् के काम करने का ढंग है उससे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । यह पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । श्रीमन्, इनके पोल बनाने की क्षमता प्रतिवर्ष 90 हजार है और पोल इस्तेमाल भी 90 हजार तक ही लगभग हो पाता है इससे ज्यादा नहीं हो पाता है । इस वर्ष जैसा तिवारी जी ने कहा कि 76 हजार पोल का खर्च हुआ है और 90 हजार क्षमता है लेकिन यह हमारी समझ में नही आता है कि इतनी क्षमता होने के बावजूद भी दूसरी कम्पनी से पोल को खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं ?

तो उसका कारण मात्र भ्रष्टाचार है । परिषद् अपने प्रदेश की पोल बनाने की क्षमता को बढ़ाना नही चाहती है और जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं लेते हैं और कमीशन बाजी के चक्कर में दूसरी कम्पनी से माल खरीदते हैं । मान्यवर, बुनियादी रूप से हमारी सोच में खराबी आ गई हम उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर को अधिक महत्व दे रहे हैं जब कि वास्तविकता यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल का स्रोत उपलब्ध है और हम उसका दोहन नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, हाइडिल

बिजली बनाने में बहुत कम खर्च आता है और थर्मल पावर बनाने में ज्यादा खर्च आता है दूसरे थर्मल प्लांट के लिए उपकरण भेल से लेते हैं उसमें मांग करता हूं कि भेल जो भारत सरकार का एक उपक्रम हैं उसके संबंध में विचार करें और लिखें कि उसके जो यंत्र उपकरण में हमारे यहां भेल से आते हैं वह अपनी क्षमता के अनुरूप में उत्पादन नहीं देते इसका क्या कारण है, इसको देखना चाहिए । मान्यवर, पिछले ही साल को लें इतने अधिक ट्रान्सफार्मर उत्तर प्रदेश में फुंके हैं उसका क्या कारण है ? अकेले मुरादाबाद जिले में कम से कम 500 ट्रान्सफार्मर जल गये और आज तक भी मेरे गजरौला विद्युत गृह में 100 ट्रान्सफार्मर नहीं हैं और 8-10 महीने से विद्युत वितरण नहीं हो रहा है । ट्रान्सफार्मर नहीं पहुंच रहे हैं । मा0 मंत्री जी कहते हैं कि खरीद लिये हैं, उस कम्पनी से खरीदे हैं जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है । एकुरेट कम्पनी को पांच करोड़ का ठेका दिया गया है । इसकी इतनी क्षमता की नहीं है और उसको 5 करोड़ का ट्रान्सफार्मर का ठेका दे दिया गया है । ट्रान्सफार्मर का पूर्व इन्सपेक्शन नहीं किया गया । बकायों के कारण विद्युत लाइन काट दी गयी थी, क्योंकि वह कम्पनी समर्थ ही नहीं है । इसके बावजूद उसको 5 करोड़ का सौदा दे दिया गया, इसी प्रकार मेरठ की एक कम्पनी को दिया गया है । ट्रान्सफार्मर क्यों फुंक रहे हैं, मंत्री जी के दिमाग में क्यों नहीं कौंधता, आपका रखरखाव ठीक नहीं है, तेल नहीं बदलता, कर्मचारी देखते नहीं । यह सही है कि कहीं कहीं ऐसी दुर्घटना होती है कि लोग उसकी शक्ति से ज्यादा उपयोग चोरी से कर रहे हों, लेकिन मुख्य कारण यह है कि ट्रान्सफार्मर जिस कम्पनी से लिया जाता है, उनमें कमीशनबाजी है । उन कम्पनी से लिया जाता है जो उत्तम ट्रान्सफार्मर बनाने में सक्षम नहीं है । मंत्री जी का इस ओर ध्यान ही नही है ।

दूसरे इनके कर्मचारी देख रेख नही करते । बाईस हजार ट्रान्सफार्मर फुंक गये और विद्युत परिषद् में हलचल ही नहीं हुई । विद्युत परिषद् में टीम की तरह से काम होना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता है । पता चला है कि चेयरमैन 2-2 महीने तक मीटिंग ही नहीं बुलाते और महीनों चेयरमैन दफ्तर ही नहीं जाते । इसको सरकार नहीं देखती तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायगा । विद्युत परिषद् के जरिये से जो काम हो रहा है, अरबों रुपये की धनराशि इस विभाग में लगी हुई है, उसका प्रतिफल हम लोगों को नहीं मिल रहा है । ये सारी बातें मा0 मंत्री जी को सोचनी चाहिये । इसी प्रकार से पिछले साल विद्युत सैंक्शन करके मुरादाबाद जनपद में एक साल से जो स्वीकृति ट्यूबवेल के लिये हुई है, उसमें बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है । मा0 मंत्री जी ने बताया कि 76 हजार गावों का विद्युतीकरण हो गया वास्तव में 20 हजार गावों का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि वास्तविक है, क्योंकि अगर एक ट्यूबवेल के लिये बिजली चली जाती है, एक राजस्व विलेज में बिजली चली जाती है, तो उसका विद्युतीकरण मान लिया जाता है । राजस्व विलेज काफी बड़ा होता है, उसमें किसी एक कोने में बिजली चली गयी, एक ट्यूबवेल लग गया तो विद्युतीकरण उस गांव में हो गया । मैं दो मिनट में खत्म करूंगा । दो मिनट और दे दें ।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो लाइन लास है, अब 31 फीसदी हो गया है। मान्यवर, इसमें चोरी का बड़ा प्रतिशत होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मुरादाबाद में 50 फीसदी से ज्यादा लाइन लास होता है। एक बात मैं मुआवजे के सबंध में कहना चाहता हूं कि जो लोग विद्युत से मर जाते हैं, उनके लिये मुआवजा दिया जाता है। एक साल हो गया श्री राम पाल सिंह, जो कीना जिला बिजनौर के थे, उनकी मृत्यु अपने खेत में काम करते हुए बिजली के खम्भे से तार टूटने से हो गयी। उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। मंत्री जी ने कहा कि 10 हजार रुपया देंगे। दस हजार रुपया कम है। वह नौजवान आदमी था, उसका परिवार है। सिर्फ लड़कियां हैं। विधवा को कोई देखने वाला नहीं है। मा0 प्रमोद तिवारी जी जब इस विभाग को देखते थे तो 20 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया था–ऐसे मामले में। मेरी मा0 मंत्री जी से मांग है कि कृपा करके विभाग को निर्देशित करें कि ऐसे मामले में देर करना, उनके साथ जबर्दस्त अन्याय करना है 12-13 महीने हो जायं और मुआवजा न मिले। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेम पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ब्रितानिया सरकार के बाद, आजादी के बाद, भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण चारो तरफ हुआ। 1951 में हमारे यहां एक हजार गांवों में बिजली थी, अब वर्तमान में क्या स्थिति है इससे सभी अवगत हैं ? 1951 में जहां एक हजार गांवों में बिजली थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 80,000 के लगभग हो गयी है। इतना कार्य गांवों में विद्युतीकरण का किया गया है इसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिये उद्योगों के लिये, कृषि के लिये, नलकूपों के कनेक्शन के लिये, उनमें बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से विद्युत की बड़ी-बड़ी योजनायें भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेज दी हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कुटीर योजना प्रारम्भ कराकर विद्युत विभाग की दृष्टि से एक नयी दिशा दी है। इस कुटीर योजना के तहत 1989 में एक लाख कनेक्शन हमारे गरीब भाइयों को, हरिजनों को दिये जायेंगे। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और 1990 तक इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख 8 हजार हो जायेगी। यह कितनी प्रशंसा की बात है। इसके तहत करीब प्रत्येक पर 6.25 पैसे खर्च होगा और प्रतिमाह 7 रु0 50 पैसे देना होगा। भारत सरकार की सहायता से हमारे विद्युत मंत्री जी ने तमाम जो कनेक्शन देने थे वह दिये, ट्रांसफार्मर बदल दिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रेमपाल सिंह–

खराब ट्रांसफार्मर्स को शीघ्र बदलने को कार्यवाही इस विभाग द्वारा लगातार चालू है। जो ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं उनको तुरन्त बदला जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । हरेन्द्र सिंह जी संक्षेप में कहें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, एक मिनट लूंगा । मैं अपने जनपद एटा के विधान सभा की बात करता हूं । हमारे यहां जलेसर आवागढ़ में कई गांव विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हुए हैं मैं चाहूंगा कि उनमें बिजली पहुंचाई जाए, बिजली दी जाय । वहां 132 के0 वी0 का सब स्टेशन दिया है, मैं चाहूंगा कि उसे शीघ्र बनाकर जनहित में चालू किया जाय । जो स्वीकृत गांव हैं उनमें कनेक्शन दिये जायं । इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तब लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे । आज देखें वह रोशनी में पढ़ रहे हैं, उनके बगल में लैम्प लगा हुआ है। इसी दृष्टि से उन्हें कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए । अपनी बात समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं । जयहिन्द, जयभारत ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा रखे गये आदर्श कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया माननीय मंत्री जी ने अभी अपना आंकड़ों का जाल यहां पर प्रस्तुत किया । अपने विभाग की उपलब्धियों की बात कही, आंकड़ों के द्वारा । मान्यवर, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, इसको हम स्वीकार करते हैं । लेकिन उनको यह भी जानना चाहिये कि इसको बढ़ाने की बात है । माननीय हर्षवर्धन जी ने माननीय तिवारी जी के विभाग के सम्बन्ध में मितव्ययिता की बात कही । लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनेताओं की होती है माननीय मंत्री जी के सम्बन्ध में बात कही गयी, दूसरी बात एक माननीय राज्य मंत्री की होने जा रही है । मैं कहना चाहूंगा कि लगातार तीन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में सदन में जानकारी दी गयी कि उसका जापान से अनुबन्ध किया जा चुका है । मेरी जानकारी में आया है कि एक माननीय राज्य मंत्री जापान जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं । इससे धन की बर्बादी होगी । इससे इस गरीब प्रदेश के धन की बर्बादी होगी, इसलिये इस यात्रा का औचित्य रह नहीं जाता है । अगर उन्हें जाना ही है तो किसी दूसरे राजस्व परिषद ब्लॉक से चले जायें, तो अच्छा रहेगा । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा ट्रांसफार्मर्स के जलने, खराब होने की बात आयी, इसके लिये दोषी हम नहीं हैं, बल्कि इसके लिये दोषी आपकी सरकार की व्यवस्था है । सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विद्युत दरों को बढ़ाया गया था, जिसको लेकर आन्दोलन चला था । मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि वहां पर जिनने लोगों ने दरख्वास्त दी थी, उनमें से कितने लोगों को अभी तक आप विद्युत कनेक्शन नहीं दे पाये हैं । जब तक आप इस गम्भीर रूख में कनेक्शन नहीं दे पायेंगे, तब तक वहां लोग कंटिया डालकर, रस्सी डालकर अपने ट्यूबवेल चलाते रहेंगे और आप सामान के अभाव का बहाना बनाकर कनेक्शन नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देंगे । मेरी आपसे मांग है कि कम से कम मेरठ मण्डल में, आगरा मण्डल में जितने भी ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कनेक्शंस के लिये दरख्वास्तें पड़ी हैं, उनको आप कनेक्शन दिलवा दें । जहां तक कन्डक्टर न मिलने की बात है, मेरी निश्चित जानकारी है कि आप केन्द्र सरकार से कन्डक्टर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार स कन्डक्टर उपलब्ध करवायें, जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके । नहीं तो, आपके खम्भे इसी तरह खड़े रहेंगे, उन्हें देखने से कोई फायदा नहीं है ।

मान्यवर, रोज यह बात कही जाती है कि हम किसानों को सस्ती बिजली दे रहे हैं । इसमें यह बात सही है कि आप उन्हें लाइट और फैन के मुकाबले बिजली सस्ती दे रहे हैं, लेकिन जब मैं पी0 यू0 सी0 के साथ दौरे पर गया था, तब मुझे जानकारी हुई कि आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु में यहां से भी सस्ती बिजली दी जाती है और एक कि0मी0 की लाइन निःशुल्क बनवाकर दी जाती है । इसके साथ ही मित-व्ययिता की बात आती है, वह आपकी आज भी है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा । आपने तेल की खपत में भी कमी की है, लेकिन आप यह भी देखिये कि कहां से रिसाव होता है ? आपने एक दिन का उत्पादन देखा और कहा कि हमने रिकार्ड उत्पादन किया है । आप प्रतिदिन का क्यों नहीं देखते कि प्रतिदिन रिकार्ड उत्पादन हो । मान्यवर, इसी तरह रेवेन्यू की बात आयी । आप किसानों को बिजली का बिल न अदा करने पर जेल भेजते हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि हिंडालको के ऊपर आपका कितना बकाया है, ऐसे क्या कारण हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप हिंडालको से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं ? इसी तरह कोड़िया को लखनऊ में किस रेट पर बिजली दे रहे हैं ?

आपने ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही है, लेकिन जिन ग्रामों के विद्युती-करण के आपने आंकड़े दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरा विद्युतीकरण नहीं किया गया है आपने तीन हजार रुपये मात्र विद्युतीकरण के लिये रखा है, इतने में तो केवल 3 पोल ही लग पायेंगे । आपको कम से कम इसे बढ़ाकर 20 हजार करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मलिक जी, समाप्त करिये । आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आज मान्यवर, पश्चिम का इलाका सूखे से पीड़ित है और मंत्री जी वहां पर किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि आप उनको कनेक्शन देने की तत्काल व्यवस्था करें । इसके साथ ही मैं श्री तिवारी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले तो मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहूंगा कि कटौती प्रस्ताव में माननीय विद्वान तिवारी जी ने बड़ी खूबसूरती से प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष खपत का सहारा लिया है । यह हर एक व्यक्ति जानता है कि जहां पर आबादी का सघनता ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो, वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत आप तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां पर आबादी की सघनता कम होती है और क्षेत्रफल ज्यादा होता है, वहां पर मैटीरियल्स ज्यादा लगते हैं, पैसा ज्यादा लगता है और विकास की गति थोड़ा धीमी रहती है ।

उत्तर प्रदेश को केरल, पंजाब और हरियाणा से मिलाने से पहले मिर्जापुर जिले के क्षेत्रफल और उसकी लम्बाई को देखना होगा जो एक हरियाणा राज्य के बराबर है । उत्तर प्रदेश के 62 जनपद और ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को एक साथ नकारा नहीं जा सकता है । निश्चित रूप से माननीय ऊर्जा मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण व अन्य उपलब्धियों के साथ आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है । लेकिन मैं एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि कोई भी आटोनोमस बाडी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है लेकिन कभी-कभी घोड़ा बेलगाम भी हो जाता है। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों का इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खम्भों को लाने व ले जाने में यह सत्य है कि आज गांव के आदमी इन्हें ढो कर ले जाते हैं, यह सत्य है कि उनकी ढुलाई पर चार्जेज लग रहे हैं । यह क्यों हो रहा है ? मैंने दो साल पहले इसी आदरणीय सदन में कहा था, आप कार्यवाही उठाकर देख लें, जब आप मिर्जापुर में विद्युतीकरण करें उसके बाद कानपुर, फिर मेरठ और उसके बाद उत्तर काशी, इस तरह से विद्युतीकरण करेंगे तो घपले होंगे । मिर्जापुर में करिये तो, उसके बाद इलाहाबाद में करिये, फतेहपुर में करिये, कानपुर में करिये । आप कहिये कि हम एक तरफ से विद्युतीकरण करेंगे । यदि आप ऐसा करेंगे तो न लाईन लास होगा, न मैटीरियल लास होगा और न ढुलाई का खर्च बढ़ेगा ।

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी समीक्षा करेंगे तो पायेंगे कि विद्युत परिषद् का प्लान करने वाले अभियन्ता गलत प्लान करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विद्युत परिषद् के लिए यह आखिरी मौका है । यदि इस बार हमने अपनी योजनाओं को और अपनी कार्य क्षमता को नहीं सुधारा तो फिर इस पूरे सदन को सोचना पड़ेगा कि क्या इन इन्जीनियरिंग संगठनों द्वारा कोई आटोनोमस बाडी चलायी जा सकती है या नहीं चलायी जा सकती है । अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राज्य विद्युत परिषद् के सामने में चुनौतियां हैं । अखबारों में जो आ रहा है और सदन में जो कुछ कहा जा रहा है लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि आज ऊर्जा मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य मंत्रियों के रूप में जो टीम हमने दी है और जो टीम उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है, अगर उनके नेतृत्व में यह विद्युत परिषद् नहीं सुधर पायेगा तो हम लोग समझेंगे कि यह कभी नहीं सुधर सकता है ।

मान्यवर, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय श्री तिवारी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नम्बर है ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में पहले नम्बर पर है । 80 हजार गांवों का विद्युतीकरण

हुआ है, 6 लाख नलकूपों का विद्युतीकरण हुआ है । निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग की तुलना देश के किसी भी प्रदेश से नहीं की जा सकती है । धन्यवाद !

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, प्रदेश के 7 औद्योगिक बड़े घरानों में 50 करोड़ रु0 से ज्यादा विद्युत कर बकाया है, 50 लाख रु0 तो कई घरों में अकेले ही बाकी है । करीब 6 अरब रु0 विद्युत टैक्स के रूप में बकाया है । किसानों पर अगर थोड़ा भी टैक्स बकाया रह जाय, चाहे किसान सूखे से पीड़ित हों या दैवी आपदा से पीड़ित हों, ये उनका कनेक्शन काट देंगे और उनको जेल भेज देंगे । इस तरह से किसानों के साथ विद्युत विभाग बहुत ही अन्याय कर रहा है । विद्युत उत्पादन से कम रेट पर उद्योगपतियों को विद्युत दी जाती है लेकिन प्रदेश के किसानों को विद्युत उत्पादन से दुगुनी दर पर बिजली दी जाती है ।

एक और अनुरोध करना है कि चाहे शिक्षित बेरोजगार हों या ट्यूबवेल के लिये किसान कनेक्शन लें, उनको कर्जा लिये कई साल हो गये लेकिन विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति पूरे प्रदेश की है । पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग से ज्यादा भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है । पुलिस विभाग और पुलिस के लोग भी इस विभाग के भ्रष्टाचार से पीछे हैं। किसी का कनेक्शन लगाना हो तो इनको पैसा चाहिये, विद्युत की लाइन ढीली हो तो इनको पैसा चाहिए, इनके विभाग के जे0 ई0, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता स्वयं पैसा लेते हैं। पैसा वसूले बगैर देहात में पैर नहीं रखते हैं । ट्रांसफर और पोस्टिंग में भीषण पैसा वसूल करते हैं ।

बांदा जनपद की बात कर रहा हूं : वर्ष 88-89 में मात्र 20 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये योजना बनायी, विद्युत सलाहकार सांमति में ले लिया, एक निर्वाचन क्षेत्र में तीन गांवों का विद्युतीकरण किया। मेरे क्षेत्र नरैनी में तीन गांवों में से केवल एक गांव को विद्युती पहुंची। न मैटीरियल है न खम्भे हैं, न ट्रांसफार्मर हैं । जले ट्रांसफार्मर लगे हैं । चार-चार महीने से जले हुए हैं, बदल नहीं पाये हैं । इनकी लाइन इतनी ढीली है कि गांव में आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है । मैंने जनपद हमीरपुर के पुरैनी गांव का मामला उठाया था तो जवाब मिला कि विद्युत लाइन कस दी गयी है और विद्युतीकरण कर दिया गया है । झूठा जवाब देने के बाद भी आज तक विद्युत लाइन उसी तरह ढीली है। दो लोगों की दुर्घटना में मौत हो गयी है । और इसके अतिरिक्त बांदा में जो अतर्रा में सब स्टेशन है वहां पर एक सहायक अभियन्ता की एक वर्ष से पोस्टिंग नहीं हुई है, उसकी पोस्टिंग वहां शीघ्र करायी जाय । वहां हेडक्वार्टर पर जो जे0 ई0 है जिसका नाम अग्रवाल है उसके कारण बहुत ही भ्रष्टाचार है। उसकी श्रीमती जी हैं, जब तक कोई उनसे पहले बात न करे चाहे लाइन लेनी हो या लाइन कटानी हो, तब तक जूनियर इंजीनियर अग्रवाल काम करता ही नहीं है और श्रीमती जी के द्वारा पैसा तय हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिये !

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

केवल खम्भे लगाने से ही नहीं बल्कि पूरे गांव का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये । ग्राम पुकारी के एक भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मजरे अब भी छूटे हुए हैं । होना यह चाहिए कि गांवों के विद्युतीकरण के पहले मजरे का विद्युतीकरण होना चाहिए और फिर हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की व्यवस्था कीजिये । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विद्युत के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, कोई भी बजट समस्याहीन नहीं हो सकता है । समस्याएं पूर्णतया पूरी नहीं की जा सकती हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विद्वान मंत्री जी ने तमाम क्षेत्रों को अपने विभाग में ले लिया है, किसी को अछूता नहीं छोड़ा है । चूंकि साधन की कमी के कारण जरूरी समस्यायें इस बजट में रखी गयी हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि इस के लिये सबसे पहले माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी की यह योजना है कि गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन करने वाले जो लोग हैं और जो हरिजन हैं उनके लिये बगैर किसी खर्चे के उनको बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा और उनसे सिर्फ साढ़े सात रुपया महीना लिया जायेगा । यह इतनी बड़ी सहूलियत उनको शासन ने दी है मैं समझता हूं कि तमाम गरीब लोग इस तरह से रोशनी पा सकेंगे और उन तक रोशनी पहुंच सकेगी । मान्यवर, इस योजना से न जाने कितने गरीबों को रोशनी मिलेगी और उनको इससे फायदा पहुंचेगा ।

सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो बिजली का उत्पादन है वह पूरा उत्पादन उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, यह देखना चाहिये । इसमें अन्तर इसलिये है कि हमारे यहां बिजली की चोरी बहुत होती है मगर इस वर्ष बिजली की चोरी रोकने के लिये माननीय मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किया है और इतने अधिक इस संबंध में छापे डाले हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले में यह छापे लगातार बढ़े हैं और इसमें तमाम लोगों को पकड़ा गया है, चाहे जितने बड़े लोग हैं, चाहे उद्योगपति हो, सरकार ने यह तय किया है कि चाहे पक्ष के आदमी हों या चाहे विपक्ष के आदमी हों, यदि उसने चोरी की है तो उसे पकड़ा जायेगा और उसे इसका दण्ड दिया जायेगा । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

जहां तक मा0 तिवारी जी के कटौती का सवाल है तो उन्होंने विद्वान होने के नाते आंकड़ों के जाल में फंसाने की कोशिश की है। वह सारे आंकड़े बेदम थे लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तिवारी जी विद्वान हैं उन्होंने अपनी कोशिश जरूर की फंसाने की । मैं समझता हूं कि बिजली के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जो बिजली पहुंच रही है यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप खत्म करें ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम जो है इसने बड़ी मदद की है, उत्पादन बिजली का बढ़ा है और इसके जरिये से प्रदेश हमारा प्रगति के रास्ते पर है। इसके साथ ही साथ में तमाम अधिकारियों की जो कि निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करता हूं । उन अधिकारियों के कार्य का मैं समर्थन करता हूं, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया । मैं माननीय मंत्री जी के सामने केवल 2-3 समस्याएं और सुझाव रखना चाहता हूं । इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा और मैं भी उसे स्वीकार करता हूं कि ऊर्जा और विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं । इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में ऊर्जा और भ्रष्टाचार भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । इसके उदाहरण में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में खासतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर जे0 ई0 तक इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है, जिसे इस पक्ष के बैठे हुए और उस पक्ष के बैठे हुए सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि घरों पर विद्युतीकरण के लिए जो सिक्योरिटी जमा की जाती है, वह साढ़े चार सौ रुपये ही होती है, परन्तु कोई ऐसा नहीं है, जिससे साढ़े छः सौ न लिए जा रहे हों और इसी तरह से हेड क्वार्टर पर जो लोग खम्भे अपने-अपने गांवों या स्थानों में अपनी पोखरियों व सवारियों द्वारा ले जाते हैं, उनका किराया भी एक पैसा नहीं दिया जाता है । इसी प्रकार से जिन गांवों का विद्युतीकरण करके दिखाया जाता है, वहां पर यह भी दिखाया जाता है कि 3 तार दो फेस में लगाए जा रहे हैं, लेकिन दो ही तार लगाए जाते हैं और फिर अधिकारी व कर्मचारी उस तार को बेचते हैं, हमारे जिले में ही इस प्रकार का चोरी का तार काटकर बेचा गया । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को चाहिए बजाय इसके कि इस तरह के काम हों, अधिक से अधिक गांवों में ईमानदारी से विद्युतीकरण कर एक कीर्तिमान स्थापित करें और जिन-जिन स्थानों पर पहले सारे कार्य हो चुके हैं, विद्युतीकरण कम्पलीट हो चुका है, उनको बिजली की पूर्ति करें, बल्कि आजकल इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हैं यह रहा है कि 3-3 किलो0 मी0 तक लाइनें टूटी पड़ी हुई हैं, उखड़ी पड़ी हुई हैं, वह गांव हैं, हथना, पेलखू, डिरावली तथा रनवारी । इसलिए आपसे अनुरोध है कि जहां पर इस प्रकार की टूट-फूट की बातें आपके रिकार्ड में आ जायं तो ऐसे स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दिया जाना चाहिए इसी सिलसिले में दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां पर आपको यह मालूम हो जाए कि यहां-यहां की लाइनें काम नहीं कर रही हैं ट्रान्सफार्मर फुंके हैं, लाइनें टूटी व उखड़ी हैं, ऐसे स्थानों पर भुगतान को माफ कर दिया जाए, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारी लगातार ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र मथुरा में जहां पर विद्युतीकरण 85 में हो गया है, जिनकी लिस्ट आपके पास है, जो गांव मदौना, सिपाना, ऊंचागांव, दौलतपुर, सिवाल तथा बहरौली आदि हैं, इन गांवों का विद्युतीकरण पूरी तौर पर किया जाए । दूसरे मान्यवर, बरसाना में एक 33 किलोवाट का सब-स्टेशन बनवाया जाए, इसी प्रकार से खदौली क्षेत्र में शिकारपुर में भी एक 33 किलोवाट का सब-स्टेशन बनवाया जाए, इसका बनवाया जाना वहां की स्थिति को देखते हुए बहुत आवश्यक है ।

आपके विभाग में ड्राफ्टमैन के पद हैं, आज कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर एक ही पद के और एक ही काम के लिए दो वेतनमान हों अलग-अलग, कभी इससे पहले भी ऐसा नहीं देखा गया लेकिन 2 मार्च, 1988 से आपने ऐसा कर दिया है जो नहीं होना चाहिए । दूसरे मान्यवर, हमारे छाता क्षेत्र में आज तार की खम्भों तथा ट्रान्सफार्मरर्स की कमी है । इन कमियों की जल्द से जल्द पूर्ति की जाए, जिससे गांव का विद्युतीकरण हो सके और अन्त में फिर यह कहूंगा कि जो सन् 85 से गांव आपकी लिस्ट में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हैं, उन सभी गांवों में यथाशीघ्र विद्युतीकरण कराया जाए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी छापे की बात करते हैं, तो जो छापे डाले जाते हैं, उनमें गरीब आदमी ही पकड़ा जाता है । हमारे यहां कोसी कलां में एक औद्योगिक एरिया है, लेकिन वहां पर अभी भी छापा नहीं मारा गया . . . (व्यवधान)

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, आपने विद्युत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, विद्युत मंत्री जी ने प्रदेश के जगमगाने के लिए जो विद्युतीकरण की योजना बना रखी है, उसको कार्यान्वित करना है, तो वह किसी से छिपा नहीं है । हम तो देहात से आते हैं, देहात में एक कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं, उसी में छेद भी करते हैं । आज जो हमारे भाई सदन में बैठे हैं, क्या वह जगमगाती हुई रोशनी में नहीं रहते हैं, उनके बच्चे जलते हुए बल्ब में नहीं रहते हैं, एअर कन्डीशन में नहीं बैठते हैं । मान्यवर, यह तो शहरी वातावरण की बात है, देहात में हम यह देखते हैं कि वहां पर मिट्टी का तेल नहीं जलता है, अण्डो का तेल नहीं जलाया जाता है, वहां पर बिजली जगमगा रही है । गांव-गांव में विद्युतीकरण की योजना चल रही है । हमें जो शिकवा शिकायत है, वह यह है कि हरिजन आबादियों में विद्युतीकरण नहीं हो रहा है ।

*अंकेक्षण में भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मैंने एक जानकारी हासिल की है कि विद्युत मंत्री जी ने एक जी0 ओ0 प्रकाशित किया है, जिन-जिन गांवों में विद्युतीकरण की योजना है, वहां पर हरिजन आबादी में पहले बिजली लगायी जायेगी । यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है । इस तरह से जो कार्य किया है, उससे ऐसा लगता है कि शासन ने उनका ख्याल किया है । अभी तक हरिजन यह समझते थे कि अगर बिजली आयेगी तो पहले अमीर आदमी के घर पर आयेगी, लेकिन इससे उनको एहसास हो गया है कि उनके घरों में बिजली पहुंच जायेगी । माननीय मंत्री जी ने जो कुटीर योजना बनायी है, वह बड़ी सुन्दर योजना है, हम उनके आभारी हैं और वह बधाई के पात्र हैं । इससे हरिजन घरों में बिजली पहुंचेगी और उसके लिए उनको 60 रुपया माहवार अदा करना होगा, इस प्रकार से जो विद्युतीकरण हो रहा है, उससे गरीबों को प्राथमिकता मिलेगी, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र जो है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहां पर पिछले 30 सालों से कोई विकास का काम नहीं हुआ है । यह बिल्हौर का इलाका है, वहां पर हर प्रकार के विकास की आवश्यकता है । कल्यान ब्लाक में इन्डस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, लेकिन वहां पर कोई पावर स्टेशन नहीं है, आवश्यकता इस बात की है वहां पर एक पावर स्टेशन 33 के0वी0 का लगाया जाय । इसी तरह से हम चाहते हैं कि बिल्हौर में 132 के0 वी0 की क्षमता का एक पावर स्टेशन बनाया जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो विद्युत परिषद् है, उसमें एक भी मेम्बर हरिजन का नहीं है, उसमें कम से कम 3 हरिजन मेम्बर होने चाहिए । इन शब्दों के साथ, मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपना भाषण दिया और यह हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, पश्चिम या मध्य उत्तर प्रदेश भी उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन पूर्व का एक ऐसा इलाका है जो केवल कृषि पर ही आधारित है और इसके लिए किसानों को खेती के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण बड़ी तेजी से कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ग्रामों को विद्युतीकरण करने का आपका आधार क्या है ? क्या जो मंत्री होगा, केन्द्र में हो या प्रदेश में हो, वह अपने क्षेत्र का विद्युतीकरण कर देगा और जिस क्षेत्र का जिस एरिये का कोई मंत्री नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा वह इलाका विद्युतीकरण में नहीं लिया जायेगा । मान्यवर, इसका एक स्पष्ट और साफ उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं । मेरे जनपद के एक माननीय मंत्री जी केन्द्र में हैं और वह विद्युत मंत्री हैं । उन्होंने घोषणा की है कि मैं अपने लोक सभाई क्षेत्र का विद्युतीकरण कर दूंगा । यही नहीं, उनके लोक सभाई क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत गांव तीन-चार महीने के अन्दर विद्युतीकरण में आ गये और वहां बिजली लग गई। श्रीमन्, हर पांच किलोमीटर के अन्तर, 7 किलोमीटर के अन्तर और 10 किलोमीटर के अन्तर पर उन्होंने सब-स्टेशनों का उद्घाटन भी कर दिया ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बिजली लगवा लें, राज्य मंत्री अपने क्षेत्र में लगवा लें, उप मंत्री अपने क्षेत्र में लगवा लें और केन्द्र के मंत्री अपने क्षेत्र में बिजली लगवा लें तो हम लोगों का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा । मंत्री लोग चाहे वह केन्द्र में हों या प्रदेश में हों, अपने-अपने क्षेत्र का विद्युतीकरण करवा देंगे और जिन क्षेत्रों या जिन एरिया का कोई मंत्री नहीं होगा वहां बिजली नहीं दी जायगी। हम विधायक लोग कहां जायेंगे चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों । इस तरह से आप ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करते हैं । हम लोगों से कहा गया कि कम से कम हर विधान सभा क्षेत्र में 5 गांव विद्युतीकरण की लिस्ट में लिया जायेगा । लेकिन उसमें आज तक काम आरम्भ नहीं किया गया । आज भ्रष्टाचार की बात सब करते हैं और उसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है । अधिकारी बैठे रहते हैं, मंत्री जी सुनते हैं । हर बार यही होता है ।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के पिलकहा ब्लाक में एक कुरेजी गांव है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वह विद्युतीकरण में आ गया था । उसके बारे में वहां के जे0 ई0 से बार-बार कहा गया किन्तु वह सुनता ही नहीं था । जब लोगों ने उसे तीन हजार रुपये दिये तब वह उस गांव में गया और आधे गांव में काम कराकर उसे छोड़ दिया । मैं यह नहीं कहूंगा कि वह घूस लेता है या नहीं लेता है । लेकिन आपको कड़ाई करनी चाहिए । जो गांव विद्युतीकरण में आ गये हैं और गांव की जो निरीह जनता है, किसान है वह अपने गांव में बिजली लगाने के लिए चन्दा इकट्ठा करे और जे0 ई0 को दे दें तो यह कहां तक उचित है ?

दूसरी बात यह है कि यदि एक गांव में एक ट्यूबवेल हो गया तो वह भी विद्युतीकरण में आ गया और किसी में दो ट्यूबवेल लग गये तो वह भी विद्युतीकरण में आ गया । यह आपने एक मानक बनाया है । लेकिन अगर वास्तव में आप देखें तो निश्चित रूप से एक निहाई गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है । तिवारी जी ने जैसा कहा है कि 8-9 गांवों में केवल 3-4 गांव ही इसमें आये हैं । (लाल बत्ती होने पर) । श्रीमन्, हमें थोड़ा और समय दे दें । श्रीमन्, कहा गया कि आपके यहां गांवों का विद्युतीकरण होगा अब नये सिरे से विद्युतीकरण करने जा रहे हैं उसमें 5 हजार रुपया दे रहे हैं जिसमें केवल तीन खम्भे लगते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विद्युतीकरण की राशि को कम से कम 20 हजार अवश्य किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिए ।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं तो पहले ही दिन बोल रहा हूं इस हाउस में इसलिये दो मिनट और दीजिये। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विद्युत के उत्पादन और खपत में बड़ा घपला है उत्पादन के बाद जो वितरण होता है उसका 70 परसेंट ही का उपयोग होता है बाकी 30 परसेंट बिजली चोरी से बेच दी जाती है।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं हमारे यहां, पंडा ब्लाक के गांव गौरी में एक आदमी के ऊपर 10 हजार रुपये का बिजली का बिल गया वह बड़ा परेशान हुआ उसके पास ट्यूबवेल भी नहीं है लेकिन ट्यूबवेल की बिजली का बिल आ गया। वह मेरे पास आया तो मैंने कई बार अधिकारियों से बात की और मीटिंग में भी इस बात को उठाया और पिछली बार हाउस में भी इस बात को कहा था वहां के अधिकारियों और माननीय मंत्री जी ने कहा वह बात खतम हो जायेगी और जब ट्यूबवेल नहीं हैं तो बिल समाप्त हो जायेगा लेकिन आप जानकर हैरान होंगे वह बढ़कर 20 हजार का हो गया है। यह बात सारे अधिकारियों से जिला के अधिकारियों से लेकर सभी से इस बात को कह दिया गया है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो आपका विभाग इतना उजागर है कि जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है उसको 20 हजार का बिल जा रहा है और उसको समाप्त करने के बजाय बढ़ा दिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से साधुवाद देता हूं। मान्यवर, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि कटौती का प्रस्ताव यहां के सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति तिवारी जी ने रखा है और उससे ज्यादा प्रसन्नता इस बात से हुई थी कि तिवारी जी के प्रति प्रतिबद्धता उस दिन मंत्री जी ने जाहिर कर दी थी जिस दिन उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि विद्युत परिषद् के कर्मचारियों और अधिकारीगणों को अपनी उस सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी जब उन्होंने सेवा प्रारम्भ की थी उसके पूर्व उनके पास क्या सम्पत्ति थी। मैं आशा करता था कि महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे लेकिन मुझे निराशा हुई।

मान्यवर, हमने विद्युत उत्पादन में वृद्धि की है और ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। माननीय विद्युत मंत्री जी ने एक बहुत ही प्रभावी एप्रोच की बात की है कि विद्युत की चोरी के लिए अवर अभियन्ता को दोषी ठहराया जायेगा। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अवर अभियन्ता तो एक छोटा कर्मचारी है वह किसी के संरक्षण में चोरी करवाता है, उच्च अधिकारियों के संरक्षण में चोरी करवाता है इसलिये उसके साथ ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस0 इ0 को भी दोषी ठहराया जाय उन पर भी यह जिम्मेदारी डाली जाय।

तो जहां अच्छाइयों की बात मैंने कही वहीं अब मैं दूसरे पहलू पर भी आता हूं। . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा प्रताप–

हमारे साथी अवस्थी जी ने कहा कि अवर अभियंता के साथ साथ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस0 इ0 को जिम्मेदार ठहराया जाय तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को क्यों बख्श दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मंत्री के साथ-साथ जितने मा0 सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको भी शामिल कर लें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

श्री शारदा प्रताप ने अच्छी बात कही है लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि चर्चा में भाग ले रहे सदस्यों को और श्री शुक्ला जी को शामिल कर लिया जाये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आज वह समाज का शिष्टाचार बन गया है। लेकिन यदि कोई किसी की शरण में जाता है तो उसको संरक्षण देना चाहिए। मान्यवर, मैं विद्युत परिषद् के पास संरक्षण के लिये गया था लेकिन संरक्षण नहीं मिला जिसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि गांव सभा सुबेहा में एक बिजली का खंभा हिन्दू मुस्लिम दंगे का कारण बना है जिसके सम्बन्ध में श्री माथुर साहेब मौके पर मेरे साथ गये थे और निर्देश दिया लेकिन अधिशासी अभियंता ने खंभा हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और बाध्य होकर न्यायालय में शरण लेना पड़ा और न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आज इस घटना के 5 महीने बीत गये हैं और वह अधिशासी अभियंता वहीं पर है किन्तु उस खम्भे का विवाद सुलझाया नहीं है। इसलिये यदि वहां दंगा होगा तो उसके लिये विद्युत परिषद् की जिम्मेदारी होगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। मान्यवर, 12 वर्षों से रोहना, मीरापुर आदि ऐसे ही 10-15 गांव हैं हैदरगढ़ क्षेत्र में, जहां विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि बाराबंकी जनपद के साथ सौतेला व्यवहार न करें और बाराबंकी जनपद के गांवों का विद्युतीकरण करायें। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि 1986 से हमारे जनपद में विद्युतीकरण का लक्ष्य 100 गांवों का रखा गया है किन्तु उसके बाद भी एक गांव का विद्युतीकरण पूरा नहीं किया गया है। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को निर्धारित समय में अवश्य पूरा किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं विद्युत मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, ऊर्जा विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं काफी देर से चर्चा को सुन रहा था लेकिन यह देखने में जहर लगा कि उत्पादन बढ़ा हो या न बढ़ा हो, बिजली घर बढ़े हों या न बढ़े हों लेकिन ऊर्जा विभाग में मंत्रियों की तादात इतनी बढ़ा दी गई कि पूरे प्रदेश को देखने के लिए यह काफी है । पहिये वाली ट्राली पर ट्रांसफारमर देने की बात कही गयी, लेकिन मात्र इन मंत्रियों को सिर्फ ट्रांसफार्मर बदलने पर लगा दीजिए, तो समस्या हल हो जाए। तो और मंत्रियों की फौज में ऐसे मंत्री भी मौजूद हैं कि कहीं बिजली बन्द हो जाए और वह चले जाएं तो मालूम होगा कि बिजली आ गयी है, तो यह सब करने की क्या आवश्यकता है?

अब भ्रष्टाचार के बारे में जो तिवारी जी ने कहा है, उसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बहुत ऊपर से बात शुरू की। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मंत्री जी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। जब से सदन में आए, मंत्री बनकर आए। उनको यह नहीं मालूम कि बजट पर इधर से कटौती का प्रस्ताव इन मदों पर वाद-विवाद करने के लिए संसदीय नियमों और परम्पराओं के तहत होता है, रखने की परम्परा है। मान्यवर, जिस मंत्री को 5 साल में संसदीय प्रक्रिया ज्ञात नहीं हुई तो उसे ऊर्जा विभाग और राज्य विद्युत परिषद् का ज्ञान कैसे हो सकता है? उन्होंने घोषणा कर दी कि ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपया प्रतिमाह फी बिल के हिसाब से कनेक्शन दे दिया जाएगा और उस पर 365 रुपया फ्लैट रेट पर कनेक्शन चार्ज रख दिया। वहां जिले की विद्युत सलाहकार समिति में मैंने इस चीज को रखा तो मालूम हुआ कि इनके यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसका पालन सुनिश्चित करा लें। यह कहते हैं कि हमने सब स्टेशन में रजिस्टर रख दिया है। फार्म भरिये तथा रजिस्टर में नाम लिखाइये तो कनेक्शन मिल जाएगा। इसके बावजूद यह कनेक्शन नहीं दिया जाता है। जो 900 रुपया दे देता है, उनको तत्काल कनेक्शन दे दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि ग्रामीणों को इसमें न्याय दिलाने के लिए आप ब्लाक में एक रजिस्टर रखवा दें, क्योंकि सब स्टेशन इंचार्ज न फार्म देते हैं और न क्रमानुसार कोई कनेक्शन देते हैं। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको हर जगह से सैकड़ों अप्लीकेशंस मिल जाएंगी। यह आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चले चलें, वहां पर आप देखेंगे कि ग्रामीणों को इसकी कितनी मांग है और लोग आपसे कहेंगे कि 900 रुपया हमसे सब स्टेशन इंचार्ज मांगते हैं कनेक्शन देने के लिए।

आपने कहा कि पहिये वाली ट्राली में ट्रांसफार्मर लगेंगे, तो मैं गांव के नाम देते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ग्राम सैजना (मीरगंज) और गहलुइया शेरगढ़ में 6 महीने से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, लेकिन आज तक नहीं बदले गये हैं। इनको बदलने के लिए आप कौन से पहिये वाले ट्रांसफार्मर लगायेंगे? आप नहीं कर सकते हैं तो पहियेवाले ट्रांसफार्मरों की बात भी न करें। सब स्टेशन के साथ आपने उपभोक्ता परिषद् की बात कही और कहा कि उसमें नामांकित करेंगे मेरा कहना है कि आप सत्ता के दलालों को नामांकित करेंगे। मेरा अनुरोध है कि 5–5 सौ रुपये के दो मीटर वहां पर लग सकते हैं एक आवर मीटर और एक किलोवाट आवर का, प्रत्येक ग्रामीण फीडर पर पता चल जाएगा कितने घंटे और कितनी बिजली आपने दी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और यह आपको और सबको मालूम

भी हो सके । इससे आपको मालूम हो जाये कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी देर कितनी बिजली देते हैं। आप जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन्हें सील कर दें, ताकि पता चल जाए कि आप कितनी बिजली ग्रामीण क्षेत्र में देते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें, आपका समय ऊपर हो गया है। सौदाई जी।

(व्यवधान)

डा0 रजनीकान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं . . .।

श्री अधिष्ठाता–

आपको नहीं, मैंने फूल सिंह सौदाई को बुलाया है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सौदाई जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट की बात है मैं आपके माध्यम से तिवारी जी से कहना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने फूलसिंह सौदाई को बुला लिया है।

(व्यवधान)

*श्री फूल सिंह सौदाई–

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बिजली के बगैर प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है, चाहे खेती हो चाहे उद्योग हो, या कोई परियोजना हो। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बिजली की बढ़ोत्तरी काफी हुई। सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। 17 हजार ट्रांसफार्मर जो खराब थे उनको बदलने का प्रयास किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने खराब ट्रांसफार्मर हुए हैं उनको इतना न खराब होने दिया जाए अगर हो जाएं तो तुरन्त व्यवस्था करानी चाहिए।

मान्यवर, जो बिजली का उत्पादन हुआ है, जो तापीय बिजली का उत्पादन हुआ है उससे हमारे हर क्षेत्र में बिजली की प्राप्ति हुई है वहां तेल की बचत हुई है, वहां कोयले की बचत हुई। इसी प्रकार से विद्युत परिषद् की करीब 11 करोड़ की बचत हुई यह इस कारण से हुई कि देखभाल ठीक तरह से की गई। चौकसी से काम किया गया इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और आपके माध्यम से उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से देखभाल करायेंगे ताकि बिजली का उत्पादन ठीक तरह से हो और हर क्षेत्र में सप्लाई हो सके। मान्यवर, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रिकवरी काफी अच्छी हुयी है। 160 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकवरी हुयी है जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि रिकवरी नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं होगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा और योजनायें नहीं चल पायेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में बड़ा भारी संकट बिजली का तथा ट्रांसफार्मर का था लेकिन उसको बड़ी चतुराई के साथ आपने कन्ट्रोल किया है और वहां की सप्लाई को ठीक किया है। बिजली सप्लाई की हालत में शत प्रतिशत तो सुधार नहीं हुआ है परन्तु काफी सुधार आया है। वहां पर और अधिक सप्लाई करने की जरूरत है और वहां पर ट्रान्सफार्मर की जरूरत है। ट्रान्सफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षा के साथ पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है। जिस क्षेत्र के लोगों से वसूली नहीं हो रही है उनको ट्रांसफार्मर बांटे जा रहे हैं लेकिन जिन क्षेत्रों से वसूली हो रही है वहां पर ट्रान्सफार्मर की कमी है। जहां वसूली नहीं होती है वहां के लोग रास्ते से ट्रांसफार्मर लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के अनियमित काम भी हो रहे हैं।

बिजली की चोरी और जो अनियमितायें हो रही थीं उसके लिये सरकार ने काफी छापे मारे हैं और उसकी देखभाल करके उसको बचाया है और लोगों पर अदालतों में केस चलाये हैं। यह प्रशंसनीय कार्य है। मेरे क्षेत्र में 30 गांव ऐसे हैं जो 50 कि0मी0 दूर स्थित शामली फीडर से लगे हुये हैं। जब कोई खराबी आती है तो लोगों को शामली पहुंचने में 2-2 बसें बदलनी पड़ती हैं जिससे उनका टाइम बरबाद होता है और काफी पैसा खर्च होता है। मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में बिलारसी गांव में एक सब स्टेशन बना दिया जाय तो यह दिक्कत दूर हो जायगी। जब तक यह स्टेशन बने तब तक इन गांवों को शामली से हटाकर चरथौल में लगा दिया जाय ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, अनेक माननीय सदस्य इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलना चाहते हैं। 6 बजे आप कह देंगे कि समय समाप्त हुआ। मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य इस बजट पर बोलना चाहते हैं उनको बोलने का मौका दें।

श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यहां पर बहुत से आंकड़े पेश किये हैं। यह जो आंकड़े मंत्री जी पेश किये हैं यह बिल्कुल फर्जी हैं और झूठे हैं। मैं विद्युतीकरण के संबंध में जो मेरे क्षेत्र में जो कार्य हुये हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के लिए 1985-86, 86-87 तथा 87-88 में जो गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकार

किये गये थे उनमें से एक गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। एक सवाल मैंने किया था। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि सन् 85-86 में 3 गांव, 86-87 में 8 गांव, 87-88 में 3 गांव तथा 88-89 में 3 गांव स्वीकृत किये गये थे। मैं बताना चाहता हूं कि 1985-86 में केवल 1 ग्राम का विद्युतीकरण हुआ, जबकि 3 गांवों का विद्युतीकरण होना था। इसी तरह 86-87 में 8 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था जबकि 1 गांव का विद्युतीकरण किया गया । 1987-88 तथा 1988-89 में 3-3 गांवों का विद्युतीकरण होना था जबकि एक- एक गांव विद्युतीकरण किया गया है तो यह इनका हाल है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सुरियांवा ब्लाक में अमोली में पावर हाउस सैंक्शन हुआ था लेकिन पता नहीं वह कैसे खारिज हो गया। इसी तरह से भदोही ब्लाक में केवल कागज पर विद्युतीकरण हुआ है और शायद गांव में नहीं, तो मेरा यह कहना है माननीय मंत्री जी कि आप इसका सर्वेक्षण करा लें, जो आप स्वीकृत किये हैं, जो पुस्तिका बांट दिये हैं, पुस्तिका में वे नाम हैं, जिन गांवों को विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत किये हैं। उसका आप मेरे सवाल में जवाब भी दिये हैं। मैं ऐसे क्षेत्र के संबंध में कह रहा हूं जोकि विश्व के मानचित्र में कालीन के उत्पादन में अगर कोई क्षेत्र है, तो वह भदोही क्षेत्र है। ढाई सौ करोड़ डालर, विदेशी मुद्रा सरकार को कोई अर्जित करता है, तो भदोही क्षेत्र है। वहां के हर गांव का विद्युतीकरण होना चाहिए। यह मेरी मांग है। वहां के हर गांव के विद्युतीकरण होने से हर घर में रोशनी होगी और हर घर चूंकि कालीन बनाता है, तो वे रोशनी के सहारे 10 रु0 की मजदूरी कर सकते हैं। इससे उनकी समस्या का समाधान भी होगा और विदेशी करेंसी में वृद्धि भी होगी।

मान्यवर, जब ऊर्जा मंत्री शास्त्री जी थे, तो उन्होंने कहा था कि सुरियावां ब्लाक के लिए 1 करोड़ 50 लाख की स्कीम भारत सरकार से स्वीकृत करायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह बेचारे चले गये और उनके साथ-साथ शायद वह स्कीम भी चली गयी । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि सम्पत्ति का लेखा-जोखा दें। यह अधिकारी झूठे ही लिख कर दे देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मंत्री कब तक रहेंगे, कितने दिन ये मंत्री लोग रहेंगे। ये तो जब हरी झंडी हुई, तो चले गये। हमारे देहात के लोग कहते हैं कि अंधों के आगे रोना और अपनी इज्जत खोना। अब मैं जितना भी कहूं, आप नहीं समझेंगे। जहां अकल के दुश्मन हों, ईमान के दुश्मन हों, विचार के दुश्मन हों, व्यवहार के दुश्मन हों, संविधान के दुश्मन हों, नैतिकता के दुश्मन हों, मनुष्यता के दुश्मन हों, मानवता के दुश्मन हों, राष्ट्रीयता के दुश्मन हों, वहां कौन हमारी बातों को समझता है। आपका वोल्टेज हाफ चल रहा है। किसान की मशीन नहीं चल रही है, रबी की फसल सूखी जा रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितना अमोली में पावर हाउस स्वीकृत हुआ है, उसको बनवा दें और कालीन औद्योगिक क्षेत्र के गांव का विद्युतीकरण करा दें। भदोही नगरपालिका से राजस्व जमा करा कर पर्याप्त बिजली देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मिही लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

बजट चर्चा का समय बढ़ाने की मांग

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, मेरा यह प्रस्ताव है कि इसका समय 1 घंटा अवश्य बढ़ा दिया जाय, क्योंकि अब 10 मिनट 6 बजने में रह गये हैं, अभी हमारे तिवारी जी अपने सुझाव रखेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री जी कुछ समय लेंगे, इसलिए मान्यवर, 1 घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

राणा जी, आप बैठिये, ऐसे चलने दीजिए, चलता रहेगा।

ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी ऊर्जा के बारे में, और उस पर जितनी भी चर्चा की जाय, वह थोड़ी है, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे थे, अभी तक 19 सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं, मुझे समय बढ़ाने में कोई इस तरीके का एतराज नहीं है आप चाहें तो 10 बजे तक 12 बजे तक बैठें लेकिन मान्यवर, चर्चा गम्भीर होनी चाहिए, बहुत साधारण ढंग से और सिर्फ किसी पर कोई आक्षेप करने के लिए नहीं होना चाहिए जैसे मान्यवर, हमारे बहुत सम्मानित सदस्य बरार जी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं मान्यवर, उनकी रोशनी में भी अंधेरा नजर आने लगा। मान्यवर, अगर इस तरह की चर्चा होगी तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर गम्भीर चर्चा करनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बहुत अच्छे सुझाव आयें मैं उनका आदर करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अपने विवेक से ही लोग बोलते हैं जिसकी जितनी बुद्धि है लेकिन कटुता की कोई बात नहीं कहनी चाहिए यह तो मैं भी निवेदन करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, समय बढ़ायें।

श्री अधिष्ठाता–

समय है अभी तो चल ही रहा है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-10 ऊर्जा विभाग

(क्रमागत)

श्री मिही लाल–

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत बजट में अनुदानों के लिए बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे विद्युत मंत्री और राज्यमंत्री और हमारे विद्युत के सभी अधिकारीगण, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि इस प्रदेश के हर ब्लाक को दीवाली की तरह जगमगा दिया है। मेरे क्षेत्र में मान्यवर, कुल दोनों ब्लाकों में 40

गांव का विद्युतीकरण विद्यमान है हमीरपुर जनपद में 11 ब्लाक है और 11 ब्लाक में 90-80 गांव प्रत्येक ब्लाक में विद्यमान है। मेरे ब्लाक और मेरे क्षेत्र के कुल 19 और 20 गांव का विद्युतीकरण हुआ है मान्यवर, उसी तरीके से जैसे अन्य ब्लाकों में विद्युतीकरण है हरिजन होने के नाते प्राथमिकता के आधार पर मेरे ही क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकरण कराया जाय। मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार मांग भी की है लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही रहा है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों का यह ध्यान दिलाना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। चूंकि हमारा क्षेत्र तीहड़ ऊंचा नीचा टीले टावर नदियों वाला क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा की जाय। विद्युत मंत्री के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती करने का विरोध करता हूं। जयहिन्द ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने हमको विद्युत विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय तिवारी जी ने जो (इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमाशंकर पीठांसीन हुये ।) कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् यह बात सही है कि पूरे प्रदेश का एक-एक गांव धीरे-धीरे विद्युत विभाग के रहमोकरम पर आधारित होता जा रहा है और धीरे-धीरे हमारे गांवों का जीवन भी आपके पावर पर निर्भर होता जा रहा है चाहे प्रकाश का काम हो, पानी लेने का काम हो, पंखा लगाने का काम हो, यह सारे के सारे काम विद्युत विभाग के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं ।

श्रीमन् एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवेदन पत्र पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आपके कार्यालयों को प्राप्त हो रहे हैं उनकी जितनी विद्युत की आवश्यकता है क्या आपकी उत्पादन क्षमता उतनी है और अगर आपकी उत्पादन क्षमता उतनी नहीं है तो जो हमारे विद्युत सबस्टेशन काम करते हैं ऊर्जा बनाने वाले तो क्या उन्हीं के आधार पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 10-5 वर्ष के अन्दर आप लोगों की मांग को पूरा कर पायेंगे और यह नहीं कर पायेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ऐसे बहुत से खर्च करती है जो अनुपयोगी खर्च है, मेहरबानी करके सरकार के खर्चों में से कटौती कीजिये और प्रदेश के अंदर जो विद्युत बनाने वाले हैं, उनको लगाने का काम कीजिए । इतनी बड़ी संस्था में भ्रष्टाचार की बात करना बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है । मंत्री जी अभी हाल ही में आए हैं । ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री जमनोत्री, कुछ भी कह लीजिये, वह रही है । मैं ज्यादा नहीं, एक बात कहना चाहता हूं, केवल यही कि उत्तर प्रदेश में केवल यही एक विभाग है जिसमें कागज पर सामान की आपूर्ति होती है और सप्लाई दिखा दी जाती है । मैं किसी जिले के अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं लेना चाहता, आप इस मामले की तह में जावें, आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के कार्य-कलाप बोर्ड में, विभाग में चल रहे हैं । थोड़ा सख्ती करें तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगा सकेंगे । एक बात और कहना चाहता हूं कि हाल ही में विद्युत बोर्ड में निकला है, मैं पूरे-पूरे विद्युत मंत्री जी से निवेदन

करना चाहता हूं, हाफ मंत्रीजी से बात छोड़ कर हमारी बात सुनें, आपके यहां ड्राफ्ट मैन डिप्लोमा और ड्राफ्ट मैन अन्य की जगह निकली है । इसमें से एक का वेतन 1350-2160 ड्राफ्टमैन डिप्लोमा का कर दिया है और अन्य का 1200-1800 कर दिया है । एक का कम है । जब एक ही काम है तो दोनों को अलग-अलग तनख्वाह क्यों देते हैं । इसके बारे में मेरे पास विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ का पत्रांक 46 दिनांक 8-2-89 है जिसमें लिखा है कि परिषदादेश संख्या 311 पी0 रा0 वि0 प0 तीस-4 पी0/1988 दिनांक 2 मार्च, 1988 द्वारा यह अंतर कर दिया गया है । इसको मंगा कर देख लें ।

अब मुझे अपने जनपद के बारे में कहना है कि वहां बिजली की जो मांग है और जो विभाग की आपूर्ति है, उसमें बड़ा अन्तर है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी मऊ से एक अलग लाइन बनवाएं हमारे जनपद के लिए ताकि हमारे जिले की विद्युत की मांग को पूरा किया जा सके । अभी राम गोविन्द चौधरी जी बोल रहे थे, मऊ एक नया जनपद बना है । वहां पर गांव-गांव में सब स्टेशन बनाने का काम कर रहे हैं । हमारे यहां गड़वार और सोहांव हैं, मान्यवर, मेरा समय दो मिनट बढ़ा दें । दो मिनट में समाप्त करूंगा । हमारे यहां सब स्टेशन बनाने की योजना पिछले साल प्लान में थी, मंजूर हो गयी थी उन ब्लाकों के लोड को बढ़ाने के लिए, उस काम को किया जाय । मैं दो निवेदन और करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी के उस पार कुछ गांव हैं । मैं और पण्डित विक्रमादित्य पाण्डेय जी उसके लिए मिले थे, उन गांवों के लिए बिजली के लिए बिहार से लाइन लेकर जोड़ने का काम किया जाय । ये गांव हैं नौरंगा, सिताब-दियर, शिवपुर दिया, परानपुर, जवहीं और उमरपुर दियर, उन गांवों के लिए बिहार से बिजली लेकर उनको जोड़ा जाय । इसके बारे में आश्वासन भी दिया गया था कि बिहार सरकार से बात करके बिजली दिलवायेंगे । एक बात और कहना चाहता हूं कि बक्सर से जय प्रकाश नारायण जी के गंगा तक गंगा नदी 70 किलोमीटर की लम्बाई में बहती है । गंगा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की मोटाई में दियारा बना है । इसमें दोनों ओर 50 सौ हजार एकड़ जमीन ऐसी हैं जहां विद्युत न पहुंचने के कारण वह जगह सिंचाई सुविधा से वंचित है । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप 2-4-10 मील चल सकें तो मैं निमंत्रण देता हूं, आप बलिया आवें और उस इलाके को देखें । आप देख कर महसूस करेंगे कि उस इलाके में बिजली देना निहायत जरूरी है। इसके साथ ही आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं और मा0 तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर रजनीकांत दत्त–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर , सर्वमान सिद्धान्त है कि जब ऊर्जा को मानव श्रम से सम्बद्ध कर दिया जाता है तो आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि होती है । अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष 1970-71 को आधार मान लें तो वर्ष 1984-85 में औद्योगिक सूचकांक 27.6 था 1986-87 में यह 344.1 हो गया । यहीं नहीं विकास की दर भी बढ़ी परकोपिटा इनकम भी बढ़ी और ऊर्जा का जो मुख्य स्त्रोत बिजली है अगर इस बिजली का अच्छा उत्पादन या उसका डिस्ट्रीव्यूशन नहीं हुआ होता तो आज यह आर्थिक प्रगति नहीं होती ।

पहाड़ी जिलों में 24 घंटे बिजली मिल रही है वह इसलिए दी जा रही है ताकि जंगल न काटे जाय वह इसलिए दी जा रही है स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का वहां पर और जोरदार तौर से विकास हो । गांवों में हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं हम जानते हैं कि इतना भयंकर सूखा पड़ा एक भी आदमी इस प्रदेश में उस सूखे की वजह से नहीं मरा और न कृषि उत्पादन की इतनी कमी हुई उसका एक मात्र कारण था गांवों को बिजली दी जा रही थी आज भी दी जा रही है । मैं बताना चाहता हूं कि इस विकास के कारण बिजली की अच्छी सप्लाई के कारण आज स्थिति यह है कि न बाहर से अन्न मगाना पड़ रहा है और न वस्त्र मंगाना पड़ रहा है । मान्यवर, अब यह बात किसी को न समझ में आये तो क्या किया जाय । इसके पीछे एक वर्ग कलचर था कार्य संस्कृति थी। प्लांट लोड फेक्टर आज कहीं-कहीं 80 और 85 तक पहुंच गया है कहीं-कहीं बिजली का प्रोडक्शन इतना है हमको बिजली की लाइनों में सम्प्रेक्षण होता रहे उत्पादन बंद करना पड़ रहा है । किसी को दिखायी पड़ रहा है कि बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है तो क्या किया जाय । बिजली के उत्पादन में प्रति यूनिट 8.2 मिली लीटर तेल की खपत होती है अब यह घटकर 6 मिली लीटर तेल की खपत हो गयी है इससे 18 करोड़ रु0 की बचत हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

डाक्टर रजनी कान्त–

डिस्ट्रीव्युशन को जनरेशन से अलग कर दीजिये उसमें साकेट फार्मूला लगाकर, डिस्ट्रीव्यूशन विद्युत परिषद् करे और जनरेशन सरकार करे । जिला लेबिल के ऊपर आप कम्पयूटर रखवा दें ताकि बिल्स की फिलिंग फाइलिंग और उसका सामंजस्य जो है वह अच्छी तरह से हो सके । हमारे क्षेत्र में 52 करोड़ रु0 की योजना थी यह योजना स्वीकृति के लिए दी है, इस पर तुरन्त काम कराया जाय । बेनियाबाग में ट्रांसफार्मर है, वह खेल का अच्छा मैदान था ट्रांसफार्मर को एक तरह हटाकर इसको खेल मैदान बनवा दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*प्रधान प्रभु दयाल–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । बहुत जोर दिया जा रहा है भ्रष्टाचार पर । मेरी राय में चपरासी से लेकर अधिकारी तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कहीं कमी नहीं है इसमें । सरकार के बूते की बात नहीं है । मैं तो कहूंगा कि भ्रष्टाचार के बजाय शिष्टाचार कह दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि यह इनके काबू से बाहर की बात है । मान्यवर, यहां एक छोटे मोटे काश्तकार की बात उठायी जाती है, 17 एकड़ से बढ़ती काश्तकार रख नहीं सकता, 12 एकड़ से बढ़ती खरीद नहीं सकता जिसके तीन चार बच्चे हों उसकी क्या स्थिति है । अब बड़े काश्तकार की चीज रह नहीं गयी। उसका बहाना आप लेकर अपनी बात कहते हैं। अब छोटा काश्तकार रह गया है अब छोटे-मोटे काम के लिए ही उसे जरूरत पड़ती है । छोटे-मोटे काम को प्रोत्साहन दिया जाय । 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर की मोटर चाहिए होती है ।

मान्यवर, 3 हार्स पावर में वह 2 इंच का पंखा लगाकर अपनी सिंचाई कर सकता है और उससे सरकार की बचत भी होगी । जहां तक ट्रांसफार्मर के फुकने की बात है, तो यह देखने की बात है कि यह ट्रांसफारमर क्यों फुकते हैं । इसके दो कारण हैं, पहला तो यह, कि जो ट्रांसफार्मर खरीदे जाते हैं, वह जितने के0 वी0 के खरीदे जाते हैं, उतने के0 वी0 के वह होते नहीं हैं क्योंकि उसमें कमीशन बाजी होती है। इसको स्क्शन तो आपके अधिकारी लोग ही करते हैं, दूसरी बात यह कि जितनी तेल क्षमता होनी चाहिए, उतना तेल उसमें नहीं होता। यह मेरी प्रत्यक्ष बात है कि मेरे यहां ट्रान्सफार्मर लगाया गया और 8 घंटे के बाद उसमें चिन्गारी निकलने लगी । जब उसे खोलकर देखा गया, तो उसमें तेल कम निकला और इसीलिए यह ट्रांसफार्मर भी फुंकते हैं । इसका दूसरा कारण है कि आपके द्वारा कनेक्शन देने में देरी होती है और वैसे भी यह सरकार छोटे आदमियों को कनेक्शन दे पा नहीं रही है, लिहाजा डोरी डालकर लोग उसमें बिजली लेते हैं, उसको आप रोक सकते नहीं हैं और जब आदमी डोरी डालकर कनेक्शन लेता है, तो वह उसी में डालता है, जिसमें पावर सबसे ज्यादा आ रही हो और इसका परिणाम यह होता है कि एक ही फेस सारा लोड बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर फुंक जाता है। मान्यवर, मेरी मांग है कि आप जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलवायें तभी आप ज्यादा कामयाब हो सकेंगे ।

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव है कि बड़े ट्रांसफार्मर न लगायें जायें, क्योंकि जब बड़ा ट्रांसफार्मर फुंकता है, तो उसके साथ कम से कम 20 ट्यूबवेल भी खराब हो जाते हैं और यदि छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा, तो उससे उसका 2-3 ट्यूबवेलों पर ही असर पड़ेगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 55 हजार छापे मारे गये हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि कितने बड़े लोगों के यहां छापे मारे हैं, उसमें कितनों को जेल भेजा, और कितनों पर मुकदमा चलाया है । मैं ऐसे 2-4 लोगों का नाम बताना चाहता हूं, जिनके यहां फर्जी छापा मारा गया है जैसे धर्मपाल, निवासी आसमांबाद, मेरठ के हैं, उसका कनेक्शन ट्यूबवेल फेल होने की वजह से काट दिया गया था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रधान जी, आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ ।

प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, उनके यहां विजीलेन्स वालों ने छापा मारा और वह बेचारा अपनी बाद में जमानत कराता फिरा । मैं एक बात और कहना चाहूंगा । हमारे यहां इसी तरह से एक गांव है, उसमें एक काश्तकार के यहां 10 हार्स पावर का ट्यूबवेल था, बाद में उसने एक इंजन लया लिया और बाद में एक चक्की भी लगवा ली । किसी के शिकायत

करने पर उसके यहां छापा मारा गया और उसका चालान कर दिया गया । इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया ।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अंधकार से प्रकाश, गरीबी से अमीरी को देखते हुये ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं और प्रकाश से अंधकार, अमीरी से गरीबी को ध्यान में रखते हुये माननीय तिवारी जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं । अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित राम गोविन्द चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो यहां पर सदन को भ्रमित करने की बात कही है, मैं उनसे यह आग्रह कर रहा हूं कि देवरिया, बस्ती, इलाहाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ में एक लोक सभाई क्षेत्र नहीं है । वहां भारत के ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने 132 के0 वी0 तथा 33 के0 वी0 सब स्टेशनों का शिलान्यास किया है । पूर्वांचल के 16 जिले प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद हैं । उनके विकास के लिए अधिक से अधिक विद्युतीकरण करना जरूरी है। वह कोई एक लोक सभाई क्षेत्र नहीं है । साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । 1986 में हमारे यहां एक 40 मेगावाट का ट्रांसफार्मर था, पता नहीं वह एक वर्ष तक गाजीपुर जनपद में कैसे पड़ा रहा । उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ उससे जनपद का बहुत नुकसान हुआ है और साथ ही साथ प्रोडक्शन में एक कमी आई। नेशनल लांस भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें । धन्यवाद ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया । मान्यवर, मैं सिर्फ कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में दो जिले बनाये गये। एक आजमगढ़ और दूसरा मऊ । आजमगढ़ जिले में केविल, ट्रांसफार्मर व खम्भे भी नहीं मिल पाते हैं, पता यह चला है कि वह सब मऊ जिले में चला जा रहा है । यहां तक पता चला है कि मेन स्टोर पर जब माल आता है तो वहीं से मऊ को चला जाता है । मऊ में जबकि केवल 8 ब्लाक हैं और आजमगढ़ में 21 ब्लाक हैं । अब आप ही बतायें कि 8 ब्लाकों वाले जिले में कितनी जरूरत होगी सामान की और 21 ब्लाक वाले जिले में कितनी जरूरत होगी सामान की। आवश्यकतानुसार सामान की आपूर्ति की जाय। 6–6 महीने तक ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि मऊ को चले गये हैं। मेरा कहना है कि इस समस्या का आप निराकरण करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हाफिजपुर में आपका बिजली केन्द्र है और यह आजमगढ़ में पड़ता है । आजमगढ़ और मऊ की बिजली अगर कट जाये तो वह उससे कनेक्ट नहीं होती है, परन्तु यदि सुल्तानपुर की कट जायेगी तो वह उससे कनेक्ट हो जायेगी । मेरा कहना यह है कि आजमगढ़ में केन्द्र होते हुए भी वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है, इसलिए पहले आप आजमगढ़ और मऊ को उससे कनेकट करें फिर सुल्तानपुर को दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरा, मेरा यह कहना है कि अगर इस वक्त कोई व्यक्ति कनेक्सन लेना चाहता है तो जे0 ई0 उसके यहां जाता है और कहता है कि 5 हजार रुपया लगेगा । 3 हजार रुपये कनेक्शन का लीगल चार्ज और 2 हजार रुपये उसके। जब वह व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि पैसा मत देना तो वह जे0 ई0 5 हजार रुपए का इस्टीमेट बनाकर दे देता है । मजबूरन में उस व्यक्ति को वह पैसा देना पड़ता है । मैं चाहूंगा कि इस पर आप जरूर विचार करें। केवल ट्रांसफार्मर को लगाने की ओर आप विशेष ध्यान दें और साथ ही इसे सुनिश्चित भी करें । धन्यवाद ।

श्री अजीत कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय तिवारी जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया और इस सदन को तमाम बातें समझाई हैं, माननीय तिवारी जी ने केवल आंकड़ों के जाल में सदन को उलझाया ।

मैं अपने विकास खण्ड सरवनखेड़ा, कानपुर देहात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर 80-81 में विद्युतीकरण हुआ था । आज तार कट गये हैं, खम्भे टूट गये हैं । माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनः एक बार तार और खम्भे गड़वा दिये जायं जिससे शासन का 52 लाख रुपया जो वहां पर लगा था, उसका दुरुपयोग न हो ।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । ऐसे गांव जिसमें एक खम्भा भी गड़ गया, एक ट्यूबवेल को बिजली मिल गयी, उस पूरे गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। मेरी मांग है कि यह कानून बदला जाय। जब तक एक-एक मजरा विद्युतीकृत न हो जाय, पूरे गांव को विद्युतीकृत न माना जाय । दूसरी बात, जिन गांवों में बिजली लग जाती है, लोग तारों को काट देते हैं खम्भों को उखाड़ देते हैं । इसके लिए एक सचल दस्ता नियुक्त किया जाय । इसमें क्षेत्रीय पुलिस कोई काम नहीं कर पाती है । विद्युत परिषद् एक ऐसा सचल दस्ता बनाये, जो कि इसकी रोकथाम कर सके । तीसरी बात, कुटीर ज्योति की योजना लागू की गयी है । जो हरिजन क्षेत्र है उसमें हरिजनों को कुटीर ज्योति के अंतर्गत बिजली दी जाय ।

धन्यवाद ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मैं अपनी बात बलिया की विद्युत व्यवस्था से ही प्रारम्भ करता हूं । बहुत दिन पहले बलिया में एक थर्मल प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गयी थी । बलिया तथा पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुए थर्मल प्रोजेक्ट की बात स्वीकार करें और बलिया में इसे बनायें ।

बलिया में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर बड़ा ही जाली काम हुआ है। चार साल से लिख रहा हूं कि जांच करायी जाय लेकिन वहां जांच नहीं करायी गयी। कहा गया कि 79 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है जब कि केवल 25-26 प्रतिशत

गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है। विद्युतीकरण के नाम पर कहीं पोल पड़ा है तो कहीं केवल तार है। जहां लाइन है वहां आपूर्ति नहीं है। लाइन गिरी हुई है, ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हैं।

गंगा के किनारे के गांव जो काफी पिछड़े हैं वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है लेकिन वहां की जमीन उपजाऊ है, वहां पर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं है, यदि शिवपुर, उमरपुर, प्रानपुर, जवहीदीयर, शिवपुर नौरंग में विद्युतीकरण हो जाय तो यह क्षेत्र विकसित हो जायेंगे। कृपया बिहार से इन गांवों को बिजली दें।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस साल हम 4000 गांवों को बिजली दे रहे हैं अगले साल 6000 को देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इस वर्ष 32000 ट्यूबवेलों को कनेक्शन दे रहे हैं अगले वर्ष 48000 ट्यूबवेलों का कनेक्शन देंगे। श्रीमन् जितने गांव और ट्यूबवेल आज हैं उन्हें तो विद्युत के अभाव से दे नहीं रहे हैं तो अगले साल ये विद्युत कहां से देंगे? जबकि उत्पादन बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

माननीय मंत्री जी अच्छे आदमी हैं। मैं इनकी ईमानदारी पर सन्देह नहीं करता हूं लेकिन विभाग भ्रष्ट हो चुका है। विद्युत परिषद् का घाटा 25 सौ करोड़ का है। दुःख है कि विभाग अभी भी सतर्क नहीं हो रहा है। खर्चे को कम नहीं कर रहा है, आय को बढ़ा नहीं रहा है। श्रीमन् 30 दिसम्बर, 88 तक बकाया में 102 करोड़ और बढ़ा है। भुगतान 31 मार्च, 88 को 410 करोड़ था वह 30 दिसम्बर, 88 को 545 करोड़ हो गया। यह स्थिति है। श्रीमन् लाईन क्षति प्रदेश में 31.71 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 21.51 प्रतिशत है। कृपया उसे ठीक करें। अपने में परिवर्तन लायें। आर्थिक स्थिति को ठीक करावें। उधार पर ही न जीवें।

अभी तक बलिया में केवल मऊ से सप्लाई होती है। लाईन के खराब होने पर पूरा बलिया जनपद में अन्धेरा हो जाता है। बलिया के लिए एक और लाइन दें। बूसुफपुर से एक और लाइन दें, जिससे आपूर्ति नियमित हो सके। सोन वानी फीडर ठीक करें। बलिया शहर में आपूर्ति बड़ी खराब है। प्रायः विद्युत नहीं रहती। कृपया ठीक करें। सदन की आपूर्ति जैसे गांवों को भी विद्युत की आपूर्ति करें। घोसी तहसील जैसे बलिया में भी विद्युतीकरण करावें।

श्रीमन् सरकार के पास विद्युत की दो दर है। किसान के लिए अधिक और उद्योग के लिए कम। श्रीमन् किसानों के साथ बेइमानी हो रही है। इसे ठीक करें और उनकी दरों को कम करें। श्रीमन् आज विद्युत जन सामान्य से जुड़ी हुई है। विद्युत विभाग प्रगति का पर्याय है। दुख है कि उत्तर प्रदेश जो देश का एक बड़ा प्रदेश है, विद्युत में भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है। पंजाब में प्रति व्यक्ति

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

481 यूनिट गुजरात में 320 यूनिट प्रयोग करता है तो उत्तर प्रदेश में मात्र 121 यूनिट है। प्रदेश का विद्युत उपभोग में 15वां स्थान है। बड़ी दयनीय स्थिति है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के 76 हजार गांव में विद्युत है। यदि यह मान भी लेता अभी भी हजारों गांव अंधेरे में हैं पंजाब हरियाणा में सभी गांव प्रकाश में हैं। बड़ी दयनीय स्थिति इस प्रदेश की है।

श्रीमन् भ्रष्टाचार और घपले पर पुनः जोर दे रहा हूं खम्भे की खरीद और ट्रान्सफार्मर की खरीद में घपला है। घटिया किस्म का खम्भा क्रय किया जाता है, कम लिया जाता है, अधिक दिखाया जाता है। कोई रिकार्ड नहीं है। इस वर्ष तीन लाख खम्भे लिए गए हैं, एक खम्भे पर 15 रुपया कमीशन है। श्रीमन् यही स्थिति ट्रान्सफार्मर की है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दोषी व्यक्तियों को सजा देंगे। यह ठीक है। श्रीमन् इस वर्ष 22 हजार 7 सौ ट्रान्सफार्मर खराब हैं। श्रीमन् इतने अधिक ट्रान्सफार्मर क्यों खराब हैं, कृपया माननीय मंत्री जी बतायें तथा ट्रान्सफार्मर की कमी को ठीक करें।

श्रीमन् अन्त में मैं पुनः कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री बलजीत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस बात का धन्यवाद अदा करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि उन्होंने निर्बल वर्ग को बिजली देने की व्यवस्था कुटीर योजना के अन्तर्गत की है कि उनको भी बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा। इसके साथ ही गरीब भी ज्योति पा सकेगा।

इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि अप्रैल, 1988 तक जनता कनेक्शन देने की योजना थी जिसमें कनेक्शन देने के लिए 100 रु0 फीस लेकर हरिजनों को बिजली दी जाती थी, यह योजना पुनः लागू की जानी चाहिए। जहां तक कुटीर योजना जो चलायी गयी है, इसका सम्बन्ध है इसकी उन्हीं जगहों पर व्यवस्था की गयी है जहां खम्भे उपलब्ध हों, जहां खम्भे उपलब्ध न हों वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि जनता कनेक्शन चालू करके, उनको भी कनेक्शन दिया जाय। इससे लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल सकेगा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण के लिए जो गांव चयनित किये जाते हैं, जहां से रेवेन्यू मिलता हो। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां की आबादी अधिक है किन्तु वे रेवेन्यू गांव नहीं हैं, इसलिए उनमें विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रथा को खतम किया जाना चाहिए। सभी गांवों को चाहे वे रेवन्यू गांव हों या चाहे वे रेवन्यू गांव न हों, सबको बिजली मिलनी चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र मथुरा का गोबर्धन जहां से कि मैं आता हूं, बारे में कहना चाहता हूं कि वहां गोबर्धन और राधाकुण्ड तीर्थस्थल हैं और वहां पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। वहां रूरल एरिया के अन्तर्गत बिजली की सप्लाई की जाती है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी वहां बिजली की ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां पर 24 घण्टे बिजली आती रहे जिससे कि तीर्थयात्रियों को वहां इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके।

अब मैं पेयजल के संबंध में और कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल की व्यवस्था है, क्योंकि वह खारा क्षेत्र है, जल निगम की टंकी से ही पानी सप्लाई होता है। जब बिजली नहीं मिलती है तो लोग पानी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

*श्री गौरी नाथ वर्मा–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा के कटौती प्रस्ताव पर उसके समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केवल 2–4 बिन्दुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इससे पहले एग्रीकल्चर मंत्री थे, यह हमारे क्षेत्र से बखूबी से वाकिफ हैं और हमारे यहां टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना निर्माणाधीन है, इनके अधिकारियों द्वारा जो सूचना मा0 मंत्री जी को दी गयी है कि दो यूनिट चालू कर दी गयी है, बिल्कुल निराधार है, मान्यवर, मेरा निवास स्थान इस परियोजना के बिल्कुल सामने ही है, मैं अपनी पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि वहां पर अभी केवल एक ही यूनिट चालू की गयी है और जिससे मात्र 50 मेगावाट या 60 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो रहा है।

मान्यवर साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि थर्मल परियोजना से हमारे यहां के करीब 23 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ग्राम मखदूमनगर के किसानों का 10 लाख रु0 और इसी प्रकार से ग्राम गोखला के 4 लाख रु0 के अतिरिक्त भूमि प्रतिकर भुगतान हेतु जिला जज ने निर्णय दिया, उक्त निर्णय के अनुसार विद्युत परिषद् ने ग्राम मखदूमनगर के किसानों का करीब 3 लाख रु0 भुगतान किया, शेष धनराशि के भुगतान न करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय, लखनऊ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। इस स्थगन आदेश के रहते फिर मखदूमनगर के शेष पैसा का नहीं भुगतान किया गया। फिर माह जून, 88 में जब टाण्डा विधान सभा का चुनाव चल रहा था तो 13 जून, 88 को ही तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह के आदेश पर विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने ग्राम गोखला का रु0 4 लाख का भुगतान कर दिया और इस प्रकार से मखदूमनगर के किसानों का अभी भी 7 लाख रु0 का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे तत्काल कराया जाना चाहिए क्योंकि इससे वहां के किसानों में बड़ा रोष व्याप्त है।

साथ ही मान्यवर एक निवेदन और करना चाहूंगा जो बकाया हमारे यहां के किसानों और भुनकरों पर है, वह एक मुश्त भुगतान करने में समर्थन नहीं है, ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सुझाव है कि विद्युत बिलों में जो करेंट बिल की धनराशि होती है उसी के साथ बकाया बिलों की धनराशि को भी मिलाकर थोड़ा थोड़ा वसूल कर लें, इस तरह से वर्तमान बिलों के साथ बकाया बिलों की धनराशि भी वसूल होती रहेगी और इस प्रकार से किसानों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी और आपका बकाया भी वसूल होता रहेगा।

साथ ही मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि परियोजना से प्रभावित परिवारों को 10 वर्ष की छूट नियुक्ति में दी जा रही है, परन्तु इस छूट के बावजूद विद्युत परिषद् के नियमानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को 5 वर्ष की छूट नियुक्ति में है, परन्तु उक्त 5 वर्ष की छूट इन्हें नहीं दी जा रही है, जिसे नियमानुसार अवश्य दिया जाना चाहिए। साथ ही मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो रही है, वहां पर कम से कम दो ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है, जिन्हें यथाशीघ्र भेजा जाए,....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर आपका आभारी हूं कि आपके मुझे बोलने का अवसर दिया . . .

(व्यवधान)

श्री राम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आप जिसे बुलवाना चाहते हैं, उनकी ओर उंगली से इशारा कर देते हैं, लेकिन मेरी ओर आपका यह इशारा नहीं होता है . . .

श्री अधिष्ठाता–

नहीं मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं, यह कोई आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बैठिए . . .।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं मा0 मंत्री जी इससे पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, वह कई बार हमारे इलाके में जा चुके हैं। मान्यवर हमारे यहां खरीफ अभियान में 63 के0 वी0 और रबी अभियान में 25 के0 वी0 बिजली भी पूरी तरह से न दिए जाने से हमारे यहां के किसानों का काम नहीं चल पा रहा है।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 63 के0 वी0 और 25 के0 वी0 के ट्रान्सफार्मर जल गये हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से जब कहा जाता है, तो वह कहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि खतापुर गांव में विकास खण्ड कासिमाबाद में 10 महीने से ट्रान्सफार्मर नहीं है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गंगा की तलहटी में जनपद गाजीपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। बनारस से लेकर बलिया बार्डर तक गंगा की तलहटी में बिजली नहीं है, वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाये, जिससे वहां पर खेती की जा सके। नखतपुर गांव विकास खण्ड बिरनो में 1982 से लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, लेकिन उस गांव का आज तक विद्युतीकरण नहीं

(इस समय 6 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग में लाइन लास बहुत होता है, इस पर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए और इसके लिए आप कोई योजना बनावें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग में जो तार लगाये जाते हैं, वह बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं और बिजली का लोड बढ़ने पर वह गल जाते हैं इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और दोषी लोगों को दण्डित करें। (व्यवधान) गाजीपुर जनपद में आप रिकार्ड देख लें, जो खम्भों की पुताई की जाती है, उसका फर्जी भुगतान करा लिया जाता है। मैं अपने जनपद के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं कि कासमाबाद में 132 के0वी0 का स्टेशन सरकार द्वारा स्वीकृत है, इसके लिए भूमि देख ली गयी है, लेकिन पता नहीं अभी तक उसका काम क्यों नहीं शुरू किया गया है। सिंगेरा में 33 के0 वी0, का सब स्टेशन है, उसका काम शुरू करवा

दिया जाये और बरेसर एवं भीजापुर में 33 के0 वी0 का सब स्टेशन बनाया जाना चाहिए। गाजीपुर में 220 के0 वी0 का पावर स्टेशन स्वीकार है, जिसके चालू न होने के कारण पूरे जनपद में बिजली सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

एसा है कि 4 घन्टे की चर्चा है। इसलिए 2–2 मिनट में अपने सुझाव दे दें, जिससे जल्दी निबट जाये। 4 घन्टे की चर्चा बाकी है।

*श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपने समय की पाबन्दी लगा दी है, इसलिये मैं केवल दो तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश के 76 हजार गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक लाख 75 हजार गांव हैं, तो आपके कहने के अनुसार ही 35 और 40 फीसदी बिजली गांवों को मिल पा रही है। 1985 के चुनाव के समय आपने गांव के लोगों को लालच दिया था और आपने खम्भा गड़वा दिया दिया, किसी भी हरिजन बस्ती का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। आपने योजना दी है कि ढाई गांव लिये जायेंगे और एक गांव में 10 खम्भे लगाये जायेंगे। एक गांव सभा में 18–19 गांव होते हैं और आप एक गांव में एक खम्भा देंगे और कह रहे हैं कि सभी को बिजली दे दी गयी है। आप सभी गांवों को बिजली दें, इस बात को सदन में भी उठाया गया है। ज्ञानपुर पम्प नहर हंडिया में बन रही है, वहां पर सब स्टेशन प्रस्तावित है, जमीन ले ली गयी है, लेकिन अभी तक सब स्टेशन नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बरौत का ट्रान्सफार्मर परमानेन्ट नहीं लगा है, वह उतार कर टाउन एरिया में ले जाया जाता है और जब कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना होता है, तो उसी को फिर लगाया जाता है। जब कोल्ड स्टोरेज से आलू निकल जाता है तब वह टाउन एरिया में चला जाता है जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। जितना समय आप इन बड़े-बड़े अभियन्ताओं और परिषद् के लोगों को सदस्य बनाने में लगाते हैं उसका आधा समय भी अगर आप गांवों को देखने में लगायें तो उसमें काफी सुधार हो सकता है। मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा कि अगर बिजली का बिल किसान जमा नहीं करता है तो उसको 14 दिन तक जेल में बन्द कर दिया जाता है। किसी पर 10 हजार, किसी पर 15 हजार और किसी पर 20 हजार . . (व्यवधान) मान्यवर, एक मिनट का समय और लेना चाहता हूं . .

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं अब नहीं। आप अपने ही समझौते को तोड़ रहे हैं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी का नाम पुकारे जाने पर, कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे किसी की बात स्पष्ट नहीं हो सकी।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मैं माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं . . .

(व्यवधान)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल और माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महाकुम्भ मेले में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक रिकार्ड कायम किया है। जहां पर करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी, अगर एक दिन भी वहां पर बिजली की रोशनी गुल हो जाती तो पूरे विश्व में इसका नाम गिरता। लेकिन वहां पर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ और सारी व्यवस्था करके उन्होंने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे कटौती के प्रस्तावक माननीय तिवारी जी एक ओर हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं, वहीं पर महाभारत का सपना देखते हैं, राम कृष्ण का सपना देखते हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस प्रकार कथनी और करनी में वे फर्क कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं . . (व्यवधान)। तिवारी जी को जनता दल के शासनकाल की याद दिलाना चाहता हूं। सन् 77 से 80 तक ढाई वर्ष के जनता दल का रिकार्ड देख लें कि उस समय कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ था और आज कितने गांवों का हुआ है। तब से कई गुना ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण आज हो गया है।

मान्यवर, मैं अपने विरोध पक्ष के साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार जनता ने जब भूल से इन लोगों को शासन चलाने का मौका दिया था तो इनके जो महान नेता थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनकर आये थे, उस समय जनता से परेशान होकर जब उनसे बिजली की बात कही तो उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, वह मैं यहां पर कहना नहीं चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जिस अंधाधुन्ध तरीके से यहां पर बता दिया कि हमने प्रदेश में बिजली की प्रगति कर दी है । हो सकता है माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में कहीं दो चार जगह बिजली दे दी हो लेकिन पूरे प्रदेश में जहां पर अंधकार छाया हुआ है, वहां पर वे प्रकाश बताते हैं ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में जो लखना विधान सभा क्षेत्र है गोहानी में 5 हजार की आबादी है, बीहड़ इलाके में है, वहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है । एक भी ट्यूबवेल नहीं है इसलिए वहां पर बिजली दी जाय । दूसरी बात यह है कि जो लोग यह लिखकर देते हैं कि हमारा ट्यूबवेल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलेगा, हम बिजली का कनेक्शन कटवाना चाहते हैं किन्तु फिर भी उनके बिजली के बिल आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए । आपके जो वहां पर अधिकारी हैं वे लगातार किसानों की उपेक्षा करते हैं और कनेक्शन काटने के बाद भी उनसे बिल चार्ज करते हैं । यह नहीं होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम कृष्ण–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सीतापुर के अपने पिछड़े हुये क्षेत्र मछरेहटा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में सिधौली से सधना तक 20 कि0 मी0 में 10 वर्ष पूर्व लाइन बनी थी लेकिन वहां कोई सब स्टेशन नहीं बनाया गया है । इसके लिए मैंने पिछले साल भी विधान सभा में मांग की थी लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई । अभी पिछले 3 महीने हुये वहां जमीन खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिये गये हैं लेकिन अभी तक वहां कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं गया । वहां पूरी मिश्रिख तहसील में एक ही सब स्टेशन बना हुआ है जिससे किसानों की बिजली आपूर्ति में बड़ी कठिनाई होती है । माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने वहां तुरन्त सब स्टेशन बनाने के लिए आदेश दिये थे लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

मेरे क्षेत्र में बुद्धाग्राम में बेनीगंज थाना मछरेहटा सीतापुर में एक बृद्धा की और दो बैलों की करेंट लगने से मृत्यु हो गयी थी । माननीय प्रमोद तिवारी जब विद्युत मंत्री थे उन्होंने 8 हजार रुपये देने के आदेश दिये थे लेकिन वह नहीं दिया गया है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि वह मुआवजा शीघ्र दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम कृष्ण–

मेरे क्षेत्र में अधिकतर गांव हरिजन बाहुल्य के हैं जिनका बिद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका विद्युतीकरण कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । नहीं तो लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम कृष्ण–

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन बड़े-बड़े उद्योगपतियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो विद्युत चोरी करते हैं उनको बिद्युत चोरी से रोका जाय ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी देना चाहता हूं 17 दिसम्बर, 87 को इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा 20 सूत्री सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें पूरी कमिश्नरी के सांसदों व विधायकों को बुलाया गया था और उनकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्य मंत्री भी गये थे, 60 गांवों

का मैंने नाम दिया था । जिसमें कागजात में विद्युतीकरण हुआ दिखाया गया है । वहां बिजली का कोई काम नहीं हुआ है जिसमें कहा गया कि यहां पर काम चल रहा है । एक गांव के विद्युतीकरण में करीब ढाई लाख का खर्च आता है, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ इतनी बड़ी धनराशि को अधिकारी गबन कर गये है । इस पर मुख्य मंत्री जी ने बचन दिया था कि जो दोषी है उन सब को सस्पेन्ड करेंगे । लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । उसमें लगातार इन्क्वायरी चल रही है उसी विभाग के अधिकारी से जांच करने से कोई काम होने वाला नहीं है । वहां घूसखोरी चल रही है । इसकी जांच डी0 एम0 से या अन्य किसी अधिकारी से कराई जाय और समयबद्ध जांच हो तब कुछ काम हो सकता है ।

यहां पर कुम्भ मेले की बात कही गयी । (व्यवधान) कुम्भ मेले में जितने खम्भे और तार लगे है वह कुल सामान अब इलाहाबाद जनपद के गांवों में ही लगना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिख कर दे दें । अब तिवारी जी बोलेंगे ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

वहां किसी गांव में साल भर से कोई काम नहीं हुआ है (व्यवधान) अन्त में–मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई नहीं बोलेगा (व्यवधान) लिख कर दे दीजिये ।

श्री हरदेव–

हमें भी मौका दें हम किस लिये यहां आये है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से तो बाकी लोग भी बोलेंगे ।

(श्री हरदेव एवं अन्य कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

अब केवल श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा । आप लोग शान्त रहे । हरदेव जी आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत से माननीय सदस्य बोलने से रह गये है, जैसा कि उस दिन निवेदन किया था उसी तरह आज भी जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के संबंध में नहीं बोल पाये हैं, और चूंकि चार घंटे का एजेन्डे के अनुसार कार्यक्रम अभी बाकी है तीन घंटे की चर्चायें लगी हैं, इसलिये उनके सुझाव आप आमंत्रित करलें और जो सुझाव आज लिखित रूप से प्राप्त हो जायं उन्हें आप कार्यवाही का हिस्सा बनवा दें । श्री हरदेव जी अब आप लिखकर दे दें ।

(व्यवधान)

*श्री गोपी नाथ वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपसे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हमने बोलने के लिये समय मांगा था तो आपने मौका नहीं दिया था बल्कि निर्देश दिया था कि जो माननीय सदस्य बोलने से रह गये हैं वह लिखकर भाषण दे देंगें तो उसको कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा । हम लोगों ने लिखित भाषण दिया था लेकिन कार्यवाही में उसको समायोजित नहीं किया गया है और उसी तरह से आज भी कह रहे हैं कि लिखकर दे दें उसको मान लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हो गया । इसमें वही फैसला रहेगा जो पहले हो गया है । यदुनाथ जी को एक मिनट, सिर्फ एक मिनट । जो आपने (गोपीनाथ वर्मा) कहा है मैं उसको दिखवा लूंगा । जो आज लिखकर देंगे वह कार्यवाही का अंग हो जाएगा † ।

(व्यवधान)

*श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर–

आज के बोलने वालों में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मेरा नाम भी आपके पास गया था । 12 नम्बर पर मेरा नाम था । पच्चीसों लोग बोल चुके हैं, लेकिन मुझे खड़े होने पर भी कोई अवसर नहीं दिया गया मेरे साथ ऐसा क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष–

बैठिये, यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हमारे ऊर्जा मंत्री ने जो बजट रखा, उस पर तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अब और आओ, पारे आओ, नदिया किनारे आओ, गाने का जमाना खत्म हो गया है । वह जमाना खत्म हो गया है । नरेन्द्र सिंह जी जो आप आंकड़ों का जाल दिखाकर, जैसे मां अपने बच्चे को झूठा बहलाती है, आप लोगों को बहला फुसला लिया करते थे । अब जनता बहुत समझदार हो गयी है । हम सब आपकी आंकड़े बाजी और जादूगरी समझते हैं । लेनिन ने कहा था गांव-गांव में बिजली भेजिये समाजवाद आ जाएगा । लेकिन हमारे यहां सैकड़ों गांव में बिजली नहीं है । इनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और ट्रांसमिशन जो थोक वितरण करते हैं । साथ साथ जनरेशन-उत्पादन के आधार पर जो थोक वितरण है, उसमें आप देखें । आपने 3 विभाग तो बना दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन-वितरण, जिसके आधार पर अम्मार साहब हम लोगों को दारूलशफा में बिजली देते हैं, और कभी नहीं देते हैं । जो बिजली मिलती है, ऐसा लग रहा है, बिजली में जितना लाईन लासेस है, उसके जो भी कारण हों-

†सुझावों के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या 218 पर ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहे चोरी हो या तारकटी हो, 40 परसेंट से ज्यादा है । यह हमारे और आपके लिए बड़ी चिन्ता की बात है । मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसमें तीन-तीन विभाग खोलने की क्या जरूरत थी । जनरेशन कर रहे थे तो करते, वितरण कर रहे थे तो करते, किन्तु उसके बाद ट्रांसमिशन की क्या जरूरत पड़ गयी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद । यह खोलकर धन की बर्बादी और काम में खराबी पैदा की गयी है । आपके घर में बिजली के दो तार होते हैं, किन्तु जो बिजली पावर स्टेशन से आती है, उसमें तीन तार होते हैं बई, आर और बी, . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए वह हो जाएगा, अब नहीं . . (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

कभी-कभी डबुल पोस्टिंग करता है जूनियर इंजीनियर । आप इसको खत्म कराइये । भदोही और मिर्जापुर में बिजली की भारी कमी है । मिर्जापुर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन वहां के गांवों में अन्धकार रहता है । वहां केवल 4 मेगावाट बिजली मिलती है, जबकि बनारस में 90 मेगावाट बिजली दी जाती है ।

(श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर तथा श्री यदुनाथ सिंह के साथ-2 बोलते रहने पर)

श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में विधान सभा क्षेत्र माधवगण, जनपद जालौन से विधान सभा सदस्य हूं । मैं एक मिनट में अपनी बात कहकर बैठ जाना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र बुन्देलखण्ड का क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है । विकराल जंगलों का क्षेत्र है । पानी और बिजली की वहां भारी समस्या है । जो बुन्देलखण्ड का पूरा क्षेत्र है, जिसमें पांच जनपद हैं, उनका 100 प्रतिशत विद्युतीकरण जोड़ दिया है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि पूर्ण रुप से मैं उससे सहमत हूं । मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनाने जा रहे हैं तो हम पूर्ण अधिकार उस कमेटी के सदस्यों को देंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचारी अधिकारियों का विरोध करेंगे और चाहेंगे कि भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया जाए । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रमपुरा में एक पावर सब स्टेशन बनाया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मुझे प्रसन्नता है कि दोनों पक्षों की भावनायें एक सी हैं । चाहे किसी सदस्य ने बजट का समर्थन किया हो या कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया हो सबका एक ही मत था, सबकी एक ही दृष्टि थी, सबने यही कहा कि भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है, उस पर रोक लगाई जाए सबने यही इच्छा जाहिर की है सब लोगों ने माना है कि हमारे जो निर्धारित लक्ष्य रहे हैं उसे प्राप्त करने में हम असफल रहे हैं । सारे लोगों की यही इच्छा है कि आगे जो लक्ष्य निर्धारित करें वह लक्ष्य केवल कागज तक ही निर्धारित न रहे उन लक्ष्यों तक पहुंचने का भी हम प्रयास करें । अगर माननीय मंत्री जी ने ऊर्जीकृत नलकूपों की संख्या को बढ़ाने की घोषणा की है, अगर अधिक ग्रामों के विद्युतीकरण की घोषणा की है तो उसकी परिणीति ऐसी न हो जैसा कि पहले हुआ । जो घोषणायें हों उसका

कार्यान्वयन भी निर्धारित करें उस लक्ष्य तक पहुंचना भी चाहिए । एक चीज यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ने देखा भी है कि यह एक आम शिकायत है कि ट्रांसफार्मर और मोटर खराब हो जाते हैं छः-छः महीने तक कुछ नहीं हो पाता है वह खराब पड़े रहते हैं और किसान खून के आंसू रोते हैं तो इसमें आप एक पालिसी बना दें । एक निर्धारित अवधि के अन्दर एक ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा । अगर निर्धारित अवधि के अन्दर वह काम पूरा नहीं होता है तो किसी की जिम्मेदारी आप फिक्स कर दें और उसके बाद अगर वह काम नहीं होता है तो वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा ।

इसके साथ माननीय मंत्री जी ने एक बात कही स्पेशल ड्राइव चलाकर सारे पेंडिंग कनेक्शन दिए गये हैं, तो इसमें मैं कहना चाहता हूं जैसा कि अभी हमारे वर्मा जी ने बताया कि दस वर्ष के कनेक्शन पेंडिंग हैं वह नहीं मिल पाए हैं । हर जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे केसेज मिल जाएंगे । इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि जिसमें अनुबन्ध हो चुके हैं और किन्हीं कारणों से कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं तो इस मामले में सीधा-सीधा निर्धारण करें कि एक निश्चित अवधि में आप इस काम को पूरा करेंगे । इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर जिले में विद्युत की सलाहकार कमेटी है जिसमें एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 सदस्य हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से जिले ऐसे हैं कि दो साल से वहां विद्युत सलाहकार समिति की बैठक नहीं बुलाई गई हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

हमारे यहां मान्यवर, 1987 से बैठक नहीं बुलाई गई है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जिसकी वजह से न तो सम्बन्धित अधिकारी को हम विद्युत व्यवस्था के बारे में बता पाते हैं और न ही उनसे कोई जानकारी ले सकते हैं । तो इसमें मान्यवर, ऐसे निर्देश जारी कर दें कि निर्धारित अवधि के अन्दर बैठक हुआ करे । आज दोनों पक्षों के लोग यह महसूस करते हैं कि आज ऊर्जा कम्फर्ट की बात नहीं है बल्कि यह एक नेसेसिटी है, आवश्यक आवश्यकता है, तो मेरा अनुरोध है कि इनको इनरजाइजेशन के कार्यक्रम में राजनीतिक कारणों से पक्षपात न किया जाए । अभी गोपी नाथ वर्मा जी ने उदाहरण दिया माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि टांडा उप चुनाव में मखदूम और गोकुला गांवों के किसानों को मुआवजा न मिलना था गोकुला गांव का मुआवजा बांट दिया गया जबकि स्टे था । इसी बीच चुनाव का रिजल्ट आ गया और मखदूम नगर का मुआवजा नहीं बंटा । इसलिये वहां पर यह फीलिंग है कि चुनाव के मौके पर एक गांव का बांट दिया और दूसरे गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया गया । तो ऐसे कार्यों से जनमानस में ऐसी भावना नहीं पनपानी चाहिए कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या सौतेला व्यवहार हो रहा है रचना और निर्माण के काम में यह भावना नहीं होनी चाहिये ।

इसी के साथ-साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं विद्युत चोरी के बारे में । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 55 हजार छापे डलवाये गये हैं । इन छापों के लिये आप बधाई के पात्र हैं । आपने एक अच्छी शुरुआत की है । विद्युत की

चोरी राष्ट्रीय अपराध है । विद्युत चोरी एक अपराध ही नहीं बल्कि जो विकास की योजनायें हैं उनकी प्रगति में रुकावट-अवरोध डालना है इसलिये इस राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिये कड़े कदम उठाने चाहियें । अगर यह चोरी नहीं रुकती है तो डिटरेंट पनिशमेन्ट दीजिये, इस चोरी को रोकिये । यह प्रवृत्ति बढ़ती रही तो हमारे विकास के सारे कार्यक्रम अवरुद्ध हो जायेंगे ।

मैं अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो चोरी हो रही है और जो गड़बड़ियां हो रही हैं इसमें आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भी साजिश है । मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन पर 50-60 हजार रुपया बकाया है और उनके कनेक्शन काटे गये हैं लेकिन आपके अधिकारियों की मदद से वह अवैध कनेक्शन लेकर अपनी मशीनें चलाते हैं और उनको माहवारी देते हैं और उनको रेगुलर पेमेंट से यह सस्ता पड़ता है और इसकी देखा देखी दूसरे लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ती है । इन शब्दों के साथ, मैं पुनः उन सारे माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है । चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों इस प्रदेश की प्रगति को ध्यान में रखते हुये जो उन्होंने आलोचना की है उन्होंने दिल और दिमाग से कहीं न कहीं मेरी बातों का समर्थन किया है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

माध्यक्ष, मैं बहुत आभारी हूं कि सम्मानित सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे, बहुमूल्य सुझाव दिये । कुछ माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रख सके लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य से सुना । यह इस बात का परिणाम है कि कितनी दिलचस्पी उनको इस विभाग को आगे बढ़ाने में है और इस काम को गति देने में है । माध्यवर, 37 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया । मेरा मन तो था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक-एक करके जवाब दूं लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा । अलग-अलग जवाब देना मुमकिन नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह धैर्य धारण करें और मुझे सुनने की कोशिश करें । तो सभी का उत्तर देना यहां पर सम्भव नहीं दिखता, चूंकि उसमें कम से कम दो-ढाई घंटे का समय चाहिए । लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सम्मानित सदस्यों का यहां पर उत्तर नहीं दिया जा सकेगा और जो उन्होंने बिन्दु उठाते हैं, उन सभी का उत्तर मैं एक माह के अन्दर पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं । मैं तमाम बातों से सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं । मैं वैसे भी सम्मानित सदस्यों को, पत्रों के जरिये से विभाग में क्या कार्य हो रहा है, उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी में लाया करता हूं । इसमें 4-5 बिन्दु उभर कर आये एक बात बिजली की चोरी की आई । बिजली की चोरी के बारे में जैसा मैंने निवेदन दिया कि हमारा पूरा प्रयास है, बिजली की चोरी को रोकने का और उसमें कुछ सफलता भी मिली है । ऐसा नहीं है कि यह जो 55 हजार छापे डाले गये हैं, जैसा हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि छोटे-छोटे लोगों पर छापे डाले गये, ऐसा नहीं है ।

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

यह जो छापे डाले गये, मैं सिर्फ कुछ नाम मान्यवर, आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं । मेसर्स अन्नपूर्णा स्टील, कानपुर, बीना रेक्सी , कानपुर, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर, सुभाष इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर, गैंजेज फ्लोर मिल, कानपुर, निखिल रबर प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, और जलिया कोल्ड स्टोरेज, जायस, रायबरेली । मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी सूची है । हमारी यह पूरी कोशिश रही है, क्योंकि हमने विभाग में विद्युत परिषद् के अलावा 33 पुलिस दल उसमें गठित किया और इससे पूरे प्रदेश भर में एक ऐसी वातावरण बना कि जो विद्युत की चोरी करने वाले लोग थे, उनके मन में आया कि हमें कनेक्शन ले लेना चाहिए, अब विद्युत की चोरी वरदास्त नहीं की जायगी । अब मान्यवर, विद्युत की चोरी को हम बरदास्त नहीं करेंगे । इस बारे में हम सम्मानित सदस्यों का सहयोग चाहेंगे कि जहां कहीं भी इस तरह की बात हो, विद्युत की चोरी की कहीं शिकायत हो, कहीं पर अगर कोई चोरी कर रहा है, और उसकी जानकारी यदि कोई हमें करा देता है, तो मैं उसका आभारी हूंगा । अगले वर्ष से हम एक नई स्कीम चालू करने जा रहे हैं, जिस तरह से इनका टैक्स की चोरी की सूचना देने वालों को कुछ परसेंटेज दिया जाता है, उसी प्रकार से हम यह योजना चालू करने वाले हैं कि जो व्यक्ति बिजली की चोरी की सूचना देता है, तो उसे कुछ पर्सेंटेज दिया जायगा । हां अगर माननीय गोपाल दास जी कोई सूचना दे दें, तो वह दूसरी बात है । . . . . (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जीप फ्लश लाइट कम्पनी, इलाहाबाद में करोड़ों की बिजली की चोरी का मामला है । उस पर क्या आप छापा डलवायेंगे ? उससे करोड़ों रुपये का फायदा होगा ।

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी बिजली की चोरी करता है, तो हम उसकी जरूर से जरूर जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं तो सूचना दे रहा हूं, आप रेड करवा दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप सूचना दे चुके हैं, अब आप बैठिये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आप मुझे लिखकर भेज दीजिये । आप जो भी सूचना देंगे, मैंने तो बताया कि जिस तरह से जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं, उनकी सूचना देने पर गुप्त रूप से जो उसकी जानकारी करायें उसको उस पर परसेंटेज दिया जाता है वैसे ही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में जो लोग सूचना देंगे हम उनको भी उसी तरह से पुरस्कृत करेंगे । अनुग्रह नारायण सिंह जी उससे वंचित नहीं रहेंगे ।

श्री गोपाल दास यादव–

जो अधिकारी चोरी करवाते हैं बिजली की उसके साथ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह बाद में बात कर लिजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं एक सूचना दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

उनका भाषण तो खत्म हो जाय ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उस पर परसेंटेज मिलना शुरू होगा, पहली अप्रैल से ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, आपके यहां दो तरह के फीडर होते हैं एक तो रूरल फीडर और दूसरा अरबन फीडर । तो जो व्यक्ति रूरल फीडर का अरबन फीडर से सप्लाई लिये हुए है वह दण्डनीय अपराध में है या नहीं है एक तो यह जानकारी चाहता हूं कि यह दण्डनीय अपराध माना जायेगा या नहीं यदि माना जायेगा तो मैं एक सूचना दूंगा तो उस पर क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक कार्यवाही करेंगे ? इसका आश्वासन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे बहुत खुशी हुई ।

(श्री राम भजन लाल द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने सभी सम्मानित सदस्यों को बड़े धैर्य से सुना है मैं समझता हूं कि उनको भी धैर्य से सुनना चाहिए । कोई स्पष्टीकरण हो तो बाद में मांग ले मैं देने के लिए तैयार हूं ।

तो मान्यवर, एक बात आई बिजली की चोरी की । मैं अपेक्षा करूंगा कि बिजली की चोरी को रोकने में हमारे सम्मानित सदस्य हमें सहयोग करेंगे और उनके पास कोई सुझाव होगा तो मेरे पास दे देंगे, हम उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे । दूसरी बात आई ट्रान्सफार्मर की, यह बात सही है कि ट्रान्सफार्मर की बड़ी दिक्कत रही । हमारे प्रदेश में एक लाख चौसठ हजार के करीब ट्रान्सफार्मर हैं । इस साल करीब 20 हजार, चूंकि ट्रान्सफार्मर का ठीक होना, रिप्लेस होना, खराब होना यह एक रेगुलर प्रोसेस है । हमारी कोशिश यह रही कि जल्द से जल्द इन ट्रान्सफार्मरों को बदला जाय और हमारी जानकारी के हिसाब से फरवरी तक 17,000 से ज्यादा ट्रान्सफार्मर हमने प्रदेश भर में बदले और पहले आज से 4-5 महीने पहले जो स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ है । मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने यह कहा कि इसमें उस कम्पनी से खराब ट्रांसफार्मर लिये जाते हैं । हो सकता है कि उनकी बात सही हो लेकिन मान्यवर, हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया है हमने हरेक ट्रान्सफार्मर की एक हिस्ट्री कार्ड बनवाया है कि किस कम्पनी का वह बना हुआ ट्रान्सफार्मर है और

किस दिन वह कम्पनी से आया और किस दिन इंसटाल किया गया और किस दिन किस अफसर ने उसको चेक किया आयल वगैरा को चेक किया और किस दिन डैमेज हुआ और किस दिन वर्कशाप में आया वह उस कार्ड में अंकित होगा ।

हमने यह भी आदेश दे दिये हैं कि इस बीच यह देखा जाय कि जिस कम्पनी का ट्रान्सफार्मर ज्यादा डैमेज होगा हम उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करेंगे और उस कम्पनी का ट्रान्सफार्मर नहीं खरीदा जायेगा और नियमानुसार उसको दण्डित भी किया जायेगा । हमने यह निर्देश भी दिये हैं । तो ट्रान्सफार्मर कम से कम डैमेज हो, इसके बारे में अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता । इस बीच में काफी कठिनाइयां आयीं और जो प्रयास किये गये, उनका कुछ न कुछ अच्छा नतीजा निकला है । हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने, यहां पर तो कुछ न कुछ बात कहनी है, कह सकते हैं, लेकिन करीब-करीब सभी सम्मानित सदस्यों ने इसके बारे में जरूर कहा कि, व्यक्तिगतरूप से मेरी बात हुई है, इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आया है । विद्युत की आपूर्ति में सुधार आया है । तीसरी बात जो आयी वह भ्रष्टाचार के बारे में है । मैं नहीं कहता कि कहीं पर बेइमानी नहीं है । मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन इसी जगह यह भी कहता हूं कि अभी भाई हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मैं पिलखिनी गांव में एक कार्यक्रम में गया था....

श्री हर्षवर्धन–

मैं कह रहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में गये थे ।

चौधरी परेन्द्र सिंह–

उसको भी बता देता हूं । हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि किसी कार्यक्रम में गया और वहां पर इतने हजार रुपया उस कार्यक्रम में खर्च हुआ, 5-6 हजार का खर्च हुआ, । मैं पिलखिनी गांव गया था, किसलिये गया था । वहां पर कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था । गरीबों के लिये यह योजना प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने गरीब कुटियों में रहने वालों के लिये बात कही, उसके उद्घाटन में मैं गया था । वहां पर खर्च हुआ । तो वह कार्यक्रम गरीबों के लिये था । उसमें बेइमानी तब होती, जब उस अधिकारी से कहा जाता कि यह काम अपनी जेब से करना है । जब वह बेइमानी करता । जब खर्च किया जाय तो बेइमानी का सवाल नहीं है । सम्मानित सदस्य विपक्ष में बैठे हुए, मंत्री भी रहे हैं । तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें अच्छे कार्यक्रमों के प्रचार के लिये टेंट के लिये, कुर्सी के लिये इन चीजों के लिये खर्च हो सकता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आप गलत न समझें । मैंने अपव्यय को रोकने और मितव्ययिता के लिये निवेदन किया था । ऐसी स्थिति में जबकि विद्युत परिषद् घाटे में चल रहा है, 11 करोड़ का प्रति माह घाटा होता जा रहा है, तो कहीं अंकुश लगाना चाहिये। चूंकि आप मंत्री हैं, जैसा आप आचरण करेंगे, सारे विद्युत परिषद् पर उसका असर पड़ेगा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह सही है, मितव्ययिता बर्ती जानी चाहिए। इधर हमारा प्रयास है, विद्युत परिषद् में यह कहा गया है कि लोगों के टेलीफोन बिल्स देखे जायं, लोग कितना वाहन का उपयोग करते हैं, उसमें कितना पैट्रोल खर्च करते हैं, देखा जाय। जो वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है, उसको रोका जाय। इसी प्रकार से और भी मितव्ययिता के लिए विद्युत परिषद् से कहा गया है। ऊर्जा विभाग से भी कहा गया है। हमारे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक में खाना खिलाने की बात है। मान्यवर, बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक में मान्यवर, इसमें ऊर्जा का भी कुछ न कुछ हिस्सा है। सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी अधिकारी से यह कहा गया होता कि अपनी जेब से इन्तजाम करे तो बेईमानी की बात होती, लेकिन इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं है। (श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर) आपका नम्बर आए तो बोल लीजियेगा। आप पूरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी उस कमेटी में जायं या 20 सूत्री कार्यक्रम में जायं, कहीं भी जायं तो खर्च जायज हो जायगा और लोग जायं तो खर्च नाजायज हो जायगा, तो यह तो हर जगह एक ही व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

यह इनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी हो आप कर लेना।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया 20 सूत्री कार्यक्रम में सभी सांसद और विधायक भी सदस्य होते हैं और सभी पक्ष के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक ही उसके सदस्य होते हों। मान्यवर, जैसा मैं कह रहा था कि अगर किसी अधिकारी को गलत काम करने के लिए कहा जाय तब तो उसमें बेईमानी की बात है। अगर वह बिल सबमिट करता है तो उसमें कोई बेईमानी की बात नहीं है।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मेरा नाम लिया, मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे कैसे काम चलेगा, आप बैठें। बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, हर व्यक्ति के लिये क्या नियम अलग-अलग है। माननीय मंत्री जी ने जो बीस सूत्रीय मीटिंग की बात कही उसमें पत्र था एज डिजायर्ड बाई आनरेबिल इनर्जी मिनिस्टर। उस अधिकारी ने आपकी इच्छा के अनुसार किया था।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हर्षवर्धन जी आप बैठें । माननीय रवीन्द्र नाथ जी से आप पूछ लीजिए कि ऐसे बोल सकते हैं या नहीं। आप बैठें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कुटीर ज्योति के बारे में पहले बता दूं। 1 लाख 8 हजार गरीब हरिजनों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देंगे अगले वर्ष 2 लाख 16 हजार गरीब हरिजनों को विद्युत के कनेक्शन इसमें देंगे। हमारे एक सम्मानित साथी ने कहा बिजली टेरिफ के बारे में चार्जेज के बारे में बात कही, एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि फलां जगह इतने रेट हैं कई प्रान्तों के नाम गिनाये । जैसे आन्ध्र प्रदेश है, आन्ध्र प्रदेश में 86 प्रतिशत बिजली पैदा होती है पानी से हाइडिल और 33 प्रतिशत थर्मल से। हमारे प्रदेश में ज्यादा थर्मल है। इसी तरीके से कई स्टेट्स हैं। हरियाणा में भी 55 प्रतिशत हाइडिल है 45 प्रतिशत थर्मल है। यह जो हाइडिल जनरेशन है यह सस्ता पड़ता है थर्मल जनरेशन महंगा पड़ता है। कोयले की कीमत बढ़ रही है आयल की कीमत बढ़ रही है अन्य चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। यह गया कि एग्रीकल्चर में फलां जगह इतने पैसे लिये जाते हैं कुछ कम रेट बताये अलग-अलग प्रान्तों के बारे में बताया मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। समय कम है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हमने गांवों को 12 घंटे से 13 घंटे बिजली दी है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। बिजली बोर्ड का घाटा है यह घाटा कुछ अव्यवस्था के कारण भी हो सकता है लेकिन मान्यवर विद्युत परिषद् के घाटे के कारण कुछ और भी हैं जैसे मान्यवर बिजली की कीमत एक रु0 एक पै0 पर यूनिट आती हैं, उसे किसान को 10 घंटे बिजली सप्लाई कर दें, 14 पैसे यूनिट कास्ट आती है 14 पै0 पर यूनिट हम किसान को बिजली दे रहे हैं। जहां तक किसानों की समस्या का सवाल है मान्यवर . . .

श्री हरेन्द्र सिंह–

कनोडिया को किस रेट पर देते हैं यह भी बता दें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बताऊंगा अभी आप बैठें । मुझे धैर्य पूर्वक सुने । सबके अलग-अलग रेट हैं जो औद्योगिक कनेक्शन हैं उनके रेट अलग हैं यह बहुत पहले के तब के हैं । जब माननीय हरीश जी वगैरह मंत्री थे उस समय रेट की बात थी। बकाया है 62 से बकाया है। इधर मान्यवर हमारी तरफ से प्रयास हुआ है जो मुकदमें बहुत दिनों से चले आ रहे थे उन मुकदमों को हाईकोर्ट में पैरवी करायी उनकी लगातार मुकदमों की बहस हो रही है। कहीं पर टेरिफ का मामला है कहीं और कोई मामला है। मुझे स्मरण है करीब 69 या 71 मामले कलब करते हुए जिनकी हियरिंग हो रही है। खासतौर से जिन पर ज्यादा बकाया है, उनसे जल्दी से जल्दी और किस तरीके से वसूल किया जाय, इस बारे में हमारा पूरा प्रयास होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से मैं दो बातें और बताना चाहूंगा कि अभी तक विद्युत से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें केस को डिसाइड करने में दिक्कत होती थी। अभी तक जो आपका इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर का डिपार्टमेंट था, उसको हमने सुदृढ़ किया है और उसे विद्युत सुरक्षा निदेशालय का नाम दिया गया है। अब जो भी केसेस होंगे, वह जल्दी से जल्दी

तय हो जाया करेंगे और जो अभी तक 10 हजार का मुआवजा देने की बात थी, उसको हम बढ़ाकर 30 हजार रुपया करने जा रहे हैं, आगामी वर्ष में, यह बात मैं अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं।

मान्यवर, और भी बहुत सी बातें थी, जिनको मैं बताना चाहता था और मैं तो यह भी चाहता था कि सभी माननीय सदस्यों की बात का एक-एक करके जवाब दूं, लेकिन समय कम होने के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका। अब मैं जिनके जवाब नहीं दे सका हूं, उनके जवाब लिखकर मैं भिजवा दूंगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि ऊर्जा विभाग को और गति दी जाये। इन शब्दों के साथ, मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी कुछ मदद करें और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बात का सुना। एक बार पुनः मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी, वापस ले रहे हैं ।

(बीच में श्री विजय सिंह राणा जी द्वारा स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, यह तय कर लीजिये कि स्पष्टीकरण के नाम पर केवल स्पष्टीकरण ही होना चाहिये, भाषण नहीं होगा, अन्यथा मैं समाप्त कर दूंगा।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आगरा में वर्ष 1987 के बाद से आज तक जिला समिति की एक भी मीटिंग नहीं हुयी है। वर्ष 87 से न तो एक भी गांव का चयन किया गया है और वर्ष 87 में जो चयनित सूची थी, उसके गांव भी अभी तक पूरे नहीं हुये। जहां तक कुटीर ज्योति की बात है, इस चीज को आगरे का कोई विधायक जानता तक नहीं है। आप अपने पास बैठे लोगों से ही पूछ लीजिये। जब आगरे में यह स्थिति है तो जो आपने बड़े ऊंचे-ऊंचे आह्वान किये हैं, वह कहां स्टैन्ड करते हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य राणा जी ने कहा कि विद्युत सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुयी। मान्यवर, हम यह देखेंगे कि प्रदेश में केवल आगरे में ही नहीं, अपितु सभी स्थानों पर समितियों की नियमित रूप से बैठक हो और वह आपस में मिलें तथा लोगों से सलाह लें और उसके अनुसार काम करें, यह मेरा प्रयास होगा।

(श्री जयदीप सिंह बरार, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरिश्चन्द्र , हरीश जी, श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) तथा सत्ता पक्ष के भी अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर-व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, काफी समय हो चुका है। तिवारी जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, हम पास कराये देते हैं, आप सभी लोग बैठें, बरार साहब, आप भी बैठें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,76,10,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अपट्रान के अधिकारियों द्वारा सरकार की अनुमति के बिना विदेशी कम्पनियों से कथित दलाली एवं कमीशन लेने के फलस्वरूप निगम को करोड़ों रुपये की क्षति होने के संबंध में एवं वन विभाग द्वारा नैनीताल में लालकुंआ स्थित बिड़ला उद्योग समूह की सैन्चुरी पेपर मिल को बाजार भाव से सस्ती दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने के विषय में होने वाली चर्चाओं का स्थगन

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने लिखित रूप से आइटम नम्बर–19 व 20 को स्थगित करने के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इन्हें स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से श्री मित्रसेन व श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है और श्री विजय सिंह राणा व श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, आइटम नम्बर, 19 व 20 का क्या हुआ। हमने इन दोनों आइटमों को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कह तो दिया कि 19 व 20 आइटमों को स्थगित कर दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, अगर माननीय श्री तिवारी जी और अन्य माननीय सदस्य चाहते हैं तो सर्वसम्मति से, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, एजेन्डे के शेष आईटमों को अन्य दिनों में एकोमोडेट कर दिया जाय ।

जनपद बलिया में बलिया शहर के पास कदम दुबहर मार्ग को कई वर्षों से पूरा न कराये जाने के विषय में चर्चा

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री विक्रमादित्य पाण्डेय जी मद संख्या–21 को भी स्थगित कर दें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, केवल 5 मिनट का समय लगेगा।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से श्री पाण्डेय जी को बताना चाहता हूं कि संबंधित मार्ग को बनाने के आदेश मैंने दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, यह समाप्त हो गया।

जनपद वाराणसी के विभिन्न महाविद्यालयों की गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं में लगभग शत प्रतिशत छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आप लोगों की इजाजत हो तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

[विधान सभा में दिनांक 24 फरवरी, 1989 को श्री राज किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने वाराणसी जनपद के महाविद्यालयों के 10100 छात्रों में केवल 78 छात्र उत्तीर्ण होने तथा छात्रों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ तथा प्राचार्यों व अध्यापकों पर हमला होने से संबंधित वाराणसी में भयंकर स्थिति का प्रकरण नियम 51 के अन्तर्गत उठाया था। माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकरण पर शासन को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिए हैं ।

वाराणसी जनपद के महाविद्यालयों के बारे में माननीय सदस्य ने परीक्षा वर्ष का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी यह अनुमान है कि उनका मन्तव्य 1988 की परीक्षाओं से होगा।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के अनुसार सूचना में उल्लिखित महाविद्यालयों में 1988 की परीक्षा में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण छात्रों से संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

संलग्न तालिका से विदित होगा कि संबंधित महाविद्यालयों में बी0 ए0 भाग-1 व 2 तथा बी0एस-सी0 (कृषि) भाग-1 व 2 तथा 3 में सम्मिलित कुल छात्रों की संख्या 3469 थी जिनमें सामूहिक नकल के आरोप सिद्ध हो जाने पर परीक्षा समिति के निर्णयानुसार विषयवार अंकों में कटौती होने के फलस्वरूप 123 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है जिसे विद्या संबंधी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति परीक्षा से संबंधित समस्त मामलों के लिए उत्तरदायी है और अनुचित साधन के प्रकरणों में वह यथावश्यक कार्यवाही कर सकती है। परीक्षा समिति के निश्चय के अनुसार कक्ष निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष, महाविद्यालय द्वारा गठित सचलदल, विश्वविद्यालय द्वारा गठित सचल दल तथा संबंधित परीक्षक की संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा समिति विचार करके निर्णय लेती है।

सन्दर्भित महाविद्यालयों से सामूहिक नकल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभिन्न विषयों (प्रश्न-पत्रों) की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कुलपति द्वारा गठित एक समिति द्वारा की गई । उक्त समिति ने विभिन्न प्रश्न-पत्रों में पूर्णांक के प्राप्तांकों में से 5 से लेकर 30 प्रतिशत तक कटौती किए जाने की संस्तुति की जिसके फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों का परीक्षाफल घोषित किया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट होगा कि इन महाविद्यालयों में सामूहिक नकल के कारण ही उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम है । परीक्षाओं की गरिमा व पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से नकल की कुप्रथा को किसी भी प्रकार से बढ़ावा देना उचित न होगा।]

महाविद्यालय का नाम	कक्षा	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1--जगतपुर महाविद्यालय जगतपुर (वाराणसी)	बी0 ए0 भाग-1	770	00
	भाग--2	413	22
2--डा0 राम मनोहर महाविद्यालय, भैरव तालाब (वाराणसी)	बी0 ए0 भाग--1	618	16
	बी0 ए0 भाग--2	213	12
3--महाराजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, गंगापुर (वाराणसी)	बी0 ए0 भाग--1	143	06
	बी0ए0 भाग--2	57	01
4--कालिकाधाम महाविद्यालय, सेवापुरी (वाराणसी)	बी0ए0 भाग--1	153	00
	बी0ए0 भाग--2	127	10

5--राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी (वाराणसी)	बी0ए0 भाग---1	115	04
	बी0ए0 भाग--2	119	00
	बी0एस0-सी0 कृषि भाग---1	147	43
	कृषि भाग--2	34	02
	कृषि भाग---3	64	06
6--राजकीय महाविद्यालय, . . चन्दोली (वाराणसी)	बी0ए0 भाग--1	173	01
	बी0ए0 भाग---2	117	00
7---राजकीय महाविद्यालय . . घानापुर (वाराणसी) . .	बी0ए0 भाग---1	100	00
	बी0ए0 भाग--2	26	00
	योग . .	3469	123

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय की सभी कक्षों में निरीक्षक रहे होंगे। उन निरीक्षकों की इस संबंध में क्या रिपोर्ट है, उसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में ही इंगित किया है कि निरीक्षकों की जो रिपोर्ट आई है, उनकी यही रिपोर्ट है कि मास कापिंग हुई है। एक परीक्षा चलाने में परीक्षक, सचल दल और व्यवस्थापक सभी लोग होते हैं, जो यह देखते हैं कि परीक्षाओं का संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं । कांपी जांचने वाले हैं, निरीक्षक, इन सभी का व्यू देखा जाता है । जब यह रिपोर्ट आयी कि "मास कापिंग" हुई है तब इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं जानना चाहता हूं कि कक्ष निरीक्षक की क्या रिपोर्ट थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह कि "मास कापिंग" हुई। ये जो विद्यालय हैं 7 विद्यालय हैं, जगतपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी, डा0 राम मनोहर महाविद्यालय, वाराणसी, राजकीय महाविद्यालय, वाराणसी, राजकीय महाविद्यालय . . . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

इससे क्या मतलब है ? प्रश्न यह था कि इनविजीलेटर्स की रिपोर्ट क्या है? वह सूची बता रही हैं विद्यालयों की। मैं जानना चाहता हूं कि इनविजीलेटर्स की क्या रिपोर्ट है और "मास कापिंग" की रिपोर्ट किसकी तरफ से प्राप्त हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह सूचना उपलब्ध करा दी जायगी। इतना जरूर है कि वहां से रिपोर्ट आयी कि "मास कापिंग" हुई है और इस सम्बन्ध में कुलपति के आदेश से एक उप समिति गठित हुई और उन्होंने इसके ऊपर निर्णय लिया । मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों से रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें सहयोग दें कि हम इसको समाप्त कर सकें । इससे बालक बालिकाओं का भविष्य अन्धकार में डूब रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, 3469 छात्र परीक्षा में बैठे उसमें से 123 पास किये गये हैं। कई महाविद्यालयों में स्थिति यह है कि रिजल्ट शून्य रहा, सभी फेल कर दिये गये। यह गम्भीर विषय है। इसमें दिया गया है कि जो कटौती की गयी है 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कटौती अंकों की गयी है। इस कटौती का आधार क्या था और 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत का अन्तर क्यों आ रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब मामले की छानबीन करा लें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

[xxx] निवेदन यह है कि परीक्षा समिति उच्च कोटि के अध्यापकों की विद्वान की कमेटी है, कुलपति के आदेश से बनी है, वह पूर्णतया वैधानिक है। यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसकी धारा 29 (3) के अन्तर्गत यह सब-कमेटी बनायी गयी जहां पर "मास कापिंग" हो "अनफेयर मीन्स" हो, उसने डिसाइड किया। अध्यापक जो हैं, उनके लिये स्टुडेण्ट बच्चे की तरह होता है। अगर बालक गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी होती है। जहां पर "मास कापिंग" हुई है 100 में से 90 नम्बर मिलने चाहिये, अगर अधिक से अधिक 30 नम्बर काट भी लिये जायं तो भी 60 नम्बर तो मिलेंगे ही। काटने के बाद वे फेल हो गये। अफसोस की बात यह है कि स्टेण्डर्ड कितना गिर गया है। सपुस्तक प्रणाली समाप्त कर दी गयी है, जिसके कारण बच्चे पढ़ते नहीं थे। अगर अंकुश लगाया जायगा तो मुझे विश्वास है कि बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आपका सहयोग हमें मिलेगा तो मास कापिंग तथा अनफेयर मीन्स जो शिक्षा के प्रांगण में हैं, वह सब समाप्त हो जायेंगे ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने छानबीन कराने की बात कही है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं किन्तु वे इतना और बतला दें कि यह छानबीन क्या सम्मानित सदस्यों की कमेटी बना कर करायेंगी ? अपने वक्तव्य में जैसा कि उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, इन संस्थाओं में परीक्षा के लिये सचल दल, केन्द्रीय अध्यक्ष और इनविजीलेटर्स होते हैं तो क्या सचल दल ने या केन्द्रीय अध्यक्ष ने या फिर इनविजीलेटर्स ने किसी को नहीं पकड़ा ? या फिर इन तीनों का नकल कराने में योगदान था ?

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, अगर आज्ञा हो तो निवेदन करूं कि यूनीवर्सिटी एक्ट में विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है और परीक्षा लेने और पढ़ाने के कार्य में वे स्वतंत्र है ।

श्री राज किशोर सिंह–

यह मामला बहुत ही गम्भीर है ।

(श्री हरदेव अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री राज किशोर सिंह–

यह तीन हजार से भी अधिक लड़कों के भविष्य का सवाल है कि इनका भविष्य अन्धकारमय हो गया । माननीय मंत्री जी तथ्यों को गम्भीरता से नहीं ले रही है । जांच की कार्यवाही को करने से कोई बात इसमें निकलने वाली नहीं है कि एक बारगी सब फेल कर दिये गये । न सचल दल की रिपोर्ट है, पता नहीं किसकी मर्जी से यह सारा कार्य हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि जांच की कार्यवाही सदन की कमेटी के जरिये से होगी या फिर किसी विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी के जरिये से होगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने बतलाया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और वे स्वतंत्र है परीक्षा का संचालन करने में । दूसरी बात जो रिपोर्ट के बारे में कही गयी है तो वह तो गोपनीय होती है, इस काम को परीक्षक स्वयं देखते है । कुलपति वहां के अध्यक्ष होते हैं और उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिये और भरोसा उन पर रखना आवश्यक भी है । अगर कुछ विश्वविद्यालय का रिजल्ट खराब है तो एसे भी विश्वविद्यालय है जिनका रिजल्ट 90 प्रतिशत रहा है । हमारा नारी शिक्षा निकेतन हो ले लें वहां का रिजल्ट हमेशा 99 प्रतिशत या 95 प्रतिशत रहता है । एसे बहुत से विश्वविद्यालय है एसी बात नहीं है.।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 16 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीया मंत्री जी जो जवाब दे रही थीं उस समय आपने निर्देश दिया था कि उसकी छानबीन करा लें । बजाय आपके निर्देश को पालन करने के उन्होंने लेक्चर झाड़ दिया । यह कह दिया कि वह एक आटोनोमस बाडी है और कुलपति उनका विश्वास पात्र है, जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उस कुलपति ने अवैध रूप से कमाई के लिए तीन हजार से ऊपर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो निर्देश आपने दिए है उन निर्देशों का पालन करते हुए कोई निष्पक्ष रूप से कमेटी बनाएंगे, चाहे इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाए, जो पूरे प्रकरण की जांच करे . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी आसन ग्रहण करिए . . . .

श्री हरदेव–

मान्यवर, सामूहिक रूप से छात्रों के नम्बर काट दिए गये, हमारे गोरखपुर विश्व-विद्यालय का मामला भी आया है....

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह पीठ की अवमानना हो रही है, आपके निर्देशों की अवहेलना माननीय मंत्री जी कर रही हैं, यह आपकी अवहेलना नहीं है, यह मान्यवर, पीठ की अवमानना है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, न मेरी और न पीठ की कोई अवमानना नहीं हुयी है, मैंने कोई (इसी बीच श्री हरदेव जी जोर-जोर से चिल्लाकर कुछ कहते रहे जो व्यवधान के कारण से सुनाई नहीं पड़ा, निर्देश नहीं दिए, मैंने सिर्फ यही कहा कि छान-बीन करा लें, इसलिए अवमानना की कोई बात नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसको आप न मानें, अवमानना, लेकिन इस पीठ की अवमानना हुई है जो आदेश माननीय मंत्री को आपने दिए, उनका पालन नहीं हो रहा है जबकि पालन होना चाहिए।

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे एक निवेदन करना है कि हम सब का यहां एक कर्तव्य है और एक दायित्व है कि आपकी पीठ का आदर करें और कोई ऐसी बात न जान-कर और न अनजाने में कहें, जिससे पीठ की किसी भी तरह की उपेक्षा होती हो। माननीय राम आसरे वर्मा जी इस सिलसिले में कुछ कह रहे थे, मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए था नहीं, अगर इस ओर से आपकी पीठ के प्रति किसी भी तरह की अनादर की बात आयी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं मान्यवर, आपकी इज्जत करता हूं और पीठ को भी इज्जत करता हूं और मान्यवर, आपको और आपकी पीठ को हर प्रकार का सहयोग देना चाहता हूं ताकि इस सदन का संचालन ठीक तरह से हो।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब छात्रों को सामूहिक रूप में नकल करते हुए पकड़ा गया और इसकी उनको सजा भी दी गयी, लेकिन जो छात्र नकल कर रहे थे और वहां पर जो निरीक्षक गण मौजूद थे, जिनका पूरी तरह से उत्तरदायित्व था कि किसी भी प्रकार की नकल न हो और फिर भी हुई तो यह निरीक्षक भी दोषी हुए, इन के प्रति क्या कार्यवाही शासन ने की, माननीय मंत्री जी क्या इसे कृपया बताएंगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो लेट आए हैं, यह सारी बातें पहले ही बता दी गयी ।

कई आवाजें–

नहीं मान्यवर, यह बतायी नहीं गयी है ।

दिनांक 25 फरवरी, 1989 को फिरोजाबाद के मुहल्ला राम नगर में श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के मकान पर बदमाशों द्वारा की गयी लूट-पाट में पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

[मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-2-1989 को 7-30 बजे सायं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र लख्मी चन्द्र गुप्ता निवासी रामनगर थाना फिरोजाबाद (दक्षिण) के किराये के मकान में आठ अभियुक्त नाजायज तमंचों से लैश होकर घुस गये और उनको डरा डमकाकर नकद 1200/- रुपये, दो सोने की अंगूठी तथा एक सोने का पेन्डिल लूटकर मकान से भागे । इस पर वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने शोर मचाया । शोर सुनकर पास पड़ोस के 7–8 व्यक्तियों ने बदमाशों का पीछा किया । इसी दौरान चौकी रामनगर, थाना फिरोजाबाद (दक्षिण) के तीन कान्सटेबिल भी शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंच गये तथा उन्होंने भी बदमाशों का पीछा किया । भागते हुए बदमाशों में से एक बदमाश ने जनता एवं पुलिस पार्टी की तरफ एक फायर किया । इस फायर से श्री हरी ओम गुप्ता, जो बदमाशों का पीछा करने वालों में से एक थे, गम्भीर रूप से घायल हुए जिनकी एस0 एन0 एम0 अस्पताल फिरोजाबाद में पहुंचते ही मृत्यु हो गयी । बदमाशों का पीछा करने वाले जनता के लोगों तथा पुलिस पार्टी ने मिलकर चार बदमाशों को साहस पूर्वक मौके पर पकड़ लिया । पकड़े हुए बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, चार कारतूस जीवित, एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक बैट्री बरामद हुई । इन पकड़े गये बदमाशों ने अपने भागे हुए अन्य चार साथियों के नाम भी बताये ।

इस घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता की सूचना के आधार पर थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर दिनांक 25-2-89 को रात्रि 8–30 बजे मु0 अ0 सं0 84/89, धारा 396 भा0 द0 वि0 तथा मु0 अ0 सं0 85 व 86/89, धारा 25 आर्म्स एक्ट आठ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । अपराध की सूचना मिलते ही तुरन्त पुलिस पार्टी ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपेक्षित कार्यवाही की । गिरफ्तार किये गये चारों अभियुक्तों को जिला कारागार, आगरा भेजा गया शेष अन्य चार अभि-

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

युक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके घरों एवं संदिग्ध स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है । गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । घटनास्थल मोहल्ला रामनगर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गयी है तथा वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता तथा मृतक हरी ओम गुप्ता के परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है ।

घटनास्थल थाना से करीब 1/2 किलोमीटर तथा चौकी रामनगर से करीब 3 फर्लांग दूर है । यह सही नहीं है कि थाने और पुलिस चौकी पर लोगों ने दौड़कर शिकायत की लेकिन घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची बल्कि वास्तविकता यह है कि चौकी रामनगर में तैनात पुलिस पार्टी ने शोर सुनकर बदमाशों का पीछा किया तथा जनता के सहयोग से चार बदमाशों को मौके पर ही साहसपूर्वक पकड़ लिया ।

रमेश और उसकी पत्नी मुन्नी देवी निवासी श्याम नगर के सिनेमा देखकर लौटते समय चाकूधारी बदमाशों द्वारा उसकी पत्नी पर चाकू से प्रहार करके लूट लिये जाने की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री रमेश की सूचना पर दिनांक 24/25-2-89 की रात्रि 1·15 बजे थाना फिरोजाबाद (दक्षिण) पर मु0 अ0 सं0 87/89, धारा 324 भा0 द0 वि0 तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ तथा श्रीमती मुन्नी देवी को उपचार के लिये बेहोशी की हालत में एस0 एन0 एम0 अस्पताल, फिरोजाबाद में दाखिल कराया गया । श्रीमती मुन्नी देवी के होश में आने पर उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 जा0 फौ0 में अंकित किया गया । अपने बयान में उसने बताया कि उसके पति रमेश का उससे दो तीन साल से झगड़ा चल रहा है । उसके पति उसे पसन्द नहीं करते हैं तथा वे दूसरी शादी करना चाहते हैं । दिनांक 24-2-89 को उसके पति उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पिक्चर दिखाने ले गये थे और रात्रि में पिक्चर देखकर लौटते समय रेलवे माल गोदाम के पास उसके पति रमेश ने पूर्व नियोजित ढंग से उसके ऊपर चाकू से कई बार जल्दी-जल्दी किये जिससे उसके पेट व बाजू में गम्भीर चोटें आयी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी । विवेचना के दौरान विवेचक ने घायल श्रीमती मुन्नी देवी के डाक्टरी मुआइना तथा बयान के आधार पर जुर्म धारा 307 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया तथा श्रीमती मुन्नी देवी के पति रमेश को गिरफ्तार कर जिला कारागार आगरा भेजा गया। अभियुक्त रमेश ने भी धारा 161 जा0 फौ0 के अन्तर्गत अपने जुर्म का इकबाल किया तथा उसकी निशानदेही पर उक्त घटना में प्रयोग किया गया अवैध चाकू भी बरामद किया गया ।

इस घटना में कोई जेवर अथवा सम्पत्ति नहीं लूटी गयी । पुलिस द्वारा सही विवेचना करके घटना के रहस्य को खोलकर असली अभियुक्त को गिरफ्तार करने की जनता ने काफी प्रशंसा की है । जनजीवन सामान्य है ।]

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरि ओम गुप्ता नामक व्यक्ति जिसके घर के सामने डकैती पड़ी, उसने डकैतों का पीछा किया और डकैतों ने उसको गोली मार दी । क्या पुरस्कार स्वरूप उसके बच्चों को 20 हजार रुपया देने की कृपा करेंगे जिससे उसके बच्चे पढ़ाई कर सकें और दूसरा प्रश्न यह है कि जिन श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के घर डकैती पड़ी उनको सुरक्षा के लिए क्या बन्दूक का लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ।

श्री सईदुज्जमा–

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उसने बड़ी हिम्मत का काम किया है और जो उन्होंने फरमाया है, 20 हजार रुपया दिया जायेगा और जहां तक लाइसेन्स देने की बात है, वह एप्लाई करेंगे। तो उसको देख लिया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने जिन बदमाशों को पकड़ने को जिन घरों पर छापा मारा है, तो वहां सी0 ओ0 को चोटें भी लगीं, तो आपने इस मामले को सी0 आई0 डी0 को क्यों दे दिया है ?

श्री सईदुज्जमा–

इस सम्बन्ध में दो पक्ष सामने आ रहे थे, इसलिये सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी गयी है. जिससे सही तथ्य सामने आ जाये।

जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में स्थित हड्डी मिलों व गैस रिसाव होने के फलस्वरूप लोगों में व्याप्त भय एवं सैकड़ों लोगों के बेहोश हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, वक्तव्य पड़ा हुआ मान लिया जाय?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

[मान्यवर, खतौली मुजफ्फरनगर में हड्डी मिल मेरठ रूड़की मार्ग पर शहर के बीच घनी आबादी में स्थित है, यहां पर कई हड्डी मिले कार्यरत हैं, जिसमें मेसर्स खतौली मैन्योर मिल प्रमुख है इसके अलावा मेसर्स कमल मैन्योर मिल, मेसर्स कैपिटल, मेसर्स बोन मिल, मेसर्स कोहिनूर बोन मिल आदि छोटी-छोटी हड्डी मिल हैं। इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में एनीमल बोन हार्न हुफ लेदर बेस्ट आदि का प्रयोग करके प्रतिदिन बोन मिल, मीट मिल, एनीमल मिल, हार्न मिल एवं हुफ मिल, बोन मैन्योर लेदर मिल, बोन एेश आदि का उत्पादन किया जाता है। इन हड्डी मिलों में पशुओं की हड्डियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के सींगों तथा खुरों को पिघलाकर "सरेस" बनाया जाता है, जिसकी दुर्गन्ध से उस क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सन्दर्भित पिछले सप्ताह शुक्रवार (24-2-89) की रात में गैस के अत्यधिक रिसाव के सम्बन्ध में दिनांक 2-3-1989 को निरीक्षण के समय नागरिकों आदि से पूछताछ की गई तथा यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई घटना 4 अक्टूबर, 1988 के बाद नहीं हुई है। दिनांक 4-10-1988 को सायंकाल खतौली मैन्योर मिल से अकस्मात् भारी मात्रा में दुर्गन्ध युक्त गैस निकली थी जिससे वायु मण्डल में पीला-पीला धुंआ नगर वासियों द्वारा देखा गया और परिणाम स्वरूप नगरवासियों में बेचैनी तथा भय उत्पन्न हो गया। स्थानीय नागरिकों की आंखों में जलन व मितलियों की शिकायत होने लगी। हड्डी मिल से दुर्गन्ध मिश्रित गैस के रिसाव से नगर में दुर्गन्ध युक्त वातावरण व्याप्त हो गया था।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हड्डी मिलों में हो रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में नगरपालिका, खतौली स्तर से दोषी इकाइयों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को खतौली मैन्योर मिल को निर्देशित किया गया कि वे प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करें अन्यथा उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न करने के कारण उद्योग के विरुद्ध अभियोजन करने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त उद्योग को वायु सहमति दिनांक 28 जुलाई, 1988 को अस्वीकृत की जा चुकी है। अभी वायु प्रदूषण से सम्बन्धित मानकों में दुर्गन्ध को प्रदूषणकारी प्रचालकों में नहीं रखा गया है । इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड को मार्ग दर्शन हेतु लिखा गया है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के उपरान्त दुर्गन्ध के नियंत्रण के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।]

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, वहां पर मैन्योर मिल से दुर्गन्धयुक्त गैस निकली थी और उसके कारण कुछ लोग बेहोश हो गये थे, उनको उल्टियां आयीं थी और वह अस्पताल में भर्ती हुये। उस फैक्टरी को गैस निकलने से वहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया, तो क्या माननीय मंत्री जी इस फैक्टरी को बन्द करायेंगे।

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जो फैक्टरी है, हड्डी व खुर वगैरह के जलने से पीला धुंवा निकला, जिसके कारण लोगों का जी मचलाया । कोई अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, लेकिन यह अवश्य है कि लोगों में भय व्याप्त हो गया है, लेकिन वह ऐसी गैस नहीं है जैसी भोपाल की गैस थी। यह अवश्य है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में फैक्टरी नहीं होनी चाहिए और जो माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं कहना चाहता हूं कि प्रदूषण विभाग की ओर से कोई कार्यवाही करेंगे। म्युनिसिपैलिटी ने मुकदमा चलाया तो उन्होंने स्टे ले लिये, तो अप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

प्रदूषण विभाग से उनको नोटिस 14 अक्टूबर को दी गयी है और वार्निंग दी गयी है और उनका नो आब्जेक्शन रोक दिया गया है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

उनका नो आब्जेक्शन रोक दिया गया है, फिर भी वह चला रहे हैं, तो तुरन्त उसको रोकेंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

प्रदूषण विभाग सीधे उसको नहीं रोक सकता है, उन पर अभियोजन चला सकता है। नोटिस देने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में मोटे सूत के दामों में वृद्धि से दरी उद्योग में लगे हजारों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने और बुनकरों के द्वारा पावर लूम एवं हथकरघा उद्योग हेतु लिए गए ऋण की वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, हथकरघा मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गई है । बरेली में दरी उद्योग है जो उसका कच्चा सूत है उसके दाम 120 प्रतिशत बढ़ गए है जिस कारण दरी बहुत महंगी हो गई है । इसे बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं है । इसी कारण बरेली में, सीतापुर में, हाथरस में यह दरी उद्योग खतम हो रहा है और इसके मजदूर दूसरे काम ढूंढ़ रहे है मान्यवर, मेरा कहना है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें पूरे परिवार के लोग काम करते है । महिलाएं भी काम करती है, बच्चे भी काम करते है । इसलिए इसको फैमिली एक्ट में ले लिया जाय और सभी को एक ही तरह की आमदनी होनी चाहिए । मान्यवर, होता यह है कि इनको 18 रुपया प्रति दरी मिलता है और उसकी लागत 24 रुपए आती है क्योंकि उन्हें बंधा हुआ माल मिलता है । उसमें कुछ अन्तर हो जाता है । इसी कारण ये दरियां महंगी हो जाती है । इसलिए ऐसी व्यवस्था हो जाय कि हथकरघा मजदूरों की आमदनी और उनका रोजगार समाप्त हो रहा है । उनको कच्चा माल सस्ते दाम पर जैसे पहले मिलता था, वैसे ही मिलने लगे ।

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश में बुनकरों के पावरलूम व हथकरघा उद्योग पर लिए गए ऋण की वसूली अवैध व मनमाने ढंग से किए जाने के साथ-साथ गिरफ्तारी के तहत पूरे प्रदेश में करीब एक हजार बुनकरों को अब तक गिरफ्तार कर 14 दिन तहसील के मुख्यालय की हवालात में बन्द कर दिया गया है और उन्हें रिहा करके पुनः उन्हें गिरफ्तार कर बन्द कर दिया गया है । मान्यवर, सन् 1971-72 में पूरे प्रदेश में वित्त निगम द्वारा बुनकरों का उद्योग चलाने के लिए जैसे पावर लूम, हथकरघा आदि के लिए 6-6 हजार रुपया दिया गया । कुछ समय के बाद सन् 82-83 में लिए गए ऋण व ब्याज की वसूली की जा रही थी । मान्यवर, तत्कालीन उद्योग मंत्री ने घोषणा की थी कि जो बुनकर 6 हजार रुपया मूलधन जमा कर देगा उसका ब्याज माफ कर दिया जायेगा । मान्यवर, बुनकरों ने इसे जमा किया और यह सोचा कि बाद में ब्याज माफ होगा तो ऐसा नहीं किया गया । ब्याज माफ नहीं हुआ और उस हिसाब से ब्याज बढ़ता चला गया । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि बुनकर पैसा देने के लिए तैयार है जो उसके पास बकाया है । वे चाहते है कि जो बकाया है उसको किश्तों में वसूल किया जाय । जो मूलधन जमा कर दे उसका ब्याज माफ करना चाहिए । मान्यवर, मेरे टाण्डा विधान सभा क्षेत्र में नेनवा एक गांव है वहां पर बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा है उसमें 30/40 हजार बुनकर बसते है । जब उनके बारे में मैंने यहां पर सवाल उठाया तो उन्होंने 6300 रुपया जमा कर दिया फिर भी उनको हवालात में बन्द कर दिया । ऐसे बुनकरों की संख्या लगभग ढाई-तीन सौ है । हम चाहते है कि आप बुनकरों से पैसा ले लीजिए लेकिन तहसील

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्यालय पर उसको वसूल किया जाय । किश्तों में 100 रुपया 150 रुपया वसूल कर लें । उनका ब्याज मुफ्त कर दें । इस प्रकार उत्पीड़न की कार्यवाही आप समाप्त करवा दें इस प्रकार पूरे प्रदेश में आज डेढ़ हजार बुनकर गिरफ्तार हैं । उनको 14 दिन तक तो हवालात में रखा ही है . . . (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बुनकरों के सम्बन्ध में जो सवाल माननीय गोपीनाथ जी ने उठाया है उससे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । हरदोई में मल्लावां एक कस्बा है वहां पर 40 हजार लोग बुनकर धन्धे में पल रहे हैं उन लोगों ने वित्तीय निगम से ऋण लिया था। इस मूल धन पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और दन्ड ब्याज वसूल किया जा रहा है जिससे उनके गले में फन्दा पड़ गया। यह ऋण उनके गले का फन्दा हो गया। ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों का धंधा चौपट हो रहा है वह इस काम को छोड़-छोड़ कर दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह को 1983-84 में इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि इस तरह के बुनकरों से मूलधन लेकर ब्याज माफ कर देंगे तो मेरा निवेदन है कि उनसे मूलधन लेकर मुक्त कर दिया जाय ताकि वह अपना धंधा कर सकें।

श्री हाजी मोहम्मद हयात–

मान्यवर, वर्ष 1972 से वर्ष 1979 तक जिन बुनकरों ने बैंकों या अन्य वित्त संस्थाओं से कर्जा लिया था उनको राहत देने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च, 86 तक के जो लोग अपना मूल धन बैंकों में जमा करा देंगे उनके सूद का भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया जायेगा। इस संबंध में कुछ बैंकों ने डाइरेक्टर आफ हैण्डलूम टैक्सटाइल कारपोरेशन कानपुर को शासन आदेश अनुसार सूचियां उपलब्ध करायी थी परन्तु कुछ लोगों के सूद का पैसा सरकार द्वारा दे दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया और बैंकों को उनकी सूचियां वापस कर दी गईं। हमारे अमरोहा में भी कई सौ लोगों ने इस प्रकार का कर्जा लिया था और उन्होंने समय रहते मूलधन बैंकों में जमा कर दिया था । लेकिन उनके ब्याज का पैसा सरकार द्वारा जमा नहीं हुआ और अमरोहा के बैंकों से आई हुई सूचियां वापस कर दी गईं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अमरोहा बैंकों से पुनः सूची मांगी जायें और उनका सूद शासन के आश्वासन अनुसार बैंकों को उपलब्ध कराया जाये।

*लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय गोपी नाथ वर्मा जी का जवाब देना चाहूंगी। मान्यवर, यह जो जेलों और हवालात की बात कही गयी है इसमें मेरा कहना है कि 101 लोगों को आर0 सी0 जारी की गयी थी उसमें से केवल 11 लोगों को हवालात जाना पड़ा था लेकिन उनको भी कुछ धन जमा करने पर छोड़ दिया गया। एक अप्रैल, 88 से 4 मार्च, 89 तक किसी महिला या पुरुष को बंद नहीं किया गया और न उनकी संपत्ति कुर्क की गयी। और कोई ऐसी घटना नहीं हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक 1971 के ऋण का सवाल है वह ऋण वाणिज्यिक बैंकों का था। यह बात सही है कि घोषणा हुई थी उसमें यह था कि सरकार ब्याज देगी और दंड ब्याज बहन करेंगे बैंक और यह मूल धन जमा करेंगे बुनकर और यह करने के बाद होगा। यह पैसा वित्त निगम का नहीं था क्योंकि यह स्कीम 80 से चली है। वित्त निगम से जो ऋण दिया जाता है उसी आधार पर आर0 सी0 जारी होती है और उसी आधार पर दंड ब्याज लिया जाता है । माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी भावनाओं का स्वागत करते हुये इस पर विचार करेंगे और गुण दोष के आधार पर आर0 सी0 वापस होगी इसमें कोई उत्पीड़न की कार्यवाही का सवाल नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य बरेली का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 24 सूत मिलें हैं जिनमें 13 सरकारी क्षेत्र की है और 11 हैं सहकारी क्षेत्र की । एक मिल ऐसी है जो वेस्ट काटन से, रुई से सूत बनाती है उसमें प्रति दिन 8 सौ के0 जी0 उत्पादन होता है। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वह उत्पादन दुगुना करें जिससे हमारी जो शार्टेज है वह कम हो सके।

दरियों की खरीद का जहां तक मामला है उसमें हमारे निर्यात निगम ने 75 लाख की दरियां खरीदी हैं, हथकरघा निगम ने 25 लाख की और यूपिका ने करीब 34 लाख की दरियां खरीदी हैं तो इस तरह से डेढ़ सौ लाख का हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दाम बढ़ने का प्रश्न है पिछले वर्षों में कपास की पैदावार कम हुई सूखा पड़ने से सूत का उत्पादन कम हुआ जिससे उसके दाम बढ़ गये। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र के माध्यम से साढ़े 17 करोड़ की रुई का आयात किया और उसमें यूपिका द्वारा हथकरघों द्वारा जगह-जगह पर सूत बनवाकर दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूं कि यह उनकी समस्या भी हल हो जायेगी। मान्यवर, इसी रुई से वेस्टकाटन बनता है और जो हमारी मिलें वेस्टकाटन का उत्पादन नहीं करती हैं, तो निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर में वेस्ट काटन को देते हैं जिससे उत्पादन होता है। तो मैं समझती हूं कि कुछ समय बाद यह समस्या भी हल हो जायेगी। इस वर्ष कपास की फसल अच्छी है, इसलिये सूत के दाम घटेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस संबंध में चिंतित है कि बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाये और उनकी समस्या हल हो जाये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

स्पष्टीकरण कर लेने दें। मान्यवर, अभी जो वित्तीय निगम द्वारा ऋण बुनकरों को दिया गया है बुनकरों की खुशहाली के लिए तो उसमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और दंड ब्याज की नीति अपनाई गयी है जिससे यह ऋण बुनकरों के गले में फंदा बन गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ब्याज, , चक्रवृद्धि ब्याज और दंड ब्याज को माफ करेंगी और मूलधन को वसूल करने के बारे में कोई व्यवस्था करेंगी?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं का स्वागत करती हूं और कहना चाहती हूं कि गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा और बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा रहे और ऋण न लदे ऐसी व्यवस्था की जायेगी।

अनियत के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश और कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा अभिसूचित एक औचित्य प्रश्न तथा दिनांक 30 मार्च, 1988 को श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा दी गयी एक अन्य औचित्य प्रश्न की सूचना, जिनके बारे में निर्णय सुरक्षित रखा गया था, पर अब निर्णय ले लिया गया है और इन्हें मैंने अस्वीकार कर दिया है।

उक्त औचित्य के प्रश्नों पर मेरे निर्णय आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती के बारे में उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में दायर की गयी एक याचिका विषयक औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, किरनपाल सिंह, मनोहर लाल एवं शारदा प्रताप, सदस्यगण विधान सभा ने नियम-300 के अंतर्गत एक औचित्य प्रश्न उठने की सूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को दी थी। यह सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती के बारे में उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में दायर की गयी एक याचिका के विषय में थी और इस सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री शतरुद्र प्रकाश का यह तर्क था कि हाई कोर्ट द्वारा मांगने पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा हिसाब देने को बाध्य नहीं है। उक्त औचित्य प्रश्न पर मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

प्रश्न गत मामले में आद्यावधिक स्थिति यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में रिट याचिका "सतीश चन्द्र बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 एण्ड अदर्स रिट पिटीशन संख्या 8386/1987" दायर की गई थी और उक्त मामले में न्यायालय द्वारा विधान सभा सचिवालय से किसी लेख्य या डाकूमेंट की मांग नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में जब तक उक्त रिट याचिका का निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता या उसके प्रसंग में सदन से संबंधित किसी लेख्य की मांग नहीं की जाती तब तक इस मामले में औचित्य-प्रश्न या अन्य किसी माध्यम से सदन में चर्चा किया जाना नियमित नहीं होता। अतः श्री शतरुद्र प्रकाश तथा कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा अभिसूचित उक्त औचित्य-प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1988 को प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की बैठक दिनांक 30 मार्च, 1988 को श्री जयदीप सिंह बरार ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का एक प्रश्न उठाया था । अपनी लम्बी-चौड़ी सूचना में माननीय सदस्य ने कतिपय अस्पष्ट, काल्पनिक तथा निरपेक्ष मुद्दों का उल्लेख किया था जो नियमों के निर्वचन तथा प्रवर्तन से संबंधित नहीं थे । माननीय सदस्य ने यह भी नहीं बताया था कि नियमावली अथवा संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है । प्रश्नगत सूचना मेरी राय में, नियम 300 की परिधि में नहीं आती । अतः उसे अस्वीकार किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 19 और 20 को मैं पहले ही स्थगित कर चुका हूं । अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
14 मार्च, 1989

शालिग्राम शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[दीक्षित नियम 38 (2) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर]

रवीन्द्र नाथ तिवारी, विधायक द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 1989 के 5वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-01 का संलग्नक

थाना इब्राहीमपुर में स्थित दुर्गापुर ग्राम के एक नवयुवक का अपहरण करने संबंधी अभियोग थाने पर दिनांक 06/07/1988 को मु0 अ0 सं0 116/88 धारा 384/365 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था । दिनांक 21/22-07-88 की रात्रि में ननकू हरिजन निवासी दुर्गापुर ने शराब के नशे में अपने भाई की औरत को यह बताया कि राम चन्दर को मार डाला और उसकी लाश राम फल के राइस मिल के पश्चिम गढ्ढे में गाड़ दी गई है । लाश बरामद होने पर जुर्म धारा 302/201 भा0 द0 वि0 की वृद्धि की गई । दिनांक 23-07-88 को पंचायतनामा भर कर लाश पोस्टमार्टम को भेजी गई । अभियुक्त (1) मगरू वर्मा (2) राम पाल पाण्डे (3) राघव वर्मा (4) रहमान (5) अनिल कुमार पाण्डेय (6) ननकू हरिजन (7) दब्बन पाण्डेय इस अभियोग में लिप्त सातों अभियुक्तों का चालान दिनांक 20-8-88 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

ग्राम गौर वसन्तपुर थाना-गोशाईगंज में विगत ग्राम सभा चुनाव में उक्त ग्राम के सवर्णों एवं हरिजनों के बीच आपस में कहासुनी हो गई थी जिसे ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर शान्त कर दिया गया था । कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है अब कोई विवाद नहीं है ।

श्री सूर्य नारायण द्विवेदी ग्राम बतासपुर द्वारा मु0 अ0 सं0 111/88 धारा 147/148/308/382 भा0 द0 वि0 हरिजनों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है, जो अभी विवेचनाधीन है । विवादित जमीन का मुकदमा न्यायालय मुन्सिफ हवेली फैजाबाद में चल रहा है, जिसमें दिनांक 11-10-88 तक स्थगन आदेश प्रभावी था । इसकी विवेचना की जा रही है ।

श्री राम बोध हरिजन निवासी भगवान पट्टी के प्रार्थना पत्र पर थाना भीटी में मु0 अ0 सं0 85/88 धारा 147/148/342/392/323/504/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है । विवेचना से यह अभियोग धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 की हद तक पाया गया जिसमें आरोप पत्र तीन अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया है ।

ग्राम बीबीपुर में एक नवयुवती के साथ बलात्कार के संबंध में थाना भीटी पर मु0 अ0 सं0 96/88 धारा 376 भा0 द0 वि0 का पंजीकृत करके विवेचना की गयी । विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय नामक नौजवान की नृशंस हत्या के संबंध में मु0 अ0 सं0 101/88 धारा 302/323 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । इस मुकदमें में अभियुक्त शिवकुमार को दिनांक 10-8-88 को व अभियुक्त देवेन्द्र कुमार को दिनांक 11-8-88 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अभि0 राजकुमार दिनांक 20-8-88 एवं अभियुक्त चतुरी चौबे दिनांक 23-8-88 को हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये । इस मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

बुधई को ही भदई भी कहा जाता है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मृतक के पिता करिया के प्रार्थना पत्र पर पुलिसजनों के विरुद्ध धारा 304 भा0 द0 वि0 का अभियोग दिनांक 6-8-88 को ही पंजीकृत किया गया था । विवेचना क्षेत्राधिकारी, इनायतनगर द्वारा की जा रही है । इस मामले में दो पुलिस कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया और थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

यह कहना सही नहीं है कि अवैध शराब की बिक्री केन्द्रों और हथगोले के निर्माण को कुटीर उद्योग का रूप दे दिया गया है विधान सभा क्षेत्र कटहरी स्थित अशरफपुर बरवा गांव में देशी शराब की दुकान जिलाधिकारी, फैजाबाद के आदेश दिनांक 12-8-88 के अनुसार खोली गई है । इस संबंध में लाइसेन्स फीस रु0 25,000/-ट्रेजरी चालान सं0 43 दिनांक 27-8-88 को जमा किया गया है ।

दिनांक 21-8-88 को श्री शीतला सिंह पर प्राण घातक हमला के संबंध में थाना कोतवाली में मु0 अ0 सं0 812/88 धारा 307 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है । पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया था । विवेचना से श्री रामजन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद का प्रकरण इस घटना से संबंधित नहीं पाया गया । इस समय इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

(नत्थी 'ख')

(देखिये ता0 प्र0 सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

सूची "ब"

प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती आदि के पर्यटन विकास की योजनाओं की सूची

(क) निर्माणाधीन योजनायें

1—पर्यटक आवास-गृह, गोरखपुर
2—पर्यटक आवास-गृह, कुशीनगर
3—पर्यटक आवास-गृह, संकिसा
4—बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

(ख) अन्य पर्यटन विकास योजनायें जिसके लिए भूमि अधिग्रहण एवं प्रारम्भिक आगणन तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है।

1—पर्यटक आवास-गृह, श्रावस्ती
2—सारनाथ (वाराणसी) में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में सुधार तथा अतिरिक्त आवासीय व्यवस्था
3—पिपरहवा में मार्गीय सुविधा, स्टाफ क्वार्टर एवं जनरेटर सेट

सूची "ब"

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदेश के बौद्ध पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु भेजी गयी परियोजना में सम्मिलित प्रमुख कार्यों की सूची

1—गंडक नदी पर पुल का निर्माण
2—पुल की सुरक्षा हेतु तटबन्ध का निर्माण
3—विभिन्न बौद्ध स्थलों को सड़कों से जोड़ने की योजना में सड़कों का निर्माण
4—आवासीय व्यवस्था
5—बौद्ध मठों का स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण
6—टेली-कम्युनिकेशन सुविधायें
7—पेयजल तथा जल निकासी की व्यवस्था
8—निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था
9—ओवर ब्रिज का निर्माण
10—श्रावस्ती तथा कुशीनगर में सांस्कृतिक केन्द्र तथा सारनाथ में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केन्द्र का निर्माण
11—कुशीनगर तथा श्रावस्ती में मृगविहार की स्थापना

नत्थी "ब"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

अभियुक्त प्रमोद पुत्र श्री बृजमोहन निवासी वृन्दावन, मथुरा का अपराधिक इतिहास :-

1-अपराध संख्या-239ए/83 धारा 147/148/149/332/307 भा0 द0 वि0-न्यायाधीन है।

2-अपराध संख्या-257/83 धारा 147/148/149/332/353/436/188 भा0 द0 वि0 5/7 एक्सप्लोसिव एक्ट।

3-अपराध संख्या-364/84 धारा 302 भा0 द0 वि0-न्यायाधीन है।

4-अपराध संख्या-365/84 धारा 25 ए-एक्ट-न्यायाधीन है।

5-अपराध संख्या-384/85 धारा 147/324/302 भा0 द0 वि0-न्यायाधीन है।

6-अपराध संख्या-188/87 धारा 452/323 भा0 द0 वि0न्यायाधीन है।

7-अपराध संख्या-147/88 धारा 307 भा0 द0 वि0-5 एक्सप्लोसिव एक्ट-विवेचनाधीन है।

विधि हेतु

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0सं0 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

प्राप्ति सं0-1033/आर0टी0ए0/विज्ञप्ति 88 के संदर्भ में जारी परमिटों की सूची।

क्रम-संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
ठठिया-खैर नगर मार्ग		**इटावा गोपालपुरा मार्ग**	
1	श्री बृज मोहन लाल	26	श्री प्रहलाद सिंह
2	श्रीमती राम किशोरी देवी	27	श्री छोटे सिंह
ठठिया-इन्दरगढ़ मार्ग		28	श्री सर्वेश भूषण शर्मा
3	श्री लाल सिंह यादव	**अन्दावा-अछल्दा मार्ग**	
4	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	29	श्री श्याम लाल
5	श्री बलराम प्रताप सिंह व यदुराज सिंह	30	श्री श्याम लाल हलवाई
6	श्रीमती कैलाश देवी व पुष्पा कुमारी गुप्ता	31	श्री अनिल कुमार
7	श्री राम सागर गुप्ता	32	श्री कृष्ण शंकर शुक्ला
8	श्रीमती रामबेटी देवी पत्नी स्व0 श्री कप्तान सिंह	33	श्रीमती शशी विश्नोई
छिबरामऊ-इन्दरगढ़ मार्ग		**औरैया-रामगढ़ मार्ग**	
9	श्री लिपरा सिंह	34	श्री नरेश कुमार अहिरवार
10	श्री राम चन्द्र यादव	35	श्री विशम्भर नाथ
11	श्री अनिल कुमार सिंह	36	श्री रसीद
12	श्री रामाधीन	37	श्री अशोक मिश्र
13	श्री रवीन्द्र सिंह	38	श्री कृष्ण गोपाल
14	श्री अल्लादीन	39	कु0 राजेश तिवारी
15	श्री हाफिज अली	40	श्री राम कुमार जुनेजा
16	श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी	41	श्री संजीव कुमार सिंह
17	श्री मोहम्मद नसीम	**रमईपुर-घाटमपुर वाया साढ़ मार्ग**	
सकरावां-नादेमऊ मार्ग		42	श्री अवधेश कुमार अवस्थी
18	श्री काली चरन जयन्त	**रमईपुर-जहानाबाद मार्ग**	
19	श्री रनवीर सिंह	43	श्री श्याम बाबू
20	श्री नफीसुल हसन खां	44	श्री अमराम सिंह
21	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	45	श्री विपिन कुमार गुप्ता
22	श्री सफीकुल हसन	46	श्री ओम प्रकाश
जसवन्त नगर-वाउथ मार्ग		47	श्री राम कुमार गुप्ता
23	श्री राज कुमार सिंह	48	श्री सुरेश कुमार
24	श्री अमर सिंह	**शिवराजपुर-बाबा का कुवां मार्ग**	
25	श्री शान्ती नरायन शर्मा	49	श्री खलील
		50	श्री राम औतार शुक्ल
		51	श्री महेश शुक्ला
		52	श्री विजय किशन पाण्डेय

क्रम संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
	कानपुर-पाली मार्ग		फतेहपुर-डलमऊ मार्ग
53	श्री ईश्वर चन्द्र	63	श्री अनिल दीप पाण्डेय
54	श्री जगदीश लाल अरोड़ा	64	श्री गया प्रसाद
55	श्री वकील अहमद	65	श्री केदार नाथ शुक्ला
	रायपुर-मूसा नगर मार्ग	66	श्री मोह0 अदरीस खां
56	श्री पवन सागर	67	श्री सन्त लाल
	खजुहा-अमोली मार्ग		कायमगंज-सराय अगहत मार्ग
57	श्री आनन्द अवस्थी	68	श्री अशोक कुमार
58	श्री ज्वाला प्रसाद	69	श्री दुर्विजय सिंह
59	श्री मुकेश कुमार दीक्षित	70	श्रीमती ओमवती देवी
60	श्री राम बहादुर गुप्ता	71	श्री शशि कान्त गुप्ता
61	श्री शिव दत्त पाण्डेय	72	श्री वीरेन्द्र सिंह
	खागा-कोट मार्ग		
62	श्री ओम प्रकाश		

ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मा0 सदस्यों के लिखित सुझाव

(देखिये नत्थी "ङ" पीछे पृष्ठ संख्या 186 पर)

1—श्री हरदेव—

मान्यवर, वर्ष 86-87 में पहसा में उप विद्युत गृह 33/11 के0 वी0 को स्वीकृत मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने प्रस्तावित किया है। शीघ्र धन आवंटित करके बनाया जाये। 50 हजार बुनकरों, कृषकों, मजदूरों, व्यवसायियों जनता के हित में है।

2—हलधरपुर में 13 सितम्बर, 88 को अप्रस्तावित रूप में एक व्यक्ति के नाम पर राजकीय विद्युत स्थापित किया गया है उसे इन्दिरा गांधी उप विद्युत गृह स्मृति में परिवर्तित कर शिव शंकर सिंह जी निर्वाण दिवस पर अंकित किया जाय।

3—ब्लाक सीयर के फरहदा कल्यानपुर सैयद स्थान डीह भुजैनी. जहां पर 5 एकड़ भूमि मुफ्त में उपलब्ध है। प्रस्तावित है। वहां पर शीघ्र सर्वे करा कर शीघ्र धन आवंटित करके बनवा दिया जाय।

4—बिल्थरारोड बलिया में प्रस्तावित तापीय विद्युत गृह 11 अरब का है। भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति कराकर मा0 प्रधान मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास करके काम प्रारम्भ करा दिया जाय। बिहार से कोयला घाघरा नदी से पानी तथा रेलवे लाइन व स्टेशन सस्ती जमीन सभी मानक आसानी से उपलब्ध है। जनता और पूर्वान्चल के विकास में यह विद्युत गृह वरदान सिद्ध होगा।

5—ब्लाक रसड़ा—रतनपुरा, सीयर, नगरा चिलकहर तथा जनपद मऊ में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत लिया गया है। इन 200 ग्राम सभाओं के साथ सभी ग्राम सभाओं का शीघ्र विद्युतीकरण कराने हेतु तार, पोल ट्रान्सफार्मर केबिल एवं सहायक सामग्री युद्ध स्तर पर रसड़ा डिवीजन मुख्यालय रसड़ा तथा मऊ जनपद को भेजा जाय।

6—चूंकि रसड़ा तहसील, औद्योगिक क्षेत्र है और बिल्थरा रोड तथा मऊ व्यापारिक केन्द्र है। यहां पर 24 घन्टा विद्युत सप्लाई दी जाय।

7—रसड़ा तहसील मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता क्षेत्र रसड़ा का हेड कार्यालय किया जाय तथा बलिया बांसडीह एक साथ रखा जाय। बलिया का पश्चिमी क्षेत्र व रसड़ा तहसील का मुख्यालय उपभोक्ताओं के हित में स्थापित किया जाय अ0 अ0 (एच) को रसड़ा में रखा जाय।

8—जनपदीय कर्मचारी व अधिकारियों की जिलों से बाहर पोस्टिंग की जाय तथा जे0 ई0 का हेड क्वार्टर ब्लाक मुख्यालय पर रखा जाय। इससे समय से काम होगा और जनता के कार्य में बाधा नहीं होगी।

9—पूंजीपतियों और व्यापारियों से लाखों करोड़ की बकाया धनराशि की युद्ध स्तर से वसूली की जाय ताकि विद्युत का विकास और बढ़ सके।

10—लाइन इन्सपेक्टरों की चोरी पर निगरानी की जाय तथा 3 वर्षों से अधिक एक स्थान पर न रखा जाय। व्यापारियों और सबल कृषकों को चोरी से विद्युत देते हैं और पैसा लेते हैं।

11–विद्युत सुरक्षा निदेशालय-उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाया जाय और धन दिया जाय तथा स्टाफ कर्मचारी व अधिकारी बढ़ाये जाय। इस विभाग की क्षमता बढ़ाई जाय विभाग और निदेशक तथा अधिकारी कर्मचारी अच्छा कार्य जनहित व विभाग के हित में कर रहे हैं।

12–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तर प्रदेश शासन को कारगर बनाया जाय तथा इसकी शाखा मऊ जनपद में खोली जाय।

13–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कार्य प्रणाली को गतिशील बनाया जाय तथा शिथिलता को दूर किया जाय।

14–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् और विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में हर श्रेणी में आरक्षण शीघ्र भर दिया जाय।

2–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सम्भल जिला मुरादाबाद में बिजली की आपूर्ति बहुत खराब है सम्भल के मुहल्ले सराय तरीन में सींग का कुटीर उद्योग बड़ी संख्या में है जिसमें बीस हजार मजदूर काम में लगे हुए हैं लेकिन बिजली की कमी के कारण मजदूर भूखा मर रहा है । सम्भल में बिजली 24 घंटे रहने के आदेश शासन से प्राप्त है, लिहाजा बिजली की आपूर्ति में जो कटौती है वह खतम की जाय ।

2–मुहल्ला सरायतरीन, सम्भल में श्री मुहम्मद हनीफ खां के मकान में बिजली का सब स्टेशन बना हुआ है । मैंने कई बार शासन को लिखा और विधान सभा में नियम 301 में भी इस मसले को उठाया लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर उनके मकान से नहीं हटाया गया इससे श्री मुहम्मद हनीफ खां और आस-पास के मकान वालों की जान को खतरा है लिहाजा ट्रांसफार्मर तुरन्त हटवाया जाय ।

3–श्री रईस दूलाह अधिशासी अभियन्ता जो कि इस समय थर्मल डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग शक्ति भवन, लखनऊ में कार्यरत है लेकिन अफसोस है कि इनसे आठ नौ साल जूनियर एस0 ई0 (एस0 ई0) और सी0 जैड0 ई0 (सी0 जैड0 ई0) तक बना दिए गए । लेकिन इनका अभी तक प्रोमोशन नहीं किया गया बल्कि उनको बुरी तरह सताया जा रहा है । आठ साल से इनको आफिस अटैच कर रखा है । यह खुला हुआ अन्याय है । लिहाजा मैं चाहूंगा कि श्री रईस दूलाह अधिशासी अभियन्ता को तुरन्त एस0 ई0 बनाया जाय और उनका तबादला शक्ति भवन से मुरादाबाद को किया जाय ।

3–श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्राम जो सन् 1977 ई0 से अब तक के ग्राम जो स्वीकृत हैं, अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है । जांच करायें । कितने ऐसे ग्राम हैं। हर ग्राम का विद्युतीकरण सम्पूर्ण क्षेत्र का करा दें क्योंकि कालीन हर घर में और हर वर्ग के यहां बनता है ।

2–अभोली ग्राम सभा में स्वीकृत पावर हाउस जरूर बनवा दें । जो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री सुनील शास्त्री विकास खण्ड सुरियावां को भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ 50 लाख विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कराये थे । विद्युतीकरण उक्त धन से करा दें ।

3–भदोही नया सब डिवीजन को मैटेरियल कम दिया जाता है । ज्यादा दिलवाया जाय ।

4–किसानों का बिल गलत आया है । नया सब-डिवीजन की वजह से उसका सुधरवाया जाय । जिससे किसानों को इंसाफ मिले ।

5–टाउन एरिया नई बाजार भदोही में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराने की कृपा करें ।

6–वोल्टेज हाफ चल रहा है । जिससे किसान बहुत परेशान है । पूरा वोल्टेज दिया जाय ।

7–सुरियावां में बिल जमा होता था । अब भदोही कर दिया गया है । सुरियावां बिल लिया जाय ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांगों को कालीन औद्योगिक क्षेत्र में देने का कष्ट करें ।

4–श्री काशी सिंह एेरी–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में एक राजस्व ग्राम के साथ 5 से 10 तक तोक होते हैं । केवल राजस्व ग्राम का विद्युतीकरण करके सारे तोकों को भी विद्युतीकृत मान लिया जाता है । इस तरह यदि औसतन प्रत्येक राजस्व ग्राम में 5 तोक मान लें तो पर्वतीय क्षेत्र की विद्युतीकरण का आंकड़ा कम से कम 5 गुना गलत है । इसके लिए आवश्यक है कि तोकों के विद्युतीकरण की अलग से योजना शीघ्र बनाई जाय।

2–अभी हाल में विद्युतीकरण के नए आदेशों के तहत ग्राम के कुल परिवारों के 10% खम्भे तथा 3 कनेक्शनों में एक खम्भा दिए जाने की जो नीति बनाई गई है वह पर्वतीय क्षेत्र के लिए एकदम अव्यावहारिक है । इस नीति के चलते एक गांव भी विद्युतीकृत नहीं हो सकता । अतः इस प्रतिबंध को पर्वतीय क्षेत्र के लिए पूरी तरह हटा दिया जाय ।

3–विद्युतीकरण के साथ-साथ उसी के संचालन व रखरखाव के लिए मानकों के अनुसार पद सृजित व स्वीकृत नहीं किए जाते । यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक है । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार मानक के अनुसार सारे पद भरे जायं ।

4–पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत की खपत औद्योगिक क्षेत्र में काफी कम है । बहुत छोटी इकाइयां, लघु व काटेज इकाइयां ही विद्युत लेती हैं और खपत काफी कम होती है । इसलिए समय-समय पर होने वाली विद्युत कटौती से उन्हें मुक्त रखा जाय ।

5–पर्वतीय क्षेत्र में पानी की व्यापक उपलब्धता को देखते हुए लघुपन बिजली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

6–जनपद पिथौरागढ़ में विद्युतीकरण में सबसे बड़ी बाधा, समय पर सामग्री उपलब्ध न होने से उत्पन्न हुई है। विभाग का सारा स्टोर हल्द्वानी में है। जहां से सामान मिलना बहुत कठिन होता है । इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाय कि जनपद के सारे कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री का स्टोर जनपद पिथौरागढ़ में ही हो । अन्य जनपदों हेतु भी यही व्यवस्था लागू की जाए ।

7–इसके अतिरिक्त विभाग को आवंटित धन समय पर कभी भी अवमुक्त नहीं हो पाता । मेरा आग्रह है कि उसकी समुचित व्यवस्था की जाय ।

8–निर्माण कार्यों तथा विद्युत लाइन बिछाने हेतु की जाने वाली निविदाओं की स्वीकृति के अधिकार का विकेन्द्रीकरण करते हुए अधिशासी अभियन्ता स्तर तक अधिकार दिए जायें ।

9–जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत एक उप खण्ड मुनस्यारी तहसील में, एक उपखण्ड धारचूला तहसील में खोला जाय एवं डीडीहाट में एक खण्ड स्थापित किया जाय ।

10–पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत की अनुपलब्धता न्यून खपत, तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वहां पर बिजली के दामों को सब्सीडाइज्ड कर दिया जाय ।

11–कुमाऊं जोन के अन्तर्गत सेवा से निकाले गए उन सभी कुली/मजदूर कर्मियों को, जिन्हें उप श्रमायुक्त हल्द्वानी के निर्णयानुसार सेवा में किए जाने की संस्तुति की गई है, उन्हें अविलम्ब सेवा में लिया जाय । धन्यवाद ।

5–श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–मान्यवर, कानपुर जिले के दो जिले बना दिये जाने के बाद कानपुर देहात के एविसयन को ही कानपुर नगर के सरसौल विधनू कल्यानपुर ब्लाकों को भी देहात से जोड़ दिया गया है । जिससे कानपुर नगर के तीनों ब्लाकों का विद्युतीकरण कार्य ठप्प हो गया है । आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उक्त तीनों ब्लाकों में 33 के0 वी0 के सब स्टेशन बने हुये हैं उनकी अलग व्यवस्था करके एक अधिशासी अभियन्ता कानपुर नगर के तीनों ब्लाकों के विद्युत विकास के लिए शासन से नियुक्त कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, विधनू ब्लाक की कठोगर, जरकला न्याय पंचायत के 20 गांव के विद्युतीकरण हेतु सन् 83 से 100 खम्भे करौली गांव में पड़े हुये हैं । 6 वर्ष बाद भी बराबर आश्वासन के बाद भी किसी गांव का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । आपके माध्यम से विद्युत मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं दोनों न्याय पंचायत के सभी गांवों का विद्युतिकरण कराया जाय ।

मान्यवर, कठारा न्याय पंचायत के वकौली, देहेली कड़री, ढरहरा के सभी गांव में बिजली के खम्भे दस वर्ष से लगे हुये हैं । लाइन के तार विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से आज तक किसी गांव में बिजली नहीं दी जा रही है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सभी गांव में तार खींच कर विद्युतिकरण कराने का कष्ट करें ।

30 जनवरी को विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में जानकारी के माध्यम से कानपुर नगर के तीनों ब्लाकों में विद्युतीकरण कराये जाने का सामान भेजने की आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

उक्त मांग के साथ श्री तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

6–सरदार सिंह–मान्यवर, जनपद मथुरा में विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं है और विकास खण्ड बल्देव एवं राठी में विद्युत वितरण अति अव्यवस्थित है तथा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

2–वर्ष 1988-89 में विद्युतिकृत होने वाले गांव उपकरणों के अभाव के कारण विद्युतिकृत नहीं हुए हैं । कृपया अविलम्ब इन गांवों के विद्युतिकृत किया जाय और उसके उपरांत ही वर्ष 1989-90 के गांवों को लेकर विद्युतिकृत किया जाय ।

3–मथुरा जनपद में विद्युत उपकरणों का अति अभाव है । अभी-अभी जो सामान भेजा गया है, उसको आगरा से अलीगढ़ के लिए भेज दिया गया है । इससे मथुरा जनपद में भारी असंतोष है । पर्याप्त सामान अविलम्ब मथुरा भेजा जावे ।

4–मथुरा जनपद में ट्रांसफार्मर्स की भारी कमी है कृपया अविलम्ब भेजने का कष्ट करें ।

5–रमन इलैक्ट्रिकल्स मथुरा द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर घटिया किस्म के हैं तथा उनके द्वारा मरम्मत होने वाले ट्रांसफार्मर्स की सेवायें असंतोषजनक है । धन्यवाद ।

7–श्री देवतादीन–मान्यवर, मेरे क्षेत्र में खम्भे काफी दिनों से गड़े हुये हैं । परन्तु आज तक खम्भों में बिजली नहीं जली । मेरे जिले के विद्युत अधिशासी अभियन्ताओं ने लगभग 2 वर्ष से मीटिंग नहीं बुलाई है । जिससे सदस्यगण पूरी बात नहीं बता पाते हैं । विद्युत अभियन्ता दफ्तर में कभी नहीं आते हैं । केवल माह में 4 बार अपने निजी आवास पर रहकर कार्य करते हैं । पब्लिक के जन-प्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं । आपसे अनुरोध है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–मान्यवर, आपके निर्देशानुसार ऊर्जा बजट पर निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :–

1–कुम्भ मेले में राम कृष्ण मिशन पंडाल तथा अन्य पंडालों में विद्युत द्वारा लगी आग की घटना की जांच की जाय ।

2–इलाहाबाद में पुराना फाफामऊ, मातादीन का पूरा, बक्शी कलां, बघाड़ा छोटा, एलनगंज, नयापूरा स्टैनली रोड, गणेश नगर, कमला नगर, तालाब नवल राय, आर0 आई0 बाजार, सदर बाजार, आई0 आई0 बाजार, मैमफोर्डगंज, मलाकराज, नार्थ मलाका, आदि क्षेत्रों में लो वोल्टेज समस्या के निदान हेतु ट्रांसफार्मर लगाये जायं ।

3–कुम्भ मेले में प्रयुक्त बिजली के तार, खम्भे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग इलाहाबाद में ही किया जाय ।

4–नगर इलाहाबाद की हरिजन मलिन बस्तियों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाय ।

5—अस्पताल पेयजल के नलकूपों को अलग से फीडर लाइन से जोड़ा जाय ।

6—लाला की सरैया बड़ी बगिया, ओड़ गायत्री नगर, मानस नगर, भुलई का पूरा आदि क्षेत्रों में सारी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भी क्लेक्शन नहीं दिया जा रहा है । कृपया तत्काल कनेक्शन दिलाने का कष्ट करें ।

7—फैक्ट्रियों/मिलों पर बकाया की वसूली की जाये जैसे मुजफ्फरनगर की सरस्वती स्टील्स तथा अग्रवाल पेपर मिल जहां फर्जी एसेसमेन्ट किया गया है, की वसूली कड़ाई के साथ की जाये । इसके साथ ही साथ तायल स्टील्स पर किया गया एसेसमेन्ट (मुजफ्फरनगर में ही) की जांच कराई जाय । ताकि सही धन की वसूली हो सके और दोषी अधिकारी जिसने कम एसेसमेन्ट किया है, के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो सके।

9—श्री किशोरी लाल सकलानी—मान्यवर, मेरे निम्न सुझाव आज की ऊर्जा से सम्बन्धित प्रस्तुत बजट पर हैं ।

1—मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक निर्बल शोषित व्यक्ति निवास करते हैं गत 17 जून, 1987 को प्रोविजनल बिल के सम्बन्ध में शिकायत करने पर तत्कालीन मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने निरस्त कराने के आदेश दिये थे किन्तु अभी तक भी कार्यवाही नहीं हुई । कृपया अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दीजियेगा ।

2—मेरे क्षेत्र में धमन्दपुर नलकूप एक वर्ष से बना है । कृषकों का लगना है । कृपया सभी सामान देकर अविलम्ब कार्यवाही करें ।

3—समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कनेक्शन देने का नलकूपों के कनेक्शन देने का कार्यक्रम बनाया जाये ।

4—मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने जिलेवार विधायकों की कमेटी बनाई उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई । कृपया उसे निर्मित कराने के आदेश दें ।

5—जिन क्षेत्रों में वर्षों से अग्रिम धनराशि जमा है । उन्हें विद्युतीकरण कराने का आदेश दें ।

10—श्री हरीशंकर तिवारी—मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र 90 बिलग्राम जनपद हरदोई की ओर आपके माध्यम से ले जाना चाहता हूं ।

मेरे क्षेत्र में ब्लाक हरपालपुर जनपद हरदोई में न्याय पंचायत अखंल दहेलिया जनपद फर्रुखाबाद की सीमा पर स्थित है । फर्रुखाबाद जनपद की ग्राम सभाएं सर्रा हरदोई की सेक्सर मिली हुई है । सर्रा में बिजली है । सरेसट में नहीं है । उसी प्रकार खजुहा हरदोई कडहर फर्रुखाबाद में बिजली है और मेरी ग्राम सभाएं हैं जहां फर्रुखाबाद जनपद से मिली हुई हैं । कृपया इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए फर्रुखाबाद जनपद की ग्राम सभाओं से मिली हरदोई जनपद की ग्राम सभाओं का फर्रुखाबाद से बिजली देने की व्यवस्था करें । दूसरा हरदोई जनपद से सीधे माधोगंज लाइन जंगलों व बहुत ही इन्टीरियर से होकर जाती है फिर बिलग्राम आती है । बहुधा बिजली के तारों का खम्भों में कोई गड़बड़ी हो जाने से 48 घण्टे तक उपभोक्ता परेशान

होता है और राजस्व की भी हानि होती है यदि हरदोई से बिलग्राम सीधी रोड पर कर दी जाय तो उपभोक्ता की परेशानी तथा पानी का संकट और पेट्रोलियम की सुविधा हो जावेगी । कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर यह व्यवस्था करा दें । मा0 मंत्री जी के रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

11—श्री हाजी मोहम्मद हयात—मान्यवर, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ मुरादाबाद अमरोहा का कार्य देखता है । यह कार्यालय अमरोहा के लिए स्वीकृत है परन्तु मुरादाबाद में ही कार्यरत हैं । उक्त कार्यालय को अमरोहा भिजवाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

2—अमरोहा के ग्राम गुलड़या में 132 के0 वी0 ए0 का विद्युत गृह बना है परन्तु ग्राम गुलड़या को 17 किलो मीटर दूर ग्राम मूढ़ा खेड़ा के विद्युत उपगृह से जोड़ा गया है, मेरा सुझाव है कि ग्राम गुलड़या के समीप वाले ग्रामों के लिए एक नया विद्युत गृह ग्राम गुलड़या में ही बनाया जाये जिससे कि ग्राम वालों को 17 किलो मीटर की दूरी तक न जाना पड़े ।

3—अमरोहा नगर में बरसात के जमाने में जो मकान गिर गये थे और उन मकानों के बूकिट गिर गये थे । उनके स्थान पर बार-बार कहने और लिखने के बाद भी पोल नहीं लगाये गये, विद्युत विभाग द्वारा। यह खेद का विषय है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ मुरादाबाद के बार-बार आदेश देने के बाद भी एस0 डी0 ओ0 अमरोहा नगर ने पोल नहीं लगाये । किसी समय भी कोई संगीन घटना हो सकती है ।

4—अमरोहा कार्यशाला विद्युत में जो ट्रांसफार्मर ग्रामों को आते जाते हैं उन्हें किसान स्वंय ले जाते हैं अपने साधन से । परन्तु कर्मचारी इसका विभाग से पैसा वसूलते हैं । जिससे शासन को अनुचित हानि होती है । इसकी जांच विजीलेन्स द्वारा कराई जाय तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

12—श्री हर्ष वर्धन—मान्यवर, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड धानी में 33 के0 वी0 विद्युत उपगृह का निर्माण प्रस्तावित है । विगत दो वर्षों से सम्बन्धित अधिकारीगण भूमि नहीं ले पा रहे हैं जिसके कारण राजनैतिक हैं। मेरा अनुरोध है कि उक्त सब-स्टेशन का निर्माण तत्काल कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

2—वर्ष 1988-89 में फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर जनपद में जिन गांवों का विद्युतीकरण होना था । उनके स्थान पर धानी विकास खण्ड में दूसरे गांव का विद्युतीकरण सम्बन्धित जे0 ई0 ने पैसा लेकर शुरू किया । इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

3—गोरखपुर के आनन्दनगर टाऊन एरिया द्वारा स्ट्रीट लाइट हेतु विद्युत विभाग की मांग के अनुसार पिछले 2 वर्षों से धन जमा करने के पश्चात भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी गयी । इसे तत्काल लगवाने की व्यवस्था की जाय ।

4–गोरखपुर में कम्पियरगंज थाने के सामने वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत बने सदा शिव मंदिर पर थानाध्यक्ष कम्पियरगंज द्वारा कंटिया लगवाकर विद्युत कनेक्शन कर लिया गया है । यह स्पष्टत: विद्युत चोरी का मामला है । इस सम्बन्ध में कार्य-वाही होना आवश्यक है ।

13–श्री राज किशोर–मान्यवर, बिजली विभाग की देख रेख की जिम्मेदारी 4 मंत्रियों को दी गयी है । इन मंत्रियों की अलग-अलग कार्य की जिम्मेदारी का स्पष्टी-करण होना आवश्यक है ।

गांवों में सामान्य व हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी और असंतोष जनक है । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि वर्ष 1988–89 में वाराणसी जनपद में औसतन प्रति ब्लाक में 2 अथवा 3 सामान्य बस्ती तथा 3 व 2 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया । इस रफ्तार से गांवों के विद्युती-करण का लक्ष्य पूरा होना सम्भव नहीं है ।

बिजली कनेक्शन देने में जूनियर इन्जीनियर पैसा लेने के सम्बन्ध में बहुत परेशान करते हैं । 1000 हजार रुपया प्रति कनेक्शन पर ले लेते हैं । गांव में विद्युत कनेक्शन लेने की नीति का स्पष्ट होना आवश्यक है और जनपदों में निर्देश जाना जरूरी है ।

स्टेट ट्यूबवेल व विश्व बैंक के नलकूपों को समान बिजली दी जानी चाहिए । सौतेला व्यवहार होना उचित नहीं है ।

बिजली कनेक्शन देने के लिए खम्भा, तार आदि पर्याप्त मात्रा में जनपदों में उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार पर्याप्त संख्या में विभिन्न शक्ति के ट्रांसफार्मर भी जिला केन्द्रों पर होना जरूरी है । वक्त जरूरत पर किसानों को उपलब्ध कराया जाय और फसलों को सूखने से बचाया जाय ।

प्राइवेट नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने में विलम्ब न किया जाय ।

विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाय ।

14–डाक्टर दिनेश जौहरी–मान्यवर, बरेली में ट्राली पर माउन्टेड ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

2–गत पखवाड़े से बरेली महानगर की बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है । दिन में कई बार बिजली बन्द होने लगी है कृपया इसमें सुधार करायें ।

15–श्री राम जन्म सिंह–मान्यवर, मेरे क्षेत्र की सिंचाई के साधन रूप में पम्प नहरें तथा नलकूप के साथ ही व्यक्तिगत नलकूप हैं । जिनका काम करना विद्युत आपूर्ति पर ही निर्भर करता है । विद्युत सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कर इनके निराकरण की आशा रखता हूं ।

2–भोपौती नहर 480 क्यूसेक की है, साहूपुरी से बिजली मिलती है विभाग ने स्वतन्त्र फीडर की है और पैसा जमा किया है पर कुछ और कनेक्शन उससे दे दिए गये हैं । जिससे लोड अधिक हो जाने से सभी पम्प नहीं चल पाते ।

3–बलुवा तथा नगना लिफ्ट नहरों की भी ऐसी ही स्थिति है । व्यक्ति कनेक्शन अलग लाइनों से देने की व्यवस्था हो ।

4–गुरैनी और नीरा सहाय लिफ्ट नहरों की धानापुर उपकेन्द्र से वीरा सहाय फीडर से दी जाती है । लाइन 20 कि0 मी0 लम्बी है और बीच के सरकारी तथा व्यक्तिगत नलकूपों को इसी लाइन से कनेक्शन दे दिए गये हैं । जिसमें ये नहर 20 क्यूसिक के बजाय 10 क्यूसिक ही पानी उठा पाती है । इन्हें पड़ोस के जमानिया उपकेन्द्र से बिजली दे दी जाय ।

5–इन सभी कठिनाईयों को ध्यान में रखकर एक 33 के0 वी0 का नया सब-स्टेशन ग्राम-पो0 एवंती में लगाने का प्रस्ताव विभाग ने किया है, जो स्वीकृत भी हो चुका है । उसके लिए धन स्वीकृत कर इस वर्ष कार्य शुरू कराने की कृपा करें ।

16–श्री रघुवर दयाल वर्मा–मान्यवर, आपकी व्यवस्था के अनुसार ऊर्जा मंत्री को निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं :––

1–फिरोजाबाद क्षेत्र में भटसैना सब स्टेशन का निर्माण कराया जाय भूमि इसके लिए 1978 में ली गई है । सीमा के तार लगा दें । इसे बनाने का आश्वासन गत विधान सभा सत्र में मेरे प्रश्नों के उत्तर में राज्य मंत्री जी ने दिया है । धन सुरक्षित कर निर्माण करा दें ।

2–अगस्त, 1988 से दिसम्बर, 1988 और इससे पूर्व जनवरी, 1977 से दिसम्बर, 1977 व जनवरी, 1988 से जुलाई, 1988 तक स्वीकृत निजी नलकूपों को जिनके अनुबन्ध हो गये हैं लेकिन अभी तक लट्ठा खम्भा, तार आदि नहीं मिला है उन्हें तुरन्त सामान दिलाकर नलकूप चार्ज कराये जावें और इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे । जिनके अनुबन्ध हो गये हैं और बिजली नहीं मिली है उन्हें अब विशेष अभियान चलाकर चालू किया जाए ।

3–ट्रान्सफार्मर जो जले पड़े हैं उन्हें तुरन्त ठीक कराया जाव ।

4–विद्युत वितरण सब-स्टेशन आरुयाबाद पर आने वाली बिजली और जाने वाली बिजली के मीटर ठीक कराये जावें ।

5–जिला उपभोक्ता बैठकें हर माह हुआ करें ।

17–श्री राम आसरे वर्मा–मान्यवर, जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में जलालपुर–छिबरामऊ परसोला भटियामऊ राधौपुर–मोहब्बत ठठिया आदि ग्रामों से गुजरने वाली लाइन चालू नहीं है । खम्भे खड़े हैं, कुछ तार चोरी हुए कुछ विभाग के लोगों ने हेराफेरी कर दी ।

माधोगंज–मल्लावां विकास खण्डों में अनेक गांवों में ट्रान्सफार्मर 6 माह एक साल पूर्व के जले हैं । उनके स्थान पर ट्रान्सफार्मर नहीं दिये जा रहे हैं ।

हमारे क्षेत्र के अनेक गांव कागजों पर विद्युतीकृत हैं किन्तु बिजली नहीं दी जा रही ।

मल्लावां सब पावर स्टेशन को अविलम्ब चालू किया जाय ।

18–श्री विजय सिंह राणा–मान्यवर, आगरा में हम लोगों की जानकारी में अभी तक नहीं है कि कुटीर ज्योति योजना क्या है ? विद्युत विभाग ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बैठक बुलायी नहीं कोई इस सम्बन्ध में सुझाव या प्रस्ताव लिये हैं।

साथ ही आगरा में सन् 1987 से आज तक जिला विद्युत समिति की बैठक नहीं हुई तथा आज तक वर्ष 1987 के बाद किसी गांव का चयन हुआ है । दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 1987 की चयनित गांवों की सूची के भी चयनित गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ।

आगरा में न तो तार हैं, न ट्रान्सफार्मर हैं तथा न अन्य कोई सामान । इस स्थिति में आपका विद्युत विभाग किस स्थिति में है आप स्वयं अनुमान लगा लें ।

कृपया उक्त सन्दर्भ में तुरन्त स्थिति का पता लगायें तथा कार्य की प्रगति के आदेश प्रदान करें ।

19–श्री गोपाल दास यादव–मान्यवर, विद्युत बजट पर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर निम्न सुझाव देता हूं, जो निम्न है –

1–मलिन बस्ती हरवारा कधईपुर बेगम सराय का विद्युतीकरण सेवढ़ा ग्राम नेवादर ब्लाक में एक साल पहले खम्भे लगा दिये गये । किन कारणों से आज तक ट्रान्सफार्मर क्यों नहीं भेजा गया ।

2–बख्शी मोढ़ा, तारापुर, बिसौना में 87-88 में नेवादा ब्लाक में आज तक कार्य नहीं शुरू हुआ ।

3–करहेदा और सैदपुर में आज तक संस्तुति के बाद भी क्यों नहीं विद्युतीकरण किया गया । अकबरपुर बमहरौली मैनपुरा में वरीयता के आधार पर हरिजन विद्युतीकरण किया जाय ।

जैसा कि विद्युत मंत्री जी ने घोषणा की है कि एक गांव विद्युतीकरण करेंगे मदारीपुर में पूर्ण विद्युतीकरण किया जाए ।

20–श्री शिव नरायण मिश्र– मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमान, विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत ब्लाक भदैया के ग्राम सभा अभियाकलां में 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र की आधारशिला वर्ष 1987 में ऊर्जा मंत्री द्वारा रखी गई है । परन्तु आज तक नहीं बनना शुरू हुआ । इससे जनता में भीषण असन्तोष है तथा समस्या है ।

अस्तु जनहित में प्राथमिकता पर उस उपकेन्द्र को बनवाने का कष्ट करें । उसके लिए हम अपने क्षेत्र की तरफ से आपके बड़े आभारी होंगे। धन्यवाद।

21–श्री महेन्द्र भाटी–मान्यवर, राजस्थान में बिल सकेरने का कार्य ग्रामों में ज्यादातर परचुनिये या कुछ जिम्मेदार लोगों को कमीशन के आधार पर कराते हैं जिससे बिल सकेरने में सुविधा रहती है और बिल भी प्रतिशत में ज्यादा एकत्र हो जाते हैं यदि यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कर दी जाय तो बकायादार कम होंगे।

मेरे क्षेत्र दादरी में 1500 आबादी वाले ग्रामों में बिजली नहीं है । प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय । ग्राम चिठैहरा को नगरपालिका दादरी से जोड़ा जाय । जिन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन के पैसे जमा कर दिये गये हैं । उन्हें तुरन्त विद्युत सम्बन्धी सभी सामान उपलब्ध कराया जाय ।

सत्यमेव जयते